



# पूर्वोत्तर में पीओएस के विनियोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बैंक को पुरस्कृत किया गया।

The Bank has been awarded for Outstanding performance in POS deployment in Northeast.









# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking) आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with



श्री कर्नम शेखर एमडी व सीईओ Shri. Karnam Sekar MD & CEO



श्री अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक Shri. Ajay Kumar Srivastava Executive Director



सुश्री ऐनी जार्ज मैथ्यू सरकारी नामिती निदेशक Ms. Annie George Mathew Government Nominee Director



श्री दीपक कुमार भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक **Shri. Deepak Kumar** RBI Nominee Director



श्री संजय रुंगटा शेयरधारक निदेशक Shri. Sanjay Rungta Shareholder Director



श्री नवीन प्रकाश सिन्हा शेयरधारक निदेशक Shri. Navin Prakash Sinha Shareholder Director





# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20 निदेशक मंडल

श्री कर्नम शेखर

प्रबंध निदेशक व सीईओ

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

कार्यपालक निदेशक

सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू

सरकारी नामिती निदेशक

डॉ. दीपक कुमार

भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक

श्री संजय रुंगटा

शेयरधारक निदेशक

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा

शेयरधारक निदेशक

श्री भवन चन्द्र

महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

Indian Overseas Bank

Central Office: 763. Anna Salai, Chennai-600 002

**ANNUAL REPORT 2019-20 BOARD OF DIRECTORS** 

Shri Karnam Sekar

Managing Director & CEO

Shri Ajay Kumar Srivastava

**Executive Director** 

Ms. Annie George Mathew

Government Nominee Director

Dr. Deepak Kumar

**RBI** Nominee Director

**Shri Sanjay Rungta** 

Shareholder Director

Shri Navin Prakash Sinha

Shareholder Director

Shri Bhuwan Chandra

पंजीयक एवं शेयर अंतरण

सुब्रमणियन बिल्डिंग

General Manager & Chief Financial Officer

लेखाकार

**AUDITORS** 

मेसर्स आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी, चेन्नै

M/s. R Subramanian and Company LLP, Chennai

एजेंट

बैंक)

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लि.

Registrar & Share Transfer Agent M/s Cameo Corporate Services Ltd

मेसर्स एस एआर सी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली

M/s. SARC& Associates, New Delhi

(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ (Unit - IOB)

Subramanian Building

मेसर्स पात्रो एंड कंपनी. भुवनेश्वर

M/s. PATRO & CO. Bhubaneswar

पांचवां तल, नं.1, क्लब हाउस V Floor, No.1, Club House रोड, चेन्नै - 600 002. Road. Chennai - 600 002.

Tel:

मेसर्स एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स, चेन्नै

M/s. M. SRINI-VASAN & ASSOCI-

ATES, Chennai

(छह लाइने) 044 - 28460395 044 / 28460390 (Six Lines) 044 - 28460395

फैक्स: 044 / 28460129

044 / 28460129 Fax:

ई-मेल : cameo@cameoindia.com

टेलि: 044 / 28460390

e-mail: cameo@cameoindia.com



# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय कार्यालय : 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

# वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

# **Indian Overseas Bank**

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600 002

# **ANNUAL REPORT 2019-20**

विषय वस्तु	पृष्ठ सं.	Contents	Page No.
एक झलक में	3	At a Glance	3
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के डेस्क से	4	From the Managing Director & CEO's Desk	4
शेयरधारक के लिए सूचना	7	Notice to the Shareholder	7
निदेशकों की रिपोर्ट	26	Directors' Report	27
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण	32	Management Discussion and Analysis	33
वर्ष 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	72	Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2019- 20	73
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	117	Auditors' Certificate on Corporate Governance	117
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	118	Secretarial Audit Report	119
वार्षिक लेखा	122	Annual Accounts	122
नकदी प्रवाह विवरण	124	Cash Flow Statement	124
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	212	Independent Auditors' Report	212
अतिरिक्त प्रकटीकरण	222	Additional Disclosure	223
व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2019-20	276	Business Responsibility Report 2019-20	277
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति	298	IOB Dividend Distribution Policy	299
( यदि इस वार्षिक रिपोर्ट के हिंदी रुपांतरण में के पाई जाती है तो अंग्रेजी वर्जन मान्य होग		(In this Annual Report, in case of any discrep Hindi Version, English Version will pr	



# एक नज़र में

(रु. करोड़ में)

	मार्च-20	मार्च-19	मार्च -18	मार्च-17	मार्च-16
कुल कारोबार	3,57,723	3,74,530	3,67,831	3,68,119	3,97,241
वैश्विक जमाएं	2,22,952	2,22,534	2,16,832	2,11,343	2,24,514
घरेलू जमाएँ	2,18,028	2,17,963	2,10,388	2,05,154	2,18,556
घरेलू सकल अग्रिम	1,27,336	1,46,001	1,38,516	1,42,651	1,55,429
वैश्विक निवल अग्रिम	1,21,333	1,32,597	1,32,489	1,40,459	1,60,861
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	76,135**	75,393**	70,040**	63,984**	67,615*
कृषि ऋण	30,091*	3,1853*	29,520*	29,348*	30,237*
निवल निवेश (वैश्विक)	79,415	66,932	68,646	71,654	79,189
ब्याज आय	17,406	17,631	17,915	19,719	23,517
गैर ब्याज आय	3,360	4,206	3,746	3,373	2,528
परिचालनात्मक व्यय	5,129	4,452	5,585	4,912	5,025
सकल लाभ	3,534	5,034	3,629	3,650	2,885
निवल लाभ / निवल हानि	-8,527	-3,738	-6,299	-3,417	-2,897
इक्विटी शेयर पूँजी	16,436.99	9,141.65	4,890.77	2,454.73	1,807.27
सकल एनपीए (%)	14.78	21.97	25.28	22.39	17.40
निवल एनपीए (%)	5.44	10.81	15.33	13.99	11.89
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%)	10.72	10.21	9.25	10.50	9.66

<sup>\* 31</sup> मार्च तक बकाया

जहां कहीं भी अपेक्षित है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पूनर्समूहित किया गया है।

#### At a Glance

(₹ in Crore)

	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Total Business	3,57,723	3,74,530	3,67,831	3,68,119	3,97,241
Global Deposits	2,22,952	2,22,534	2,16,832	2,11,343	2,24,514
Domestic Deposits	2,18,028	2,17,963	2,10,388	2,05,154	2,18,556
Domestic Gross Advances	1,27,336	1,46,001	1,38,516	1,42,651	1,55,429
Global Net Advances	1,21,333	1,32,597	1,32,489	1,40,459	1,60,861
Priority Sector Advances	76,135**	75,393**	70,040**	63,984**	67,615*
Agricultural Credit	30,091*	3,1853*	29,520*	29,348*	30,237*
Net Investments (Global)	79,415	66,932	68,646	71,654	79,189
Interest Income	17,406	17,631	17,915	19,719	23,517
Non Interest Income	3,360	4,206	3,746	3,373	2,528
Operating Expenses	5,129	4,452	5,585	4,912	5,025
Gross Profit	3,534	5,034	3,629	3,650	2,885
Net Profit/Net Loss	-8,527	-3,738	-6,299	-3,417	-2,897
Equity Share Capital	16,436.99	9,141.65	4,890.77	2,454.73	1,807.27
Gross NPA (%)	14.78	21.97	25.28	22.39	17.40
Net NPA (%)	5.44	10.81	15.33	13.99	11.89
Capital Adequacy Ratio (%)	10.72	10.21	9.25	10.50	9.66

<sup>\*</sup> Outstanding as on 31st March

Previous year's figures are regrouped wherever necessary

<sup>\*\*</sup> प्राथमिकता क्षेत्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 से प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य एवं अन्य उप लक्ष्य के तहत चार तिमाहियों का औसत निष्पादन दिया जा रहा है ।

<sup>\*\*</sup>Average of 4 quarters performance as per revised Priority Sector guidelines of RBI from FY 2016-17 onward for achievement of Priority Sector Target & Sub target for the financial year.



# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक - केन्द्रीय कार्यालय चेन्नै INDIAN OVERSEAS BANK - CENTRAL OFFICE CHENNAI

प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी से पत्र Letter from Managing Director & Chief Executive Officer



श्री कर्नम शेखर, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri. Karnam Sekar, Managing Director & Chief Executive Officer

### प्रिय शेयरधारको .

मुझे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। वर्ष के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की विशेषताओं के साथ-साथ भविष्य के लिए बैंक के ऑउटलुक को भी आपके साथ साझा करना चाहुँगा।

#### आर्थिक परिवेश -

वित्तीय वर्ष 2019 के 6.1% की तुलना में भारत का जीडीपी वित्तीय वर्ष 2020 के लिए 4.2% रहा । कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 4.0% तक बढ़ गई जबिक पिछले वर्ष यह 2.4% थी । वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान उद्योग ने 0.9% की सीमांत वृद्धि दर्ज की जो कि वित्तीय वर्ष 2019 में 4.9% थी । उत्पादन और विनिर्माण ने उद्योग के विकास में अपना बहुत कम योगदान दिया। वित्तीय वर्ष 2020 में जीडीपी के प्रति सेवा क्षेत्र का योगदान भी गिरकर 5.5% हो गया जबिक वित्तीय वर्ष 2019 में यह 7.7% था। बाहरी माँग में गिरावट के चलते वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान हमारे आयात और निर्यात संकुचित हो गए । कृषि एवं संबंधित गतिविधियों , उद्योग एवं निजी ऋण प्रवर्ग को बैंक के वित्तपोषण ने क्रमशः 4.2% , 0.7% व 15% की वृद्धि दर्ज की ।

### बैंकिंग उद्योग के लिए ऑउटलुक:

कोविड -19 महामारी ने कारोबार में खासी मंदी ला दी। बैंक के ऊपर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी थी कि वे कारोबार निरंतरता व ग्राहक सेवा के बीच संतुलन को सुनिश्चित करें। बैंकों को चाहिए कि वे अपने डिजिटल चैनलों और संपर्क सूत्रों में और भी सुधार लाएँ ताकि ग्राहक संबंध को गहन बनाया जा सके और विभिन्न परिदृश्यों के लिए वे अपने कारोबार मॉडलों की पुनर्व्यवस्था कर सकें। एमएसएमई उद्यमों को प्रदत्त किए जाने वाले ऋणों पर सॉवरेन गारंटी और विस्तारित अधिस्थगन के चलते बैंक में उधार पोर्टफोलियो में वृद्धि होने की संभावना है।

# वित्तीय निष्पादन - 2019-20 के लिए आपके बैंक की प्रमुख विशेषताएँ:

कई तिमाहियों के लिए अनवरत रूप से बैंक निवल लाभ को हासिल नहीं कर सका, अतः बैंक निरंतर रूप से अथक प्रयास करता रहा ताकि कम से कम वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में निवल लाभ प्राप्त किया जा सके। बैंक ने आवास एवं आभूषण ऋण जैसे हल्के पूँजीगत अग्निमों के तहत विकास को बढ़ावा दे सका ताकि गिरते ब्याज के चलन के तहत ब्याज आय की रक्षा की जा सके। कर्मचारियों के वेतन करार, जो वार्ताधीन है, के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने के बावजूद बैंक ने अपने खर्चों को सीमित रखने में सफलता पाई है। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु.3534 करोड़ की हद तक बैंक परिचालनगत लाभ हासिल कर सका।

#### Dear Shareholders,

I have pleasure in presenting your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2019-20. I would like to share with you the performance highlights of the Bank during the year as well as the outlook for the Bank going forward.

#### **Economic Environment**

India 's GDP growth for FY20 stood at 4.2% compared to 6.1% in FY19. Agriculture and Allied Activities grew at 4.0% in FY20, compared to last year's growth of 2.4%. Industry registered a marginal growth of 0.9% in FY20 from 4.9% in FY19. Manufacturing and Construction have contributed to low growth in the Industry. The contribution of service sector to GDP declined to 5.5% in FY 20 compared to 7.7% in FY19. Our exports and imports have contracted in FY20 due to fall in external demand. Bank credit to agriculture & allied activities, Industry and personal loan segment registered a growth of 4.2%,0.7% and 15% respectively.

#### **Outlook for Banking Sector**

The COVIO-19 pandemic has caused a significant slowdown in business. There is an additional responsibility on the Banks to ensure a balance between business continuity and customer care. Banks may have to improve their digital channels and connectivity for deepening customer relationships and re-align their business models for different scenarios. The sovereign guarantee on loans to MSMEs and extended moratorium are expected to drive credit growth in Banks.

#### Financial Performance - Highlights of your Bank - 2019-20

Bank was relentlessly striving to achieve Net profit at least in Q4 of FY 2019-20. as the Bank could not accomplish the same continuously for several quarters. Bank could accelerate the growth under Capital light advances such as Housing and jewel loan in order to protect the interest income under a falling interest regime. Bank could contain its expenditure despite making additional provision on employee wage settlement under negotiation. As a result, Bank could achieve operating profit to the extent of Rs 3534 Crores for FY- 19-20.



बैंक ने अपने सकल एनपीए, जो रु.33398 करोड़ था, को पर्याप्त मात्रा में घटाते हुए 19913 करोड़ तक ला दिया और इस प्रकार जीएनपीए की प्रतिशतता को 21.97% से घटा कर 14.78% कर पाया। ये बहुविध एवं केंद्रीकृत वसली पहलों के कारण संभव हो सका।

एनएनपीए भी रु.14368 करोड़ से घटकर रु.6603 करोड़ हो गया यानि प्रतिशतता के हिसाब से यह 10.81% से घटकर 5.44% हो गया। 31.03.2020 तक बैंक की एनएनपीए प्रतिशतता पीसीए की निर्धारित सीमा से नीचे ला ली गई।

बैंक का पीसीआर 31.03.2020 तक 71.39% से बढ़कर 86.94% हो गया , जो कि उद्योग में सबसे उच्चतम है ।

इसके परिणामस्वरूप बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए रु.144 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया ।

बैंक ने आरएएम प्रवर्ग के अग्रिमों, विशेषकर आवास ऋण एवं आभूषण ऋण, के विस्तारण के प्रति अपने प्रयास केंद्रीकृत किए जिसकी परिणित घरेलू अग्रिमों में आरएएम शेयर की वृद्धि में हुई। और इस प्रकार 31.03.2019 में जहाँ इसक प्रतिशत 67.19 था वहीं 31.03.2020 तक यह 75.83% हो गया।

कॉर्पोरेट पोर्टफोलियों के पुनर्तुलन के कारण संवेत रूप से अग्रिमों में कमी आई। एमसीएलआर में कटौती और आरएलएलआर के प्रवेश के चलते सम्यक ब्याज आय ने आंशिक रूप से कमी दर्ज की है। कम लागत की जमाओं में वृद्धि और उच्च लागत की जमाओं में कमी ने जमाओं की लागत की नियंत्रण में रखा।

31.03.2019 को जहाँ कासा रु. 85227 करोड़ था वहीं 31.03.2020 तक यह रु.89,751 करोड़ हो गया, जहाँ वृद्धि की दर 5.31% है। 31.03.2019 को जहाँ कासा का प्रतिशत 38.30% रहा , वहीं 31.03.2020 तक यह बढ़कर 40.26% हो गया।

मार्च 2019 तक जहाँ सामूहिक जमाएँ रु.28285 करोड़ रहीं , वहीं मार्च 2020 तक ये घटकर रु. 17092 करोड़ रह गई , जहाँ घटाव का प्रतिशत 39.57% रहा ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जहाँ निवल ब्याज आय रु.5279 करोड़ थी वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर रु.5303 हो गयी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जहाँ परिचालनगत खर्च रु.4452 करोड़ रहे , वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में आंशिक रूप से बढ़कर यह रु. 5129 करोड़ हो गए , ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वार्ताधीन कर्मचारी वेतन बकाए के लिए एकबारगी प्रावधान करना पड़ा ।

#### पँजीगत स्थिति

## भारत सरकार द्वारा पूँजी निवेश

2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूँजी निवेश के लिए बैंक ने (अ) रु.10 प्रति शेयर के मूल्य वाले 344,37,50,000 ईक्विटी शेयरों को रु.11.20 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सिहत) के हिसाब से नगद हेतु निर्गमित किया, जिसकी समेकित राशि रु.3857 करोड़ को 28.11.2019 के दिन भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रदान की गई, जो कि दिनांक 27.09.2019 को भारत सरकार से प्राप्त पूँजी निवेश के एवज में थी और (आ) रु.10 प्रति शेयर के मूल्य वाले 385,15,90,106 ईक्विटी शेयरों को रु.11.32 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.1.32 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सिहत) के हिसाब से नगद हेतु निर्गमित किया, जिसकी समेकित राशि रु.4360 करोड़ को 27.02.2020 के दिन भारत सरकार को अधिमानी आधार पर प्रदान की गई, जो कि दिनांक 03.01.2020 को भारत सरकार से प्राप्त पूँजी निवेश के एवज में थी।

#### टियर ॥ बॉण्डों का जुटाया जाना

30.09.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्डों को जुटाया जो कि आबंटन की तारीख से 10 वर्षों की अविध के लिए 9.0802% की कूपन दर पर प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जुटाए गए और जिसकी समेकित राशि रु.500 करोड़ रही। बैंक द्वारा जारी इन टियर II बॉण्डों के लिए मेसर्स क्रिसल और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स द्वारा क्रमशः

Bank could reduce the gross NPA substantially from Rs 33398 Crores to Rs 19913 Crores and thereby brought down the GNPA% from 21.97% to 14.78% through multipronged and focused recovery initiatives.

NNPA has been brought down from Rs 14368 Crores to Rs 6603 Crores in absolute terms and from 10.81% to 5.44% in percentage terms. The NNPA% of the Bank as on 31.3.2020 is brought down below PCA threshold.

PCR of the Bank has improved substantially as on 31.3.2020 from 71.39% to 86.94%. one of the highest in industry.

As a result, Bank could register a Net profit to the tune of Rs.144 Crores for Q4 FY -19-20.

Bank concentrated in expansion of RAM segment advances especially housing loan and jewel loan which is evident in growth of RAM share to domestic advances from 67.19% as of 31st March-2019 to 75.83% as of 31st March-2020.

Rebalancing of Corporate portfolio has resulted in reduction of overall advances. Overall interest income has recorded marginal decline due to MCLR reduction and introduction of RLLR. Growth under low cost deposits and shedding of high cost deposits has kept the cost of deposit under control.

CASA has improved from RS.85227 Crores as of 31st March-2019 to Rs.89751 Crores as of 31st March-2020 with a growth of 5.31%. CASA% has moved up from 38.30% as of 31st March -2019 to 40.26% as of 31st March-2020.

Bulk deposit has been brought down from Rs.28285 Crores as of March-2019 to Rs.17092 Crores as of March-2020 with a reduction of 39.57%.

Net interest income has improved from Rs.5279 Crores in FY18-19 to Rs.5303 Crores in FY-19-20.

Operating expenses has gone up marginally from Rs.4452 Crores in FY-18-19 to Rs .5129 Crores in FY-19-20 due to one-time provision for employee wage arrears under negotiation.

#### **Capital Position**

#### Capital Infusion by Government of India

For the capital infusion by Government of India during 2019-20. the Bank issued

a) 344,37,50,000 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs. 11.20 per equity share (including premium of Rs.I.20 per equity share) aggregating to Rs.3,857 Crore to Government of India on Preferential Basis on 28.11.2019 for the capital infusion received from Government of India on 27.09.2019 and b) 385,15,90,106 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of 11.32 per equity share (including premium of Rs.1.32 per equity share) aggregating to Rs.4,360 crore to Government of India on Preferential Basis on 27.02.2020 for the capital infusion received from Government of India on 03.01.2020.

#### **Raising of Tier II Bonds**

During the quarter ended 30.09.2019. the Bank had raised Basel III Compliant Tier II bonds aggregating Rs.500 Crore on private placement basis at a coupon rate of 9.0802% with tenor of 10 years from the date of allotment. M/s. CRISIL and



क्रिसिल ए+ / स्टेबल और आइएनडी एए – नेगेटिव की रेटिंग निर्धारित की गई।

# प्राधिकृत पूँजी

पिछले वर्ष तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. दस हज़ार करोड़ रही और चालू वर्ष के दौरान यह प्राधिकृत पूँजी बढ़कर रु.25000 करोड़ हो गई।

## पुरस्कार और प्रशस्तियाँ

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष है कि आइओबी को –

- ईज़ 1.0 (वित्तीय वर्ष 2018-19) के तहत मार्च 2019 तक के लिए 5वाँ स्थान प्राप्त हुआ जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच बैंक का स्कोर 75% रहा ।
- ईज़ 1.0 प्रवर्ग के आठ पुरस्कारों में से "विनर रिफार्मस एक्सलेंस" और "विनर डीपेनिंग फाइनेंशियल इन्क्लूशन और डिजिटलाइजेशन" का अवार्ड प्राप्त हुआ।
- अपने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस)
   के लिए " एक्ज़ाम्पल्स ऑफ बेस्ट प्राक्टिस अमंग पीएसबीस" में विशेष उल्लेख।
- वर्ष 2018-19 के लिए पूर्वोत्तर में पीओएस नियोजन में अनन्य निष्पादन के लिए मेटी द्वारा पुरस्कार
- "सिम्प्लिफाइड लोन अकाउंट ओपेनिंग" विषय पर फिनेकल के इन-हॉउस कस्टमाइज़ेशन हेतु क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड 2020 के तहत इंफोसिस द्वारा नामांकित।
- 🕨 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आइएसओ २७००१ पुरस्कार प्राप्त।

#### आगे की राह

असंख्य समर्पित ग्राहकों के व्यापक आधार और युवा, सशक्त एवं उर्जावान कार्यदल के विशाल आधार की सहायता से ब्रांड आइओबी बैंकिंग उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से निभाएगा।

#### आभारोक्ति

इस बैंक में मेरे पिछले 12 महीनों का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। हमने वर्ष 2019-20 को अपने बैंक के लिए पुनरुत्थान का वर्ष बनाया। हमने व्यापक स्तर पर एनपीए के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया तथा हल्की पूँजीगत आस्तियों के अग्रिमों में बढ़ोत्तरी की और कासा में अच्छी —खासी वृद्धि की। इन प्रयासों के चलते 18 तिमाहियों के लम्बें अंतराल के बाद वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में हमने लाभ दर्ज किया।

में इस अवसर पर बोर्ड के सदस्यों को वर्ष के दौरान उनके बहुमूल्य सुझावों और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत सरकार व भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके समयगत मार्गदर्शन और समर्थन हेतु आभार व्यक्त करना चाहूँगा। मैं सभी शेयरधारकों और ग्राहकों को संगठन में उनकी अटूट आस्था और उनके निरंतर संबंध के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा। बैंक की बेहतरी के लिए कड़ा परिश्रम करने वाले और अपना योगदान देने वाले समर्पित स्टाफ सदस्यों के प्रति अपनी भूरी –भूरी प्रशंसा दर्ज करना चाहूँगा।

शुभकामनाओं सहित,

सादर.

कर्नम शेखर,

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

M/S. India Ratings have assigned ratings of CRISIL A+/Stable and IND AA- Negative for the Tier II Bonds Issue of the Bank.

#### **Authorized Capital**

Authorized Capital of the Bank was Rs. 10.000 Crore as of the previous year and during the current year the authorized capital was increased to Rs.25,000 Crore.

#### **Awards and Accolades**

I am pleased to inform you that IOB

- Was ranked 5th position as on March 2019 under EASE
   1.0 (FY 2018-19) with 75% score among PSBs.
- Has been awarded "Winner-Reforms Excellence" and "Winner Deepening Financial Inclusion and Digitalisation" out of 8 awards category of EASE 1.0.
- has got a special mention in "Examples of Best Practice among PSBs" for its Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS).
- was awarded for Outstanding Performance in POS deployment in Northeast for the FY2018-19 by Meity.
- was shortlisted by Infosys under Client Innovation Award -2020, for inhouse customization of Finacle on "Simplified Loan Account Opening".
- was awarded ISO 27001 for Information Technology Department.

#### Going forward

With the support of huge base of several loyal customers and a large base of young, strong and energetic work force, Brand IOB is sure to play an important role in the Banking Industry.

#### Acknowledgement

My stint of last 12 months in this Bank ends this month. We had made the Year 2019-20 as the Year of Resurgence for our bank. We have attacked the NPAs in a big way and increased the advances in capital-light assets and improved CASA significantly. These efforts have culminated into the profits posted in Q4 2019-20 after a gap of 18 quarters.

I take this opportunity to thank the members of the Board for their valuable suggestions and support during the year and the Government of India and the Reserve Bank of India for their timely guidance and support. I thank the shareholders and customers for their continued patronage and trust in the organization, I record my appreciation to the committed staff members for their hard work and contribution to the betterment of the Bank.

With warm regards,

Yours sincerely,

Karnam Sekar

Managing Director & Chief Executive Officer



# शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 24 अगस्त 2020 को सुबह 11.00 बजे वीडियो काँफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल ज़रिए (ओएवीएम) से निम्नलिखित कार्यों हेत् आयोजित की जाएगी:

1. 31 मार्च 2020 तक बैंक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र, कथित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ एवं हानि खाते लेखे, लेखा द्वारा कवर की गई बैंक की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधि और कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा व तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, मंजूरी एवं उन्हें अपनाने के लिए।

निदेशक मंडल के आदेश से

अजय कुमार श्रीवास्तव

दिनांक : 23 जुलाई 2020 कार्यपालक निदेशक

नोट्स

स्थान : चेन्नै

वीडियो काँफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल ज़रिए (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक ("ई-एजीएम")

कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ) ने अपने परिपत्र संख्याओं क्रमशः 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020 , 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 व 20/2020 दिनांकित 05 मई 2020 तथा सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी / सीएमडी 1/ सीआइआर /पी/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 के माध्यम से कंपनियों को कलेंडर वर्ष 2020 के दौरान शेयरधारकों की सशरीर मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन करने की अनुमित प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) विनियमन ,2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल ज़िरए (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है। अतः शेयरधारक एजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही प्रतिभागिता कर सकते हैं। बैठक में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से प्रतिभागिता करने के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नोट सं. 10 में विर्णित है।

बैंक ने नेशनल डिपोजिटरी सर्विसेस (सीडीएसएल) को वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करने हेतु एवं ई-एजीएम के आयोजन करने के लिए अटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है।

कथित सेबी एवं एमसीए परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित एजीएम की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएंगी जिनके ईमेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास रजिस्टर हैं। शेयरधारकों यह नोट कर सकते हैं कि नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड की गयी है। नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों से प्राप्त किया जा सकता है और एजीएम नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl. com/. पर भी उपलब्ध है।

#### **NOTICE TO SHAREHOLDERS**

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Monday, the August 24, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2020, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

By order of the Board of Directors

Place : Chennai Ajay Kumar Srivastava

Date : July 23, 2020 Executive Director

Notes

1. ANNUAL GENERAL BODY MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("E-AGM"):

In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for the calendar year 2020 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The detailed procedure for participating in the Meeting through VC/OAVM is given in Note No.10.

The Bank has appointed National Securities Depository Limited (NSDL), to provide VC/OAVM facility for the E- AGM and as the attendant enablers for conducting of the E-AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of E-AGM along with Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholder may note that Notice and Annual Report 2019-20 have been uploaded on the website of the Bank at www.iob. in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia. com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. https://www.evoting.nsdl.com/.



एजीएम संबंधी नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक https://investors.cameoindia. com लिंक पर क्लिक कर अस्थायी रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं। बैठक का आयोजन बैंक के केंद्रीय कार्यालय, जो कि 763, अण्णा सालै, चेन्नै -600002 में स्थित है, में आयोजित की जाएगी।

## प्रॉक्सियों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति:

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुसार, इस एजीएम के लिए शेयरधारकों को मतदान में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

हालांकि, निकाय कॉरपोरेट्स प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और वहां मतदान में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करने के हकदार हैं। संस्थागत / कॉपोरेट शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों / एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को अपने बोर्ड संकल्प अथवा प्रशासनिक निकाय के संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ / जेपीईजी फॉर्मेट) भेजनी चाहिए जिसमें उनके प्रतिनिधि के तौर पर वीसी/ ओएवीएम के ज़िरए वार्षिक सामान्य बैठक में प्रतिभागिता करने एवं ई-वोटिंग के ज़िरए वोट करने का प्राधिकरण हो। कथित संकल्प / प्राधिकरण जाँचकर्ता को ई-मेल द्वारा अपने-अपने पंजीकृत ई-मेल पते से agm@cameoindia.com पर भेजना होगा जिसकी प्रति rsaevoting@gmail.com को तथा investor@iobnet.co.in पर बैंक को भेजी जानी चाहिए और यह किसी भी हालत में बैठक की तिथि से 4 दिन पहले ही भेज देनी होगी यानि 20 अगस्त 2020 को शाम 04.00 बजे तक या उससे पहले। तदनुसार , प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप इस नोटिस के साथ अनुबंधित नहीं है।

#### 3. बही बंटी :

शेयर धारकों और बैंक के शेयर अंतरण रजिस्टर मंगलवार, 18 अगस्त, 2020 से सोमवार, 24 अगस्त, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

#### 4. अदावी लाभांश, यदि कोई हो:

बैंकिंग कंपनियों की धारा 10 बी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, सात वर्षों की अविध के लिए अदत्त या अदावी लाभांश शेष की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205 सी / 125 के तहत निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) द्वारा अंतरित किया जाना आवश्यक है। अत:, वर्ष 2011-12 तक की अदत्त / अदावी लाभांश राशि को IEPF में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने 2012-13 से 2013-14 तक के वर्षों के लिए अपने लाभांश का दावा / प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से तुरंत संपर्क करें। शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक से संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अपनी वेबसाइट पर, यानी, www.iob.in पर अदावी / अदत्त लाभांश वारंट का विवरण पोस्ट किया है।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करें। वे शेयरधारक जो अपने शेयरों को भौतिक रूप में रखते हैं, बैंक के निवेशक Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://investors.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM and the Annual Report. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

# 2.APPOINTMENT OF PROXIES AND AUTHORIZED REPRESENTATIVE(S):

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this AGM, as it is being held through VC/OAVM.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to agm@cameoindia.com with copy marked to rsaevoting@gmail.com and to the Bank at investor@ iobnet.co.in not later than four days before the date of the meeting, i.e., on or before 4.00 p.m. (IST) on August 20, 2020. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

#### 3.BOOK CLOSURE:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, the August 18, 2020 to Monday, the August 24, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

#### 4.UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C / 125 of the Companies Act, 1956 / 2013. As such, the unpaid / unclaimed dividend amount upto the year 2011-12 has been transferred to IEPF.

The shareholders who have not claimed / received their Dividend for the years from 2012-13 to 2013-14, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for payment of the dividends immediately. The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its website i.e., www.iob.in to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank.

The shareholders holding shares in demat form are requested to update their bank account details with their depository participant. The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their



संबंध कक्ष को या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को नीचे अनुच्छेद (5) में दिए गए पते पर अपने बैंक अधिदेश को प्रस्तत / अपडेट करें।

#### 5. पते में परिवर्तन :

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में, निम्न पते पर बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित करें।

> कैमियो कॉपोरेट सर्विसेज लिमिटेड (यूनिट: इंडियन ओवरसीज बैंक) सुब्रमणियन भवन नंबर 1, क्लब हाउस रोड चेन्नई – 600002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते और ईसीएस अधिदेश विवरण में यदि कोई परिवर्तन हो तो केवल अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ऑ) को तो सूचित करें।

#### 6. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो (यानी) कई फोलियो बनाए रखते हैं। प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार के लिए रिजस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों को अपने शेयर प्रमाणपत्र अग्रेषित करके फोलियों को समेकित करें।

### 7. हरित पहल:

'हरित पहल ' का समर्थन करने के लिए, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे गए हों, तो उसे अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड को investors.cameoindia.com पर ईमेल भेजें या वे https://investors.cameoindia.com लिंक पर क्लिक करने वाली वेबसाइट देख सकते हैं।

#### ८. मतदान अधिकार:

बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 के उप-धारा (2 ई) के संदर्भ में (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, केंद्र सरकार के अलावा अन्य संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने शेयर धारण के प्रति मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

बशर्तें, प्रत्येक शेयरधारक, जो सोमवार दिनांक 17 अगस्त, 2020 की कट-ऑफ तारीख पर एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, दूरस्थ ई-वोटिंग या ई-वोटिंग में भाग लेने और वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा और उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होते हैं, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, एकमात्र धारक माना जाएगा। इसीतरह, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो पहले नामित व्यक्ति केवल ई-एजीएम में भाग लेने और एजेंडा पर वोट देने के लिए या तो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या ई-एजीएम पर वोटिंग के हकदार हैं।

# 9. भौतिक शेयरधारणों का डिमटेरियलाइजेशन - शेयरहोल्डर्स से एक विशेष अनुरोध:

सेबी सूचीकरण नियमावली के नियमन 40 के अनुसार, संशोधित, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभृतियों को 01 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैटरियलाइज्ड Bank Mandate details to the Investor Relations Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in **Para** (5) below.

#### 5. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Cameo Corporate Services Limited (Unit : Indian Overseas Bank) Subramanian Building No.1,Club House Road Chennai - 600 002.

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s)**.

#### **6.CONSOLIDATION OF FOLIOS:**

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

#### **7.GREEN INITIATIVE:**

To support the 'Green Initiative', shareholders who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Cameo Corporate Services Limited in case the shares are held by them in physical form by sending email to investor@cameoindia.com or they may visit to website clicking on the link https://investors.cameoindia.com

#### 8.VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut-off date **Monday**, **the August 17**, **2020** will be entitled to participate and vote in the remote e-voting or e-voting at the Annual General Meeting and shall have one vote for each share held by him / her. If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to participate in the e-AGM and vote on the agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM.

# 9.DEMATERIALISATION OF PHYSICAL HOLDINGS - A SPECIAL REQUEST TO SHAREHOLDERS:

As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as



रूप में अंतरित किया जा सकता है, सिवाय प्रतिभूतियों के प्रसारण याँ अंतरण के लिए अनुरोध के मामले में। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें।

# 10. रिमोट ई-वोटिंग, वीसी / ओवीएम और ई-एजीएम के दौरान ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश

#### 10ए : रिमोट ई - वोटिंग

सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के 44 विनियम के अनुरूप, बैंक को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएस) के माध्यम से बैंक के सभी शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप से 23 जुलाई, 2020 (एजीएम नोटिस) बैंक की बीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित संकल्प पर उन्हें वोट डालने में सक्षम बना सकें। बैंक ने मेसर्स आर श्रीधरन एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस नंबर 4775) (सीपी नं 3239) के श्री आर श्रीधरन, को एजीएम की तिथि पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोट प्रक्रिया के साथ-साथ दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

### इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश निम्न प्रकार है :

## ई-वोटिंग इवेंट नंबर (ईवन) 113213 है

दूरस्थ के ई-मतदान की अवधि को शुरू होता है **शुक्रवार, 21 अगस्त, 2020 पूर्वाह 09:00 बजे (आईएसटी)** और समाप्त होती । **रविवार दिनांक 23 अगस्त, 2020 अपराह 05:00 बजे (IST)** दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा अक्षम किया जाएगा।

#### मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने की प्रक्रिया "दो चरण" शामिल हैं जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग-इन करें

चरण २: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

#### चरण 1 के विवरण नीचे उल्लिखित है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

- 1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। यूआरएल : https:// www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें।
- 2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "शेयरहोल्डर 'सेक्शन के तहत उपलब्ध आइकन" लॉगिन "पर क्लिक करें।
- 3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल eservices यानी IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन सेhttps://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं । एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल के लिए लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से चरण 2 यानी अपने मतदान करने हेतु आगे बढ़ सकते हैं।

amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 01, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form.

# 10. PROCEDURE & INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING, JOINING THE AGM THROUGH VC/ OAVM AND FOR E-VOTING DURING E-AGM:

#### **10A. REMOTE E-VOTING**

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) for all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolution mentioned in the notice of Twentieth Annual General Meeting of the Bank dated July 23, 2020 (the AGM Notice). The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (ACS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner. Remote e-voting is optional.

# The instructions for members for voting electronically are as under:

#### The E-Voting Event Number(EVEN) is 113213

The remote e-voting period begins on Friday, the 21st August, 2020 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Sunday 23rd August, 2020 at 05:00 p.m. (IST) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

#### How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

## Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

- Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
- Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
- A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.



## 4. आपकी युज़र आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

411 141 291 -1144	
शेयर धारण की पद्धति यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक रूप में।	आपकी यूज़र आईडी है:
क) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300 *** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी यूज़र आईडी IN300 *** 12 ****** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 ********* है तो आपकी यूज़र आईडी 12 ********** है
ग) भौतिक रूप में फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ईवन नंबर और उसके बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो संख्या 001 *** और ईवन 101456 है तो यूज़र आईडी 101456001 *** है

- 5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना मौजूदा पासवर्ड लॉगिन कर अपना वोट डाल सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड 'प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।
- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
- (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको भेजा जाता है। एनएसडीएल से आपके मेल पर आपके द्वारा भेजे गए ईमेल को ट्रेस करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फ़ाइल खोलें। .pdf फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, जो सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंकों या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फ़ाइल में आपकी 'यूज़र आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।
- 6. यदि आप **"प्रारंभिक पासवर्ड**" प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
- क) "यूज़र विवरण / पासवर्ड भूल गए " पर क्लिक करें ? "(यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध है।
- ख) भौतिक यूज़र रीसेट पासवर्ड ? "(यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध विकल्प।
- ग) यदि आप अभी भी दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर /

#### 4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID  For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID  For example if your Beneficiary ID is 12*********** then your user ID is 12************************************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company  For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

- 5. Your password details are given below:
- a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.
- 6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
- a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- b) **Physical User Reset Password?**" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in



- फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं ।
- घ) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए OTP (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तों" पर सहमत हों।
- ८. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
- 9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

#### चरण 2 पर विवरण नीचे दिया गया है:

## एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कैसे करें ?

- 1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
- 2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद , आप सभी कंपनियों को "ईवीएन" देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग चक्र सक्रिय स्थिति में है।
- 3. बैंक का "EVEN" चुनें जो 113213 है।
- 4. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि वोटिंग पेज खुलता है।
- 5. उपयुक्त विकल्प अर्थात सहमित या असहमित का चयन करके अपने वोट कास्ट करें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "सबिमट करें" और "पृष्टि करें" पर क्लिक करें।
- 6. पुष्टि करने पर, "वोट सफलतापूर्वक डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
- 7. पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- 8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

# शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- 1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है, जो विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओ) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ हो। वोट करने के लिए करने के लिए ई-मेल द्वारा अनुसंधान की गई है, के लिए अधिकृत हैं rsaevoting@gmail.com एक प्रति के लिए चिह्नित साथ evoting@nsdl.co.in I
- 2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी घटना में, आपको " यूज़र का विवरण भूल गए / पासवर्ड भूल गए?" "या" भौतिक यूज़र रीसेट पासवर्ड? पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प।
- 3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों और ई-वोटिंग यूज़र पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं, जो कि शेयरधारकों के लिए www.evoting. nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल करें। या 022-24994545 पर सुश्री पल्लवी महात्रे और evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें।

- mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
- d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
- 7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.
- 9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.


#### Details on Step 2 is given below:

# How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
- After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
- 3. Select "EVEN" of bank which is 113213.
- 4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- 5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- 6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- 8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

#### **General Guidelines for shareholders**

- 1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to rsaevoting@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
- 2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- 3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at 022-24994545 & evoting@nsdl.co.in.



- 1. यदि शेयर भौतिक मोड में होते हैं, तो कृपया investor@cameoindia.com को ईमेल द्वारा फोलियो नंबर, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे का), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई कॉपी), प्रदान करें।
- 2. यदि शेयर डीमैट मोड में होते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी) प्रदान करें, नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्वयं आधार कार्ड की स्कैन कॉपी अनुप्रमाणित) investor@cameoindia.com को ।

## 10 बी एजीएम के रूप में ई-वोटिंग के लिए सदस्यों अनुदेश निम्नानुसार हैं: -

- 1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
- 2. केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हों अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, मात्र एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
- 3. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
- 4. रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुडी किसीभी शिकायत हेतु संपर्क व्यक्ति होगा।

# 10 सी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेनेवाले सदस्यों के लिए अनुदेश इस प्रकार है :

- 1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों लॉगिन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर एक्सेस कर सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवीएन प्रदर्शित होगा । कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- 3. बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए आगे सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
- 4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त अडचनों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने को सुझाया जाता है।

# Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- 1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@cameoindia.com
- 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investor@cameoindia.com.

# 10 B.THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

- The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
- Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- The details of the person who may be contacted for any grievanc es connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

# 10 C.INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

- 1. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.
- 2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
- Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद वीसी / ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा 1,000 शेयरधारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारक रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लें।

6. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं , 20.08.2020 को या उससे पहले उनके नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए पहले से अपना अनुरोध भेजकर खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं। investor@iobnet.co.in पर जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 20.08.2020 से पहले या उनके नाम, डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रश्न investor@iobnet.co.in. पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा एजीएम में या ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

7. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

8. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को इंडियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के विनियमन 58 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

# 11. ई-वोटिंग और ई-वोटिंग ई-एजीएम के अनुसार:

वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग के समापन के तुरंत बाद, संवीक्षक वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान डाले गए वोटों की गिनती करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग और वोट के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा लेकिन एजीएम की समाप्ति के 48 घंटे के बाद नहीं। कुल मतों की एक समेकित संवीक्षा रिपोर्ट, जिसके पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई मत हो, अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति, प्रतिहस्ताक्षर करेगा। दूरस्थ ई-वोटिंग के परिणामों को एजीएम में ई-वोटिंग के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा, जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सुचित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी अलग से भेजी जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश से

अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक 5. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

- 6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before 20.08.2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance on or before 20.08.2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably at the AGM or by email.
- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003

# 11. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING E-AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

THE SOFT COPY OF THE ANNUAL REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR 2019-20 IS BEING SENT SEPARATELY.

By order of the Board of Directors

(Ajay Kumar Srivastava)

Executive Director

स्थान: चेन्नै दिनांक: 23.07.2020

Chennai 23.07.2020



### शेयरधारकों को सूचना

## 20वीं सामान्य वार्षिक बैठक नोटिस का परिशिष्ट

जैसा कि बताए गए नोटिस दिनांकित 23 जुलाई 2020 में विनिर्दिष्ट किया गया था कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक नोटिस जारी करता है कि शेयरधारकों की 20 वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 24 अगस्त 2020 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वित्त वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण को ग्रहण करने हेतु आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त के साथ, यह नोटिस भी प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त बैठक में मद संख्या 2 एवं 3 पर आपके विचार एवं अनुमोदन हेतु रखे जायेंगे ।

विशेष कार्य

मद संख्या 2 : आगे और शेयरों को ज़ारी करना ।

# निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें ) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/ दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशार्निदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूची बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं और विनियमनों के विनियम 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्दवारा सहमित बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतू बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्रिटी/ वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित ) / प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा

#### **NOTICE TO SHAREHOLDERS**

#### Addendum to Notice of 20th Annual General Meeting

Indian Overseas Bank had issued notice of Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Monday, 24th August, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) for adoption of audited annual financial statements for the year 2019-20 as specified in the said notice dated 23rd July, 2020.

Further to the above, Notice is hereby given that the said meeting will also transact two special business as Item nos. 2 and 3 for your consideration and approval

#### **SPECIAL BUSINESS**

Item No.2: To issue further shares:

# To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (Regulations) and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus



- से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10 /- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 500,00,000 संख्या का अधिगमन नहीं होगा व यह बैंक की कुल प्राधिकत पूँजी में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकत पँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यआडबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पॅजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पॅजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत प्लेसमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, सेबी के विनियम (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ), 2014 ("सेबी विनियम") के जिरए कर्मचारियों को इक्विटी शेयर या ऐसा अन्य निर्गम जो कि लागू विधि द्वारा उपलब्ध किया जा सके, अधिमान निर्गम के ज़िरए और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर अति आबंटन विकल्प सिहत या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन अधिनियम, आइसीडीआर विनियमन और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धित में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शार्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर

or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 500,00,00,000 equity shares as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, issue of equity shares to employees through SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 ("SEBI Regulations"), preferential issue and/or private placement, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the



विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभित का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी). स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "सम्चित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमितयों, अनुमितयों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और/या मंजूरी ( आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोडकर जो बाद की तिथि में ईिकटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी के 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन (क्युआइबि) (आइसीडीआर विनियमन के विनियम २ (एसएस) में परिभाषित अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्युआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत प्रावधानित किया गया है । किसी प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

"यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतदद्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एकिटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

"यह भी संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूची करार के प्रावधानों के अनुसार आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के क्रम में क्यूआईसी के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI की परिभाषा के भीतर ही योग्यताप्राप्त संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या समय- समय पर आईसीडीआर विनियमनों के अंतर्गत अनुमत ऐसे किसी भी नियत किए गए समय पर पूरा कर लिया जाएगा।

price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("LODR") the provisions of the Act, the provisions of Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/ or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a QIP made pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time".

"यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य पर पाँच प्रतिशत से अनिधक की छूट पर आइसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक शेयर देने को प्राधिकृत है तथा प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार रखा जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं या ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और उनकी लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा तथा इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से कोई अन्य अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीय/एफआईआई तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयर/ प्रतिभीतियों का का आबंटन समय-समय पर संशोधित विनियम की शर्तों पर होगा और ऐसी घोषणाओं के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार यथासंशोधित तथा घोषित लाभांश यदि कोई है तो, समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के संरूप होगा।

'यह भी संकल्प किया गया कि इक्विटी/अधिमान्य शेयरों / प्रतिभृतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित किसी बुक रनर(रों), अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), डिपाज़िटरी(स), रजिस्टार(रों), लेखापरीक्षक(कों) और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में तथा उनके परामर्श से निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/प्रतिभूति आबंटित किए जानेवाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मुल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मुल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभृतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभृतियों की परिपक्कता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्कता अवधि, प्रतिभृतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या निरसन पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभृतियों की संख्या, मुल्य,प्रतिभृतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम / बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी और संबंधित या विविध मामलों हेतू रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और / या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को एतद्ववारा प्राधिकृत किया जाए और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सलझाने या अनदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेत् अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को एतद्दवारा प्राधिकृत किया जाए।"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the Bank in pursuance to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount as prescribed by ICDR Regulations from time to time and relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities , shall be subject to the Regulations as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration ".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies, to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like in consultation with them to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board as the Board in its absolute discretion deems fit".

"यह भी संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों जो अभिदानित नहीं हैं, का निपटान बोर्ड द्वारा उसके परम विवेकाधिकार के तहत इस प्रकार किया जाए जैसा बोर्ड उचित समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो और यह कि बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाए कि वह प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक/(कों) या बनी हुई/ अब से बनाई जाने वाली निदेशकों की समिति को प्रदत्त सभी या कोई एक अधिकार प्रत्यायोजित कर सके कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी हो सके।"

मद संख्या 3. आगे. कर्मचारियों को शेयर जारी करने पर विचार करना:

निम्नलिखित संकल्पों पर विशेष संकल्प के रूप में विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना), सेबी ''(सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर), 2008 तक संशोधित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003 (विनियम) और एलओडीआर के अनुसार बीएसई लिमिटेड व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ किए गए यनिफॉर्म लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों की शर्त पर (तत्संबंधी किसी संशोधन या उसके अधिनियमन) तथा विनियमों के विनियम 4ए तथा भारतीय प्रतिभृति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (समय समय पर किसी भी सांविधिक संशोधन (ओं), संशोधन (ओं), अधिनियमन समेत) के प्रावधानों के अनुसार है। (सेबी विनियम) और भा.रि.बैं. भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के अनुमोदन, सहमित व मंजूरी के अधीन जिनमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जहाँ कहीं लागू हों और किसी भी प्राधिकारी के किसी भी लागू अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ूरी (यों), किसी भी स्तर पर और किसी भी शर्तो व संशोधनों जैसा कि एसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन (नों), अनुमति (यों) तथा मंज़ुरी (यों) को देते हुए निर्दिष्ट या लगाया गया हो और जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाए, बोर्ड को ऐसे कर्मचारियों, बेशक वे भारत या विदेश में कार्यरत हों. को एक या अधिक बार में देने. ऑफर करने, निगमन, आबंटन करने के लिए, जो कि बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशकों (कर्मचारियों), जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, उचित प्रीमियम के साथ रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर अंकित मुल्य के 82,18,00,000 तक इक्विटी शेयरों, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (आगे से "एसबीईबी-ईएसपीएस 2018" के रूप में संदर्भित) के तहत बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार लाभांश के भुगतान समेत सभी संदर्भों में बैंक के मौज़ुदा इक्विटी शेयरों के साथ-साथ ऐसे मुल्य या मुल्यों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारितानुसार ऐसे निबंधन व शर्तीं पर सहमित को इस प्रकार दर्ज़ किया जाता है कि किसी भी समय भारत की केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बैंक की पूर्ण रूप से प्रदत्त इकिटी पूंजी के 52% से कम न हो।"

"इसके अतिरिक्त संकल्प लिया जाता है कि बैंक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 के विनियम "RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law and that the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director and Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors constituted/hereafter constituted to give effect to the aforesaid Resolutions."

#### Item No.3: To consider further issue of shares to Employees:

To consider and if thought fit, to pass, the following Resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 (Regulations) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations and the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("SEBI Regulations"), and subject to the approval, consent and sanction of RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, up to 82,18,00,000 equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each with appropriate premium, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the Central Government of India shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या किसी सांविधिक आशोधन(नों), संशोधन
(नों) या उसके अधिनियमन का पालन करेगा ।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को स्टॉक एक्सचेंज के साथ शामिल एकरूप सूचीबद्ध करार के निबंधन व शर्तो व अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैक के शेयर सूचीबद्ध हैं "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक –कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना, 2020-21 (आइओबी -ईएसपीएस 2020-21)" के तहत आबंटित इकिटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त बोर्ड को ऐसे निबंधन व शर्तों, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित हो, पर "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के कार्यान्वयन, गठन, प्रभाव में लाने तथा समय-समय पर "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के निबंधन व शर्तों में संशोधन, परिवर्तन करने के लिए, जिसमें कीमत, अविध, पात्रता मानदंड या "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" को इस तरीके से जैसे कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार में निर्णय करे, सस्पेंड, आहरण, निरस्त या संशोधित करना शामिल है, और साथ ही "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के कार्यान्वयन तथा प्रस्तावित "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के अनुपालन में ज़ारी शेयरों के संबध में उठे प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों के निपटान हेतु, जिसमें शेयरधारकों की अन्य सहमित या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है या शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकारी द्वारा अपना अनुमोदन दे दिया है, प्राधिकृत करने का संकल्प लिया जाता है।"

"इसके अतिरिक्त यह सकंल्प किया गया कि निदेशकों की समिति (यों), प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या बैंक के कुछ अन्य अधिकारी (यों) को इसमें प्रदत्त सभी या कुछ अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को एतद्भवारा प्राधिकृत किया जाए जो कि भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 व अन्य लागू विधि के अनुपालन में उक्त संकल्प को प्रभावित करने के लिए उपयुक्त माने जाए।"

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 03.08.2020

निदेशक मंडल के आदेश से

अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares allotted under the "Indian Overseas Bank – Employee Stock Purchase Scheme, 2020-21 (IOB-ESPS 2020-21)", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "IOB-ESPS 2020-21" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "IOB-ESPS 2020-21", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "IOB-ESPS 2020-21" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "IOB-ESPS 2020-21" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "IOB-ESPS 2020-21" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution in compliance to Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws.

By order of the Board of Directors

(Ajay Kumar Srivastava) Executive Director

Chennai

03.08.2020



# नोटिस की कार्यसूची

## मद सं.2 के व्याख्यात्मक विवरण:

- 1. वर्तमान में बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु. 25,000 करोड़ है । 31.03.2020 को बैंक की चुकता पूंजी रु. 16,437 करोड़ है । 31 मार्च 2020 को बेसल III के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.72% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9.00% (सीसीबी के अलावा) से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बेसल III मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारण पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढ़ करने हेत् पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- 2. प्रदत्त पूंजी बढ़ाने के लिए अधिनयम की धारा 3(2बी) (सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार की धारणा, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में 52 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
- 3. एलओडीआर विनियम 2015 का विनियम 41 प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में कोई दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए। यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से करने के अलावा, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमित है।
- 4. संकल्प बैंक को समर्थ करता है कि वह सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमानी निर्गम और/या निजी स्थानन के आधार पर आबंटन के ज़िरए ईक्विटी शेयरों /अधिमानी शेयरों/प्रितभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सके। निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं सुदृढ़ हो जाए।
- 5. संकल्प यह भी अपेक्षित करता है कि आइसीडीआर विनियमन में उिल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत स्थानन करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के तहत उिल्लिखित इस प्रणाली को बैंक के लिए निधि जुटाने के लिए अपनाएं।

आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VI के संदर्भ में क्यूआइपी इश्यू के मामले में, क्यूआइपी के आधार पर, प्रतिभूतियों के इश्यू, केवल एक मूल्य पर बनाया जा सकता है, जो "प्रासंगिक तिथि" से दो सप्ताह पहले के दौरान साप्ताहिक स्टॉक एक्सचेंज में उद्त किए गए उसी वर्ग के शेयरों के उच्च और निम्न औसत से कम नहीं होगा । बशर्ते कि जारीकर्ता गणना की गई कीमत पर पाँच प्रतिशत से अधिक की छूट की पेशकश नहीं कर सकता है, जो विनियमों के विनियमन 172 के खंड (क) में निर्दिष्ट शेयरधारकों के मंजूरी के अधीन है। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ उस बैठक की तिथि से होगा जिसमें बैंक या सिमित क्यूआइपी इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है।

6. 31.03.2020 तक बैंक की प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार की धारिता है 95.84% तथा सार्वजनिक धारिता है 4.16% है । प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम 1957 के नियम 19(ए) में निर्धारित अनुसार; एक्किटी शेयरों के निर्गमन के ज़रिए पूंजी प्राप्ति बैंक में सार्वजनिक धारिता को बढ़ाने में मदद कर सकती है । संकल्प की मद संख्या 2 में उल्लिखितानुसार एक या अधिक चरणों में एक्किटी शेयरओं के सृजन, प्रस्ताव, निर्गमन के लिए बैंक शेयरधारकों के सम्मुख एक समर्थ संकल्प प्रस्तावित कर रहा है ।


#### **Explanatory Statement**

#### Agenda item No. 2

- 1. The Authorized capital of the Bank is, at present, Rs.25,000 Crore. The paid up capital of the Bank as on 31st March, 2020 is Rs.16,437 Crore. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2020, as per Basel III is 10.72% and above the 9.00% (excluding CCB) stipulated by the Reserve Bank of India. However, with a view to comply with Basel III requirements relating to capital adequacy, there is an increasing need to raise capital to shore up the capital adequacy of the Bank and fund the general business needs of the Bank.
- 2. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Act will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid up equity capital of the Bank.
- 3. Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- 4. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- 5. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutions Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the equity shares of the same class quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". Provided that the issuer may offer a discount of not more than five per cent on the price so calculated, subject to approval of shareholders as specified in clause (a) of regulation 172 of the regulations. "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

6. As on 31.03.2020, the GOI holds 95.84% and the public holds 4.16% of the paid up capital of the Bank. Raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. Bank is proposing an enabling resolution before the shareholders to create, offer, issue and allot equity shares in one or more tranches as setout in the Item No.2 of the Resolution.



8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमिकन है। तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, अधिनियम और विनियमनों के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों / सहमितयों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा।

9. उक्त कारणों के कारण, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा।

10. आंबिटत इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

उपरोक्त कारणों के मद्देनज़र, जैसा कि वर्णित है, बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमित प्राप्त करने की आवश्यकता है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 2 में रखे गए प्रस्ताव हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमित माँगी जा रही है।

निदेशक मंडल नोटिस में वर्णित संकल्पों को पास करने की संस्तुति देते हैं। बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प(पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे इससे संबन्धित हैं।

#### एजेंडा मद 3:

दीर्घ अविध के संसाधनों द्वारा कारोबार के विस्तार हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया, साथ ही पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बेसल III की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए व पूँजी जुटाने की योजना के अनुसार, बैंक अपने कर्मचारियों को "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए प्रस्तावित करता है । उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार/भा.रि.बैं./ सेबी/ स्टॉक विनिमयों व अन्य नियामक निकायों से अनुमोदनों के अधीन होता है।

अब, बैंक ने उन शर्तों व निबंधन पर जैसा कि "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इकिटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्विटी शेयर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है जो कि निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ-साथ लागू विधि, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

- बैंक की वृद्धि व लाभप्रदता में सहयोग देने के लिए पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, बेहतर निष्पादन के लिए उनके प्रयत्नों को बढावा देना;
- बैंक की वृद्धि के लिए पात्र कर्मचारियों को उनके लगातार समर्थन व सहयोग हेतु पुरस्कार देना;
- बैंक में स्वामित्व हित को प्राप्त करने के लिए पात्र कर्मचारियों द्वारा इक्रिटी स्वामित्व को बढ़ावा देना।

- 7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- 8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Act and the Regulations as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
- 9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- 10. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

In the light of the reason as stated above, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution. Accordingly, the consent of the shareholders through a Special Resolution is being sought for the proposal as contained in item no. 2 of the Notice.

The Board of Directors recommends passing of the Resolution as mentioned in the notice. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

#### Agenda No. 3

In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources as may be decided by the Board, as also to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, the Bank proposes to issue shares under "IOB-ESPS 2020-21" to its employees. The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

Now, the Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2020-21" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

- Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank;
- Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth;
- iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

आंबटित इक्विटी शेयर सभी संदर्भों में लाभांश समेत बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

एलओडीआर विनियमों का विनियम 41 बताता है कि जब कभी भी बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त इश्यू या ऑफर किया जा रहा है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर वहीं प्रदान किया जाना चाहिए जबतक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक निर्णय अन्यथा नहीं ले लेते। उक्त संकल्प, यि पास हो जाता है तो वह बैंक की ओर से बोर्ड को वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के बजाए प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करने के लिए अनुमति देगा।

इसके अतिरिक्त, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (सेबी विनियम) के विनियम 6 व 14 के अनुसार, बैंक की प्रतिभूतियों को शामिल करते हुए सभी कर्मचारियों की लाभ योजना सेबी विनियमों व इस संबंध में सेबी द्वारा तैयार किए गए अन्य दिशानिर्देशों, विनियमों आदि के अनुपालन में होंगी।

सेबी द्वारा परिपत्र सं. सीआइआर/ सीएफडी/ पॉलिसी कक्ष/ 2/ 2015 दिनांकित 16 जून, 2015 में वर्णितानुसार, निम्नलिखित "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के व्यापक निबंधन व शर्तों के साथ होगा :

## 1. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक, उन निबंधन व शर्तों पर जैसा कि "आइओबी - ईएसपीएस 2020-21" के तहत वर्णित हैं अथवा बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार या "इक्रिटी शेयरों को जारी करने के लिए निदेशकों की समिति" (समिति) के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों सहित सभी स्थाई कर्मचारियों ("पात्र कर्मचारियों") को इक्किटी शेयर प्रदान करने की इच्छा रखता है, इसके साथ ऑफर के समय, उपयुक्त प्रीमियम के साथ रु.10 के अंकित मूल्य पर 82.18 करोड़ के इक्किटी शेयरों से अधिक नहीं होना चाहिए।

### 2. प्रदान किए जाने वाले शेयरों की कुल

संख्या 82,18,00,000 इकिटी शेयरों को "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के अनुसार, किसी पात्र कर्मचारी को प्रदान किए गए शेयर, यदि वे गैर-सब्सक्राइब रहते हैं तो वे इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उसी कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा कि बोर्ड या समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

# 3. "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" में भाग लेने व लाभार्थी बनने के हक़दार कर्मचारियों के वर्ग की पहचान

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी

#### वेस्टिंग की आवश्यकता व वेस्टिंग की अविध

लागू नहीं

5. अधिकतम अविध (विनियमों के विनियम 18(1) व 24(1),जैसा भी मामला हो, के अधीन) जिसके भीतर विकल्प/एसएआरएस/ लाभ प्रदान किया जाएगा

लागू नहीं

6. विकल्प प्रयोग मूल्य,एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मूला The equity shares issued as above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

Further as per Regulations 6 & 14 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (SEBI Regulations) all employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated by SEBI through Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated 16th June, 2015 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "IOB-ESPS 2020-21"

#### 1. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2020-21" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 82.18 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

#### 2. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 82,18,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2020-21". However, the portion of shares offered, pursuant to the "IOB-ESPS 2020-21", to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

# 3. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2020-21"

All permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank

# 4. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Not Applicable.

5. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS / SARs / BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

6. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA



इिकटी शेयरों के निर्गमन हेतु क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण फॉर्मुला का निर्धारण ऑफर के समय सेबी (एस.बी.ई.बी) विनियम के अनुसार निदेशकों की समिति द्वारा किया जाएगा।

## 7. विकल्प प्रयोग अवधि तथा विकल्प प्रयोग की प्रक्रिया

निर्गमन / ऑफर की तारीख से एक माह

# 8. "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के लिए कर्मचारियों की पात्रता के निर्धारण हेतु मुल्यांकन प्रक्रिया

शेयरों की ऑफरिंग / निर्गमन की तारीख तक बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक समेत बैंक के सभी स्थाई कर्मचारी लागू विनियामक अपेक्षाओं व दिशानिदेशों के अधीन भाग लेने के हक़दार होंगे।

# 9. प्रति कर्मचारी व समग्रता में ज़ारी विकल्प, एसएआर, शेयर, जैसा भी मामला हो, की अधिकतम संख्या

बैंक समग्रता में अधिकतम 82,18,00,000 इक्विटी शेयरों को ज़ारी करने का प्रस्ताव रखता है और प्रति कर्मचारी ज़ारी किए जाने वाले शेयर ज़ारी पूँजी के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

## 10. योजना के तहत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जाने वाले लाभ की अधिकतम प्रमात्रा

चूँिक नए शेयरों का "**आइओबी -ईएसपीएस 2020-21**" के तहत निर्गमन प्रस्तावित है, पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

# 11. क्या योजना(ओं) को सीधे कंपनी द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाना है या न्यास के ज़रिए

**"आइओबी -ईएसपीएस 2020-21"** सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित तथा एडमिनिस्टर किया जाएगा।

# 12. क्या योजना(ओं) में कंपनी द्वारा नए शेयरों का निर्गमन न्यास द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल है

"आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के तहत बैंक नए इक्विटी शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी करेगा।

# 13. कंपनी द्वारा न्यास को योजना(ओं) के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, उसकी अवधि, उपयोग, चुकतान निबंधन आदि:

चूँिक बैंक द्वारा "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को जारी किया जाता है, न्यास के गठन या न्यास को ऋण प्रदान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

# 14. सेकंडरी अधिग्रहण की प्रतिशतता (विनियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जिसे योजना(ओं) के लिए न्यास द्वारा किया जा सकता है

चूँिक बैंक द्वारा "आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के तहत शेयरों को सीधे पात्र कर्मचारियों को ज़ारी किया जाता है, न्यास के द्वारा सेकंडरी अधिग्रहण का प्रश्न नहीं उठता।

# 15. कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुपालन करने वाले आशय का विवरण देगी।

बैंक विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।

Purchase price or pricing formula will be determined by the Committee of Directors for Issue of Equity Shares as per SEBI Regulations at the time of offer.

#### 7. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

One month from the date of issue / offer.

# 8. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2020-21"

All permanent employees including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/ issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

# 9. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The Bank proposes to issue maximum of 82,18,00,000 equity shares in aggregate and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the issued capital.

# 10. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "IOB-ESPS 2020-21", no other benefits will be provided to eligible employees.

# 11. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"IOB-ESPS 2020-21" will be implemented and administered directly by the Bank.

# 12. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "IOB-ESPS 2020-21", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

# 13. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.;

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2020-21" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

# 14. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2020-21" by the Bank, secondary acquisition by the trust does not arise.

# 15. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15



## 16. प्रक्रिया जिसे कंपनी अपने विकल्पों या एसएआर के मूल्य निर्धारण के लिए प्रयोग करेगी।

चूँिक "**आइओबी -ईएसपीएस 2020-21**" के तहत सिर्फ शेयर ज़ारी किए जाते हैं, एसएआर के मूल्य निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

# 17. निम्नलिखित विवरणी, यदि लागू हो:

यदि कंपनी यथार्थ मूल्य के आधार पर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विकल्प को नहीं चुनती है तो परिकलित कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत व उचित मूल्य के उपयोग पर आने वाले कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के अंतर को निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा और इस अंतर की वजह से कंपनी के लाभ व प्रति शेयर अर्जन ("ईपीएस") पर पड़ने वाले प्रभाव को भी निदेशक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

बैंक उक्त अपेक्षाओं का आवश्यकता पडने पर पालन करेगा।

## लॉक-इन अवधि:

"आइओबी -ईएसपीएस 2020-21" के तहत ज़ारी इकिटी शेयरों को सेबी सेबी विनियमों के अनुसार आबंटन की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अविध के लिए लॉक किया जाएगा। इस लिए बैंक को विशेश संकल्प के ज़िरए शेयरधारकों से सहमित प्राप्त करनी होगी। अत: उक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमित का अनुरोध है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प के पारित होने को संस्तुत करता है। बैंक के किसी भी निदेशक की, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा की हद के अलावा, पूर्वकथित संकल्प(पों) में कोई दिलचस्पी नहीं है न ही वे इससे संबन्धित हैं। 16. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

As only the shares are issued under the "IOB-ESPS 2020-21", the valuation of options or SARs does not arise.

#### 17. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the company opts for expensing of share based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the company shall also be disclosed in the Directors' Report.

The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

#### Lock in period:

The equity shares issued under "IOB-ESPS 2020-21" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution. None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank, if any.

निदेशक मंडल के आदेश से

By order of the Board of Directors

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 03.08.2020

अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक Chennai 03.08.2020 (Ajay Kumar Srivastava)

Executive Director



## निदेशकों की रिपोर्ट - 2019-20

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन – पत्र एवं लाभ व हानि खाते के साथ – साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

# वैश्विक कारोबार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 19 में वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2018 की 3.6 % की तुलना में 2.9% की वृद्धि दर दर्ज की। वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में प्रमुख EME एवं विकसित देशों में कोविड – 19 के कारण सुस्त वृद्धि रही और भारत भी कोविड-19 के घातीय प्रसार से बचा नहीं रह सका। भारत ने वित्तीय वर्ष 18-19 की चौथी तिमाही की 1.6 प्रतिशत की तुलना में अच्छी कृषि वृद्धि के साथ वित्तीय 5.9 % की वृद्धि के साथ वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 3.1 % की वृद्धि रिपोर्ट की।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक का प्रमुख फोकस जोखिम को कम करने और पूंजी दक्षता में सुधार के उद्देश्य से आवास एवं आभूषण ऋण पर विशेष जोर देने के साथ रैम पोर्टफोलियो में सुधार करना था। बैंक ने बड़ी जमाओं को कम कर दिया और कम लागत वाली जमाओं को बढ़ाया। बैंक का कासा प्रतिशत 40.26% हो गया है, जो बैंक के इतिहास में एक मील का पत्थर की उपलब्धि है। बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च 2019 के रु 3,74,530 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2020 तक रु 3,57,223 करोड़ रहा। वैश्विक जमाएं एवं अग्रिम क्रमश: 31 मार्च 2019 में रू 2,22,534 करोड़ और रू.1,51,996 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 को रू 2,22,952 करोड़ और रु 1,34,771 करोड़ रहे।

#### वित्तीय निष्पाटन

बेंक वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में निवल लाभ प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहा था, क्योंकि परिचालन क्षमता में काफी सुधार होने के बावजूद बैंक पिछली कई तिमाहियों से इसे प्राप्त नहीं कर पा रहा था। पूंजी पर बाधाओं ने बैंक को क्रेडिट पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए प्रतिबंधित किया है। हालांकि, बैंक ने गिरती ब्याज व्यवस्था के तहत ब्याज आय की सुरक्षा के लिए आवास एवं आभूषण ऋण जैसे कैपिटल लाइट एडवांस के तहत विकास को गति दी। बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य आय के तहत इसे बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वेज सेटलमेंट के तहत कर्मचारी वेतन निपटान पर अतिरिक्त प्रावधान करने के बावजूद बैंक अपने खर्च पर नियंत्रण कर सका। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष-19-20 के लिए बैंक 3534 करोड़ रुपये की सीमा तक परिचालन लाभ प्राप्त किया।

बेंक सकल एनपीए को 33398 करोड़ रुपये से काफी कम करके 19913 करोड़ रुपये तक कम कर सका और इस तरह बहु-आयामी और वसूली पहलों के माध्यम से सकल एनपीए को 21.97% से घटाकर 14.78% तक लाया है । बैंक ने भारत सरकार से पूंजी इन्फ्यूजन की मदद से खराब ऋणों के प्रावधानों को बढ़ाया है और इस वित्तीय वर्ष की पहली 3 तिमाहियों के दौरान शेष राशि को काफी हद तक सीमित किया है । निवल एनपीए को 14368 करोड़ रुपये से घटाकर 6603 करोड़ रुपये तक लाया गया है । यह प्रतिशत के लिहाज से 10.81% से घटकर 5.44% हो गया है । 31.3.2020 तक बैंक का निवल एनपीए प्रतिशत पीसीए की सीमा से कम किया गया है । 31.3.2020 तक बैंक

के पीसीआर की तुलना में 71.39% से 86.94% की वृद्धि हुई है, जो उद्योग में सबसे अधिक है।

परिणामस्वरूप, बैंक वित्तीय वर्ष 19-20 की चौथी तिमाही के लिए 144 करोड़ रुपये के निवल लाभ दर्ज़ कर सक। हालांकि, पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निवल हानि 8527 करोड़ रुपये थी।

### आय एवं व्यय विश्लेषण:

चूंकि पूंजी पर प्रतिबंध थे, इसलिए बैंक ने विशेष रूप से आवास एवं आभूषण ऋण में रैम सेगमेंट एडवांस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे 31 मार्च-2019 की 67.19 % की तुलना में 31 मार्च, 2020 तक 75.83 % घरेलू अग्रिम में रैम शेयर की वृद्धि हुई । कॉरपोरेट पोर्टफोलियों के पुर्नसंतुलन से समग्र अग्रिमों में कमी आई है । हालांकि ओटीएस के माध्यम से 3 करोड़ रुपये तक के छोटे मूल्य अग्रिम में वसूली संभव थी किंतु बड़े मूल्य के एनपीए खातों में एनसीएलटी के तहत खराब मूल्य निर्धारण से वसूली जस की तस रही । परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष प्राप्त 11727 करोड़ रुपये की तुलना में अग्रिमों पर ब्याज 11513 करोड़ रुपये तक सीमित रहा । वित्तीय वर्ष 18-19 में निवेश पर ब्याज रु. 4922 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष-19-20 में रु. 5208 करोड़ रुपये हो गई । हालांकि, एमसीएलआर में कटौती और आरएलएलआर की शुरूआत के कारण समग्र ब्याज आय में मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

कम लागत वाली जमाओं को बढ़ाना और उच्च लागत जमाओं को कम करके जमाओं की लागत पर नियंत्रण रखा गया है। कासा 31 मार्च-2019 के 85227 करोड़ रुपये से बढ़कर 5.31% की वृद्धि के साथ 31 मार्च-2020 तक 89751 करोड़ रुपये हो गया है। कासा प्रतिशत 31 मार्च-2019 के 38.30% से बढ़कर 31 मार्च-2020 तक 40.26% हो गया है। बड़ी जमाओं को मार्च-2019 के रु.28285 करोड़ की तुलना में 39.57 प्रतिशत की कमी लाकर मार्च 2020 में रु. 17092 करोड़ तक लाया गया है।

अग्रिम पर ब्याज में कमी के बावजूद, वित्तीय वर्ष 18-19 में शुद्ध ब्याज आय 5279 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष-19-20 में 5303 करोड़ रुपये हो गई है।

वेतन समझौता वार्ता के तहत आने वाले कर्मचारी वेतन बकाया हेतु एक-बारगी प्रावधान बनाने के कारण परिचालनात्मक व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के रु. 4452 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़ कर रु. 5129 करोड़ हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम लाभ 7.17% की स्तर से घटकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.01% हो गया है । हालाँकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जमाओं पर लागत को 5.39% के स्तर से घटाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5.33% तक लाया गया है । एनआईएम को 2% के सर से ऊपर बनाये रक्काह गया हे (वित्त वर्ष 2019 - 20 हेत 2.03%)

# वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त की गई पूँजी भारत सरकार द्वारा डाली गई पूँजी

2019-20 में भारत सरकार द्वारा पूँजी निवेश हेतु , (1) बैंक ने भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 28.11.2019 को रु.3857 करोड़ की पूँजी अंतर्वेषन हेतु रु.10 प्रति शेयर मूल्य के 344,37,50,000 ईक्विटी शेयर रु.11.20 प्रति शेयर (जिसमें प्रति शेयर रु.1.20 की



#### **DIRECTORS' REPORT 2019-20**

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2020.

#### **Global Business Performance**

Global economy registered a growth rate of 2.9% in FY19 compared to 3.6% in FY18. Sluggish growth across major EMEs and developed nations in Q42019-20 was overwhelmed by the outbreak of COVID-19 and India has not been spared from the exponential spread of COVID-19. India reported GDP growth of 3.1% in Q4 19-20, with the healthy growth of agriculture at 5.9% compared to 1.6% growth in Q4 18-19.

During FY 2019-20, the major focus of the Bank was to improve the RAM portfolio with special emphasis on Housing Loan and Jewel Loan with a view to mitigate the risk and improve capital efficiency. The Bank further reduced the concentration of Bulk deposits and improved the share of low cost deposits. CASA % of the Bank has reached 40.26%, a milestone achievement in the history of the Bank. The Global Business of the Bank stood at Rs.3,57,223 Crores as on 31st March 2020 against Rs. 3,74,530 Crores as on 31st March 2019. The global deposits and gross advances stood at Rs.2,22,952 Crores and Rs.1,34,771 Crores respectively as on 31st March 2020 against Rs. 2,22,534 Crores and Rs. 1,51,996 Crores respectively as on 31st March 2019.

#### **Financial Performance**

Bank was relentlessly striving to achieve Net profit at least in Q4 of FY 2019-20, as the Bank could not accomplish the same continuously for several quarters even though operational efficiency was improved substantially. Constraints on capital has restricted the Bank to expand the credit portfolio. However, Bank could accelerate the growth under Capital light advances such as Housing and jewel loan in order to protect the interest income under a falling interest rate regime. Bank continued its efforts to enhance Other income and the shortfall during FY 2019-20 was on account of One-off items under Other Income received last year. Bank could contain its expenditure despite making additional provision on employee wage settlement under negotiation. As a result, Bank could achieve operating profit to the extent of Rs. 3,534 Crores for FY-2019-20.

Bank could reduce the gross NPA substantially from Rs. 33,398 Crores to Rs 19913 Crores and thereby brought down the GNPA% from 21.97% to 14.78% through multipronged and focused recovery initiatives. Bank has substantially increased the provision for the bad loans with the help of Capital infusion from the Govt of India and has cleaned up the Balance sheet to the extent possible during the first 3 quarters of this financial year. NNPA has been brought down from Rs. 14,368 Crores to Rs. 6,603Crores

in absolute terms and from 10.81% to 5.44% in percentage terms. The NNPA% of the Bank as on 31.3.2020 is brought down below PCA threshold. PCR of the Bank has improved substantially as on 31.3.2020 from 71.39% to 86.94%, one of the highest in industry.

As a result of this approach, Bank could register Net profit to the tune of Rs. 144 Crores for Q4 FY-19-20. However, for the full financial year net loss was to the extent of Rs. 8,527 Crores.

#### **Income and Expenditure Analysis**

As there were constraints on capital, Bank concentrated in expansion of RAM segment advances especially housing loan and jewel loan which is evident in growth of RAM share to domestic advances from 67.19% as of 31st March-2019 to 75.83% as of 31st March-2020. Rebalancing of Corporate portfolio has resulted in reduction of overall advances. Even though recovery was possible in small value advances up to Rs. 3 crores through focused OTS, poor resolution under NCLT in high value NPA accounts held back the momentum in overall recovery. As a result, Interest on advances was limited to Rs.11,513 Crores as compared to Rs.11,727 Crores received previous year. Interest on investments has improved from Rs.4,922 Crores in FY18-19 to Rs. 5,208 Crores in FY-19-20. However, overall interest income has recorded marginal decline due to MCLR reduction and introduction of RLLR.

Growth under low cost deposits and shedding of high cost deposits has kept the cost of deposit under control. CASA has improved from Rs. 85,227 Crores as of 31st March-2019 to Rs. 89,751 Crores as of 31st March-2020 with a growth of 5.31%. CASA% has moved up from 38.30% as of 31st March-2019 to 40.26% as of 31st March-2020. Bulk deposit has been brought down from Rs. 28,285 Crores as of March-2019 to Rs. 17,092 Crores as of March-2020 with a reduction of 39.57%.

Despite reduction in interest on advances, Net interest income has improved from Rs. 5,279 crores in FY2018-19 to Rs. 5,303 Crores in FY-2019-20.

Operating expenses has gone up marginally from Rs 4452 Crores in FY-2018-19 to Rs. 5,129 Crores in FY-2019-20 due to one-time provision for employee wage arrears under negotiation.

Yield on Advances has reduced from the level of 7.17% in FY-2018-19 to 7.01% in FY2019-20. However, Cost of deposits has been brought down from 5.39% in FY-2018-19 to 5.33% in FY-2019-20. NIM has been maintained above the level of 2% (2.03% FY-2019-20).

#### Capital Raised during FY 2019-20

### **Capital Infusion by Government of India**

For the capital infusion by Government of India during 2019-20, the Bank issued a) 344,37,50,000 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.11.20 per equity



प्रीमियम राशि शामिल है) के निर्गम मूल्य पर आवंटित किए हैं।(2) बैंक ने 27.02.2020 को रु.4360 करोड़ की पूँजी अंतर्वेषण हेतु रु.10 प्रति शेयर मूल्य के 385,15,90,106 ईक्विटी शेयर रु.11.32 प्रति शेयर (जिसमें प्रति शेयर रु.1.32 की प्रीमियम राशि शामिल है) के निर्गम मूल्य पर आवंटित किए हैं।

# टियर ।। बांडों को लाना

30.09.2019 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने आवंटन की तारीख से 10 साल के कार्यकाल के साथ 9.08% की कूपन दर पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर बेसल III शिकायतकर्ता टियर II बॉन्ड से 500 करोड़ रुपये जुटाए I मेसर्स क्रिसिल और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स ने बैंक के टियर II बॉन्ड्स इश्यू के लिए क्रिसिल ए + / स्टेबल और इंड एए- नेगेटिव की रेटिंग दी है।

# प्राधिकृत पुँजी

बैंक की प्राधिकृत पूंजी पिछले वर्ष रू. 10,000 करोड़ थी और दूसरी तिमाही के दौरान यह बढ़कर रु. 15,000 करोड़ हो गई थी और तत्पश्चात तीसरी तिमाही में यह प्राधिकृत पूंजी बढ़कर रु. 25,000 करोड़ हो गई।

समीक्षाधीन वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) के दौरान भारत सरकार की शेयरधारिता 92.52% से बढ़कर 95.84% हो गई और सार्वजनिक शेयरधारिता रु. 684.09 करोड़ (वर्तमान में 4.16%) है। बैंक की चुकता पूंजी रु. 9,141.65 करोड़ से बढ़कर रु. 16,436.99 हो गई है।

# पूँजी पर्याप्तता अनुपात

31 मार्च 2020 तक बैंक की पूँजी पर्याप्ता अनुपात बेसल ।।। मानदंडों के अनुसार 10.72% था ।

### शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2019 को बैंक की 3280 घरेलू शाखाओं के मुकाबले 31 मार्च 2020 को 3270 शाखाएं थीं जिसमें से 912 ग्रामीण शाखाएं (27.89%), 960 अर्धशहरी शाखाएं (29.36%), 670 शहरी शाखाएं (20.49%), एवं 728 महानगरीय शाखाएं (22.26%) शामिल थीं । इसके अलावा बैंक के पास 7 अंचल कार्यालय, 48 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 विस्तार पटल, 2 सैटेलाइट कार्यालय, 3 सिटी बैक ऑफिस एवं 6 अंचल लेखा कार्यालय हैं। समीक्षाधीन वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) के दौरान बैंक ने प्रशासनिक लागत को तर्कसंगत बनाने के लिए 10 शाखाओं को अन्य मौजूद शाखाओं में विलय किया है।

## कार्पोरेट गवर्ने स

कार्पोरेट गवर्नेंस अपने दिन – प्रतिदिन के मामलों के संचालन में बैंक की अंतर्निहित मूल्य प्रणाली को दर्शाता है। बैंक प्रभावी कार्पोरेट प्रशासन के महत्व की महत्ता को बैंक की सुरक्षित और सुदृढ़ कार्यप्रणाली के लिए मान्यता देता है और बैंक और उसके हितधारकों के हितों की सेवा के लिए रणनीतिक उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को स्थापित करने पर जोर देता है जो प्रभावी निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है।

# आइओबी – भेदिया कारोबार, 2019 के निषेध हेतु आचार संहिता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार निषेध) विनियमन 2015 के नियमन 9 के प्रावधानों के विनियमन तथा अनुपालन के लिए बैंक ने भेदिया कारोबार, 2015 के निषेध के लिए आइओबी आचार संहिता तैयार की है ताकि निदेशक, कर्मचारियों तथा बैंक से संबंधित अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यापार की रिपोर्ट तथा निगरानी की जा सके।

सेबी के ( अंदरूनी व्यापार निषेध) (संशोधित) विनियम 2018 के संशोधन के मद्देनज़र बैंक ने अब 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी अंदरूनी व्यापार के निषेध के लिए आइओबी कोड ऑफ कंडक्ट 2019 तैयार किया है । नया कोड विनियमित, निगरानी करने के लिए निर्धारित है । 'अंदरूनी सूत्रों' द्वारा और ट्रेडिंग की रिपोर्ट' केवल नामित व्यक्तियों' तक ही सीमित है ।

# सेबी – कर्तव्यों की सूची और आवश्यक विनिमयमन का खुलासा – 2015

- सेबी के अनुसार (एलओडीआर)
- बैंक अपने शेयरधारकों को सामान्य वार्षिक बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में ई-मतदान के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।
- बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरीष्ठ प्रबंधन (जैसे कि बैंक के महा प्रबंधक) पर भी आचार संहिता लागू होगी ।
- बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट लेखा परीक्षा सिमति और बीएसई तथा एनएसई को जहां कि बैंक के शेयर अधिसूचित हैं को प्रस्तुत करती है।
- बैंक बीएसई एवं एनएसई को तिमाही निवेशक शिकायत रिपोर्ट भी जमा करती है।

# निवेशक शिक्षण और सुरक्षा फंड

कार्पोरेट संबंध मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष 2011-12 से संबंधित आदत्त लाभांश दिनांक 04.09.2019 को आइईपीएफ के खाते में हस्तांतरित करवा दी है। चूंकि सितम्बर 2019 में निधियों के अंतरण करते समय आइईपीएफ/ एमसीए पोर्टल पर कुछ तकनीकी समस्याएं थीं इसलिए इसे पुन: किया गया और अंतत: दिनांक 08.11.2019 को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा अंतरण किया गया। वर्ष 2012-13 से 2013-14 का अदत्त लाभांश एमसीए की वेबसाइट पर पोर्ट करवा दी गई है तथा यह www.iob.in. पर भी उपलब्ध है। तदनुसारआइईपीएफ को लाभांश हस्तांतरित करने के मामले में बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है।

बैंक नियामक प्राधिकारियों/ भारत सरकार द्वारा समय – समय पर जारी दिशा-निर्देशों/ विनियमों का अनुपालन करता है। बैंक शेयरधारकों की शिकायतों का निपटान बिना किसी विलंब के करता है।

#### निदेशक मंडल

बैंक का व्यवसाय निदेशक मंडल के पास निहित है।एमडी और सीईओ और ईडी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं।



share (including premium of Rs.1.20 per equity share) aggregating to Rs.3,857 Crore to Government of India on Preferential Basis on 28.11.2019 for the capital infusion received from Government of India on 27.09.2019 and b) 385,15,90,106 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of 11.32 per equity share (including premium of Rs.1.32 per equity share) aggregating to Rs.4,360 crore to Government of India on Preferential Basis on 27.02.2020 for the capital infusion received from Government of India on 03.01.2020.

#### **Raising of Tier II Bonds**

During the quarter ended 30.09.2019, the Bank had raised Basel III Compliant Tier II bonds aggregating Rs.500 Crore on private placement basis at a coupon rate of 9.08% with tenor of 10 years from the date of allotment. M/s. CRISIL and M/s. India Ratings have assigned ratings of CRISIL A+/Stable and IND AA- Negative for the Tier II Bonds Issue of the Bank.

#### **Authorized Capital**

Authorized Capital of the Bank was Rs.10,000 Crore as of the previous year and during Q2, the same was increased to Rs.15,000 Crore. Subsequently in Q3, once again, the authorized capital was increased to Rs.25,000 Crore.

During the year under review, shareholding of Government of India, has increased from 92.52% to 95.84% and the Public shareholding stands at Rs.684.09 Crore (presently 4.16%). The paid-up capital of the Bank has increased from Rs.9,141.65 Crore to Rs.16,436.99 Crore.

#### **Capital Adequacy Ratio**

The Bank's capital adequacy ratio as on 31st March 2020 stood at 10.72 % as per Basel III norms.

#### **Branch Network**

The Bank has 3,270 domestic Branches as on 31st March 2020 as against 3,280 Branches as on 31st March 2019, comprising of 912 Rural Branches (27.89%), 960 Semi Urban Branches (29.36%), 670 Urban Branches (20.49%) and 728 Metropolitan Branches (22.26%). The Bank also has 7 Zonal Offices, 48 Regional Offices, 2 Extension Counters, 2 Satellite Offices, 3 City Back Offices and 6 Zonal Audit Offices. During the year under review (FY 2019-20), the Bank has merged 10 Branches with other existing branches.

#### **Corporate Governance**

Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs. The Bank recognizes the critical importance of effective Corporate Governance for the safe and sound functioning of the Bank and lays emphasis on ensuring that structures, processes and systems are put in place to establish strategic objectives to serve the interest of the Bank and its stakeholders with a view to facilitate effective monitoring.

# IOB – Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2019

Pursuant to Regulation 9 of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Bank had formulated IOB Code of Conduct for **Prohibition of Insider Trading, 2015, to regulate, monitor** and report trading by the Directors, employees and other connected persons of the Bank with a view to comply with the provisions of the Regulations.

In view of the subsequent amendments vide SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, the Bank had formulated IOB Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, 2019 effective from 01.04.2019. The Code is prescribed to regulate, monitor and report trading by 'Insiders' limited to only 'Designated Persons'.

# SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations), 2015 (LODR)

As per SEBI (LODR),

- The Bank is providing remote e-voting facility to its shareholders, in all Annual General Meetings/ Extraordinary General Meetings.
- The Code of Conduct is applicable to all members of the Board and the Senior Management (i.e., General Managers of the Bank).
- The Bank is submitting a quarterly compliance report on Corporate Governance to the Audit Committee of the Board and to BSE & NSE, where the shares of the Bank are listed.
- The Bank is also submitting Quarterly Investor Grievance Report to BSE & NSE.

#### **Investor Education & Protection Fund (IEPF)**

As per the guidelines of Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, the Bank transferred Unpaid Dividend amount pertaining to the year 2011-12 to IEPF on 04.09.2019. Since there were technical issues with IEPF / MCA portal while initiating funds transfer in September 2019, it was reinitiated and finally it was transferred vide demand draft dated 08.11.2019. The unpaid dividend data pertaining to the years 2012-13 to 2013-14 has been uploaded in MCA website and is also available at www.iob. in. Accordingly, the Bank has complied with the guidelines of Government of India in respect of transfer of unpaid dividend to IEPF.

Bank is complying with all guidelines/regulations laid down by the Regulatory Authorities and Government of India from time to time. The Bank redresses the shareholders grievances without any delay.

#### **Board of Directors**

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and ED function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on date is six directors comprising two whole



आज की तारीख तक छह निदेशक हैं जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक, एक भारत सरकार नॉमित निदेशक, एक आरबीआई नामित निदेशक, शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशक हैं जो कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया और तब से एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का टर्म समाप्त हो चुका है।

नाम	ज्वाइन होने की तिथि	सेवा समाप्ति की तिथि	पदनाम
श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017	15.02.2020	गैर – कार्यपालक अध्यक्ष
श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
श्री के स्वामिनाथन	17.02.2017	16.02.2020	कार्यपालक निदेशक
श्री निर्मल चंद	13.03.2014	12.08.2019	भारिबैं नामित निदेशक
श्रीमती रीनी अजित	अधिसूचना दिनांक: 13.08.2019	18.08.2019	भारिबैं नामित निदेशक
श्री के रघु	26.07.2016	25.07.2019	सनदी लेखाकार निदेशक

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री दीपक कुमार, आरबीआई नामिती निदेशक को बोर्ड में 18.08.2019 से नामित किया गया है।

#### आभार

निदेशक बोर्ड भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय सुरक्षा और विनियमन बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और सभी विदेशी नियामकों का उनके अमूल्य सलाह और सहायता के लिए आभारी है। निदेशक बोर्ड अपने अमूल्य ग्राहकों, कर्मचारी यूनियन, अधिकारी संघ, घरेलू और विदेशी बैंकिंग समूह, शेयरधारकों तथा सभी हितधारकों के उनके समर्थन के लिए आभारी है तथा यह आशा करते हैं कि वे बैंक को इसी प्रकार संरक्षण देंगे।

इसके साथ बोर्ड बैंक के सभी स्तरों के स्टॉफ सदस्यों की गहन प्रशंसा को भी रिकार्ड में रखता है और भविष्य में उनसे यह आशा करता है कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

कर्नम शेखर

प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी

चेन्नै

25 जून 2020

प्रबंधन एवं विचार विमर्श एवं विशलेषण



time Directors, one GOI Nominee Director, one RBI nominee director, two directors elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. The tenure of the Non-Executive Chairman ended in February 2020 and since then MD & CEO presides over the meetings of the Board as Chairman.

The terms of the following directors ended during the FY 2019-20

Name	Date of Joining	Term Ended on	Designation
Shri T C A Ranganathan	16.02.2017	15.02.2020	Non -Executive Chairman
Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	Managing Director & Chief Executive
			Officer
Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	Executive Director
Shri Nirmal Chand	13.03.2014	12.08.2019	RBI Nominee Director
Smt Reeny Ajith	Date of Notification:	18.08.2019	RBI Nominee Director
	13.08.2019		
Shri K Raghu	26.07.2016	25.07.2019	Chartered Accountant Director

During the FY 2019-20, Shri Deepak Kumar, RBI Nominee Director has been nominated to the Board since 18.08.2019.

#### Acknowledgement

The Board of Directors are grateful for the valuable guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, State Governments, Financial Institutions and all Overseas Regulators. The Board of Directors acknowledge with thanks the valued Customers, Employees Union, Officers Association, domestic and international banking group, the shareholders & other stake holders for their valued support and continued patronage with the Bank.

The Board also wishes to place on record its profound appreciation for the valuable contribution of the Bank's Staff at all levels and looks forward to their continued involvement with commitment towards achieving the future goals.

For and on behalf of the Board of Directors

Karnam Sekar

Managing Director & Chief Executive Officer

Chennai 25th June, 2020



### आर्थिक और बैंकिंग वातावरण

वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी 4.2% रही, जबकि वित्त वर्ष 19 में यह 6.1% थी। पिछले वर्ष के 2.4% की वृद्धि की तुलना में, वित्तीय वर्ष 20 में कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ 4.0% बढ़ीं। उद्योग ने वित्त वर्ष 2019 की 4.9% की तुलना में 0.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की। निम्नलिखित क्षेत्रों ने उद्योग में कम योगदान दिया। विनिर्माण ने 0.03% और निर्माण 1.3%। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 20 में वित्तीय वर्ष 2019 के 7.7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5.5 प्रतिशत रह गया। बाहरी मांग एवं आयातित इंटरमीडिएट वसतुओं की मांग में एवं बाहरी मांग में कमीं के कारण वित्तीय वर्ष 2020 में हमारे निर्यात एवं आयात घट गए

वित्त वर्ष 2019-20 में गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि 6.7 प्रतिशत थी। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण की वृद्धि 4.2% थी, उद्योग में 0.7% और व्यक्तिगत ऋण में 15% थी।

# बैंक की पृष्ठभूमि

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना 10 फ़रवरी 1937 को श्री एम सी टी एम चिदंबरम चेट्टियार जो कि कई क्षेत्रों के अग्रणी थे, द्वारा की गई । 1969 में राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों में से आइओबी एक प्रमुख बैंक था । 1969 में राष्ट्रीयकरण की पूर्व संध्या पर, आइओबी की भारत में 195 शाखाएं थीं जिसमें कुल जमाएं 67.70 करोड़ रूपए और 44.90 करोड़ रूपए थीं ।

बैंक की 4 देशों सिंगापुर, हांगकांग, थाइलैंड और श्रीलंका में उपस्थित है । वित्तीय वर्ष के दौरान आइओबी ओडिशा ग्राम्य बैंक का प्रायोजक रहा है ।

# मुख्य विशेषताएं

बैंकिंग क्षेत्र में 83 वर्षों से सेवारत।

भारत में 3270 शाखाओं और 3032 एटीएम के साथ मजबूत उप-स्थिति।

वित्तीय समावेशन की पहुंच अधिक लोगों तक पहुंचाने और उनकी सहायता करने हेतु 57 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में ।

अधिक लोगों तक पहुंचने हेतु २७९५ कारोबार संवादी।

दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु राज्य में एक मजबूत ब्रांड ।

37 मिलियन सक्रिय ग्राहकों का विश्वास ।

4 शाखाओं, 1 विप्रेषण केन्द्र एवं 1 संयुक्त वेंचर अनुषंगी कार्यालय के साथ विदेशों में उपस्थिति ।

कम लागत जमाओं में सतत वृद्धि ।

खुदरा, कृषि एवं एमएसएमई घटकों में निष्पादन में सुधार, घरेलू अग्रिमों में 75.83 प्रतिशत योगदान ।

# बैंक का परिचालन

### घरेलू जमाएं

31 मार्च 2019 के रु. 2,18,028 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2020 को बैंक की कुल घरेलू जामएं रु. 2,17,963 करोड़ रहीं। कासा में सुधार हेतु मुख्य रूप से बैंक द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से खातों पर जमाओं में वृद्धि दर्ज़ हुई। घरेलू कासा 31 मार्च 2019 के रू.84,394 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 को रु. 88671 करोड़ हो गया। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2019 की तुलना में बचत बैंक जमाएं 6.92% बढ़कर रु. 75374 करोड़ रहीं। मार्च 2020 में कासा भी सुधरकर 40.67% हो गया है।

# घरेलू अग्रिम

वृद्धिशील एनपीए एवं धीमी उधार संवृद्धि ने बैंक को बड़े पैमाने पर उधार देने में अधिक सावधान होने पर मजबूर कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोखिम को कम करने और मार्जिस में सुधार के लिए बैंक ने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र पर जोर दिया। घरेलू सकल अग्रिम 31 मार्च 2019 के रू 1,46,001 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2020 को रू 1,27,336 करोड़ रहा।

# विदेशी परिचालन

31 मार्च 2020 तक बैंक के विदेश में 6 प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 4 विदेशी शाखाएं, 1 विप्रेषण केन्द्र और 1 संयुक्त वेंचर सब्सिडियरी हैं। बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक और कोलंबो में एक-एक शाखा है और सिंगापुर के सेरांगून में एक विप्रेषण केन्द्र है। अनुषंगी संयुक्त उद्यम इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) मलेशिया के बरहाद में कार्यरत है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, विदेशी परिचालनों के युक्तिकरण की प्रक्रिया में बैंकॉक की सुखमुवित में अपनी शाखा को बंद कर दिया और बैंकॉक की मुख्य शाखा के साथ अपने परिचालन का विलय कर दिया। बैंक ने दक्षिण कोरिया में सियोल शाखा और दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय को भी बंद कर दिया।

31 मार्च 2019 को विदेशी व्यापार रु. 10,567 करोड़ के मुकाबले जबकि 31 मार्च 2020 को रु. 12,359 करोड़ था ।

#### फॉरेक्स परिचालन

2019-20 के दौरान निवेश की बिक्री पर लाभ रु. 592 करोड़ (2018-19 के दौरान रु. 732 करोड़) था, इससे पिछले वर्ष में रु 0.30 करोड़ की तुलना में रु.121 करोड़ के हानि श्रेणी अंतरण के लेखांकन से पूर्व। विदेशी मुद्रा व्यापार से विनिमय पर लाभ पिछले वर्ष में रु. 493 करोड़ की तुलना में रु. 525 करोड़ है।

### निवेश

बैंक का निवल निवेश 31 मार्च 2019 में रु.66,932 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2020 में रु.78,345 करोड़ तक हुआ। प्रतिभूतियों की बिक्री और विनिमय राशि पर लाभ वर्ष 2018-19 के दौरान रु.1225 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान रु.1117 करोड़ रहा । वर्ष के दौरान 10-वर्षीय बेंचमार्क में 7.35% से 6.14% की गिरावट हई है ।

# एमएसएमई

31 मार्च 2020 को सूक्ष्म, लघु एंड मध्य एंटरप्राइजेज के क्रेडिट का भाग रु. 30,548 करोड़ रहा।



#### MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### **Economic and Banking Environment**

India's GDP Growth FY 2019 - 2020 for FY2020 stood at 4.2% compared to 6.1% in FY2019. Agriculture and Allied Activities grew at 4.0% in FY2020, compared to last year's growth of 2.4%. Industry registered a marginal growth of 0.9% in FY2020 from 4.9% in FY2019. Following sectors contributed to low growth in Industry. Manufacturing 0.03% and construction 1.3%. The contribution of service sector to GDP declined to 5.5% in FY 2020 compared to 7.7% in FY2019. Our exports and imports have contracted in FY2020 due to fall in external demand and demand for imported intermediate goods.

Growth in Non-food bank credit was by 6.7 per cent in FY 2019-20. Bank credit growth to agriculture and allied activities was by 4.2%, to Industry was by 0.7% and to personal loan segments was by 15%.

#### **Background of the Bank**

Indian Overseas Bank (IOB) was founded on 10th February 1937 by Shri. M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, a pioneer in many fields. IOB was one of the 14 major banks that were nationalized in 1969. On the eve of Nationalisation in 1969, IOB had 195 branches in India with aggregate deposits of Rs.67.70 crore and Advances of Rs.44.90 crore.

Bank has its overseas presence in 4 countries Singapore, Hongkong, Thailand and Srilanka. IOB sponsored Odisha Gramya Bank in Odisha during the financial year.

#### **Key Highlights**

- 83 years in the service of Banking.
- > Strong Domestic presence of 3270 Branches & 3032 ATMs.
- 57% of Branches catering to the needs of Rural and Semi Urban centres enhancing deeper Financial Inclusion.
- > 2795 Business Correspondents provide extended reach.
- A strong Brand name in South India especially in the State of Tamil Nadu.
- Trust of 37 million active customers.
- Overseas Presence with 4 branches, one Remittance centre and one JV subsidiary.
- Sustained Growth in Low cost CASA deposits
- Improved performance in Retail, Agri and MSME Segments contributing to 75.83% of Domestic Advances

### **Bank's Operations**

### **Domestic Deposits**

The Bank's total domestic deposits stood at Rs.2,18,028 crores as on 31st March 2020 as against Rs. 2,17,963 crores as on 31st March 2019. The increase in deposits was mainly

on account of steps taken by the Bank towards improving the CASA. The domestic CASA has increased from Rs. 84,394 crores as on 31st March 2019 to Rs. 88,671 crores as on 31st March 2020. It is noteworthy to mention that the savings bank deposits have grown by 6.92% over 31st March 2019 to end at Rs. 75,374 crores. The CASA% also improved to 40.67% as of March 2020.

#### **Domestic Advances**

The incremental NPAs and capital constraints have forced the Bank to be more cautious on large scale lending. With a view to diversify the risk and to improve the margins, the Bank focused more on Retail and MSME sectors during the fiscal year. The Domestic Gross Advances stood at Rs.1,27,336 crores as on 31st March 2020 as against Rs. 1,46,001 crores as on 31st March 2019.

### **Overseas Operations**

The Bank has 6 establishments abroad, including 4 Overseas Branches, 1 Remittance Center and 1 Joint Venture Subsidiary as on 31st March 2020. The Bank has one Branch each at Singapore, Hong Kong, Bangkok and Colombo and one Remittance Centre at Serangoon, Singapore. The Joint Venture subsidiary India International Bank (Malaysia) Berhad is functioning at Malaysia.

During the year 2019-20, as part of rationalization of overseas operations, Bank closed its Branch at Sukhumvit, Bangkok and merged its operations with Bangkok Main Branch. Bank also closed Seoul Branch at South Korea and the Representative Office at Dubai.

The Overseas business stood at Rs. 12,359 Crores as of 31st March 2020 as compared to Rs.10,567 Crores as of 31st March 2019.

#### **Forex Operations**

The profit on sale of investments was at Rs.592 crores during 2019-20 (Rs.732 crores during 2018-19) before accounting category transfer loss at Rs.121 crores as against Rs.0.30 crores in the previous year. The profit on exchange from Forex Business stood at Rs.525 crores as against Rs.493 crores in the previous year.

#### Investments

Net investments of the Bank increased to Rs. 78345 crores as of 31st March 2020 from Rs. 66,932 crores as on 31st March 2019. Total Profit including sale of securities & profit on exchange amounted to Rs.1117 crores during the year 2019-20 as against Rs.1225 crores during the year 2018-19. 10-year Benchmark yield has moved down from 7.35% to 6.14% during the year.

#### **MSME**

The share of credit to Micro, Small and Medium Enterprises stood at Rs. 30,548 crores as on 31st March 2020.



एमएसएमई पोर्टफोलियो का शेयर (रु.30,548 करोड़) मार्च, 31 2020 तक बैंक के कुल प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिमों का 40.97% अर्थात रु.74,548 करोड़ रहा।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 2340 करोड़ के 1,86,994 ऋण स्वीकृत किए और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत रु. 2,700 करोड़ के लक्ष्य के प्रति रु. 2299 करोड़ के ऋण वितरित किए। मुद्रा सुविधा डेस्क बनाया गया और सभी शाखाओं में मुद्रा नोडल अधिकारी को नामित किया गया है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्टैंड अप-इंडिया योजना के तहत रु. 92.46 करोड़ के 420 ऋण स्वीकृत किए ।

बैंक ने 31 मार्च, 2020 तक, सीजीटीएमएसई योजना से गारंटी कवर के तहत स्वीकृत सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र को स्वीकृत किए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण की संख्या में रु. 2973 करोड़ की बकाया राशि के 80,147 ऋणों तक की बढ़ोत्तरी हुई है।

सीजीएफएमयू योजना के गारंटी कवर के तहत मुद्रा योजना (ऋण राशि रु.10.00 लाख तक) के तहत स्वीकृत सभी खुदरा व्यापार अग्रिमों को सुरक्षित करने के लिए बैंक को एनसीजीटीसी के साथ सदस्य ऋण संस्थान के रूप में नामांकित किया। 31 मार्च 2020 तक हमने सीजीएफएमयू योजना के तहत रु.1294 करोड़ के 87,623 खाते कवर किए और रु. 525.45 करोड़ के 28,284 खाते प्रक्रियाधीन है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 2 नवंबर 2018 को घोषित आउटरीच कार्यक्रम में बैंक पूरी तरह से शामिल रहा और प्रतिभागिता की । हमने इस वित्त वर्ष 2019-20 में अपने सभी 48 क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमने अभियान अविध के दौरान विभिन्न विशेष शिविरों / कार्यक्रमों का आयोजन किया व उसमें भाग लिया और भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की है।

बेंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से संशोधित निर्देश परिपत्र डीबीआर सं बीपी बीसी 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी 2020 के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू किया, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को परिसंपत्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड किए बिना एमएसएमई को मौजूदा ऋणों को 'मानक' के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी है। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2020 तक खाते मानक होंगे और बैंकिंग उद्योग के खाते का एक्सपोजर 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की शुरुआत की और क्षेत्र के अधिकारियों को जागरूक किया, सभी तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों की पहचान की और दिशानिर्देशों को लागू किया।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के नए ढ़ांचे के तहत "एमएसएमई के पुनरुद्धार और पुनर्वास पर नीति" को लागू किया है और तनावगस्त एमएसएमई इकाइयों को राहत देने पर विचार करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समितियों का गठन सुनिश्चित किया।

# ऑनलाइन एमएसएमई प्रसंस्करण केन्द्र :

बैंक ने ऋण राशि के लिए रु.10.00 लाख तक की एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण को स्वचालित किया है और इसे सीबीएस प्रणाली (फिनेकल) के साथ शुरु से अंत तक समाधान के साथ एकीकृत किया है। प्लेटफ़ॉर्म, डेटा शीट में आवश्यक बुनियादी जानकारी को दर्ज करके, रेटिंग, निरीक्षण रिपोर्ट, प्रक्रिया नोट, मंजूरी, प्रलेखन, ऋण मास्टर निर्माण आदि के लिए उपयोगकर्ता का समर्थन करता है। यह सुविधाएँ उधार देने के संरचित तरीके को आसान बनाता है और नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन, कम टर्नअराउंड समय (TAT) के साथ, प्रस्तावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करता है। हम आवश्यक जाँच और शेष राशि जमा करके, चरणबद्ध तरीके से रु. 500.00 लाख तक की ऋण सीमा को संशोधित करने की प्रक्रिया में हैं।

# ई-ट्रैकिंग के साथ ऋण आवेदन पंजीकरण:

बैंक ने ई-ट्रैकिंग सुविधा के साथ ऋण आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। सिस्टम के माध्यम से सभी ऋण आवेदनों को दर्ज करना अनिवार्य है। सिस्टम एक विशेष आईडी नंबर बनाता है, जिसे प्रस्तावों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए सभी प्रस्तावों में शामिल किया जाता है। यह प्रणाली एसएमएस अलर्ट, ई-मेल रिमाइंडर को प्राधिकरण की सभी परतों के लिए अनुवर्ती / निगरानी के लिए तैयार करती है और अस्वीकारों के अलावा टीएटी में सुधार करने की सुविधा प्रदान करती है।

#### psbloansin59minutes.com

बैंक www.psbloansin59minutes .com पोर्टल में फाइनेंसर के रूप में सिक्रय है। यह प्लेटफ़ॉर्म रु. 500.00 लाख तक के एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को संभालता है। इसके अलावा रु.10 लाख रुपये तक मुद्रा ऋण को नियंत्रित करता है। हम अपने सभी वर्तमान ग्राहकों के साथ-साथ नए ग्राहकों को भी जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए और उनकी क्रेडिट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सिक्रय होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

कलस्टर फाइनेंस: बैंक ने पूर्ण भारत के नौ संभावित समूहों की पहचान की है, जो एमएसएमई क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ तैयार करते हैं और इस तरह के अधिक समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं।

सिरेमिक उद्योग	मोरवी, गुजरात राज्य
कपड़ा उद्योग	कोयम्बत्तूर, तमिल नाडु राज्य
इंजीनियरिंग माल	कोयम्बत्तूर, तमिल नाडु राज्य
ऑटो पुर्जे	चेन्नई/ कांचीपुरम, तमिल नाडु राज्य
ऑटो पुर्जे	एनसीआर दिल्ली
इंजीनियरिंग और पैकेजिंग	एनसीआर दिल्ली
प्लाइवुड उद्योग	पेरुम्बवूर, केरल राज्य
होजरी / कपड़ा	लुधियाना, पंजाब राज्य
ऑटो / साइकिल पुरजे	लुधियाना, पंजाब राज्य

# विशेषीकृत एमएसएमई और केन्द्रित शाखाएँ :

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने सम्पूर्ण भारत में 28 विशिष्ट एसएमई शाखाएँ और 22 एमएसएमई उच्च सघन शाखाएँ



The Share of MSME Portfolio (Rs. 30,548 crores) stood at 40.97 % of total priority sector advances of the Bank i.e., Rs. 74,548 crore as on March, 31st 2020.

Bank has sanctioned 1,86,994 loans amounting to Rs. 2340 crore and disbursed Rs.2299 crore as on 31st March 2020 vis-à-vis target of Rs. 2,700 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2019-20. MUDRA facilitation desk is created and Mudra Nodal Officer is designated in all Branches.

Bank has sanctioned 420 loans amounting to Rs.92.46 crores under Stand Up India Scheme during the FY 2019-20.

As on March 31st, 2020, collateral free loans to Micro and Small Sector sanctioned by the Bank increased to 80,147 loans with outstanding amount of Rs.2973 crores under the guarantee cover from CGTMSE scheme.

Bank has enrolled as Member Lending Institution with NCGTC to secure all Retail Trade advances sanctioned under MUDRA Scheme (Loan amount upto Rs.10.00 lakhs) under the guarantee cover from CGFMU Scheme. As on March 31st, 2020, we have covered 87,623 accounts with an exposure of Rs.1294 crores under CGFMU Scheme till now and, 28,284 accounts with an exposure of Rs. 525.45 crores is under process.

Bank has been fully involved and participated in the outreach program announced by the Hon'ble Prime Minister on 2nd November 2018. We have organized MSME outreach program in all our 48 Regional offices during FY 2019-20, wherein we have conducted / participated in various special camps / programs during the campaign period and created awareness among the public on the various initiatives taken by the Govt. of India.

Bank has put in place Board approved policy as per the revised direction from RBI, vide Circular DBR.No.BP. BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020, wherein RBI has permitted Banks' a one-time restructuring of existing loans to MSMEs classified as 'standard' without downgrade in the asset classification. As per the laid down guidelines the accounts shall be standard as on 1st January 2020 and the exposure of the account from the banking industry shall not exceed Rs.25 crore. We introduced Standard Operating Procedure (SOP) and sensitized the field functionaries, identifying all the stressed MSME units and implementing the guidelines.

Bank has also implemented the "Policy on Revival and Rehabilitation of MSMEs" under the New Frame work of RBI and ensured formation of committees at all Regional Offices to consider extending Relief to MSME units under stress.

#### Online MSME Loan Processing Centre

Bank has automated the MSME loan processing for loan amount up to Rs.10.00 lakh and integrated it with the CBS system (Finacle) with end to end solution. The platform supports the user for generating Rating, Inspection

Reports, Process Note, Sanction, Documentation, Loan Master creation etc., simply by keying in the required basic information in the data sheet. This facilitates structured way of lending and ensures compliance of the policy guidelines, quick disposal of proposals with reduced Turnaround Time (TAT). The Bank is also in the process of revising the loan limit up to Rs.500.00 lakhs in a phased manner, by introducing the necessary checks and balances.

### Loan Application Register with e-Tracking

Bank has introduced online registration of loan applications with e-tracking facility. It is mandatory to enter all loan applications through the system. The system generates a Unique ID number, which is to be incorporated in all proposals to track the status of the proposals. The system generates SMS alerts, e-mails reminders to all layers of authority for close follow up /monitoring and facilitates to improve the TAT besides containing the rejections.

#### psbloansin59minutes.com

Bank has been on boarded as financier in the www.psbloansin59minutes.com portal. The platform handles MSME loan proposals up to Rs.500.00 lakhs. Further the platform handles Mudra Loan up to Rs.10 lakhs. We are encouraging all our existing as well as new customers for registration under GST and also for on boarding the platform to support their credit needs.

#### **Cluster Finance**

Bank has identified nine potential clusters Pan India, formulated special schemes to promote MSME credit and also is in the process of identifying more such Clusters.

Ceramic Industry	Morvi, Gujarat State
Textiles Industry	Coimbatore, Tamil Nadu State
Engineering goods	Coimbatore, Tamil Nadu State
Auto components	Chennai / Kancheepuram, Tamil Nadu State
Auto components	NCR Delhi
Engineering & Packaging	NCR Delhi.
Plywood Industry	Perumbavoor, Kerala State
Hosiery / Textiles	Ludhiana, Punjab State
Auto / Bicycle components	Ludhiana, Punjab State

### **Specialised MSME and Focused Branches**

As per the Regulatory guidelines, Bank has opened 28 Specialized SME Branches and 22 MSME high intensive branches across Pan India. In addition to that, we have



खोली हैं। इसके अलावा, हमने एमएसएमई विकास क्षमता के साथ 150 एमएसएमई शाखाओं की पहचान की है और उन्हें एमएसएमई केन्द्रित शाखाओं के रूप में नामित किया है।

- ये शाखाएँ आवश्यक अवसंरचना और कर्मचारियों के उचित प्रबंध से परिपूर्ण हैं।
- 2. हमने एमएसएमई ऋण पर शाखा प्रमुखों / क्रेडिट अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- 3. हमने सभी शाखाओं में एक एमएसएमई-संबंध अधिकारी को नामित किया है।
- 4. विशेष लक्ष्य सौंपे गए और नियमित रूप से प्रगति की निगरानी की जाती है।

### लीड जनरेशन:

शाखाओं को लीड्स देखने और लीड्स कैप्चर करने के लिए लॉगिन एक्सेस प्रदान किया गया है अर्थात् स्टैंडअपिमत्र/उद्योगिमत्र पोर्टल में बैंक को चिन्हित किए गए आवेदन। आईओबी ऑनलाइन में शाखाओं को जीएसटी लीड्स का प्रसंस्करण और अंकन प्रदान किया गया है और इस तरह आवेदनों की त्वरित प्रसंस्करण और निपटान सुनिश्चित होता है। हम वर्तनाम ग्राहक आधार के माध्यम से उनके आपूर्तिकर्ता/रिश्तेदारों/ मित्रों आदि से संपर्क करके और हमारी सेवाओं को प्रस्तुत करके व्यापार का समाधान कर रहे हैं।

बेंक ने मैसर्स भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (बीवाईएसटी), मैसर्स अशोक लेलैंड, मैसर्स टीवीएस मोटर्स लिमिटेड, मैसर्स अतुल ऑटो लिमिटेड आदि के साथ समझौता ज्ञापन/ टाई-अप व्यवस्था की है और मुद्रा / स्टैंड अप इंडिया योजनाओं के तहत अच्छी संख्या में पहचान किए गए लाभार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

बेंक तिमलनाडु और केरल राज्यों में फैले 12 आरएसईटीआई में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है, जो एससी, एसटी, मिहला लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण / हैंड हेल्प प्रदान करता है और मुद्रा / स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए उनका समर्थन भी करता है और अपने उद्यमिता कौशल का प्रदर्शन करके उन्हें लाभकारी रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

बैंक ने आरएक्सआईएल और ए ट्रेड के साथ टाई अप व्यवस्था में प्रवेश किया है और सदस्य के रूप में नामांकित किया है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एमएसएमई की प्राप्ति के विरुद्ध वित्त पोषण के लिए TREDS मंच में भाग ले रहा है । बैंक एक अन्य सेवा प्रदाता Mynd solution pvt ltd के साथ एक समझौता करने की प्रक्रिया में है ।

शाखाओं / क्षेत्रों को नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए आईओबी ऑनलाइन में बैंक के सभी नवीनतम अपडेट / एमएसएमई से संबंधित नियामक दिशानिर्देशों के साथ विशिष्ट एमएसएमई पोर्टल तैयार किया गया।

बैंक ने विभिन्न कदम उठाए और सभी स्तरों पर एमएसएमई क्रेडिट प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए टर्नअराउंड समय को कम किया। बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एमएसएमई नोडल अधिकारियों को नामित किया जिससे एमएसएमई ऋणों की त्वरित मंजूरी और एनपीए खातों का अनुवर्तन किया जा सके ।

सभी शाखाओं (एकल व्यक्ति शाखाओं को छोड़कर) में एमएसएमई विपणन अधिकारी की पहचान की गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों में विपणन अधिकारी / एमएसएमई नोडल अधिकारी सभी शाखाओं / ग्राहकों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

बेंक ने प्रतिष्ठित संगठनों अर्थात एनआईबीएम / बी क्यू ग्लोबल के साथ टाई-अप व्यवस्था में प्रवेश किया है और कर्मचारी सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। बेंक सम्पूर्ण देश में स्टॉफ प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है और नियमित आधार पर एमएसएमई विनियामक दिशानिर्देशों, स्कीमों और सरकारी प्रायोजित स्कीमों, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, पीएमईजीपी आदि पर कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा कर रहा है। बेंक आरबीआइ द्वारा एनएएमसीएबीएस की कार्यशालाओं में नियमित रूप से स्टाफ को नामित कर रहा है।

### रिटेल बैंकिंग

रिटेल क्रेडिट योजनाओं के तहत कुल बकाया राशि मार्च 2019 में रु. 27,947 करोड़ से बढ़कर मार्च 2020 में रु. 31,272 करोड़ हो गई जो 11.90% (एक्सेलिंग पूल बायआउट एक्सपोज़र को छोड़कर) की वृद्धि दर्ज करती है । अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान कुल संवितरण रु.12,007 करोड़ था । घरेलू अग्निमों में समग्र खुदरा हिस्सेदारी 21.63% से बढ़कर 25.82% हुई ।

- आवास ऋण पोर्टफोलियो में मार्च 2019 की स्थिति की तुलना में 21.52% की वृद्धि हुई है (बायआउट खातों को छोड़कर) जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 12% है । समीक्षाधीन अविध के दौरान मंजूर किए गए ताजा ऋण रु. 4252.99 करोड़ के 20041 खाते हैं, जिसकी औसत राशि रु. 21.23 लाख है, जो कि 13982 खातों की तुलना में पिछले वित्त वर्ष के दौरान रु.2866 करोड़ रुपये है। अनुमोदन में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 48.40% है । कुल संवितरण रु. 3051.16 करोड़ है।
- वाहन ऋण में मार्च 2019 के दौरान 3.67% की वृद्धि दर दिखाई गई है। ऑटोमोबाइल उद्योग में कुल मंदी ने इस खंड को प्रभावित किया है।
- बंधक ऋण में 16.40% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है ।
- आभूषण ऋण में 28.11% की वृद्धि प्राप्त हुई है । समीक्षा अविध के दौरान की गई कुल मंजूरी रु.1610.28 करोड़ थी । मंजूरी पर वर्ष दर वर्ष वृद्धि 69.68% है ।
- अन्य खुदरा ऋण खंड के तहत 18.28% की वृद्धि दर्ज की गई है।

# वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पेश किए गए नए खुदरा उत्पाद / संशोधन:

एलएपी योजना में संशोधन: पित / पत्नी की आय के अलावा, बेटे और बेटी को भी ऋण पात्रता पर पहुंचने के लिए शामिल किया गया है, बशर्ते कि वे संपित्त के सह-मालिक हों, रु.50.00 लाख से ऊपर के लिए चुकतान की अविध 84 महीने से 120 महीने तक के लिए बढाई गई है ।



identified 150 MSME Branches with MSME growth potential and designated them as MSME Focused Branches.

- These Branches are equipped with necessary infrastructure and proper manning of staff.
- We have imparted training to the Branch Heads / Credit Officers on MSME lending.
- We have nominated one MSME Relationship Officer in all the Branches.
- 4. Assigned special targets and monitoring the progress regularly.

#### Lead Generation:

Branches have been provided with login access to view and capture the leads i.e., aapplications marked to the Bank in Standupmitra / Udyamimitra portal. Processing and marking of GST leads has been provided to branches in IOB online and thereby ensure quick processing and disposal of the applications. We are Soliciting business through the existing client base by approaching their Suppliers/Relatives/Friends etc., and offering our services.

Bank has entered MOU / Tie-Up arrangements with M/s Bharatiya Yuva Shakti Trust (BYST), M/s Ashok Leyland, M/s TVS Motors Ltd., M/s Atul Auto Ltd., etc., and providing necessary financial assistance to good number of identified beneficiaries under Mudra / Stand - Up India Schemes.

Bank has been organizing Special Training Camps at 12 RSETIs spread across Tamilnadu and Kerala states, providing necessary training / hand hold support to SC, ST, Women beneficiaries and also supporting them for their financial needs through credit linkage under Mudra / Stand - Up India Schemes and facilitating them to take up gainful employment by exhibiting their entrepreneurial skills.

Bank has entered a Tie up arrangement with RXIL and A Trade and enrolled as member, participating in the TReDS platform for financing against receivables of MSMEs in the online platform. Bank is in the process of entering an agreement with another service provider Mynd solution pvt.ltd.

Exclusive MSME portal created in IOB ONLINE with all the latest updates on Bank/Regulatory guidelines related to MSME, to facilitate Branches / Regions with the latest information.

Bank has taken various steps and reduced the Turnaround time for processing the MSME credit proposals at all layers. Bank has designated MSME Nodal Officers at all Regional Offices to facilitate quick sanction of MSME loans and follow up of NPA accounts.

MSME Marketing Officers have been identified / designated in all the Branches (excluding single man Branches). Marketing Officers / MSME Nodal Officers at Regional Offices have been coordinating with all the branches / customers.

Bank has entered into Tie-Up arrangement with reputed organizations viz., NIBM / B Q Global and providing training to the staff members on regular basis. Bank is also conducting workshops in Staff Training Centres across Pan India and to create awareness among the Staff on MSME Regulatory guidelines, Schemes and Govt. sponsored Schemes viz., Mudra, Stand Up India, PMEGP etc., accounting nominating staffs to the NAMCABS workshops organized by RBI.

### **Retail Banking**

The total outstanding amount under the Retail credit schemes increased from Rs. 27,947 crores as of March 2019 to Rs. 31,272 crores as of March 2020 showing a growth of 11.90% (Excluding Pool Buyout exposure). The total disbursement made during the period April 2019 to March 2020 was Rs 12,007 crores. The overall Retail share to domestic advances has increased from 21.63% to 25.82%.

- Housing Loan portfolio has shown a growth of 21.52% over March 2019 position (Excluding pool buyout accounts) as compared to 12% during previous FY. Fresh Loans sanctioned during review period are 20041 accounts, amounting Rs. 4252.99 crores with average ticket size of Rs. 21.23 lakhs as against 13982 accounts, amounting Rs. 2866 crores during previous FY. Year on year growth in sanction is 48.40%. Total disbursement made is Rs. 3051.16 crores.
- Vehicle loan portfolio has shown growth rate of 3.67% over March 2019. Overall slowdown in the automobile industry has impacted this segment.
- Mortgage loan segment has shown positive growth of 16.40%.
- Jewel loan portfolio has achieved growth of 28.11%.
   Total sanction made during review period stood at Rs. 1610.28 crores. YOY growth on in percentage terms is 69.68%.
- Growth of 18.28% has been registered under Other Retail Loans segment.

# New Retail Products/Modifications introduced during the FY 2019-20

Modifications in LAP Scheme: In addition to spouse income, son and daughter are also included now to arrive at loan eligibility provided they are co-owner of the property, extension of repayment period up to 120 months from 84 months for loan above Rs. 50.00 Lakhs.



- क्लीन लोन का आरंभ रु. 5.00 लाख तक की अधिकतम ऋण लिमिट के साथ सीसी ।
- बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा में बढ़त को बेहतर बनाने के लिए और शाखाओं के प्रदर्शन को दोगुना करने में सक्षम बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों को प्रस्तावित किया गया:
- 1. आवास ऋण परामर्शदाता- (व्यक्तिगत डीएसए)
- 2. डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (गैर व्यक्ति जैसे फर्म, कंपनी आदि)

अब तक कुल 196 डीएसए / एचएलसी पंजीकृत किए गए हैं।

- आवास ऋण लोन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, स्टाफ रेफरल योजना शुरू की गई थी। हाउसिंग लोन के लिए कुल 2839 लीड उत्पन्न की गईं, जिसमें 1927 ऋण रु. 291.21 करोड़ के लिए स्वीकृत किए गए।
- आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए रियायतों की शुरुआत की गई है - प्रसंस्करण शुल्क की छूट, महिलाओं के उधारकर्ताओं के लिए विशेष ब्याज रियायत, सीआईआईआईएल की छूट, कुछ स्लैब और शर्तों के लिए दस्तावेज़ीकरण शुल्क आदि ।

### आवास ऋण के लिए मिस्ड कॉल सुविधा:

डिजिटलीकरण से हाउसिंग लोन के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा सफलतापूर्वक शुरू की गई है। ग्राहक के 7039166269 पर मिस कॉल देने से लीड प्राप्त की जा सकती है। व्यवहार्य लीड कॉल सेंटर टीम पर तरंत दर्ज हो जाती है और शाखाओं के लिए भेजी जाती है।

कैप्चर किए गए लीड को विकसित कर अधिकतम सीमा तक व्यवसाय में परिवर्तित किए जाते हैं। लीड उत्पत्ति से लेकर व्यावसायिक रूपांतरण तक प्रत्येक चरण में स्वचालित एसएमएस और ईमेल ग्राहक को भेजे जा रहे हैं। ऑटो ट्रैकर और एस्केलेशन मेल द्वारा लीड के गैर रूपांतरण की निगरानी की जाती है।

लीड प्रबंधन प्रणाली द्वारा आवास ऋण के लिए मिस कॉल सुविधा के लिए अंतर्गत 5309 लीड जनरेट किए और 567 लिड को मंज़्री में परिवर्तित किया।

पीएसबी ऋण पोर्टल के माध्यम से खुदरा ऋण यानी www.ps-bloansin59minutes.com । बैंक ने सफलतापूर्वक इस पोर्टल के तहत आवास ऋण, पुष्पक और क्लीन लोन उत्पाद तैयार किए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस पोर्टल के माध्यम से कुल 206 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

# पैरा-बैंकिंग उत्पादों का प्रदर्शन

बैंकाश्योरेंस और म्यूचुअल फंड व्यापार के तहत, बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 23.06 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है। हमारी पैरा-बैंकिंग आय को बढ़ावा देने और उसमें वृद्धि के लिए शाखाओं में विभिन्न अभियानों और सीएसआर गतिविधियों का आयोजन किया गया।

# ऋण सुरक्षा नीति

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान आईओबी ऋण सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। यह नीति उधारकर्ता की स्थिति में 18 प्रमुख बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु का दुर्भाग्यपूर्ण निदान पर ऋण के चुकतान के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है। यह नीति रु. 50,000 से लेकर रु. 3 करोड़ तक के सभी ऋणों को सुरक्षा प्रदान करती है।

संशोधित आईओबी हेल्थकेयर प्लस

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने आईओबी हेल्थकेयर पॉलिसी को संशोधित किया है, जो आजीवन नवीकरण और मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ मौजूदा 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की कवरेज प्रदान करता है।

### कॉर्पोरेट क्रेडिट

इस वित्तीय वर्ष में, क्रेडिट वितरण को सुविधाजनक बनाने और क्रेडिट वितरण के लिए न्यूनतम टर्नअराउंड समय (टीएटी) के साथ एक आदर्श कार्य-प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंक ने दो विभाग अर्थात मिड कॉरपोरेट ग्रुप (एमसीजी) और बड़े कॉपोरेट ग्रुप (एलसीजी) का विलय कर एक 'कॉरपोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट' नामित एक विभाग बनाया है। कृषि, खुदरा और एमएसएमई के अलावा अन्य उधारकर्ताओं की आवश्यकता के लिए कॉपोरेट क्रेडिट वर्टिकल क्रेडिट को पूरा करता है, जिनकी क्रेडिट आवश्यकता 40 करोड़ रुपये से ऊपर है। प्रचलित बाजार की स्थितियों में, पिरसंपित्त की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, बैंक नई / बढ़ी हुई क्रेडिट सीमाओं का विस्तार करने में चयनात्मक रहा है। वर्ष के दौरान बैंक ने कॉपोरेट क्रेडिट पोर्टफोलियो को प्रतिबंधित करने के लिए एक सचेत निर्णय लिया है और इसलिए चयनित खातों और ज्यादातर निवेश ग्रेड खातों और / या राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत खातों के लिए नई सीमा या संवर्द्धन पर विचार किया गया है।

विभिन्न मुख्य उद्योगों और अन्य खंडों में फैले 31 मार्च 2020 तक बैंक का फंड आधारित एक्सपोजर रु.29,062.05 करोड़ और नॉन फ़ंड का रु.7,959.62 करोड़ का एक्सपोज़र है।

# बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित नवीन/वृद्धि प्रतिबंधों पर विचार किया है:

(रु. करोड़ में)

	फंड आधारति	नॉन फंड आधारति	कुल
नवीन	6,057.38	-	6,057.38
वर्धन	2,668.59	894.15	3,562.74
कुल	8,725.97	894.15	9,620.12

बैंक अन्य बैंकों के साथ इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट (आईबीपीसी) के तहत कॉरपोरेट परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो की भागीदारी का भी काम कर रहा है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने समय-समय पर रोल ओवर हुए आईबीपीसी ट्रांजैक्शंस में रु. 4,600 करोड़ की भागीदारी की है। इससे बैंक को क्रेडिट पोर्टफोलियो की वसूली और सीआरएआर में सुधार के साथ, शीर्ष रेखा को बढ़ाने में मदद मिली है।

### प्राथमिकता क्षेत्र उधार

वित्त वर्ष 2019-20 की चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 61,552



- Introduction of Clean loan CC with maximum loan limit of Rs. 5.00 lakhs.
- To improve our competitive edge in the market and to enable Branches to double the performance, the following lead sources were introduced:
- 1. Housing Loan Counselors- (Individual DSAs)
- 2. Direct Selling Agents (Non Individuals like Firms, Companies etc.)

Total 196 DSAs/HLCs have been registered so far.

- To augment Housing loan portfolio, Staff Referral scheme was initiated. Total 2839 leads were generated for Housing Loans of which 1927 loans were sanctioned for Rs. 291.21 crore.
- Host of concessions have been offered for Housing Loan Borrowers – Waiver of Processing Charges, Special Interest Concession for Women Borrowers, Waiver of CIBIL, Documentation Charges etc for certain slabs & conditions.

### Missed call facility for Housing loan:

**Missed Call facility** has been successfully launched for Housing loans with end to end digitalization. Lead is being sourced by customer giving miss call to 7039166269. The viable leads are instantly captured by the call centre team and parked to the Branches.

The captured leads are nurtured and converted to business to the maximum extent. Automated SMS and email is being sent to the customer at each stage from the lead origination to business conversion. Non conversion of leads is monitored by auto tracker and escalation mails.

Under Missed call facility for Housing Loans, 5309 leads generated by Lead Management System and 567 leads converted into sanctions.

Retail loan through PSB loans portal i.e. www. psbloansin59minutes.com. Bank has successfully created Housing Loans, Pushpaka and Clean loan products under this portal. Total 206 loans have been sanctioned through this portal during FY 2019-20.

#### **Performance on Para-banking Products**

Under Bancassurance and Mutual Fund Business, Bank has earned income of Rs.23.06 crore during the year 2019-20. Various campaigns and CSR activities across branches were carried out in promoting and increasing our para-banking Income.

#### **Loan secure Policy**

Bank has launched IOB Loan Secure Insurance policy during the year 2019-20. This policy serves as safety net for repayment of the loan in the event of borrower suffers unfortunate diagnose of 18 Major illness or death due to accident. This Policy provides coverage to all loans from Rs.50.000 to Rs. 3.00 crores.

#### **Revised IOB Healthcare Plus**

During the financial year 2019-20, Bank has revised IOB healthcare Policy providing coverage up to Rs.15 Lakhs from existing Rs.5 Lakhs with lifelong renewal and value added features with end to end automation.

### **Corporate Credit**

In this financial year, with a view to facilitate healthy credit expansion and to ensure an ideal workflow with minimum turnaround time (TAT) for credit delivery, Bank has decided to merge the two department i.e. Mid Corporate Group (MCG) and Large Corporate Group (LCG) into a single department named as 'Corporate Credit Department'. Corporate credit vertical caters to the requirement of borrowers other than Agriculture, Retail and MSME, where credit requirement is above Rs.40 crores. In the prevailing market conditions, to maintain the asset quality, the Bank has been selective in extending new/enhanced credit limits. During the year the Bank has taken a conscious decision to restrict the Corporate Credit portfolio and hence fresh limits or enhancements have been considered for selected accounts and mostly in investment grade accounts and/or accounts guaranteed by State Governments.

Bank has Fund based exposure of Rs.29,062.05 crore and Non Fund based exposure of Rs.7,959.62 crore as on 31st March 2020 spread over various core industries and other segments.

The Bank has considered the following Fresh/ Enhancement sanctions in the financial year 2019-20:

(Rs. In crore)

	Fund Based	Non Fund Based	Total
Fresh	6,057.38	-	6,057.38
Enhancement	2,668.59	894.15	3,562.74
Total	8,725.97	894.15	9,620.12

The Bank is also undertaking the participation of portfolio of corporate assets under Inter Bank Participation Certificate (IBPC) with other Banks. During this financial year, Bank has participated in IBPC transactions of Rs.4,600 crores rolled over from time to time. This has helped the Bank in augmenting the Top line along with the realigning of the Credit portfolio and improve the CRAR.

#### Priority Sector Credit

The average achievement of four quarters for the FY 2019-20 stood at Rs. 76,135 crores against the target of Rs. 61,552



करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु. 76,135 करोड़ रही और बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान कुल प्राथमिकता अग्रिम के तहत पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 51.33% की उपलब्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 49.48% प्राप्त करके एएनबीसी के 40% के अनिवार्य मानक को पार कर लिया है।

हमारी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं मुख्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण में शामिल हैं जो कुल शाखाओं का 55.41% है। क्षेत्र में 412 विशेष ग्रामीण विकास अधिकारियों के मजबूत कार्यबल के साथ, इन केंद्रों में अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पुनर्जीवित होने के कारण, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के विकास में बहुत अच्छा परिणाम मिला है।

जैसा कि हमने प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत सहज मार्जिन के साथ 40% के अनिवार्य मानदंड को पार कर लिया है, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 1,600 करोड़ रुपये का प्राथमिक क्षेत्र उधार सर्टिफिकेट (पीएसएलसी-एसएम/एमएफ श्रेणी) व्यापार किया है और रु. 23.90 करोड़ का लाभ कमाया है। वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के तहत एएनबीसी की 49.48% की औसत उपलब्धि उपरोक्त पीएसएलसी बिक्री में कमी के बाद है।

### कृषि

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम के तहत चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 28,656 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले रु. 31,204 करोड़ रुपये रही। एसएफ / एमएफ श्रेणी के तहत पीएसएलसी की रु. 1,600 करोड़ रुपये की बिक्री के बाद भी बैंक ने कृषि अग्रिमों के तहत 20.28% हासिल करके एएनबीसी के 18% के अनिवार्य मानक को पार कर लिया है। बैंक ने वर्ष के दौरान रु. 34,000 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विपरीत विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के तहत रु. 34,830 करोड़ का संवितरण किया।

# लघु और सीमांत किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 12,310 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 17,410 करोड़ रुपये रही और बैंक ने लघु / मझौले किसानों को ऋण के तहत 11.31% प्राप्त करके एएनबीसी के 8% के अनिवार्य मानक को पार कर लिया है। । वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पीएसएलसी-एसएफ / एमएफ की रु. 1,600 करोड़ की बिक्री को कम करने के बाद यह उपलब्धि सामने आई है।

### गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि 18,635 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 24,074 करोड़ रुपए थी और बैंक ने गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण के तहत 15.65% हासिल करके एएनबीसी के 12.11% के अनिवार्य मानक को पार कर लिया।

### कमजोर वर्ग को ऋण

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चार तिमाहियों की औसत उपलब्धि रु. 15388 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में के मुकाबले रु. 21,927 करोड़ रुपए रही और बैंक ने कमजोर वर्ग को ऋण के तहत 14.25% हासिल करके एएनबीसी के 10% के अनिवार्य मानदंड को पीछे छोड़ दिया है।

### माइक्रोफाइनेंस

इस वर्ष के दौरान, बैंक ने 37727 स्वयं सहायता समूह को रु. 964 करोड़ रुपए के क्रेडिट परिव्यय के साथ जोड़ा है। मार्च 2020 तक बैंक द्वारा जुड़े एसएचजी क्रेडिट की संचयी संख्या 781570 है और संवितरण कुल रु. 92,151 करोड़ रुपए का है।

### महिलाओं को ऋण प्रवाह

महिलाओं के लिए बैंक का क्रेडिट 31 मार्च 2020 तक रु.18069.15 करोड़ था जो बैंक के समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 11.34% था।

बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएँ बनाई हैं, जैसे कि आईओबी सागर लक्ष्मी: फिशर महिलाओं को ऋण, आईओबी भूमि शक्ति: कृषि के तहत सभी गतिविधियों के लिए महिलाओं को ऋण और आईओबी एसएमई महिला प्लस : विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत महिला उद्यमियों को ऋण। "आईओबी स्वर्णलक्ष्मी", महिलाओं के लिए एक विशेष आभूषण ऋण योजना।

बैंक आईओबी भूमि शक्ति योजना के तहत महिला लाभार्थियों को रु.50,000 तक की सीमा के लिए 0.50% और रु. 50,000 से ऊपर की सीमा के लिए 0.25% दर से ब्याज रियायत प्रदान कर रहा है और विद्या ज्योति शैक्षिक ऋण योजना और आईओबी स्कॉलर योजना के तहत छात्राओं को 0.5% की ब्याज रियायत दी जा रही है।

### वित्तीय समावेशन

हमारे बैंक ने वैयक्तिक बीसी मॉडल के तहत 2,795 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को शामिल किया है। हमने आवंटित एसएसए में 2,662 बीसी, गैर-आवंटित एसएसए में 92 बीसी और 41 शहरी बीसी प्रवृत्त किए हुए हैं। बीसी खाते खोलने, छोटे मूल्य जमा का संग्रह, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसे जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों, लोन खातों में रिकवरी, आधार सीडिंग, जमा राशि जुटाने और आरडी की किस्त जमा करने में प्रवृत्त हैं।

यह बताना उल्लेखनीय है कि तिमलनाडु सरकार के समन्वय में, आईओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग ने लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारियों को अपनी मासिक पेंशन पाने के लिए सक्षम किया है और 61 शिविरों में लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तिमल शरणार्थियों को उनके मासिक अंशदान को अपने दरवाजे पर प्राप्त करने के लिए सक्षम किया है।

1 अक्टूबर, 2018 को, हमारे बैंक ने चयनित शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की है।

### प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई):

बैंक ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक में पीएमजेडीवाई को लागू किया है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। बैंक ने 50,82,888 बीएसबीडी खाते खोले हैं जिनमें से 31,38,171 सक्रिय हैं। इस योजना के तहत हमने 31 मार्च 2020 तक 47,77,716 पीएमजेडीवाई खातों के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इनमें से 22,79,254 कार्ड (72.6%) परिचालन में हैं।



crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 40% of ANBC by achieving 49.48% under Total Priority Sector Advances during FY 2019-20 as against the achievement of 51.33% during the previous FY 2018-19.

Our Rural and Semi urban Branches mainly engaged in priority sector credit, constitute 55.41% of the total Branches. With the strong workforce of 412 specialized Rural Development Officers at field, being reoriented to render their services effectively in these centers, has yielded a very good result in growth and development of Priority sector advances during the FY 2019-20.

As we have surpassed the mandatory norm of 40% with comfortable margin under Priority sector advances, our Bank has sold Priority Sector Lending Certificate (PSLC- SM/MF category) of Rs. 1,600 crores during the FY 2019-20 and earned a profit of Rs.23.90 crores. The average achievement of 49.48% of ANBC under priority sector advances during the year is after reduction of the above PSLC sale.

#### Agriculture

The average achievement of four quarters for the FY 2019-20 under advances outstanding stood at Rs. 31,204 crores against the target of Rs. 28,656 crores. The Bank has surpassed the mandatory norm of 18% of ANBC by achieving 20.28% under Agriculture advances, even after sale of Rs. 1,600 crores of PSLC under SF/MF category. The Bank disbursed Rs. 34,830 crores under Special Agriculture Credit Plan (SACP) as against the set target of Rs. 34,000 crore sduring the year.

### Loans to Small and Marginal farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2019-20 stood at Rs. 17,410 crores against the target of Rs. 12,310 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 8% of ANBC by achieving 11.31% under loans to Small/ Marginal farmers. This achievement is arrived at after reducing the sale of PSLC – SF/MF of Rs. 1,600 crore during FY 2019-20.

#### Loans to Non-Corporate farmers

The average achievement of four quarters for the FY 2019-20 stood at Rs. 24,074 crores against the target of Rs. 18,635 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 12.11% of ANBC by achieving 15.65% under loans to Non-Corporate farmers.

#### Loans to Weaker Section

The average achievement of four quarters for the FY 2019-20 stood at Rs. 21,927 crores against the target of Rs. 15,388 crores and the Bank has surpassed the mandatory norm of 10% of ANBC by achieving 14.25% under loans to Weaker Section.

#### Microfinance

During the year, the Bank has credit-linked 37,727 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs.964 Crores. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank is 781570 and with a total disbursement of Rs.92,151 Crores as of March 2020.

#### Credit flow to women

Bank's credit to women stood at Rs. 18,069.15 Crores as of 31st March 2020 which constitutes 11.34% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit.

Bank has formulated the following Special schemes exclusively for women namely IOB Sagar Lakshmi: Loans to Fisher women, IOB Bhoomi Shakti: Loans to women for all activities under Agriculture and IOB SME Mahila Plus: Loan to women entrepreneurs under manufacturing and service sectors. IOB Swarnalakshmi", an exclusive Jewel Loan Scheme for women.

The Bank is providing Interest concession at the rate of 0.50% for limits up to Rs.50,000 and 0.25% for limits above Rs.50,000 to women beneficiaries under IOB Bhoomi Shakti scheme and interest concession of 0.5% to the Girl student under Vidya Jyothi Educational Loan scheme & IOB-Scholar scheme.

#### Financial Inclusion

Our Bank has engaged 2,795 Business Correspondents under Individual BC model. We have engaged 2,662 BCs in allotted SSA, 92 BCs in un-allotted SSA and 41 Urban BCs. BCs are engaged in opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, Aadhaar seeding, mobilising deposits and collecting RD instalment.

It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has enabled about 3.30 lakhs old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakhs Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep.

On 1st October'2018, our Bank has launched Doorstep Banking for the Senior Citizens in selected Branches

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 50,82,888 BSBD Accounts out of which 31,38,171 are operative accounts. We have issued 47,77,716 RuPay Debit Cards till 31st March 2020 and activated 22,79,254 cards (72.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.



# आधार विनिमयन, 2016 के अंतर्गत आधार पंजीकरण व अद्यतन केंद्र

आधार विनियमन, 2016 के अंतर्गत यूआईडीएआई ने बैंकों को सूचित किया है कि वे शाखा परिसर में आधार पंजीकरण / अद्यतन केंद्र स्थापित करें। एईसी शाखाओं के स्टाफ सदस्यों को यूआईडीएआई द्वारा आधार पंजीकरण/ अद्यतन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और पर्यवेक्षक के तौर पर प्रमाणित किया गया है। 31 मार्च 2020 तक बैंक ने 355 शाखाओं के परिसर में आधार पंजीकरण/ अद्यतन केंद्र परिचालित कर दिए हैं।

# जनसुरक्षा योजना

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जनसुरक्षा योजना 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। बैंक जनसुरक्षा योजनाओं जैसे पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई और पेंशन योजनाओं जैसे अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को पंजीकृत कर रहा है।31 मार्च 2020 तक, जनसुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरणों की संख्या निम्नवत है:

योजनाएं	31 मार्च 2020 तक पंजीकरण की स्थिति (संचयी)	वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकरण की स्थिति
पीएमजेजेबीवाई	9,47,769	1,62,254
पीएमएसबीवाई	26,57,039	1,11,894
कुल	36,04,808	2,74,148

"एनहैन्सड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस" (EASE) द्वारा सूक्ष्म बीमा कवरेज में वृहत् विस्तार अधिदेशित है। बैंक ने एमएसएमई/कृषि/रीटेल के अंतर्गत पंजीकरण के साथ ऋण मंजूरी को स्वचालित कर दिया है। बैंक ने नेट बैंकिंग और एसएमएस/ मिस्ड कॉल के जिरए पीएमजेजेबीवी/पीएमएसबीवाई पंजीकरण के लिए प्रावधान किए हैं।

अटल पेंशन योजना : वर्षों के दौरान एपीवाई के तहत प्रदर्शन इस प्रकार है

वित्त वर्ष	पंजीकरण
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
कुल एपीवाई पंजीकरण (संचयी)	4,44,304

### ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने सभी अग्रणी जिलों में 12 आरसेटी स्थापित किए हैं ताकि किसानों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, एसजीएसवाई के लाभार्थियों, शिक्षित बेरोज़गार युवाओं, कारीगरों और कमज़ोर तपके के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

इन आरसेटी का प्रबन्धन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा (SNEHA) ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। समीक्षांतर्गत वर्ष के दौरान, आरसेटीज़ ने 487 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं जिससे 13715 बेरोज़गार युवाओं को लाभ पहुंचा है जबिक लक्ष्य 318 प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने और 9010 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का था। बैंक ने संचयी निपटान 69% और संचयी क्रेडिट निपटान 53% तक हासिल किया है जो राष्ट्रीय औसत क्रमश: 67% और 43% से अधिक है। दिसंबर 2019 में हमने अपनी आसरेटी में 50,000 महिला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर एक यादगार प्रदर्शन किया था।

### वित्तीय साक्षरता

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत 22 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्र (SNEHA) के जरिए वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के परामर्शदाता लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वित्तीय उत्पादों और औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध सेवाओं के बारे में बताने के साथ-साथ आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाओं और कर्ज में दबे व्यक्तियों को ऋण के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी आयोजित करते हैं। अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2020 तक एफएलसी ने 73.112 ऋण परामर्श आयोजित किए हैं। अस्तित्व में आने के बाद बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 10,003 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं। स्थापना के बाद से 93,702 एसबी खाते लाए और खोले गए हैं। वित्तीय प्रणाली में नव पदार्पण करने वाले व्यक्तियों के लिए 1,295 विशेष शिविर आयोजित किए गए जिसके तहत 1.47.208 लाभार्थियों को कवर किया गया। लक्षित समूह जैसे स्वयं सेवी समूहों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और सुक्ष्म व छोटे आन्त्रप्रेन्योर के लिए 1,834 शिविर आयोजित किए गए जिनमें 2,28,307 लाभार्थियों को कवर किया गया।

# युआईडीएआई कक्ष

यूआईडीएआई कक्ष, एनपीसीआई के जिरए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त डीबीटी और डीबीटीएल फाइलों का संसाधन कर रहा है, आधार मैप्ड फाइल भी उत्पन्न कर रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाईजी), भारत सरकार की योजना के लिए प्रायोजक बैंक के तौर पर भी कार्य कर रहा है। डीबीटी/ डीबीटीएल योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20 में रु. 9482.69 करोड़ राशि के रु. 5.68 करोड़ लेन-देन किए गए थे।

### अग्रणी बैंक पहलें

बैंक, तिमलनाडु के 14 जिलों में और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका में है । बैंक तिमलनाडु की राज्य स्तरीय बैंकर्स सिमित (एसएलबीसी) का संयोजक भी है । वर्ष के दौरान एसएलबीसी, तिमलनाडु के संयोजक बैंक के तौर पर बैंक ने एसएलबीसी की 3 बैठकें की हैं ।

इसके अतिरिक्त, एसएलबीसी, तिमलनाडु के संयोजक के तौर पर बैंक ने 18 विशेष बैठकें / कोर सिमिति बैठकें/ उप-सिमिति की बैठकें आयोजित की हैं।

- एसएलबीसी, तिमलनाडु ने विरुधुनगर जिला को 100% डिजिटल बनाने के लिए चुना था । हमारा बैंक चूंिक जिले का बड़ा बैंक है इसलिए इस परियोजना का लागू करने की जिम्मेदारी उठाई है ।
- ग्राहक आउटरीच पहलें पूरे देश में शुरू की गई हैं और तिमलनाडु
   में अक्तूबर 2019 में दो चरणों में पीएसबी द्वारा शिविर लगाए गए
   हैं।



Aadhaar enrolment and update centres as per Aadhaar Regulations, 2016.

As per Aadhaar Regulations, 2016, UIDAI has advised Banks to establish Aadhaar enrolment/update Centres in Branch premises. Staff members from the AEC Branches have been trained and certified by UIDAI as Supervisors for Aadhaar Enrolment/Updation. As on 31st March 2020, Bank has operationalized Aadhaar Enrolment/Update centres in the premises of 355 Branches.

#### Jansuraksha Schemes

The Jansuraksha Schemes were launched by the Prime Minister of India on 1st June 2015. The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes viz PMJJBY and PMSBY, and Pension schemes viz Atal Pension Yojana. As on 31st March 2020, the enrollment count under Jan Suraksha schemes is as below:

Schemes	Status of enrolment as on 31st March 2020 (Cumulative)	Status of Enrolment during the year 2019-20
PMJJBY	9,47,769	1,62,254
PMSBY	26,57,039	1,11,894
Total	36,04,808	2,74,148

With respect to "Enhanced Access & Service Excellence" (EASE) - mandates massive expansion in Micro Insurance Coverage. Bank has automated enrolments along with loan sanction under MSME /Agri/Retail. Bank has also enabled provision for enrolling PMJJBY/PMSBY through net banking and SMS/missed call.

Atal Pension Yojana: Performance under APY over the years is as follows

Financial Year	Enrolments
2015-16	18,540
2016-17	60,084
2017-18	1,11,959
2018-19	1,03,711
2019-20	1,50,010
Total APY Enrolments (Cumulative)	4,44,304

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed youths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections.

The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the

Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 487 training programs benefiting 13715 unemployed youths against the target of 318 training programmes and 9010 trainees. Bank has achieved cumulative settlement of 69% and cumulative credit settlement of 53% which are well above the national average of 67% and 43% respectively. In December 2019 we achieved a landmark performance of training 50,000 women trainees in our RSETI.

#### Financial Literacy

Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 22 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2020, 73,112 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 10,003 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 93,702 SB accounts have been sourced and opened since inception. 1,295 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 1,47,208 beneficiaries. 1,834 camps were conducted for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs by covering 2,28,307 beneficiaries.

#### **UIDAI** Cell

UIDAI Cell is involved in processing of DBT & DBTL files received from Ministry of Rural Development, GOI through NPCI, generation of Aadhaar Mapped file and acting as Sponsor Bank for Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAYG) Scheme of Government of India. A total of 5.68 crores transaction were processed under DBT/DBTL schemes amounting to Rs 9482.69 crores during 2019-20.

#### Lead Bank Initiatives

The Bank has Lead Bank responsibility in 14 districts in Tamil Nadu and 1 district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu (SLBC). During the year, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted three main meetings of SLBC.

In addition, the Bank as convenor of SLBC, Tamil Nadu convened 18 special meetings / core committee / sub-committee meetings during the year.

- SLBC, Tamil Nadu identified Virudhunagar district for making it 100% digitally enabled. Our Bank being the major Bank in the district has taken the responsibility to implement the project.
- Customer outreach initiative has been launched across the country and in Tamil Nadu the camps were conducted by PSBs in two phases during October 2019.



अगस्त 2019 में 23 व 24 तारीख को राज्य स्तर पर जेनरेशन ऑफ आइडियाज़ एंड कंस्लटेशन- बॉटम अप प्रक्रिया के लिए अभियान आयोजित किए हैं।

# वित्तीय समावेशन के लिए एसएलबीसी की पहलें:

- एसएलबीसी ने तिमलनाडु में 451 बैंक रहित गावों की पहचान की और उन्हें विभिन्न बैंकों को बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए दिया। अब तक 404 केंद्रों पर बैंकिंग आउटलेट खोले गए हैं।
- तिमलनाडु राज्य में, 9351 उप-सेवा क्षेत्र हैं जिनमें से 493 एसएसए को शाखाओं के जिरए और 8,858 एसएसए को बैंक मित्रों के जिरए कवर किया गया है। राज्य में कोई भी एसएसए बिना कवरेज नहीं रह गया है।
- 31.03.2020 तक तिमलनाडु राज्य में, जनसुरक्षा योजना के अंतर्गत पंजीकरण 133.48 लाख पर पहुंच गया है जिसमें से 33.28 लाख पंजीकरण पीएमजेजेबीवाई में हैं और 100.19 लाख पंजीकरण पीएमएसबीवाई के अंतर्गत हैं।
- आधार सैचुरेशन तिमलनाडु राज्य में 103.36% है ।

# तमिलनाडु में ऋण प्रवाह के लिए एसएलबीसी की पहलें:

दिसंबर 2019 तक तमिलनाडु की बैंकों ने निम्नलिखित उपलब्धि की है:

- 112.72% का सीडी अनुपात। तिमलनाडु देश के उन चंद राज्यों में से जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है।
- > वार्षिक ऋण योजना २०१९-२० के अंतर्गत ९९%
- 40% के राष्ट्रीय पैमाने की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में 47.76%
- 🕨 18% के राष्ट्रीय पैमाने की तुलना में कृषि अग्रिम में 21.28%
- > 10% के राष्ट्रीय पैमाने की तुलना में कमज़ोर तपके को 15.98%

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बेंक ने सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक को प्रायोजित किया है जिसका नाम है ओडिशा ग्राम्या बैंक जो ओडिशा में स्थित है। 31 मार्च 2020 तक ओडिशा ग्राम्या बैंक का मौजूदगी ओडिशा के 13 जिलो में हैं, 549 शाखाओं का नेटवर्क है और 2380 कर्मचारी हैं। 31 मार्च 2020 तक 40.01% के सीडी अनुपात के साथ आरआरबी का कारोबार मिश्रण रु. 17738 करोड़ रहा। आरआरबी में 50% स्वामित्व भारत सरकार का, 35% प्रायोजक बैंक का और 15% ओडिशा सरकार का है। प्रायोजक बैंक की शेयरधारिता 35% है जिसकी मौजूदा कीमत रु. 277.38 करोड़ है।

### कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

अपनी छवि बनाने के इरादे से वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुछ गतिविधियां जैसे रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि आयोजित किए गए जिससे काफी हद तक पूरे देश में बैंक की ब्रैंड विजिबिल्टी बनी।

### मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियां

एएसबीए (बैंकर से लेकर इश्यू गतिविधि तक): हमारे भारत में मौजूद

सभी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को एएसबीए समर्थित शाखा बना दिया गया है ताकि वे आइपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू के लिए एएसबीए आवेदन स्वीकार कर सकें। हमारे ग्राहकों द्वारा ई-एसबा अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 111 इश्यूज़ के मामले में एएसबीए आवेदन स्वीकार करने का कार्य किया गया और रिपोर्टिंग अविध के दौरान रु.408.82 करोड़ ब्लॉक किए गए थे।

एएसबीए आवेदनों के लिए यूपीआई भुगतान पद्धित की शुरुआत: सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे बैंक ने भीम मोबाइल एप्प में नया फीचर जोड़ा है ताकि ग्राहक यूपीआई मोड से बिना कागज़ का इस्तेमाल किए आवेदन कर सकें।

मर्चेंट बैंकिंग के तहत अन्य गतिविधियां: बैंक डिबेंचर ट्रस्टी, लाभांश/ ब्याज वारंट इत्यादि के लिए भुगतान बैंकर की भूमिका निभा रहा है। बैंक ने सेबी द्वारा जारी मर्चेंट बैंकर लाइसेंस भी लौटा दिया है ताकि बैंक अपनी कोर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

डिपॉज़िटरी परिचालन: बैंक एनएसडीएल और सीडीएसएल के लिए डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट की भूमिका में बना हुआ है और सेवा प्रदाता शाखाओं के जरिए डिपॉज़िटरी सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। एनएसडीएल के अंतर्गत 26998 खाते और सीडीएसएल व्यवस्था के अंतर्गत 72 खाते हैं।

इंस्टा डीमैट खाते: बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए डीमैट खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है।

शुल्क-आधारित आय में सुधार के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्युरीटीज़ लिमिटेड और एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 3 इन 1 ई ट्रेडिंग सुविधा जो डीमैट ग्राहकों को ई-ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करती है, उसे शुरू की गई है। लगभग 1714 ई-ट्रेडिंग खाते अब तक खोले गए हैं।

# ग्राहक सेवा:

सबसे पहले ग्राहक सेवा के उद्देश्य के साथ बैंक सभी लागू उत्कृष्ट अभ्यास कूट का अनुसरण करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। हम शिकायतों का उनकी तय समयाविध के भीतर समाधान करने की कोशिश करते हैं और त्विरत समाधान के लिए शिकायत प्रणाली को अपनाते है।

वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली, मानकीकृत लोक शिकायत निपटान प्रणाली (एसपीजीआरएस), काम कर रही है जो ग्राहकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन में करने की सुविधा देती है और इसमें ट्रैकिंग सुविधा भी है। आंतरिक प्रणाली के अंतर्गत, एसपीजीआरएस बैंक को कई प्रकार की सुविधाएं/ प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रदान करता है जैसे एस्केलेशन मैट्रिक्स, शिकायतों के छोटे से छोटे विवरण को दर्ज करना करना तािक बैंक सुधारात्मक कदम उठाकर ग्राहक को मिलने वाली सेवा में सुधार कर सके। शिकायत निपटान के लिए भविष्य की कार्रवाई और नीितयां इन्हीं प्रबन्धन सूचनाओं के आधार पर आंकलन करके बनाई जाती हैं। शिकायत विवरण वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होते हैं और विभिन्न स्तरों के अधिकारियों तक उनकी पहुंच होती है जिससे प्रभावी समाधान प्रणाली बन पाती है।



➤ We have conducted a campaign for Generation of ideas and Consultation –bottom-up process at State level on 23rd and 24th of August, 2019.

SLBC Initiatives for Financial Inclusion:

- SLBC identified 451 unbanked villages in Tamil Nadu and allotted to various banks for opening of Banking Outlets. So far Banking Outlets are opened in 404 centres.
- In the state of Tamil Nadu, there are 9351 Sub Service Areas of which 493 SSAs are covered through Branches and 8,858 SSAs are covered by Bank Mitras (BCs). There is no SSA uncovered in the state.
- In the state of Tamil Nadu, the enrolments under Jansuraksha Schemes have reached 133.48 lakhs as on 31.03.2020 which includes 33.28 lakhs enrolments under PMJJBY and 100.19 lakhs enrolments under PMSBY.
- The Aadhaar saturation for the State of Tamil Nadu is 103.36%.

SLBC initiatives on Credit Flow in Tamil Nadu:

Banks in Tamil Nadu have achieved the following as of December 2019:

- CD ratio of 112.72%. Tamil Nadu stands one among the very few states which achieved this feat.
- > 99% under Annual Credit Plan 2019-20.
- 47.76% under Priority Sector against the national norm of 40%.
- 21.28% of Agricultural Advances against the national norm of 18%.
- > 15.98% of advances to weaker sections against the national norm of 10%.

#### Regional Rural Banks

Bank has sponsored only one Regional Rural Banks i.e. Odisha Gramya Bank in Odisha. As on 31st March 2020 Odisha Gramya Bank has presence in 13 districts of Odisha with a network of 549 branches and staff strength of 2380 members. As on March 31, 2020, the RRBs had a business mix of Rs.17738 crore with a CD ratio of 40.01%. The ownership in RRB is 50% by Gol, 35% by Sponsor Bank and 15% by Govt of Odisha. Sponsor Bank shareholding is 35%, which is currently at Rs.277.38 crores.

### Corporate Social Responsibility

As a part of image building exercise various activities like Blood Donation Camp, Health check-up camps, Swachh Bharat Abhiyan, were carried out during the financial year 2019- 20 which created brand visibility of the bank pan India to a great extent.

### Merchant Banking Activities

ASBA (Banker to Issue activity): All our general banking branches in India have been made ASBA enabled branches

to accept ASBA applications for IPO, FPO and Rights Issues. E-ASBA continued to be in usage effectively by our Customers. ASBA applications were handled for 111 issues and an amount of Rs.408.82 crore were blocked during the reporting period.

Introduction of UPI payment mechanism for ASBA Applications. As per SEBI Guidelines, our bank has added a new feature in BHIM Mobile App for facilitating customers for applying paperless application in UPI Mode.

Other activities under Merchant Banking: The Bank continues to act as, Debenture Trustee, Paying Banker for Dividend / Interest Warrants etc. Bank has surrendered the Merchant Banker License issued by SEBI in order to concentrate on core activities of the Bank.

Depository Operations: The Bank continues to act as Depository Participant (DP) of NSDL and CDSL and is extending depository related services through service centre branches. 26998 accounts are under NSDL setup and 72 accounts are under CDSL setup.

Insta Demat Account: Bank is in the process of developing a software to open demat accounts to customers through net banking.

3 in 1 E Trading facility in tie up with Emkay Global Financial Services Limited & SMC Global Securities Ltd., E-trading facility for demat clients has been implemented to improve the fee based income. Around 1714 e-trading accounts have been opened so far.

#### **Customer Service**

Bank serves with a motto of customer service first by following all laid down best practice codes. We try to resolve the complaints within TAT and support the complaint mechanism for a speedy resolution.

A web-based online system called Standardised Public Grievances Redressal Mechanism (SPGRS) is in place, enabling customers to lodge complaint online with status tracking facility. As far as the internal mechanism, SPGRS provides number of utilities / MIS to the Bank, like escalation Matrix, granular details of the complaints are captured, enabling the Bank to take corrective action, to improve the services to the customers. Future course of actions and policies on grievances Redressal are made based on the analysis from these MIS. Complaint details are available on real time basis and access by various layer of offices enable effective redressal mechanism.



हर समय- 24x7x365 शिकायतें दर्ज़ करने के लिए टोल फ्री टेलीसेवाएं उपलब्ध हैं। सेवा प्रदाता भी सेवा आनुरोधों से सम्बन्धित डाटा और अभिलेखों को बैंक को भेजते हैं जिससे उनकी प्रभावी रूप से समाधान संभव हो पाता है।

एसपीजीआरएस और टोल फ्री टेली सेवाओं के अतिरिक्त हम बैंकिंगल लोकपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबन्धन और बैंकिंग सेवाएं विभाग), वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों और उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग, आरबीआई इत्यादि से प्राप्त शिकायतों का भी समाधान करते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त और समाधान की गई ग्राहक शिकायतों का विवरण नीचे है:

वर्ष की शुरुआत में शिकायतों की संख्या	5365*
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	166745
वर्ष के दौरान समाधान किए गए शिकायतों की संख्या	168838
वर्ष के दौरान लंबित रह गई शिकायतों की संख्या	3272
प्रभावी समाधान दर	98%

<sup>\*121</sup> गैर डिजिल +5244 डिजिटल शिकायतें

31.03.2020 को समाप्त वर्ष में मिली शिकायतों का वर्गीकरण निम्नवत हैं:

शिकायतों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या	% कुल शिकायतों में प्रतिशतता
	9,47,769	1,62,254
गैर-डिजिटल		
अग्रिम	1559	0.93
ग्राहक सेवा	520	0.31
डीमैट सेवाएं	25	0.01
जमाएं	863	0.52
सामान्य बैंकिंग	2515	1.51
सरकारी लेन-देन	137	0.08
बीमा	187	0.11
एनआरआई सेवाएं	54	0.03
पेंशन	369	0.22
विप्रेषण	1046	0.63
अन्य	535	0.32
उप योग	7810	
डिजिटल		
गैर एटीएम	28506	17.10

एटीएम	130429	78.22
कुल	166745	100

### तनावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन विभाग

बैंक पीसीए से निकलने के इरादे से एनपीए के ढेर में कमी लाने के लिए विभिन्न सक्रिय प्रयास कर रहा है। यद्यपि एनपीए वसूली का मूल उद्देश्य लाभ के मोर्चे को नुकसान पहुंचाए बगैर संविदात्मक बकायों की पूर्ण वसूली है, लेकिन वास्तव में, विभिन्न कारकों की वजह से, बैंक को एनपीए वसूली की रणनीति में बदलाव कर अन्य मार्गों जैसे विधिक तरीके अपनाने की बजाय समझौता समाधान अपनाना पड़ा है।

समीक्षा अंतर्गत वर्ष के दौरान, बैंक ने महसूस किया है कि फील्ड स्तर पर वस्ली का सबसे उत्तम उपाय, जो सुग्राह्य भी रहा है, वो है विशेष एकबारगी निपटान योजना । वसुली गति को और तेज करने के लिए वित्तीय वर्ष 19-20 की दूसरी तिमाही में गैर-एनसीएलटी एनपीए स्टॉक, रुपए 3 करोड़ से लेकर रु 25 करोड़ तक के एनपीए को जिसकी कुल राशि रु 5300 करोड़ थी उसे विचाराधीन लिया गया । इस विशेष व्यवस्था की वजह से विशेष ओटीएस योजना में संशोधन करना पड़ा ताकि इस योजना के दायरे में रु 3 करोड़ तक के एनपीए खातों का समाधान अंचल कार्यालय स्तर पर और रुपए 25 करोड़ तक के एनपीए खातों का समाधान केंद्रीय कार्यालय एचएलसीसी-महा प्रबन्धक के अधिकार-क्षेत्र में हो सके । योजना में इस प्रकार के परिवर्तन किए गए कि क्षेत्रीय कार्यालय का अधिकार क्षेत्र बढकर रुपए 100 से रुपए 300 लाख हो गया. अंचल कार्यालय का रुपए 300 लाख से बढ़कर रुपए 500 लाख हो गया जबिक केंद्रीय कार्यालय एचएलसीसी-जीएम के अधिकार क्षेत्र में 25 करोड़ तक हो गया। इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिली जो कि फील्ड स्तर पर नजर आयी । वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ओटीएस प्रणाली के तहत रुपए 3400 करोड़ के कुल 69200 खातों का समाधान किया गया। स्वीकृत ओटीएस में बेहद अच्छी करीब रुपए 1350 करोड़ की वुसली हुई जो एक रिकॉर्ड रहा।

हमने ओटीएस ऑनलाइन प्रणाली चेक-बॉक्स पद्धित के साथ भी लागू की है। इसके अंतर्गत उधारकर्ता अपने ओटीएस आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है और फिर वह ओटीएस स्वीकृति के अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों से खुद-ब-खुद गुज़रता है। उधारकर्ता ऑनलाइन मिली पावती के जिरए स्थिति जान सकते हैं और उसमें दिए गए टिकट संख्या की मदद से ओटीएस मंजूरी की ताजा स्थिति के बारे में जान सकता है। हालांकि, इसमें अभी तेजी नहीं आई है, सिर्फ एक शुरुआत हुई है और हमने शाखाओं को सूचित किया है कि वे इस बारे में एनपीए उधारकर्ताओं में और जागरूकता फैलाएं।

आगे, यह भी निर्णय लिया गया कि मार्च 2020 तक प्रत्येक महीने सरफेसी अधिनयम के तहत अधिगृहित संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी और जुलाई 2019 से शुरुआत करके बैंक ई-नीलामी में 3167 संपत्तियां ला पाया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 444 आस्तियों को नीलामी के जिरए बेचा गया जिससे रु 263 करोड़ प्राप्त हुए। सरफेसी के तहत ई-नीलामी प्रक्रिया के शुरू होने से, ओटीएस, अपग्रेडेशन और एनपीए खातों को संपूर्ण रूप से बंद करने का रास्ता खुला। सरफेसी कार्रवाई शुरू होने की वजह से रु 695 करोड़ के 1290 खातों का समाधान किया गया।अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बैंक ने सरफेसी प्रॉपर्टी मेले भी आयोजित किए।



Toll free Teleservices for lodging the complaints is available round the clock – 24x7x365. Service provider also records and pushes the data related to service requests to the Bank, leading to efficient redressal of the same.

Apart from SPGRS and Toll Free Tele Services, we also handle complaints received from Banking Ombudsman, Reserve Bank of India (Senior Supervisory Management and Department of Banking Services), Ministry of Finance and other Ministries and Consumers' Education and Protection Department of RBI, etc.

Details of Customer Complaints received and redressed during the year 2019-20 is given below:

Number of complaints at the beginning of the year	5365*
Number of complaints received during the year	166745
Number of complaints resolved during the year	168838
Number of complaints pending at the end of the year	3272
Effective Resolution Rate	98%

<sup>\*121</sup> Non-Digital +5244 Digital complaints

Categories of Complaints for the year ended 31.03.2020 is as follows:

Nature of Complaints	No. of Complaints	% of Total
Complaints	9,47,769	1,62,254
NON- DIGITAL		
Advances	1559	0.93
Customer Service	520	0.31
Demat Services	25	0.01
Deposits	863	0.52
General Banking	2515	1.51
Government Business	137	0.08
Insurance	187	0.11
NRI Services	54	0.03
Pension	369	0.22
Remittances	1046	0.63
Others	535	0.32
Sub total	7810	
DIGITAL		
Non ATM	28506	17.10

ATM	130429	78.22
Grand Total	166745	100

Stressed Asset Management Department

Bank is making various dynamic efforts in reducing the NPA stock with the intention of early exit from PCA. Though the core objective in NPA recovery is recovery of the entire contractual dues without any hit on the profit front, in practice, due to various factors, the Bank has to shift the strategy for NPA recovery by other means including compromise settlements apart from taking other legal measures as a resort.

During the period under review, Bank has realised that at the field level, one of the best recovery tools that has received very well is the Special OTS Scheme. To provide further impetus to the Recovery momentum, during the 2nd quarter of FY 19-20, taking into consideration the Non-NCLT NPA stock in the bucket of Rs.3 Crores to Rs.25 Crores amounting to around Rs.5300 crores, a unique thought process was put in place resulting in modification of the Special OTS Scheme to extend the scheme from Rs.3 Crores at the Zonal office discretion to Rs.25 Crores at the Central office HLCC-GM discretion. The scheme was modified in a such a way that, the discretionary powers of Regional office is raised from Rs.100 lacs to Rs.300 lacs, Zonal Office Discretion was hiked from Rs.300 lacs to Rs.500 lacs and above Rs.500 lacs, the discretion falls under the powers of Central office upto Rs.25 Crores under HLCC-GM discretion. The Scheme has received excellent response as envisaged at the field level. During FY 2019-20 there was a total resolution in around 69200 accounts involving Rs.3400 Crores under OTS mechanism. Out of the OTS sanctioned, there was also significant recovery amounting to around Rs.1350 Crores which is a record by all means.

We have also introduced the OTS online mechanism with the check-box approach with which the borrowers can submit their OTS applications online and the same is getting escalated to the next layer according to the discretionary powers for OTS sanctions. The borrowers are enabled to view the status with the acknowledgement received through online and with the ticket no, they can trace the stage of their OTS sanctions. Though, it is yet to pick-up significantly, a beginning is made and we have advised the Branches to give more awareness to the NPA borrowers.

Further, it was decided to conduct Mega PAN INDIA E-Auctions for the properties possessed under SARFAESI Act till March 2020 every month and Bank was able to put E auction of 3167 properties since July 2019. 444 Properties were sold fetching Rs.263 Crores under E auction in FY 2019-20. Due to initiation of E auction procedure under SARFAESI, the same had paved the way in resulting in OTS, upgradation and full closure of NPA accounts. There was a resolution in 1290 accounts involving Rs.695 Crores due to initiation of SARFAESI action. In order to bring more buyers, Bank conducted SARFAESI Property fares.



### आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निस्तारण

बेंक में आरटीआई के तहत मिलने वाले आवेदनों और अपीलों की देख-रेख के लिए एक पृथक और विशेषीकृत कक्ष है जिसका नाम आरटीआई कक्ष है । यह आरटीआई कक्ष सहायक महा प्रबन्धक, विधि विभाग के नियंत्रण व देखरेख में कार्य करता है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के तौर पर भी पदनामित हैं । बैंक ने क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के तौर पर पदनामित किया है ताकि आरटीआई आवेदनों को निर्धारित समयाविध (आरटीआई आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर) में निपटाने में केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) की मदद कर सकें । हमारे बैंक में अभी 48 सीएपीआईओ हैं।

बेंक ने महा प्रबन्धक, विधि विभाग को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के तौर पर पदनामित किया है ताकि सीपीआईओ और सीएपीआईओ के उत्तर से असंतुष्ट अपीलकर्ताओं द्वारा दाखिल अपील का निपटान कर सकें। वर्ष 2019-20 में आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत बैंक को सूचना प्राप्त करने के लिए 1761 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधान के तहत विधिवत रूप से निर्धारित समयाविध (यानि आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर) में सीपीआईओ और सीएपीआईओ द्वारा निस्तारित किया गया।

सीपीआईओ और सीएपीआईओ के उत्तर से जो लोग असंतुष्ट थे उनसे बैंक को 234 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और एफएए द्वारा उनका निपटान आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत और मेरिट के आधार पर समुचित आदेश द्वारा किया गया। सभी अपीलों को निर्धारित समयाविध में निस्तारित किया गया।

सीपीआईओ/ सीएपीआईओ और एफएए के उत्तर से असंतुष्ट्र अपीलकर्ताओं द्वारा द्वितीय अपील माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष की गई। सूचना आयुक्त के समक्ष सुनवाई के लिए बैंक को सीआईसी सुनवाई के लिए 36 समन प्राप्त हुए। सभी द्वितीय अपीलों को सूचना आयुक्त द्वारा मेरिट के आधार पर समुचित आदेश पारित कर विधिवत रूप से किया गया और बैंक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।

### जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। बैंक अपनी जोखिम क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के जोखिमों को लेते हैं। प्रत्येक लेनदेन जो बैंक करता है वह बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बदल देता है। व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, एक बैंक क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम सहित विभिन्न जोखिम शामिल रहते है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम लेने की गतिविधि को रोकना या मना करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को सचेत रूप से पूर्ण ज्ञान, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ लिया जाए तािक इसे मापा और कम किया जा सके। इस तरह के जोखिमों को मजबूत करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन उपायों और पद्धित को रखा है, जिसमें नीितयां, उपकरण, तकनीक, निगरानी तंत्र और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) शामिल हैं।

बैंक, निरंतर आधार पर, जोखिम और रिटर्न के बीच उचित व्यापार प्राप्त करने के माध्यम से शेयरधारक मूल्यों को बढ़ाने और अधिकतम करने का लक्ष्य रखता है। बैंक के समग्र जोखिम धारणा को प्रस्तुत करने के लिए जोखिमों की उचित पहचान, माप, निगरानी, नियंत्रण और कमी को कवर करना बैंक के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन रणनीति जोखिमों की समझ और बैंक की जोखिम क्षमता के स्तर पर आधारित है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के निर्देशों के माध्यम से बैंक की जोखिम क्षमता का व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है।

बैंक ने बैंक में उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना स्थापित की है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (RMCB), उप-समिति का गठन किया जाता है, जो बैंक में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बैंक ने आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन भी किया है जैसे क्रेडिट रिस्क के प्रबंधन के लिए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (CRMC) आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए फंड्स कमेटी, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (ORMC) और परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोडक्ट / प्रोसेस रिस्क मिटीगेशन समिति (PRMC), और सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए सूचना सुरक्षा समिति का गठन किया है।

एक पूर्ण जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के केंद्रीय कार्यालय में कार्य कर रहा है, बैंक में सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यावसायिक विभागों से स्वतंत्र है। बैंक के महाप्रबंधक के रैंक में एक मुख्य जोखिम अधिकारी उस विभाग का प्रभारी होता है जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों का संयोजक होता है। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन और क्रेडिट सपोर्ट सर्विसेज विभाग में मध्य-कार्यालय, सामान्य रूप से और अन्य कार्यात्मक विभागों / शाखाओं में भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं और नीतियों, जोखिम सीमा ढांचे और आंतरिक अनुमोदन के पालन / अनुपालन की निगरानी करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में रखा गया है। विभिन्न एमआईएस प्रस्तुत करने के लिए जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय के साथ समन्वय करने के अलावा, वे क्षेत्रीय और अंचल स्तर क्रेडिट अनुमोदन समितियों में भाग लेते हैं।

जोखिम का प्रबंधन करने के लिए मूल दृष्टिकोण अधिक प्रभावी रूप से उसकी उत्पत्ति के बिंदु पर जोखिम को नियंत्रित करने के साथ है। बैंक ने 31.3.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-॥) को लागू किया था और यह आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। बेसल ॥। दिशानिर्देश 01.04.2013 से पेश किए गए हैं, और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी बनाए रख रहे हैं। बेसल-॥ फ्रेमवर्क तीन परस्पर सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है। जबिक संशोधित ढांचे का पहला स्तंभ ऋण, बाजार और परिचालन जोखिमों के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को संबोधित करता है कि बैंक के पास बैंक की जोखिम प्रोफ़ाइल और नियंत्रण के साथ अपने व्यवसाय के सभी जोखिमों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। आरबीआई परिपत्र के अनुसार, बैंक ने दूसरे स्तंभ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (ICAAP) पर एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित



Disposal of petitions received under RTI Act

RTI applications and appeals are handled by a separate and specialized cell called RTI Cell in the Bank. The RTI Cell is working under the control and supervision of Assistant General Manager, Law Department, who is designated as Central Public Information Officer (CPIO). Bank has also designated Regional Managers as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) to assist CPIO in disposing RTI application within the prescribed time frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application). There are 48 CAPIOs in our Bank.

Bank has designated General Manager, Law Department as First Appellate Authority (FAA) for disposing appeal filed by the appellants who were aggrieved with the reply of CPIO and CAPIOs.

Bank has received 1761 applications filed under RTI Act, 2005 for seeking information in the year 2019-20. All applications were duly disposed as per the provision of RTI Act, 2005 and also within the prescribed time frame (i.e. 30 days from the receipt of RTI application) by CPIO and CAPIOs.

Bank has received 234 first appeals from those who were not satisfied with the reply of CPIO and CAPIO and the same have been duly disposed by FAA by passing appropriate order on merit and as per the provision of RTI Act, 2005. All the appeals were disposed within the prescribed time frame.

The appellants who were aggrieved with the reply of CPIO/CAPIO and FAA have preferred second appeal before Honorable Central Information Commission (CIC). Bank has received 36 summons for CIC hearing before Information Commissioner. All the second appeals were duly disposed by Information Commissioner by passing appropriate order on merits without any adverse remarks against the Bank.

#### Risk Management

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate tradeoff between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional and Zonal Level Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI



नीति को लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य उन सभी भौतिक जोखिमों का आकलन करना है, जिनके लिए बैंक पहले स्तंभ जोखिमों के तहत नियामक निर्देशों से बढ़कर उजागर करते हैं; और निरंतर आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना सुनिश्चित करते हैं।

बेंक ने भारतीय रिजर्व बेंक द्वारा 2 दिसंबर 2013 को जारी दिशा-निर्देशों के साथ लाइन में असाधारण लेकिन प्रशंसनीय घटनाओं के संभावित जोखिम का आकलन करने केलिए एक "तनाव परीक्षण रूपरेखा" तैयार की है। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेष रूप से बैंक के महत्वपूर्ण जोखिम एक्सपोजर, आर्थिक मंदी के समय एक पोर्टफोलियों में निहित संभावित जोखिमों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और उसी के अनुसार उपयुक्त सक्रिय कदम उठाता है। पॉलिसी के निर्देशों के अनुसार, बैंक समय-समय पर और विशिष्ट विभागों पर बैंक की बैलेंस शीट पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और रिपोर्ट को ALCO / RMCB / बोर्ड को रखता है।

बोर्ड ने व्यापार सततता योजना और डिजास्टर वसूली योजना को मंजूरी दे दी है। शून्य डेटा हानि, सभी 3 डेटा केंद्रों पर मल्टीपल एमपीएलएस-वीपीएन उच्च बैंडविड्थ कनेक्शन, विभिन्न वैकल्पिक सेवा / वैकल्पिक प्रदाताओं से दोहरी कनेक्टिविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना के लिए 3 तरह के डेटा केंद्रों को लागू किया गया है। फ़ायरवॉल और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम लागू किए गए हैं। सूचना सुरक्षा विभाग द्वारा सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई है, जबिक आईएस ऑडिट अनुभाग बैंक के विभाग और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का ध्यान रखता है। बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रणालियों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ठीक किया है। हर तिमाही में नियमित डी आर अभ्यास किए जा रहे हैं। नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बाह्य विशेषज्ञों द्वारा आवधिक भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने और बेसेल॥ ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोणों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया में है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश में घरेलू परिचालन और विदेशी परिचालन सहित समेकित बैंक संचालन विभिन्न आवृत्तियों पर तैयारी और प्रस्तुत करना शामिल है। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में इस संबंध में प्रणाली और प्रक्रिया को लागू किया है।

तरलता कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधि अनुपात पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के संबंध में, बैंक एलसीआर को जनवरी 2015 से आरबीआई को रिपोर्ट कर रहा है। एलसीआर के कार्यान्वयन को 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता 60 प्रतिशत के साथ चरणबद्ध किया गया है, जिसे 1 जनवरी, 2019 तक धीरे-धीरे बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपन्न संख्या आरबीआई / 2019-20 / 217 डीओआर बीपी बीसी.संख्या.65 / 21.04.098 / 2019-20 दिनांकित 17.04.2020 ने तत्काल प्रभाव से

एलसीआर की आवश्यकता को 100 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत कर दिया। आवश्यकता धीरे-धीरे दो चरणों में में परिवर्तित किया गया है - 1 अक्टूबर, 2020 तक 90 प्रतिशत और 1 अप्रैल, 2021 तक 100 प्रतिशत। बैंक न्यूनतम निर्धारित स्तरों से अधिक एलसीआर को अच्छी तरह से बनाए हुए है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र आरबीआई / 2018-19 / 84 डीबीआर. बीपी. बीसी संख्या 08 / 21.04.098 / 2018-19 दिनांक 29 नवंबर, 2018 में एनएसएफ़आर के कार्यान्वयन की तारीख01.04.2020करने हेतु सूचित किया है। इसके अलावा, आरबीआई ने अपनी सातवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण , 2019-20, दिनांक 27.03.2020 में, एनएसएफ़आर के कार्यान्वयन को छह महीने 1 अक्टूबर, 2020 तक के लिए स्थिगत करने का निर्णय लिया। बैंक तदनुसार आरबीआई की सूचना के अनुसार एनएसएफ़आर को रिपोर्ट करेगा।।

बेसल III ने एक सरल, पारदर्शी और गैर-जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात पेश किया है, जिसे जोखिम आधारित पूंजी आवश्यकता के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। बैंक नियामक की लीवरेज अनुपात की आवश्यकता के अनुपालन में रहा है और तिमाही आधार पर31 मार्च, 2019की समाप्त तिमाही से आरबीआई को रिपोर्ट कर रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून, 2013 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी अनुपात का खुलासा करने वाले बैंकों के साथ 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत में बेसल III पूंजी नियमों के कार्यान्वयन के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक उनका अनुपालन कर रहा है।

बेसल- ॥ ढांचे का तीसरा स्तंभ बाजार अनुशासन को संदर्भित करता है। बाजार अनुशासन का उद्देश्य स्तंभ 1 के तहत विस्तृत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना है और स्तंभ 2 के तहत विस्तृत पर्यवेक्षणीय समीक्षा प्रक्रिया है। इस संदर्भ में और बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्देशित प्रकटीकरण का एक सेट (गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों) डीएफ़ 1 एस से 11 (अनुलग्नक) में प्रकाशित किया जाता है, जो बाजार सहभागियों को महत्वपूर्ण जानकारी का आकलन करने में सक्षम करेगा (ए) आवेदन के गुंजाइश (डीएफ -1), (बी) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ -2), (ग) क्रेडिट जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ़ -3), (डी) क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ़-4) के अधीन विभागों के लिए प्रकटीकरण, (ई ) क्रेडिट जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ़-5), (एफ़) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण(डीएफ़-6), (जी) टेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ़ -7), (एच) परिचालन जोखिम (डीएफ़ -8), ( आई ) ब्याज दर जोखिम बैंकिंग बुक में (आईआरआरबीबी) (डीएफ़ -9), (जे) एक्सपोजर के लिए जनरल डिस्क्लोजर संबंधित काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क (डीएफ़ -10), (के) पूंजी की संरचना (डीएफ (11) और (एल) लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डीएफ -18)। यह विभिन्न मापदंडों में बैंक के प्रदर्शन का मृल्यांकन करने के लिए बाजार सहभागियों को आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा ।



Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable proactive steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/RMCB/Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyses the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has finetuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.

With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan. 2015 onwards. The implementation of the LCR

has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which was to be gradually increase to 100 per cent by January 1, 2019. RBI Vide their Circular number RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC. No.65/21.04.098/2019-20 dated 17.04.2020 brought down the LCR requirement from 100 per cent to 80 per cent with immediate effect. The requirement shall be gradually restored back in two phases – 90 per cent by October 1, 2020 and 100 per cent by April 1, 2021. The bank is maintaining LCR well above the minimum prescribed levels.

RBI Vide their Circular RBI/2018-19/84 DBR.BP.BC. No.08/21.04.098/2018-19 dated November 29, 2018 advised the implementation date of NSFR as 01.04.2020. Further RBI, in its Seventh Bi-monthly Monetary Policy Statement, 2019-20, dated 27.03.2020, decided to defer the implementation of NSFR by six months to October 1, 2020. The bank shall accordingly report NSFR as and when advised by RBI.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the quarter ending March 31,2019

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF (11) and (L) Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.



# क्रेडिट निगरानी

बैंक ने एसएमए खातों के अनुवर्तन और वसूली के लिए और क्रेडिट की निकट निगरानी के लिए कई रणनीतियों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्लिपेज को न्यूनतम संभव स्तर पर रखा जाए।

# खातों की प्रभावी निगरानी के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लागू किए गए उपायों को नीचे दिया गया है :

- एसएमएखातों की ऑन-लाइन निगरानी के रूप में, शाखाएं लाल से हरे ड्राइव के तहत एसएमए खातों की निगरानी करना जारी रखती हैं, जिसमें किसी भी शाखा के लिए लाल में दर्शाए गए एसएमए 2 खातों को वसूली के समय हरे रंग में बदल जाता है। शाखाएँ लाल को हरे रंग में बदलने का प्रयास करती हैं।
- हर महीने की पहली तारीख को एसएमए और सिस्टम द्वारा पहचाने गए अनुमानित स्लिपेज (सिनपा) जनरेट की जाती है और अपडेट की गई रिपोर्ट सभी स्टाफकी दैनिक आधार पर कार्यवाही के लिए उपलब्ध कारवाई जाती है।
- विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) पोर्टल सभी एसएमए खातों का डेटा, आयु प्रोफ़ाइल और दैनिक वसूली स्थिति का ब्यौरा प्रदान करता है, । शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को आवंटित सभी एसएमए खातों की दैनिक आधार पर शाखाओं / आरओ और सीओ द्वारा निगरानी की जा रही है।
- एसएमए उधारकर्ताओं को एसएमए अलर्ट नियमित आवृत्तियों पर भेजे जाते हैं। इसके अलावा, अनुवर्तन और वसूली के लिए शाखाओं के सभी कर्मचारियों को एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं।
- एसएमएउधारकर्ता 15 दिनों के भीतर टेलीफोनिक अनुवर्ती कार्रवाई का जवाब नहीं देते हैं तो व्यक्तिगत रुप से मिलकर अनुवर्तन किया जाता है।
- 50 लाख और उससे अधिक के बकाया वाले एसएमए खातों की हर महीने समीक्षा महाप्रबंधक समीति के. का. द्वारा की जा रही है
- विदेशी शाखाओं के एसएमए खातों की मासिक आधार पर जी.
   एम. की सिमिति द्वारा समीक्षा भी की जाती है।
- एसएमए उधारकर्ताओं को सिस्टम जनरेटेड पत्र हर महीन शाखाओं द्वारा भेजे जाते हैं, जिसमें अतिदेय का उल्लेख करते हुए और नियमितीकरण का अनुरोध करते हैं।
- एसएमए / सिनपा खातों की वसूली के लिए अनुवर्तन रुपये एक करोड़ से कम के बकाया के साथ खुदरा क्रेडिट के SMA / SINPA खातों में और साथ ही सभी एसएमए 2 वसूली के लिए जो कि एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नेत्रहीनों स्टाफ द्वारा स्वयं संचालित जेएडबल्यूएस (जॉब एक्सेस विथ स्पीच) कार्यक्रम की मदद से कॉल सेंटर कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कॉल सेंटर (आउटसोर्सड) अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयोग किया जाता है।
- पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) एक मजबूत ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए कई स्रोतों से आंतरिक डेटा को एकीकृत करने के साथ-साथ आरबीआई और ईएएसआई दिशानिर्देशों के अनुसार

विभिन्नट्रिगर / अलर्ट उत्पन्न करने के लिए बाहरी डेटा बैंक ने सीआरआईएसआईएल से ईडब्ल्यूएस समाधान खरीदा है और यह कार्यान्वयन चरण में है । पहले ही परियोजना अक्टूबर 2019 के अंतिम सप्ताह शुरू की गई है और चरण पूर्ण हो गया है । हालाँकि वेंडर प्रोजेक्ट द्वारा लॉकडाउन और यात्रा कठिनाइयों के कारण अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है।

- बेहतर क्रेडिट प्रशासन और पूर्व चेतावनी संकेत और रेड फ्लेग्ड खातों क्रेडिट की निगरानी में क्षेत्र पदाधिकारियों का समर्थन करने के लिए दिशा निर्देशों के रूप कई परिपत्र जारी किए गए है।
- क्रेडिट प्रस्तावों को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से संभालने के लिए तैयार अधिकारियों की संख्या बढ़ाने करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त उपायों को अपनाने से बैंक वित्त वर्ष 2019-20 में अपने स्लिपेज पर बेहतर नियंत्रण करने अधिकतम वसूली और विशेष उल्लेख खातों को नियमित में सक्षम हो गया है।

### ऋण समीक्षा प्रणाली

- कार्यशील पूंजी रु. 5 करोड़ और उससे अधिक के लिए सुविधाओं के साथ सभी खातों के लिए स्टॉक ऑडिट प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया है, स्टॉक ऑडिट पर नियमित समीक्षा नोट्स को जी एम केंद्रीय कार्यालय की समिति में रखा जा रहा है और समिति के टिप्पणियों को शाखाओं / आरओ / ज़ेडओ को सूचित किया जा रहा है। स्टॉक ऑडिट प्रक्रिया वर्ष के दौरान स्वचालित है।
- विशेष निगरानी के लिए एजेंसी आईबीए द्वारा पहचान किए गए एएसएम खातों को आबंटित करने केलिए विभाग शुरू कर दिया गया है। आईबीए पैनल सूची से 4 सीलबंद कोटेशन प्रत्येक खातों के लिए कॉल किया है।
- क्रेडिट अनुपालन ऑडिट घरेलू खातों के लिए रु. 50 लाख रुपये और उससे अधिक के जोखिम वाले खातों के लिए और विदेशी खातों के लिए रु. 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के खातों के लिए किया जाता है। प्रति वर्ष ऑडिट किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट प्रारूप को हाल ही में खाते को निम्न / मध्यम / उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित किया गया है। सीसीए वर्ष के दौरान स्वचालित है। लेखा परीक्षक रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा कर रहे हैं और शाखाएं सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत कर रही हैं।

### अनुपालन

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन नीति को अच्छी तरह से परिभाषित किया है और अनुपालन कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं। नियामक दिशानिर्देशों पर आवश्यक परिपत्र / निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

बैंक ने बैंक के इंट्रानेट में एक वेब पोर्टल, ज्ञान प्रबंधन उपकरण प्रदान किया है, जिसमें सभी विनियमों, विभिन्न नियामकों के दिशानिर्देशों के लिए एक बिंदु द्वारा पहुँचा जा सकता है ।

बैंक द्वारा Cermo+ विभागों द्वारा नियामक दिशा निर्देशों को पालन और प्रमाणित करने के लिए और TASC + अनुवर्तन और अनुवर्ती



### Credit Monitoring

Bank has implemented several strategies for follow-up and recovery of SMA accounts and for closer monitoring of credit to ensure that slippages are kept at the minimum possible levels.

The measures implemented during FY 2019-20 for effective monitoring of accounts are highlighted below:

- As a part of On-line monitoring of SMA accounts Branches are continuing to monitor SMA accounts under the Red to Green Drive, wherein the SMA 2 accounts depicted in RED for any branch turns GREEN in colour when recovery is made. Branches strive for turning Red in to Green.
- SMA and System Identified Projected Slippage(SINPA) for the month is generated on the first day of every month and updated report is made available to all the Staff for follow-up on daily basis.
- The Special Mention Accounts (SMA) portal provides data on all SMA Accounts, details of age profile and daily recovery status. All SMA accounts allotted to all Staff members of the branches are being monitored by Branches/RO and CO on a daily basis.
- SMS Alerts to SMA borrowers are sent at regular frequencies. Besides, SMS Alerts are also sent to all the staff of Branches for follow-up and recovery.
- SMA Borrowers not responding to telephonic follow-up within 15 days are followed up through personal visits.
- SMA accounts with the outstanding of Rs.50 lakhs and above are being reviewed every month by GMs committee at C.O.
- > SMA accounts of overseas Branches are also reviewed by GMs Committee on a monthly basis.
- System generated Letters to SMA borrowers are sent every month by branches, mentioning overdues and requesting early regularization.
- Follow up for recovery in SMA/SINPA accounts also done by Visually impaired Staff operated Call Centres with the help of JAWS(Job Access With Speech) programme from some of the Regional Offices and Centrally located Call Centre(Outsourced) is utilised for follow up for recovery in SMA/SINPA accounts of Retail credit with outstanding of less than Rs. 1 Crores as well as all SMA 2 accounts under MSME sector.
- Early Warning Signals (EWS) In order to implement a robust EWS integrating internal data from multiple sources as well as external data for generating various triggers/alerts as per RBI and EASE guidelines Bank

has purchased EWS solution from CRISIL and it is in implementation stage. Project already commenced in last week of Oct 2019 and Phase I of the project completed. However due to lockdown and travel difficulties by vendor project is not yet fully implemented.

- Several circulars have been issued as guidelines for better Credit administration and on Early Warning Signals and Red Flagging of accounts to support the field functionaries in monitoring Credit.
- Training is being imparted to increased number of officers to equip them to handle Credit proposals more prudently.

By adopting the above measures the Bank has been able to administer better control on its slippages for FY 2019-20 and maximize recovery and regularization of Special Mention Accounts.

#### Loan Review Mechanism

- Stock Audit procedures have been strengthened for all accounts with working capital facilities Rs.5 crores and above, Regular Review Notes on Stock audit is being placed to the GMs Committee at Central Office and observations of the Committee are being advised to RO/ ZO/Branches. Stock Audit process is automated during the year.
- Agency for Specialised Monitoring Department has started allocating the eligible accounts to IBA identified ASMs. 4 sealed quotations has called for each accounts from IBA panel list.
- Credit Compliance Audit is done for accounts with an exposure of Rs.50 lakhs and above for domestic accounts and for accounts with exposure Rs.1 crore and above for overseas accounts. Audit is done every year. The Audit report format is recently revised to classify the Account as Low/Moderate/High Risk. CCA is automated during the year. Auditors are submitting the report online and branches are submitting the reply through system.

### Compliance

The Bank has well defined Compliance Policy as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for effectively managing compliance functions. Necessary circulars/instructions on the regulatory guidelines are being issued.

The Bank has provided a Web Portal viz., Knowledge Management Tool in Bank's intranet wherein all the regulations, guidelines of the various regulators can be accessed at a single point.

The Bank has implemented the Cermo+ for departments to certify regarding adherence to regulatory guidelines and



रिटर्न और नियामकों से पत्राचार का जवाब प्रस्तुत करने के लिए लागू किया गया है।

बैंक के पास शाखा स्तर पर अनुपालन कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए SACC (स्व-मूल्यांकन अनुपालन प्रमाणपत्र) इन-हाउस विकसित मॉड्यूल है और PVRO (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुपालन का भौतिक सत्यापन) क्षेत्रीय कार्यालय की देखरेख में यह देखने के लिए कि सभी अनुपालन बिंदुओं में कार्यान्वित और अनुपालन किया जा रहा है।

प्रत्येक शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय / केंद्रीय कार्यालय विभाग में एक अनुपालन अधिकारी होता है जो अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है। समग्र अनुपालन स्तर त्रैमासिक आधार पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

एचआरडीडी के साथ समन्वय में अनुपालन विभाग ने बैंक की अनुपालन संस्कृति में सुधार के लिए स्टाफ कॉलेज चेन्नई में CAFRAL, मुंबई के माध्यम से केंद्रीय कार्यालयों में विभागों के सभी नोडल अनुपालन अधिकारी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

# अनुशासनिक कार्यवाही

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण, C & DAC ने 481 मामलों का निपटारा किया जिसमें 307 सतर्कता और 174 गैर-सतर्कता मामले शामिल हैं। वर्ष के दौरान, समीक्षाधीन बैंक ने 437 चार्ज शीट जारी किए।

31.03.2020 तक 190 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है। कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के भीतर पुरा करने का प्रयास किया जाता है।

मार्च 2020 तक, 245 सतर्कता मामले लंबित हैं, जिनमें से 10 मामले 18 महीने से अधिक लंबित हैं और 31.03.2020 तक 18 महीने से अधिक केवल2 सीवीसी मामले लंबित हैं।

### निरीक्षण

वर्ष के दौरान, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आंतरिक निरीक्षण) में लेखापरीक्षा बिंदुओं की समीक्षा की गई और उन्हें वर्तमान परिपत्रों और दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुपालन स्तर में सुधार करने, नियंत्रण क्षेत्रों में सुधार करने के लिए और 9 से 12 तक जीरो टॉलरेंस क्षेत्रों में वृद्धि के लिए, ऑडिट पैकेज को और संशोधित किया गया। अनियमितताओं को बनाए रखने के लिए नकारात्मक अंक जारी किए गए थे, जो इकाई के अंतिम जोखिम रेटिंग को प्रभावित करता है। नियंत्रण तंत्र के अधिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए ऑफसाइट कंट्रोल एंड सर्विलांस (OCAS) अलर्ट बढ़ाए गए।

प्रत्येक गतिविधि में दृष्टिकोण के संरचित तरीके के साथ विभाग के कामकाज की दक्षता बढ़ाने के लिए, विभाग विभिन्न गतिविधियों स्टॉक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, आय रिसाव, लेखा परीक्षा कार्यालयों / विभागों के कामकाजपर नियमित रूप से मानक संचालन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करता है।। संशोधित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विभिन्न

कार्यों जैसे कि विशेष रिपोर्टों में पर्याप्त कमी, आय रिसाव, लेखा परीक्षा रिपोर्ट बंद करना और ओसीएस अलर्ट में सुधार हुआ।

वर्ष के दौरान, आईटीडी में कार्यात्मक ऑडिट ने सीबीएस से संबंधित नियंत्रणों के साथ फिनेकल के साथ जांच हेतु मेच परिपत्र / दिशानिर्देशों के सत्यापन के क्षेत्र को बढ़ाया था और निष्पादन पर आउटपुट वांछित परिणाम प्रदान करता है। निष्कर्षों के परिणामस्वरूप परिचालन स्तर पर विसंगतियों / त्रुटियों का उन्मूलन और के. का. / नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की उपलब्धि हुई है।

बेंक ने समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए 405 शाखाओं का चयन किया है, जिसमें जमा राशि में 50.02 % और कुल अग्रिमों पर 67.14 % कवरेज है । वर्ष के दौरान समवर्ती ऑडिट प्रणाली की ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए खरीदे गए सॉफ्टवेयर ('eTHIC पैकेज') को लागू किया गया । बैंक ने उन्मुखीकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती लेखा परीक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। बैंक ने शाखा लेखा परीक्षा करते समय समवर्ती लेखा परीक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए 'समवर्ती लेखा परीक्षा मैनुअल' जारी किया है। ऑनलाइन पैकेज RBIA (आंतरिक निरीक्षण) के तहत रिपोर्ट करने में भविष्य के एकीकरण और समवर्ती लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग के दोहरीकरण से बचने और जोखिम मूल्यांकन में सुधार की सुविधा प्रदान करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आंतरिक ऑडिट के संचालन के लिए बैंक ने सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की। समवर्ती ऑडिट के लिए 73 नामिकायित सेवानिवृत्त अधिकारी (ERO) विभिन्न केंद्रों पर तैनात हैं। ये ईआरओ, कमियों की पहचान करने के अलावा, वे सुधार के लिए स्टाफ के सदस्यों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

विभाग ने सभी इकाइयों के जोखिम आधारित प्रबंधन के ऑडिट संचालन को पुनः डिजाइन किया था। लेखापरीक्षा सभी इकाइयों में प्रबंधन कार्यों की प्रभावकारिता का आकलन करेगी और पहचानी गई किसी भी कमी / अंतर को दूर करने के लिए कार्य योजना का सुझाव देगी।

कार्यपालक लेखा परीक्षा समिति (ACE) की बैठक मासिक आधार पर जून 2017 से आयोजित की जा रही है। वर्ष के दौरान, बैंक के सभी नियंत्रण क्षेत्रों को कवर करने के लिए मानकीकृत एजेंडे को संशोधित किया गया था। बोर्ड की ऑडिट कमेटी को एसीई मीटिंग के कार्यावृत्त की जानकारी दी गई। चालू वर्ष के लिए 9 ऐसी बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान, ऑफसाइट मॉनिटरिंग यूनिट के कामकाज को बढ़ाया गया था और अपवाद रिपोर्ट की नियंत्रण ओरिएंटेशन जनरेशन की पहचान की गई थी। अनुपालन के लिए रिपोर्टों को शाखाओं / क्षेत्रों / क्षेत्रों के साथ साझा किया गया था। पूर्व -ऑडिट की जानकारी देने के लिए जोनल ऑडिट कार्यालयों के साथ साझा की जाने वाली रिपोर्टों के परिणाम और इस प्रकार ऑनसाइट ऑडिट के संसाधनों को कम करने और ऑडिट की गुणवत्ता को बढ़ाने की उम्मीद है।

सीबीएस संचालन को बाहरी सूचना प्रणाली ऑडिट फर्म द्वारा लगातार ऑडिट किया जाता है । सूचना प्रणाली (आईएस) ऑडिट को मजबूत करने के लिए, बैंक ने अनुभवी और पेशेवर आईएस ऑडिटर नियुक्त किए हैं। उन्हें जनरल बैंकिंग और आईएस ऑडिट वातावरण का प्रशिक्षण दिया गया। ये आईएस लेखा परीक्षक ऑडिट योजना के



TasC+ for follow-up with submission of returns and replies to correspondence from regulators.

The Bank has in-house developed module for SACC (Self-Assessment Compliance Certificate by Branches) to oversee the Compliance implementation at Branch level and PVRO (Physical Verification of Compliance by Regional Offices) to oversee that all the Compliance points are implemented in the Branches under the supervision of Regional Office.

Each Branch/Regional Office/Central Office department has one Compliance Officer who submits compliance certificates. The overall compliance level is submitted to Audit Committee of the Board on quarterly basis.

Compliance Department in coordination with HRDD organized a training program for all the Nodal Compliance Officer of Departments at Central Offices through CAFRAL, Mumbai at Staff College Chennai to improve the compliance culture of the Bank.

### **Disciplinary Proceedings**

During the Financial Year 2019-20 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, C&DAC has disposed of 481 cases comprising of 307 Vigilance and 174 Non-Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 437 charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 190 cases as on 31.03.2020. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame, by continuous review by Executives.

As on March 2020, there are 245 Vigilance cases pending, of which 10 cases are pending beyond 18 months and there are only 2 CVC cases pending beyond 18 months as on 31.03.2020.

### Inspection

During the year, audit points in the Risk Based Internal Audit (Internal Inspection) was revisited and were revised to reflect the present circulars and guidelines in force. To improve the compliance level on audit observations, the audit package was further modified to improve control areas and for increased Zero Tolerance areas from 9 to 12. Negative marks were continued to be awarded for persisting irregularities, which impacts final risk rating of the unit. Offsite Control and Surveillance (OCAS) alerts were increased to cover more areas of control mechanism.

To enhance efficiency of the department functioning with structured way of approach in each activity, the department revisits Standard Operating Procedure regularly on various activities viz., Stock Audit, Forensic Audit, Income Leakage, functioning of audit offices/departments. The revised approach had resulted in improvement on various functions

like substantial reduction in special reports, Income Leakage, audit reports closure and OCAS alerts.

During the year, functional audit at ITD was enhanced in scope for verification of CBS related controls along with checking of parameter set in FINACLE matches with circular/guidelines and also the output on execution provides desired results. The findings have resulted in elimination of anomalies/errors at operational level and achievement of compliance to CO/ regulatory guidelines.

The Bank has selected 405 Branches for conducting concurrent audit having coverage of 50.02% in deposits and 67.14% on total advances. The software procured ('eTHIC package') for online report submission of concurrent audit system was implemented during the year. The Bank conducted workshops to concurrent auditors at various zones in order to provide orientation. The Bank has issued 'Concurrent Audit Manual' to guide Concurrent Auditors while conducting Branch Audits. The online package facilitates future integration of reporting under RBIA (Internal Inspection) and Concurrent audit with avoidance of duplication of reporting aspects and improving the risk assessment.

The Bank appointed Retired Officers for conducting Internal Audit, in line with guidelines issued by Reserve Bank of India. There are 73 Empaneled Retired Officers (ERO) and deployed at various centres for conducting audit. These EROs, apart from identifying deficiencies, they guide and provide support to the staff members for rectification.

The department had redesigned in conducting Risk Based Management Audit of all Units. The audit shall assess efficacy of management functions at all units and suggest action plans to overcome any shortcomings/gaps identified.

Audit Committee of Executives (ACE) meeting is being held on monthly basis since June' 2017. During the year, standardized agenda was modified in order to cover all control areas of the Bank. The minutes of ACE meetings were appraised to Audit Committee of the Board. For the current year 9 such meetings were held.

During the year, Offsite Monitoring Unit functioning was enhanced and control oriented generation of exception reports were identified. The reports were shared with Branches/Regions/Zones for compliance. The results of the reports to be shared with Zonal Audit Offices in order to provide pre-audit information and thus resources of onsite audit are expected to reduce and the quality of audit enhances.

CBS operations are continuously audited by external Information Systems Audit firm. In order to strengthen Information System (IS) Audit, the Bank has appointed experienced and professional IS Auditors. They were given training on General Banking and IS Audit environments.



अनुसार महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यालय अनुप्रयोगों का संचालन करना जारी रखते हैं।

### सतर्कता

वर्ष 2019-20 के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक सतर्कता से जुड़े लंबित अनुशासनिक मामलों के निपटान हेतु प्रभावी कदम उठाता रहा।

दंडात्मक सतर्कता: वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग सी-डीएसी द्वारा अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण 481 मामलों का निपटारा किया है, जिसमें 307 सतर्कता और 174 गैर-सतर्कता मामले शामिल हैं और आइआर विभाग ने कुल 29 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें 19 अधिकारियों और 10 लिपिकों के लिए अवशोषण के मामले हैं और दंड प्रदान किए गए। । इसके अलावा, रु. 1 करोड़ और इससे अधिक मामलों में शामिल 355 स्टाफ जवाबदेही मामलों की जाँच किए जाते हैं तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टाफ की जवाबदेही जाँच की प्रक्रिया निर्धारित दिशानिर्देशों के किसी विचलन के बिना मानदंडों के अनुसार आयोजित की जाती है।

भविष्यगत सतर्कता: केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट, वर्ष 2019-20 के लिए सभी उच्च और मध्यम जोखिम शाखाओं की ऑडिट रिपोर्ट की वास्तविक समय के आधार पर जांच की जाती है और बैंक द्वारा उचित कार्रवाई के लिए सतर्कता दृष्टिकोण की घटनाओं का संज्ञान रिकॉर्ड पर लाया गया।

महत्वपूर्ण निवारक सतर्कता पहल, जो वर्ष 2019-20 के दौरान जारी रहे, निम्नवत हैं:

- ऑनलाइन ई-सत्यनिष्ठा शपथ सत्यनिष्ठा शपथ प्राप्त करने की ई-सत्यनिष्ठा शपथ प्रक्रिया की एक नई पहल के माध्यम से बैंक के कोर बैंकिंग समाधान के साथ एकीकृत किया गया, जो ग्राहक के आवश्यक डेटा को इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है जो सीधे सीबीएस से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ले रहा है।
- स्टाफ जवाबदेही संबंधी मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की गई और मामलों की त्वरित निपटान के लिए दिनांक 30.03.2020 को अनुमोदित की गई।
- जागृति, बैंक में प्रत्येक कंप्यूटर मॉनीटर के डेस्क टॉप पर प्रदर्शित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों के जागरूकता स्तर को बनाने और ताज़ा करने की एक पहल है।

प्रतिभागी सतर्कता: - सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2019 दिनांक 28 अक्टूबर 2019 से दिनांक 02 नवम्बर 2019 तक "सत्यनिष्ठा-जीवन की राह" थीम के साथ मनाया गया।

# सतर्कता जागरुकता सप्ताह (वीएवी)

सीवीसी देश का सर्वोच्च सत्यिनिष्ठा संस्थान है जो सार्वजिनक जीवन में सत्यिनिष्ठा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता रहा है, हर साल सतर्कता जागरुकता सप्ताह को बहु-आयामी दृष्टिकोण के हिस्से के रुप में देखता रहा है। हमारे बैंक में सतर्कता जागरुकता सप्ताह सीवीसी के निर्देशों के अनुसार 28 अक्टूबर 2019 से 02 नवम्बर 2019 तक "सत्यिनिष्ठा-जीवन की राह" थीम के साथ मनाया गया।

# (ii) आउटरीच गतिविधियाँ

स्कूल और कॉलेज़ों में सतर्कता जागरुकता सप्ताह गतिविधियाँ	पूरे भारत वर्ष में <b>2445 स्कूलों</b> में सतर्कता जागरुकता सप्ताह गतिविधियाँ आयोजित की गई और कार्यक्रम में <b>3,70,413 विद्यार्थियों</b> ने सक्रिय रुप से भाग लिया। 348 कॉलेजों का चयन किया गया और इन कॉलेजों में सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें 56,271 विद्यार्थी शामिल हुए, इसमें सामूहिक प्रतिज्ञा से लेकर भाषण, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता तक की गतिविधियाँ शामिल थीं।			
जागरुकता ग्राम सभाएं	पूरे भारत में अर्ध-शहरों और ग्रामीण गांवों में <b>3677 जागरुकता ग्राम सभाएं</b> आयोजित की गई, जिसमें <b>115,715 ग्रामीणों</b> साहित <b>92,572 महिलाओं</b> ने भाग लिया।			
चयनित क्षेत्रों में सेमिनार	भारत वर्ष में चयनित क्षेत्रों में <b>111 सेमिनार</b> आयोजित किये गए और सतर्कता और कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियं 4884 प्रतिभागियों से मुखातिब हुए			
सत्यनिष्ठा क्लब	देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में <b>122 सत्यिनष्ठा क्लबों</b> को पुनर्जीवित किया गया और ईमानदारी, अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर आधारित गतिविधियों को जारी रखते हुए शुरुआत किया गया।			
सीवीओ का नागरिकों के साथ संवाद	चेन्नै, ऑल इडिया रेडियो के <b>101.4 एफएम रेनबो</b> पर दिनांक 28.10.2019 को सायं 5 बजे से 6 बजे तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह पर सीवीओ का नागरिकों के साथ संवाद को प्रसारित किया गया जिसमें पूरा तमिलनाडु, पॉंडिचेरी, अंडमान और श्रीलंका के कुछ हिस्से शामिल थे।			

तिमाही में एक बार सभी अनुशासनात्मक मामलों के समापन और त्वरित जाँच कार्यवाही शुरु करने के लिए कार्यात्मक महा प्रबंधकों एवं सीवीओ के साथ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में एक संरचित बैठक की व्यवस्था कर एक बेहतर सतर्कता परामर्श तंत्र स्थापित की गई है।



These IS Auditors continue to conduct critical Central Office applications as per the Audit Plan.

#### **Vigilance**

During the Year 2019-20, the Bank continued to take effective steps for disposal of pending Vigilance Disciplinary cases with in the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission

Punitive Vigilance: Due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases by vigilance Department C-DAC has disposed 481 cases comprising 307 vigilance and 174 non vigilance cases and IR department has disposed ta total of 29 cases out of that 19 absorption cases for officers and 10 clerks and penalties awarded during the year. Further 355 staff accountability files involving Rs.1 Crore and above are scrutinized to ensure that the process of examination of staff Accountability is conducted as per norms without any dilution of laid guidelines.

Predictive Vigilance: CO Inspection Reports, Audit reports of all the high and medium risk branches for the year 2019-20 are scrutinized on a real time basis and cognizance of incidents of Vigilance angle were brought on record for appropriate action by bank.

The important Preventive Vigilance initiatives that continue during the year 2019-20 are as under:

- Online E-Integrity Pledge through a new initiative of E-Integrity Pledge process of obtaining Integrity Pledge was integrated with Core Banking Solutions of the Bank facilitating collecting the required data of the customer who is taking integrity pledge directly from the CBS.
- Standard Operating Procedures relating to Staff Accountability was framed and approved on 30.03.2020 for speedy disposal of cases.
- Jagrithi, an initiative to create and refresh the awareness levels of the staff in various sensitive areas through objective type questions displayed on desk top of every computer monitor in the bank.

Participative Vigilance: - Vigilance Awareness Week 2019 was observed from 28th October 2019 to 2ndNovember 2019 with theme "Integrity-a way of life".

Vigilance Awareness Week (VAW)

CVC the apex integrity institution of the country endeavors to promote integrity transparency and accountability in public life, observes Vigilance Awareness Week every year as part of the multi-pronged approach. As per the directions of CVC in our Bank VAW observed from 28th October to 2rd November, 2019 with the theme "Integrity –a way of Life.

#### (ii) Out Reach Activities

VAW activities in Schools and Colleges	Vigilance Awareness Activities were conducted in <b>2445 schools</b> across the country and <b>3,70,413 students</b> were actively participated in various programs. 348 colleges were selected and VAW was celebrated in these colleges involving 56,271 students with activities ranging from mass pledge to speech, debate and essay competition.
Awareness Gram Sabhas	3677 Awareness Gram Sabhas were conducted in semi-urban and rural villages across the country wherein 115,715 villagers including 92,572 women were participated
Seminars in Selected Centres	We have organized <b>111 seminars</b> in selected centres across the country and eminent personalities in the field of vigilance and law and order spoke to 4884 participants.
Integrity Clubs	122 integrity clubs were revived in schools and colleges across the country and activities based on honesty, integrity and need to fight against corruption have been started as continuing activities.
CVO Interface with Citizens	CVO interface with citizens on VAW was broadcasted on 28.10.2019 at 5 PM to 6 PM on FM Rainbow (101.4) of Chennai AIR which covers entire Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and some part of Srilanka.

An improved vigilance consultation mechanism is in place by arranging a structured meeting, once in a quarter, chaired by MD &CEO along with CVO and functional GMs for initiating quicker enquiry proceeding and concluding all disciplinary cases. This forum acts as a preventive session in identifying incipient problem and facilitating prompt intervention/corrective action.



### स्चना प्रौद्योगिकी

बैंक के पास मजबूत बुनियादी ढांचा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय और आईटी आकांक्षाओं का सही संरेखण है।

### प्रमाणन :

प्रक्रिया उत्कृष्टता के लिए अपनी खोज में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तीय वर्ष के दौरान आईएसओ / आईईसी 27001 का प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र हासिल किया है।

### नेटवर्क उपलब्धता:

नेटवर्क उपकरणों के साथ सभी अनुप्रयोगों के लिए उच्चंत सर्वर डेटा सेंटर में स्थापित किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए कोई भी विफलता नहीं प्रदान करता है, जिससे सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होती है। बैंक ने वर्ष के दौरान 2630 शाखाओं में नेटवर्क का उन्नयन किया है जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाओं की त्वरित डिलीवरी हई है।

नेटवर्क एक्सेस नियंत्रण (एनएसी) का कार्यान्वयन एक मजबूत नेटवर्क आर्किटेक्चर की प्रमुख नेटवर्क आवश्यकताओं में से एक है। एनएसी के माध्यम से बैंक के नेटवर्क तक पहुंच नियंत्रित और निगरानी की जाती है। बैंक के लिए यह बेहतर नेटवर्क सुरक्षा को सक्षम करेगा।

### कोर बैंकिंग समाधान :

बैंक ने चार विदेशी केद्रों सहित सभी शाखाओं को फिनेकल में सफलतापूर्वक माइग्रेट कर लिया है। विदेशी केन्द्रों के लिए डेटा आर्चिवल समाधान कार्यान्वित कर दी गई है।

# इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैकिंग:

> इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को नया रूप दिया गया था और नेट बैंकिंग के साथ ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए स्वयं-सेवा और अभिनव सुरक्षा सुविधाओं को सक्षम करने वाली कई नयी सुविधाओं को पेश किया गया था। मोबाइल पर अभिनव डिजिटल उत्पादों का शुभारंभ किया गया। इनमें ग्राहक और गैर-ग्राहक दोनों के लिए कई नयी सुविधाओं के साथ एक ऐप आइओबी ननबन शामिल है। आइओबी सहायक नाम के मोबाइल ऐप को विशेष रूप से बेहतर एनपीए अनुवर्तन, सुरक्षा यात्रा, स्टॉक निरीक्षण और स्थान की जियो टैगिंग की सुविधाओं के साथ कर्मचारियों के लाँच किया गया था।

# ग्राहक सेवा के लिए प्रौद्योगिकी:

बेंक ने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्राहक सेवा में सुधार के लिए नवीन प्रणाली शुरु की है। इसने माननीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) की शुरुआत की है, जो एक केन्द्रीयकृत समाधान है, जो ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को भी सभी शिकायतों को दर्ज़ करने और ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। यह इंटरनेट, शाखाओं, कॉल सेंटरों, फोन के माध्यम से प्राप्त ग्राहकों की शिकायत को एक ही मंच पर एकीकृत करता हैं और यह सुनिश्चित करता है कि कोई शिकायत नहीं रह गई है। निर्णय लेने में आसानी और अधिक पारदर्शिता के लिए एकबारगी निपटान प्रक्रिया स्वचालित की गई है। यह वेब आधारित समाधान जो पारदर्शी तरीके से एनपीए खातों के ऑनलाइन परेशानी से मुक्त निपटान की अनुमित देता है। एमएसएमई ऑनलाइन प्रसंस्करण से अंत तक वितरण समाप्त हो जाएगा। यह हमारी वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों के लिए ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है।

### पुरस्कार और उत्कृष्टता :

- (A) "सरल ऋण खाता खोलने" पर फिनाकल के इन-हाउस अनुकूलन के लिए क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड-2020 के तहत इंफोसिस द्वारा चयन किया गया।
- (B) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आइएसओ 27001।

### डिजिटल बैंकिंग:

### एटीएम व नकद पुनर्नवीनीकरण:

दिनांक 31 मार्च 2020 तक बैंक के कुल एटीएम नकद/नवीनीकरण की संख्या 3,032 रही । वर्ष के दौरान 110 शाखा प्रबंध एटीएम/नकद नवीनीकरण और 48 विक्रेता प्रबंधित नकद नवीनीकरण (भागीदारी मॉडल के तहत कुल 500) को जोड़कर प्रतिष्ठापित किए गए और कम हिट साइटों को बंद किया गया। एटीएम लेनदेन में 23% सुधरकर 8.42 करोड़ से 10.34 करोड़ हो गया और एटीएम अपटाइम जो वर्ष 2018-19 में 88.00% था, एटीएम अपटाइम निगरानी की वजह से वर्ष 2019-20 से सुधरकर 91.50% हो गया।

# पासबुक कियोस्क :

 हमने वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 380 पासबूक कियोस्क जोड़ा है और दिनांक 31.03.2020 को पूरे भारत वर्ष में शाखाओं में प्रतिष्ठापित हमारा कुल पासबूक कियोस्क पोर्टफोलियो 2351 हो गया।

# बैंक ऑन व्हील (मोबाइल एटीएम):

- वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय सेवाएं विभाग, वित मंत्रालय के इएएसई (संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता) कार्यक्रम के तहत बैंक की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रुप में , हमारे बैंक ने तिमलनाडु के 13 जिलों और केरल में एक जिले जहाँ आइओबी एक लीड बैंक है, के अलावा आंध्र प्रदेश के एक जिले (विजयवाड़ा) में "बैंक ऑन व्हील" (मोबाइल एटीएम) लाँच किया है।
- प्रत्येक बैंक ऑन व्हील एक नकद डिस्पेंसर, एक पासबूक कियोस्क और 55" एलइडी डिस्पले उपकरण से युक्त है।
- बैंक ऑन व्हील के लाँच ने हमारी ग्राहक सेवा को बढ़ाया है और तिमलनाडु, केरल और आंध प्रदेश के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में गैर-बैंकिंग और बैंकिंग के तहत क्षेत्रों को कवर करते हुए बैंकिंग सेवाओं को ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाया है।

### डेबिट कार्ड :

- दिनांक 31.03.2020 तक बैंक डेबिट कार्ड आधार 179 लाख तक सुधरा है और 14 लाख नए इएमवी चिप कार्ड और 5 लाख प्रतिस्थापन कार्ड इस अविध के दौरान जारी किए गए थे, जिनका मासिक औसत निर्गतन 1.60 लाख था। सुरक्षा कारणों से सभी चुंबकीय पट्टी कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए।
- वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 19.19 लाख कार्ड में से 13.23 लाख रुपे कार्ड जारी किए, जो अपने कार्ड निर्गतन पोर्टफोलियो का 70% था। बैक एनपीसीआइ नेटवर्क के अंतर्गत रुपे कार्ड जारी करने हेतु अधिक जोर दे रहा है।
- 'एक राष्ट्र एक कार्ड' को बढ़ावा देने के लिए हमारे बैंक ने राष्ट्रीय समान गतिशीलता कार्ड (एनसीएमसी) रुपे श्रेणी के तहत लागू किया था। वीजा और मास्टर नेटवर्कों के तहत एनसीएमसी कार्ड को रोल आउट करने की योजना अगामी अविध में बनायी है।



### **Information Technology**

The Bank has robust infrastructure architecture, resulting in perfect alignment of Business and IT aspirations.

#### Certifications:

In its pursuit for process excellence, Information Technology Department has achieved the coveted certificate of ISO/IEC 27001 during the financial year.

#### **Network Availability:**

High-end servers for all the applications along with network equipments have been installed at the Data center, which provides no single point of failure for critical applications, thereby ensuring continued availability of services. Bank has upgraded the network across 2630 branches during the year resulting in quicker delivery of banking services. Implementation of Network Access Control (NAC) is one of the major requisites of a robust Network Architecture. Through NAC access to Bank's network are controlled and monitored. This would enable better Network Security for the Bank.

#### **Core Banking Solution:**

The Bank has successfully migrated all the branches including four Overseas centers, to Finacle. Data archival solution for overseas centers has been implemented.

#### Internet /Mobile Banking:

User interface of the internet banking was revamped and several new features enabling self-service and various security features were introduced to give better protection to customers using net banking. Innovative digital products on mobile launched. These include ÍOBNANBAN' an app with several features for both customer and non-customers. Mobile app namely IOB Sahayak was launched exclusively for staff for facilitating better NPA follow-up, Security Visit, stock inspection and Geo tagging of location.

### **Technology for Customer Service:**

The Bank has introduced novel methods for improving customer service using technology. It has introduced Standardized Public Grievance Redressal System (SPGRS), a centralized solution which enables customers and Bank staff to lodge and track all complaints. It integrates the complaint of customers received through internet, branches, call centers, phone in a single platform ensuring no complaint is left unresolved.

One-time settlement process has been automated for ease of taking decisions and greater transparency. This Web based solution which allows online hassle-free settlement of NPA accounts in a transparent manner.

MSME Online processing has been implemented this will enable end to end online processing from sourcing of loan to documentation to disbursement. This encompasses facility for Online Application and Tracking facility for customers through our website.

#### Awards and Excellence:

- (A) Shortlisted by Infosys under Client Innovation Award -2020, for in-house customization of Finacle on "Simplified Loan Account Opening".
- (B) ISO 27001 for Information Technology Department

#### **Digital Banking**

#### ATM & Cash Recyclers:

The total number of ATMs/Cash Recyclers of the Bank stood at 3,032 as on 31st March 2020. During the year 110 Branch managed ATMs/Cash Recyclers and 48 vendor managed Cash Recyclers (of the total 500 under Bhagidari model) were added by replacing and closure of low hit sites. ATM transactions have improved by 23% from 8.42 crore to 10.34 crore and the ATM uptime which was 88.00% in 2018-19 has improved to 91.50% in 2019-2020 due to improved ATM uptime monitoring.

#### Pass Book Kiosks:

We have added total 380 Passbook Kiosks during the year 2019-2020 and our total Pass Book Kiosk portfolio stands at 2351 installed in branches across Pan India as on 31.03.2020.

### Bank On Wheels (Mobile ATM):

- As a part of Bank's commitment under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) Program of DFS, Ministry of Finance, our Bank has launched "Bank on Wheels" (Mobile ATMs) in 13 districts of Tamilnadu and one district in Kerala where IOB is the Lead Bank besides one district (Vijayawada) in Andhra Pradesh during the year 2019-2020.
- Each Bank on Wheel is equipped with One Cash Dispenser, One Passbook Kiosk and 55" LED display.
- The launch of Bank on Wheels has enhanced our customer service and unfolded Banking Services in the rural and semi urban areas of Tamilnadu, Kerala and Andhra Pradesh covering unbanked and under banked areas taking Banking to the door steps of the customer

### **Debit Cards:**

- The Bank's debit card base improved to 179 Lacs as of 31.03.2020 and 14 lakh Fresh EMV chip cards and 5 lakh replacement cards were issued during the period with a monthly average issuance of 1.60 lac cards. All the magnetic stripe cards have been deactivated for security reasons.
- The Bank has issued 13.23 lac Rupay Debit Cards out of 19.19 lac total number of cards issued during the year, comprising of 70% of its Card Issuance Portfolio. Bank is giving more thrust for issuance of Rupay cards under NPCI network.
- To promote the 'one nation one card' our Bank had implemented National Common Mobility Card (NCMC) under Rupay category. Rolling out of NCMC cards under Visa and Master networks are planned in the ensuing period.



### भगतान गेटवे परिचालन:

बैंक में 11 एग्रीगेटर्स हैं जिनमें बीएसएनएल, एलआइसी ऑफ इंडिया आदि जैसे सार्वजिनक क्षेत्र के संगठनों समेत उनके बैनर के तहत लगभग 12,000 सब मर्चेंट हैं। राज्य सरकार के उद्यम व शैक्षणिक संस्थान आदि बैंक के प्रत्यक्ष ग्राहक हैं।

# आरटीजीएस/ एनइटीएफटी:

ग्राहकों और शाखाओं की प्रतिक्रिया के आधार पर, आइओबी आरटीजीएस/एनइएफटी मॉड्यूल में अद्यतन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। ग्राहक अनुभव में सुधार लाने के लिए शुरु की गई एनइएफटी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया है।

# इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैकिंग

इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण 19.25 लाख से बढ़कर 20.69 लाख हो गया, जबिक मोबाइल बैंकिंग पंजीयन 172% बढ़कर 16 लाख ग्राहक से 27.63 लाख ग्राहक हो गया। आठ क्षेत्रीय भाषाओं सहित दस भाषाओं के फ्लेवर के साथ इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नया उपयोगकर्ता इंटरफेस, हमारे ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था।

# भीम व भीम आइओबीयूपीआइ:

भारत इंटरफेस मनी (भीम) एप्लीकेशन, जो 2016-17 के दौरान पूरे बैंक में सीधे ग्राहक से ग्राहक और मर्चेंट त्वरित भुगतान करने के लिए और मोबाइल संख्या या भुगतान पते का उपयोग कर ग्राहकों से धन एकत्र करने के लिए लाँच किया गया है, ग्राहकों के बीच अच्छी पकड़ बना ली है। भीम आइओबी यूपीआई हमारे बैंक द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग कर लाँच किया गया है। पंजीकरण मासिक औसत लेनदेन लगभग 2 करोड़ के साथ 24.70 लाख हो गया है।

### आइओबी-पे :

इन-हाउस में विकसित एकीकृत आँलाइन भुगतान गेटवे फ्लेटफॉर्म शुल्क भुगतान, व्यापारी भुगतान, धर्मार्थ संस्थानों के लिए दान आदि के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन में 256 से अधिक संस्थानें पंजीकृत हैं और इसमें टीएनएचआरसीई, आइइएनएस आदि शामिल हैं।

### बीबीपीएस:

बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), एक एकीकृत भुगतान प्रणाली लाँच किया है, जो ऑनलाइन ग्राहकों को अंतर बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है। बीबीपीएस के लिए, आइओबी ने मार्च 2017 में ग्राहक परिचालन इकाई (सीओयू) के रुप में एकीकृत किया है और बिलर परिचान इकाई (बीओयू) के रुप में, हम बिजली की उपयोगिता टीएनईबी को शुरु करने वाले प्रथम सार्वजनिक बैंक थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान नए बिलर के रुप में पाँडिचेरी बिजली बोर्ड शुरु किया है।

### वेबसाइट:

बैंक ने अपनी वेबसाइट iob.in को नए डिजाइन के साथ एक नया

रुप दिया है, जिसमें ग्राहकों के अनुकूल सुविधाओं के साथ ट्रेंडी आउटलुक दिया गया है।

### पुरस्कार:

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्वोत्तर में पीओएस प्रविस्तारण हेतु उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2019 के दौरान एमइआइटीवाई द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

### प्रबंधन सूचना प्रणाली:

बेंक ने विभिन्न वैधानिक एवं तदर्थ रिपोर्टी प्रस्तुत करने के लिए उपयोगकर्ता विभागों को डेटा प्रवाह सुनिश्चित करने के अलावा बैंक की रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को संभालने के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली और निर्णय समर्थन प्रणाली(एमआइएस) लागू की है।

ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई), बैंक द्वारा प्रविस्तारित एक विश्लेषणात्मक उपकरण हमारे इंट्रानेट आइओबी ऑनलाइन के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन, नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं द्वारा एक्सेस की गई लगभग 200 रिपोर्टें, डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स प्रदान करता है। उपकरण का उपयोग एमआइएस की इन-हाउस टीम द्वारा रिपोर्ट, ग्राफ, व्हाट-इफ एनलाइसिस, डेटा माइनिंग, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर तदर्थ रिपोर्ट के विकास और प्रविस्तार के लिए किया गया है। उपकरण का उपयोग प्रभावी रुप से विभिन्न उद्देश्यों जैसे प्रदर्शन निगरानी, नियामक रिपोर्टिंग, ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण, अभियानों का पालन करने के लिए किया जाता है। एमआइएस की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ नीचे दी गई है:

### कार्यक्रम का विकास और संशोधन :

- नए संस्करण प्रारुप के अनुसार एनइएसएल डेटा निर्माण के लिए कार्यक्रम संशोधन
- स्वीकृत स्तर बढ़ाने के लिए सिबिल उपभोक्ता डेटा जेनरेशन के लिए कार्यक्रम में वृद्धि
- वित्तीय सेवाएं विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्र रैंकिंग के लिए मासिक डेटा जेनरेशन करने के लिए कार्यक्रम का विकास।
- नए प्रारुप के अनुसार एनइएसएल डाटा सृजन हेतु कार्यक्रम में संशोधन.
- सिबिल में डीपीडी (डे पास्ट डियू) प्रोग्राम संशोधन
- स्वीकृति स्तर बढ़ाने के लिए सीबील उपभोक्ता डेटा जेनरेशन के लिए कार्यक्रम में वृद्धि
- 🕨 ईडब्ल्यूएस ट्रेगर्स वर्कफ्लो और डेटा जेनरेशन
- केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्ष-डेटा टेम्पलेट को जोखिम आधारित दृष्टिकोण

### बिजिनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट :

- 🕨 अभियान कल्पवृक्ष- प्रायोजना विभाग
- > आवास ऋण मंजूरी और संवितरण
- खोले गए सरकारी एवं संस्थानिक खाता एवं बकाया पर दैनिक रिपोर्ट
- सितम्बर 2019 के लिए एसएमए भविष्यगत विश्लेषण रिपोर्ट



### **Payment Gateway Operations:**

The Bank has 11 aggregators who have nearly 12,000 sub-merchants under their banner including public sector organizations like BSNL, LIC of India etc. The Bank's direct clients include State Government Enterprises and Educational Institutions.

#### RTGS/NEFT:

Based on feedback from Customers and Branches, updates were done in IOB RTGS/NEFT module to meet their needs/requirement. Positive response for inward NEFT introduced to improve customer experience.

#### Internet Banking/Mobile Banking:

The internet banking registrations grew from 19.25 lacs to 20.69 lacs while mobile banking registrations grew by 172% from 16 lacs customers to 27.63 lacs customers. New user interface of Internet Banking and mobile banking application with flavour of ten languages including eight Regional languages, was well accepted by our customers.

#### **BHIM & BHIM IOBUPI:**

Bharat Interface for Money (BHIM) application which has been launched during 2016-17 to make direct customer to customer and merchant payments across the Banks instantly and to collect money using just Mobile number or Payment address has got good adoption among the customers. BHIM IOBUPI is the application launched by our Bank using Unified Payment Interface. Registration stood at 24.70 lacs with monthly average transactions of about 2crores.

#### **IOB-Pay:**

The in-house developed integrated online payment gateway platform offers fee payments, merchant payments, donations for charitable institutions etc. More than 256 Institutions have been registered in this application and this include TNHRCE, IENS etc.

#### **BBPS**:

Bank has launched Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system, which offers interoperable bill payment service to customers online. For BBPS, IOB has integrated as Customer Operating Unit (COU) in March 2017 and as Biller Operating Unit (BOU), we were first Public Sector Bank to onboard electricity utility TNEB as biller. During the current Financial Year Pondicherry Electricity Board has been on boarded as a new biller.

#### **WEB SITE:**

> Bank has revamped its web site www.iob.in with

new design, trendy outlook with enhanced customer friendly features

### **ACCOLADES:**

Awarded by MeitY during Oct 2019, award for Outstanding Performance in POS deployment in Northeast for the FY 2018-19.

### **Management Information System**

Bank has implemented a robust Management Information System (MIS) and Decision Support System to handle Reporting and analytical requirements of the Bank apart from ensuring flow of data to User Departments for submission of various statutory and ad-hoc reports.

Oracle Business Intelligence (BI), an analytical tool deployed by the bank provides around 200 reports, Data Mining and analytics accessed by Top Management, Controlling Offices and Branches through our intranet IOBONLINE. The tool has been utilized by the In-house team of MIS for development and deployment of Reports, Graphs, What-if analysis, Data Mining, Ad-hoc Reports based on user requirements. The tool is effectively used for various purposes such as Performance Monitoring, Regulatory Reporting, Analysis of historical data, Follow up of campaigns. Some of the major activities of MIS are furnished below:

#### **Program Development and Modifications**

- Program modification for NeSL data generation as per new version format
- Program enhancements for CIBIL consumer data generation to increase acceptance level
- Program development for generating monthly data for Region ranking as per DFS requirements.
- Program modification for NeSL data generation as per new version format
- > DPD (Days Past Due) program modification in CIBIL
- Program enhancements for CIBIL consumer data generation to increase acceptance level
- > EWS Triggers Workflow and Data Generation
- Risk Based Approach to KYC / AML Supervision Data Templates

### **Business Intelligence Reports**

- Campaign Kalpavriksha Planning dept
- Housing Loan Sanctioned and Disbursement
- Daily Report on Government and Institutional Accounts
   Opened and Outstanding
- SMA Predictive Analysis Report for September 2019



- > जीएल वार एसएचजी बकाया रिपोर्ट पर दैनिक रिपोर्ट
- व्यय शीर्ष पर दैनिक रिपोर्ट
- > पासवर्ड परिवर्तन सुविधा सक्षम
- सीएलआरएम रिपोर्ट : क्रेडिट निगरानी विभाग के लिए सीआइएफ की 50 लाख और उससे अधिक की स्वीकृत सीमा पर रिपोर्ट विकसित की गई थी।

### नियमित गतिविधियाँ :

एमआइएसडी द्वारा की जाने वाली अन्य नियमित गतिविधियों में दैनिक व्यापार के आकड़े, खोले गए और बंद किए गए खातों की सूची, दैनिक प्रतिबंध और प्रत्येक क्षेत्र के तहत किए गए प्रतिबंध, केवाईसी संबंधित रिपोर्ट, अतिरिक्त नकदी रिपोर्ट, डेटा गुणवता निगरानी रिपोर्ट, आभूषण ऋण प्रदर्शन रिपोर्ट, व्यापक शाखा रिपोर्ट, डिजिटल पंजीकरण और लेनदेन निगरानी रिपोर्ट, अनुमानित स्लिपेज रिपोर्ट, शाखाओं की मासिक प्रदर्शन रैंकिंग, सप्ताहिक और मासिक सिबिल डेटा जेनरेशन, सिबिल द्वारा खारिज सूची पर रिपोर्ट प्रदान करना, कॉर्पोरेट उधारकर्ता के संबंध में एनइएसएल को डेटा, केद्रीय कार्यालय विभाग को डेटा डंप प्रदान करना, आरबीआई को डेटा डंप, संसदीय प्रश्नावली के संबंध में डेटा प्रदान करना, इएएसइ डेटा पोइंट, ओएसमॉस रिटर्न एवं आरएक्यू आदि के लिए केन्द्रीय कार्यालय उपयोगकर्ता विभागों के साथ समन्वय।

### सरकारी लेखा

प्रत्यक्ष कर संग्रहण: बैंक पूरे भारत में 354 शाखाओं द्वारा ऑन लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को भौतिक मोड में इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है। बैंक प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत है। इस वर्ष के दौरान, बैंक ने रु. 9307.75 करोड़ के लेनदेन को संभाला और 1 करोड़ 36 लाख रुपये का कमीशन अर्जित किया।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण: बैंक को उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान, सीमा शुल्क का ई-भुगतान और ड्यूटी ड्राबैक का ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। जीएसटी के आगमन के बाद, हमारी सभी शाखाएं जीएसटी के संग्रह के लिए सक्षम हो गई हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 14443.98 करोड़ रुपये का लेनदेन संभाला एवं 1.03 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया।

पेंशन का भुगतान: बैंक सेंट्रल सिविल, रक्षा, रेलवे, टेलीकॉम, स्टेट सिविल, ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, टीएनईबी, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नै डॉक लेबर बोर्ड, तिमलनाडु के लोकल फंड ऑडिट और मलेशियाई सरकार की पेंशन के अलावा ईसीएसके माध्यम से सेवारत पेंशनरों की सेवा कर रहा है।

केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र 60952 सक्रिय खातों में केंद्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार के पेंशनरों को एक केंद्रीकृत आधार पर पेंशन का वितरण करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान लगभग रु. 1879.16 करोड़ का वितरण किया है एवं संवितरण की तिथि से 2-3 दिनों के भीतर केंद्रीय नागरिक, रक्षा, रेलवे और दूरसंचार पेंशन के लिए योजना के तहत प्रतिपूर्ति प्राप्त की है। वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 5.65 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

बैंक 17 शाखाओं में रु 2583.20करोड़ की प्राप्ति और भुगतान के साथ तिमलनाडु सरकार के ट्रेजरी बिजनेस को भी संभालता है । बैंक क्रमशः योजना आयोग और दूरसंचार विभाग का कार्य करता है और क्रमशः 15122.79 करोड़ रुपये और 588.59करोड़ रुपये का भुगतान करता है । 70 शाखाओं के माध्यम से पोस्ट ऑफिस कलेक्शन (ड्रॉइंग एंड डिपॉजिट) खाता तिमलनाडु में रु. 532.25 करोड़ की प्राप्तियों और भुगतान संभाला है ।

बैंक तिमलनाडु सरकार के ट्रेजरी बिजनेस को भी संभालता रहा है। बैंक भारत सरकार की बचत योजनाओं जैसे विरष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, लोक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना योजनाओं में सिक्रय रूप से भाग लेता रहा है और इनके माध्यम से लगभग रु.917.80 करोड़ की भागीदारी सुनिश्चित कारवाई है।

सोवरीन गोल्ड बॉन्ड योजना :वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 12.4 करोड़ रुपये एकत्र किए और 0.13 करोड़ रुपये की आय अर्जित की ।

राष्ट्रीय पेंशन योजना: 3270 शाखाओं को एनपीएस अंशदान हेतु सक्षम बनाया गया है। वर्ष के दौरान शाखाओं से 2817 एनपीएस खाते खोले गए।

# निर्यात ऋण – ईसीजीसी कवरेज

डबल्यूटी-पीसी/ डबल्यूटी-पीएस - वर्ष 2019-20 के लिए ईसीजीसी को अग्रिम प्रीमियम के एवज में कॉर्पोरेट बैंक गारंटी।

विगत वर्षों में, हमारे सभी लदान पूर्व/ लदानोत्तर निर्यात अग्रिम (एलसी बिल को छोड़कर) एक महीने के अग्रिम प्रीमियम भुगतान के साथ कवर किए गए हैं।

अब, हमारे बैंक ने बैंक गारंटी को चुना है जो निम्नलिखित फायदों को बढ़ावा देता है।

- बैंकों को निधियों के साथ भाग लेने और ईसीजीसी के साथ जमा रखने की आवश्यकता नहीं होती है।
- बैंक शाखा को समय-समय पर अग्रिम किस्त की आवश्यकता की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है।
- दावा एडवांस प्रीमियम की चाह के लिए वापस नहीं किया जा सकता है।
- अग्रिम किस्त का परिव्यय निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इसे किसी भी समय विनियोजित नहीं किया जा सकता है ।
- नए कनेक्शन के लिए एक महीने की अग्रिम प्रीमियम भेजने की अस्पष्टता की संभावना से बचें।

### मानव संसाधन विकास भर्ती एवं स्टाफ की क्षमता

31 मार्च 2020 को 13,586 अधिकारियों एवं 8845 लिपिकों एवं 2426 अधीनस्थ स्टाफ सहित बैंक की स्टाफ क्षमता 24,857 है ।

• बैंक के पीसीए के अधीन रहने के कारण वर्ष 2019-2020 के दौरान कोई भी भर्ती नहीं की गई ।



- Daily Report on GL wise Housing Loans Outstanding
- > Daily Report on GL wise SHG Outstanding report
- > Daily Report on Expenditure Heads
- Password Change feature enabled
- CALRM report: Report on CIF's having sanctioned limit of 50 lakhs and above was developed (for credit monitoring dept)

### **Routine activities**

Other routine activities performed by MISD include providing Daily business figures, List of Accounts opened and closed, daily sanctions and disbursements made under each sector, KYC Related Reports, Excess cash Reports, Data Quality Monitoring Reports, Jewel Loan Performance Report, Comprehensive Branch profile, Report for SMA monitoring, MIS Reports on Advances, Financial Inclusion Reports, Digital registrations and transaction monitoring reports, Reports on projected slippages, Monthly performance ranking of Branches, Weekly and Monthly Cibil data generation, Providing reports on Cibil rejected list, Data to NESL in respect of Corporate borrowers, providing Data dumps to CO Departments, Data Dumps to RBI, providing Data in respect of Parliamentary Questions, EASE Data points, Coordinating with CO user departments for OSMOS returns and RAQ data validation etc.

#### **Government Accounts**

**Direct Tax Collections:** The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct taxes in physical mode through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct Taxes. During the year, the bank has handled transactions amounting to Rs.9307.75 crore and earned commission of Rs.1.36 crore.

Indirect Tax Collections: The Bank is authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax, E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty Drawback. After the advent of GST, all our branches have been enabled for collection of GST. During the year the Bank has handled transactions amounting to Rs.14443.98 crore and earned commission of Rs.1.03 crore.

Payment of Pension: The bank is serving pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, EPFO, CMPFO, TNEB, Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu and Malaysian Government Pension apart from credit through ECS.

Centralised Pension Processing Centre disburses pension on a centralised basis to Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensioners for 60952 active accounts. The Bank has disbursed about Rs.1879.16 crore during the year and received reimbursement under scheme for Central Civil, Defence, Railway and Telecom Pensions within 2-3 days from the date of disbursement. During the year Bank has earned commission of Rs. 5.65 crore.

Bank also handles Treasury Business of the Government of Tamil Nadu at 17 branches with the turnover of Rs.2583.20 crore of receipts and payments. Bank serves the account of Planning Commission and Department of Telecommunications and handled receipts and payments of Rs.15122.79 crore and Rs.588.59 crore respectively. Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 70 branches in Tamil Nadu handling receipts and payments of Rs.532.25 crore.

Bank has been actively participating in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Public Provident Fund and Sukanya Samriddhi Yojana schemes and have contributed subscriptions of about Rs. 917.80 crore.

Sovereign Gold Bond Scheme: During the year Bank has collected Rs.12.47 crore and earned an income of Rs.0.13 crore.

National Pension System: 3270 branches have been enabled for subscription of NPS. During the year branches have opened 2817 NPS accounts.

### **Export Credit-ECGC coverage**

WT-PC/ WT-PS – Corporate Bank Guarantee in lieu of Advance Premium to ECGC for the year 2019-20.

Yester years, all our Pre-shipment/Post shipment Export Advances (excluding LC Bills) are covered with one month advance premium payment.

Now, our Bank has chosen Bank Guarantee which promoted following advantages.

- Banks need not part with funds and keep as deposit with ECGC.
- Bank Branch need not have to monitor the requirement of Advance Premium, periodically.
- Claim may not be repudiated for want of Advance Premium.
- Outlay of advance premium paid cannot be determined and also cannot be appropriated at any point of time.
- Avoid the possibility of obscurity to remit one month advance premium for new connections.

#### **Human Resources Development**

### **Recruitment & Staff strength**

The Bank's staff strength stood at 24,857 Comprising 13586 Officers, 8845 Clerks and 2426 Sub-staff as of 31st March, 2020.

 During the year 2019 – 2020, the bank has not done any recruitment due to PCA.



कुल स्टाफ क्षमता में 4935 सदस्य एससी प्रवर्ग, 1777 एसटी प्रवर्ग एवं 7193 ओबीसी प्रवर्ग से संबंध रखते हैं। स्टाफ क्षमता में 8617 महिला कर्मचारी, 1003 भूतपूर्व सैनिक एवं 480 विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति शामिल हैं।

### अभिप्रेरण :

# उत्तराधिकार की योजना बनाना:

नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करने और संभावित उत्तराधिकारियों को विकसित करने के लिए, उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रिया शुरू की गई थी। पहला चरण बैंक में महत्वपूर्ण पदों की पहचान और संभावित उत्तराधिकारियों की पहचान के साथ शुरू हुआ। प्रत्येक स्थान पर जोखिम की धारणा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों की पहचान की गई है और साथ ही आवश्यक प्रतिस्थापन को भी ध्यान में रखा गया है। हर स्थिति के लिए, तीन उत्तराधिकारियों की पहचान की जानी है और उत्तराधिकार योजना के अनुरूप होना उन्हें चिन्हित महत्वपूर्ण पदों / विभागों में रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

### क्षमता निर्माण

उत्तराधिकार की योजना बनाने और पहचाने गए महत्वपूर्ण पदों के लिए पहचान किए गए अधिकारियों को लैस करने के लिए, बैंक ने कर्मचारियों के सदस्यों की क्षमता के निर्माण के लिए आरबीआईके दिशानिर्देशों के अनुरूप "क्षमता निर्माण" पर एक नीति बनाई है। इस संबंध में, बैंक ने निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान की है।

- क) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़), मुंबई
- ख) राष्ट्रीय बैंकिंग प्रबंधन संस्थान, पुणे
- ग) मूडी की एनालिटिक्स
- घ) एनआईएसएम
- ङ) एनएसईटीआई यूआईडीएआई प्रमाणन
- च) आईएसएसीए सीआईएसए प्रमाणन
- छ) एसएचआरएम (सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट) एचआर प्रमाणन
- ज) सीएचआरएमपी (सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल) – एचआर प्रमाणन

# पहचाने गए क्षेत्रों के लिए प्रमाणन उपलब्ध करवा रहे हैं, जोिक हैं:

- क) ट्रेजरी परिचालन
- ख) विदेशी लेनदेन
- ग) ऋण प्रबंधन
- घ) जोखिम प्रबंधन
- ङ) लेखांकन एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन
- च) वित्तीय समावेशन

- छ) केवाईसी/एएमएल
- ज) विधिक दृष्टिकोणों सहित अनुपालन
- झ) साइबर सुरक्षा
- ञ) संपत्ति प्रबंधन एवं तृतीय पक्षीय उत्पादों का विपणन
- ट) मानव संसाधन प्रबंधन

स्टाफ के सदस्यों को सूचित किया गया है कि वे बैंक में क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट क्षेत्रों में प्रमाणपत्र प्राप्त करें। उन सदस्यों के लिए जो वर्तमान में किसी भी पहचाने गए क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें दो साल के भीतर अपेक्षित प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।

प्रेरक उपाय के हिस्से के रूप में, बैंक क्षमता निर्माण के तहत चिन्हित सभी प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रम शुक्क की प्रतिपूर्ति कर रहा है एवं पदोन्नति प्रक्रिया में भी इसके लिए उचित भारिता दे रहा है।

### नैतिकता की नीति

सार्वजिनक आचरण के संबंध में कर्मचारियों के बीच सहयोग की संस्कृति बनाने, बैंक के साथ संचार, मीडिया सहित बाहरी संस्थाओं के साथ बातचीत और सहकर्मियों के साथ व्यवहार करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों को कवर करते हुए नैतिकता की नीति प्रस्तुत की गई थी। नीति उस आचरण के मानकों को परिभाषित करती है जो सभी कर्मचारियों से अपेक्षित है कि बैंक में विभिन्न कार्यों के दौरान भूमिका और जिम्मेदारियां निभाने के लिए सही निर्णय लिए जाएं।

उक्त नीति के क्रियान्वयन के लिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाया गया है, जिसमें आचार संहिता का पालन करने वाले सभी कर्मचारियों से वार्षिक आधार पर ऑनलाइन पुष्टि (जैसा कि आचार नीति में विस्तृत है) प्राप्त की जाती है।

### जॉब फैमिली •

जॉब फैमिली को हमारे बैंक ने वित्त वर्ष2019 - 20 में पेश किया था जिसमें 10 क्षेत्र शामिल हैं। एक ही क्षेत्र के तहत समान प्रकृति कार्य / बिजनेस वर्टिकल और संबंधित विभागों/ कक्षों/ क्षेत्रों आदि को समूहीकृत करने के बाद एक क्षेत्र के अधीन लाया गया था।जिन दस जॉब फ़ैमिली की पहचान की गई है, वे यहां प्रस्तुत हैं:

- 1) ट्रेजरी एवं विदेशी लेनदेन
- 2) जोखिम प्रबंधन
- 3) लेखांकन
- 4) ऋण प्रबंधन
- 5) एचआर प्रबंधन
- 6) आईटी क्षेत्र



Of the total staff strength, 4935 members belonged to SC category, 1777 to ST Category, and 7193 to OBC Category. Staff Strength includes 8617 Women employees, 1003 Exservicemen and 480 physically challenged members.

#### Motivation:

#### **Succession Planning:**

To ensure leadership continuity and develop potential successors, succession planning process was initiated. The First phase started with the identification of critical positions in the bank and identifying potential successors. The Critical positions have been identified on the basis of the risk perceptions at each department as well as taking into account the replacement required. For every position, three successors to be identified and trained for placing them at identified critical positions/ departments and to be in line with succession planning.

### Capacity Building:

In order to plan the succession and equip the identified officers for identified critical positions, Bank has drawn a Policy on "Capacity Building" in tune with RBI guidelines to build up the capacity of the staff members. In this regard, Bank has identified the following accredited institutes namely

- a) Indian Institute of Banking & Finance (IIBF), Mumbai
- b) National Institute of Banking Management (NIBM), Pune
- c) Moody's Analytics
- d) NISM
- e) NSEIT UIDAI Certification
- f) ISACA CISA Certification
- g) SHRM (Society for Human Resource Management) HR Certification
- h) CHRMP (Certified Human Resource Management Professional) HR Certification

#### who are providing certifications for the identified areas i.e.

- a) Treasury Operations,
- b) Foreign Exchange,
- c) Credit Management,
- d) Risk Management,
- e) Accounting & Audit Management

- f) Financial Inclusion
- g) KYC/ AML
- h) Compliance including Legal aspects
- i) Cyber Security
- j) Wealth Management and Marketing of third party Retail products
- k) Human Resource Management

Staff members have been advised to obtain the certifications in those areas in order to build up the capacity in the Bank. For the members who are currently working under any of the identified areas have to obtain the requisite certification within two years.

As a part of motivational measure, Bank is reimbursing the course fees for all the identified certifications under capacity building and also giving due weightage for the same in the Promotion process.

#### **Ethics Policy:**

Ethics policy was introduced covering all the employees of the Bank, to create a culture of cooperation among the employees in respect of public conduct, communications with the Bank, interactions with external entities including the media and dealing with colleagues. The policy defines the standards of the conduct that is expected of all employees in order that the right decisions are taken in performing roles and responsibilities across various functions in the Bank.

For implementation of the said policy, a Standard Operating Procedure (SOP) has been adopted wherein online affirmation from all the employees confirming adherence to the code of conduct (as detailed in the Ethics policy) is obtained on annual basis.

### Job Family:

Job Family was introduced by our Bank in FY 2019 – 20 which comprises of 10 families. The same was arrived after grouping similar nature tasks/ business vertical and related Depts./ cells/ areas etc. under one family. The ten Job families that has been identified are furnished hereunder:

- 1) Treasury & Foreign Exchange
- 2) Risk Management
- 3) Accounting
- 4) Credit Management
- 5) HR Management
- 6) IT Area



- 7) विपणन एवं खुदरा
- 8) नियंत्रण
- 9) परिचालन
- 10) तकनीकी विशेषज्ञ

संबंधित विभागों/ व्यापार वर्टिकल्स में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, जिसमें वे कार्य कर रहे हैं, समूहीकृत/ वर्गीकृत किए गए क्षेत्र के संबंध में उनके पास अपेक्षित योग्यताएं हैं।

### पदोत्रतियां :

स्टाफ सदस्यों को एक वर्ग से अगले वर्ग में पदोन्नत किया गया है । विवरण निम्नलिखित है :

ग्रेड	वित्त वर्ष 2019 – 20			
पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की समय सीमा	मई 2019			
टीएम VI से टीएम VII	7			
एसएम ∨ से टीएम ∨।	18			
एसएम।∨ से एसएम ∨	26			
एमएम ॥। से एसएम ।∨	50			
एमएम॥ से एमएम॥।	163			
जेएम ।से एमएम ॥	714			
लिपिक से जेएम।	206			
सब स्टाफ से लिपिक	111			
सफाई वाले से सब स्टाफ	219			
कुल	1514			

### अन्य पहलें:

विभाग ने बाहरी एजेंसी के साथ समन्वय करते हुए चिकित्सा पेशेवरों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किया। वित्तीय वर्ष के दौरान नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया।

### प्रशिक्षण:

बैंक को ग्राहक केंद्रित बनाने के कॉर्पोरेट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक और बाहरी प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग के बुनियादी क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समसामियक मुद्दों पर एक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उपरोक्त प्रशिक्षणों के अलावा, बैंकिंग विषयों पर नियमित प्रशिक्षण क्रेडिट मूल्यांकन/ ऋण निगरानी, लघु और मध्यम उद्यम वित्त पोषण, सतर्कता के क्षेत्र में अधिकारियों एवं लिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। स्टाफ कॉलेज और विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में सभी स्टाफ सदस्यों के लिए प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय पंक्ति प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान वित्तीय समावेश और मल्टी ट्रैवल प्रीपेड कार्ड जारी करने पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सब स्टाफ से लिपिक, लिपिक से जेएमजी।, जेएमजेएस। से एमएमजीएस।। एवं एमएमजीएस।। से एमएमजीएस।।। की पदोन्नित हेतु पात्र एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीएच सदस्यों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों पर पदोन्नित पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और पंचाट कर्मचारियों हेतु प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

### आंतरिक प्रशिक्षण

हमारे बैंक के आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में एक स्टाफ कॉलेज और बारह स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) शामिल हैं । वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए प्रदान की गई आंतरिक प्रशिक्षण के आंकड़े यहां प्रस्तुत हैं:

विवरण	अधिकारी	लिपिक	सब स्टाफ	कुल	एससी (कुल में से)	एसटी (कुल में से)
अलग-अलग स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया (भले ही कितने भी प्रशिक्षणों में भाग लिया हो)	9481	5841	1806	17128	3725	1339
वित्त वर्ष 2019 - 20 के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया (सदस्यों द्वारा उपस्थित प्रशिक्षणों की कुल संख्या के आधार पर)	14188	7044	2292	23524	5306	2093

### बाहरी प्रशिक्षण

हमने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), आईडीआरबीटी - हैदराबाद, एनआईबीएम - पुणे, सीएबी - पुणे, आरबीआई, इन्फोसिस, बीक्यू ग्लोबल, आईआईबी एवं एफ - मुंबई, केयर प्रशिक्षण संस्थान, एसआईबीएसटीसी – बंगलुरु, सीएएफ़आरएएल - मुंबई, एफ़आईएमएमडीए - मुंबई, एफ़ईडीएआई - मुंबई, आईबीए, एक्सएलआरआई - जमशेदपुर, थॉमस असेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड कोर्डेक्स - भारत, बर्ड - लखनऊ आदि जैसे प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1045 कार्यकारी अधिकारियों / अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया था।

# ई-पाठशाला – ऑनलाइन ई-लर्निंग पोर्टल

सभी स्टाफ सदस्यों के लिए 27 मॉड्यूल से युक्त हमारे बैंक के ऑनलाइन मॉड्यूल को वित्त वर्ष 2019- 20 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों जैसे क्रेडिट, एनपीए, ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा आदि पर ई-पाठशाला के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। हमारी ऑनलाइन शिक्षा पहल (ई-पाठशाला) द्वारा इन मॉड्यूल की मदद से स्टाफ के सदस्यों के ज्ञान को बढ़ाने और अद्यतन करने का लक्ष्य रखा गया था। उक्त पोर्टल को हमारे स्टाफ कॉलेज संकाय द्वारा नियमित आधार पर अद्यतन और अनुरक्षित किया



- 7) Marketing and Retail
- 8) Control
- 9) Operations
- 10) Technical Specialists

All Officers having exposure/ working in the related depts./ business verticals and having requisite qualifications in the areas falling under the above the Job Families have been grouped/ classified under the given Job Family.

#### **Promotions:**

Promotions were given to staff members from one cadre to next cadre. The statistics are as under:

GRADE	FY 2019 – 20
Completion of Promotion process – Time line	May 2019
TM VI TO TM VII	7
SM V TO TM VI	18
SM IV TO SM V	26
MM III TO SM IV	50
MM II TO MM III	163
JM I TO MM II	714
CLERICAL TO JM I	206
SUBSTAFF TO CLERICAL	111
SWEEPER TO SUBSTAFF	219
Total	1514

#### Other initiatives:

The Department, in coordination with external agency conducted health awareness sessions by medical professionals. Eye Camp was conducted during the financial year wherein all staff members at Central Office participated.

### Training:

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers and clerks in the field of Credit Appraisal/ Credit Monitoring, Small & Medium Enterprises Financing, Vigilance. Also Programmes for First Line and Second line managers were conducted for all staff members at Staff College and various Staff Training Centers.

Special Training Programmes on Financial Inclusion and issuance of multi travel prepaid card were conducted during the year.

Pre Promotion Training for SC/ST/ OBC/ PH members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre, Clerk to JMGS I, JMGS I to MMGS II and MMGS II to MMGS III was conducted at various Staff Training Centers. The Pre-Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year.

### **Internal Training**

Our Bank's internal training system comprises of One Staff College and Twelve Staff Training Centers (STCs). The statistics of Internal Trainings imparted for the FY 2019 – 20 is furnished hereunder:

Particulars	Officers	Clerical	Substaff	Total	SC (Out of	ST (Out of
					Total)	Total)
Training imparted to Individual Staff	9481	5841	1806	17128	3725	1339
members (irrespective of no. of trainings						
attended)						
Training imparted during FY 2019 - 20	14188	7044	2292	23524	5306	2093
(based on total no. of trainings attended by						
members)						

#### **External Training**

We had also deputed 1045 Executives/ Officers for training programmes conducted by reputed external institutes like Indian Institute of Management (IIMs), IDRBT – Hyderabad, NIBM – Pune, CAB – Pune, RBI, Infosys, BQ Global, IIB&F – Mumbai, CARE Training Institute, SIBSTC – Bangalore, CAFRAL – Mumbai, FIMMDA – Mumbai, FEDAI – Mumbai, IBA, XLRI – Jamshedpur, Thomas Assessment Pvt. Ltd. CORDEX – India, BIRD – Lucknow etc.

#### E-Paatashala – Online e-Learning portal:

E-Paatashala was made available for all the staff members in our Bank's online module consisting of 27 modules on various areas like Credit, NPA, Treasury, Foreign Exchange etc., during the FY 2019 - 20. These modules were targeted at enhancing and updating the knowledge of the staff members thereby scaling up our online learning initiative (E-Paatashala). The said portal was updated and maintained by our Staff College Faculty on a regular



गया । कुल 12708 अधिकारियों (96.56%) ने ई-पाठशाला के तहत सभी चार अनिवार्य मॉड्यूल (27 उपलब्ध मॉड्यूल में से) को पूरा किया ।

# आचरण एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अनुशासनात्मक मामलों के निपटान के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के चलते सी एवं डीएसी ने 481 मामलों का निपटारा किया, जिसमें 307 सतर्कता और 174 गैर-सतर्कता के मामले शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने 437 आरोप पत्र जारी किए।

31.03.2020 तक 190 मामलों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रगति के विभिन्न चरणों में है । कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

मार्च 2020 तक, 245 सतर्कता मामले लंबित हैं, जिनमें से 10 मामले 18 महीने से अधिक समय से लंबित हैं एवं 31.03.2020 को 18 महीने से अधिक के केवल 2 सीवीसी मामले लंबित हैं।

# सुरक्षा

हमारी सभी शाखाओं, एटीएम और प्रशासनिक कार्यालयों में सुरक्षा उपाय, अनिवार्य और अनुशंसात्मक व सही ढंग से और सख्ती से लागू किए गए और समय-समय पर स्थानीय कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए जिससे हमारे कर्मचारी तथा ग्राहकों हेतु सुरक्षित व्यावसायिक के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ । बैंक ने सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए निवारक उपायों और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के बीच आग की रोकथाम और सुरक्षा चेतना के विकास पर जोर देना जारी रखा । बैंक ने सुरक्षा जागरूकता के बारे में स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाया एवं सभी शाखाओं में सुरक्षा उपकरणों यथा सीसीटीवी और बर्गलर अलार्म 24x7x365 दिन पैसिव इंफ्रारेड सेंसर (पीआईआर) एवं विब्ररेशन सेंसर की स्थापना सुनिश्चित की है एवं मामला दर मामला आधार पर संवेदनशील एटीएम पर बाहरी सुरक्षागार्ड/ सशस्त्र गार्ड को तैनात किया गया है । केंद्रीय कार्यालय के सुरक्षा विभाग ने क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने भारतवर्ष में नकदी प्रबंधन कार्यों की निगरानी की और उनका संचालन और नियंत्रण किया।

### राजभाषा

बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए हैं । वर्ष के दौरान जिनके पास हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है ऐसे 266 स्टाफ सदस्य को आईओबी प्रवीण के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया । वर्ष के दौरान आयोजित सामान्य हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले 2887 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में हिंदी यूनिकोड फ़ॉन्ट डलवाया गया तथा आईओबी ऑनलाइन पर इसे डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है । स्टाफ सदस्यों के लाभ के लिए आईओबी ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली उपलब्ध कारवाई गई है । त्रैमासिक हिंदी पत्रिका "वाणी" के चार अंकों के मुद्रण के साथ-

साथ इसे डिजिटल रूप में भी प्रकाशित किया गया है । लेखमाला – V को भी प्रकाशित किया गया है ।

32 क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं को संबंधित नराकासों से पुरस्कार प्राप्त हुआ । राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय और राजभाषा शील्ड द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों और राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में अच्छा काम करने वाली शाखाओं को सम्मानित किया गया ।

बैंक ने हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया । स्टाफ सदस्यों के लिए 10 सितंबर 2019 को एक अखिल भारतीय हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । बैंक ने एक अंतर-बैंक अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई । 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया । क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । क्षेत्रीय कार्यालयों ने बैंक के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं ।

# अपने बैंक में आईएनडी-एएस को लागू करने की स्थिति

बेंक ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आईएनडी-एएस (भारतीय लेखा मानक) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू की थी । आरबीआई ने इसकी अधिसूचना आरबीआई/ 2018-2019/ 146 डीबीआर. बीपी. बीबीसी. सं.29 / 21.07.001 / 2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 को रद्द कर दिया तथा आगामी सोचना तक के लिए आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन स्थिगत कर दिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2016 में जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ने कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक संचालन सिमित का गठन किया है जिसमें चार (4) महा प्रबंधकों का कार्य समूह है जो कि आईएनडी-एएस कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है । बैंक ने आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यरत विभागों से लिए गए दस (10) सदस्यों की मूल टीम एवं सात (7) सदस्यों की ईसीएल (संभावित क्रेडिट हानि) टीम का गठन किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश के अनुसार बैंक ने 31 दिसंबर 2019 तक प्रो-फ़ार्मा के वित्तीय विवरण दर्ज किए हैं । इसके अलावा, आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट लेखा परीक्षा सिमित और बोर्ड को पहले ही दी जा चुकी है । बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है । इसके अलावा बैंक के विभिन्न अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों हारा भी आईएनडी-एएस जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया ।

बैंक ने आईएनडी-एएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा प्रणाली में अंतरालों की पहचान की है जिसमें कर्मचारियों के अग्निमों, कर्मचारियों के जमा का उचित मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) आदि की गणना शामिल है । आगामी रूप से बैंक ने आईएनडी-एएस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों अर्थात ट्रेजरी, क्रेडिट वर्टिकल, जोखिम प्रबंधन विभाग आदि के कार्य प्रवाह को व्यवस्थित करने तथा अंतराल को पूरा की दिशा में कदम शुरू किर दिए हैं । बैंक भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) के कार्यान्वयन के लिए



basis. A total of 12708 Officers (96.56%) completed all four Mandatory modules (out of 27 available modules) under E-Paatashala.

### **CONDUCT & DISCIPLINARY ACTION**

During the Financial Year 2019-20 due to effective steps taken for disposal of disciplinary cases, C&DAC has disposed of 481 cases comprising of 307 Vigilance and 174 Non-Vigilance cases. During the year under review, the Bank issued 437 charge sheets.

The disciplinary proceedings are in various stages of progress in respect of 190 cases as on 31.03.2020. Efforts are made to complete the disciplinary proceedings within the stipulated time frame, by continuous review by Executives.

As on March 2020, there are 245 Vigilance cases pending, of which 10 cases are pending beyond 18 months and there are only 2 CVC cases pending beyond 18 months as on 31.03.2020.

#### **SECURITY**

Security measures, mandatory and recommendatory, were correctly and strictly implemented in all our branches, ATMs and administrative offices and were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and necessary steps taken to fortify security thereby creating a safe business environment for customers and our staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire safety arrangements and inculcation of fire prevention and security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Bank has sensitized staff members regarding security awareness and ensured installation of security electronics viz., CCTV and Burglar Alarm functioning 24x7x365 days incorporating Passive Infra-Red (PIR) sensors and vibration sensors in all branches and deployment of outsourced Watchmen/ Armed Guards at vulnerable ATMs and branches on case to case basis. The Security Department at Central Office monitored and regulated the cash management operations, duly facilitated and aided by the team of Regional Security Officers pan India.

#### Official Language

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2019-20. During the year 266 Staff members who do not possess working knowledge of Hindi were trained in IOB Praveen. 2887 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. As per the directives of Govt. of India Bank has enabled Hindi Unicode font in all Branches and administrative Offices and has provided

the facility of downloading of the same on IOB ONLINE. Banking terminology has been provided on IOB ONLINE for the benefit of staff members. Four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form have been published. Lekhmala - V is also published.

32 Regional Offices / Branches received awards from respective TOLICs. Regional Offices were inspected on O L implementation by Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Bank has conducted Hindi competitions in all Regional Offices and Central Office on the occasion of Hindi Day Celebrations. An All India Hindi Essay Writing competition was held on 10th September 2019 for the staff members. Bank has also conducted an inter-bank All-India Essay Writing competition. On 10th January 2020 World Hindi Day was observed in Central Office and Regional Offices. Various Hindi competitions, seminars and workshops were held in Regional Offices. Regional Offices have conducted various Hindi Competitions for school children on the occasion of Bank's foundation Day Celebrations.

### Status of Implementation of IndAS in our Bank

Bank had commenced the process of IndAS (Indian Accounting Standards) implementation during FY 2016-17. RBI vide their notification RBI/2018-2019/146 DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred the implementation of Ind AS till further notice.

In line with the guidance issued by the Reserve Bank of India in February 2016, the Bank has set up a Steering Committee headed by the Executive Director along with a Working Group consisting of four (4) General Managers which monitors the progress of IndAS implementation. Bank has also formed a Core team of ten (10) members and ECL (Expected Credit Loss) team of seven (7) members drawn from various functional departments for taking forward the implementation of Ind AS. In line with direction of Reserve Bank of India Bank has filed the Proforma financial statements up to 31st Dec 2019. Further, the status report on progress of implementation of Ind AS has already been placed to the Audit Committee and also to the Board of the Bank. The Bank has undertaken pan India training to officers attached to various Regional and Zonal Offices. Also IndAS awareness program was undertaken by the Executives attached to the various Regional and Zonal Offices of the Bank.

Bank has identified the gaps in existing system for meeting IndAS requirement which includes fair valuation of staff advances, staff deposits, computation of Effective Interest Rate (EIR) etc. Bank has initiated next steps towards streamlining the workflow of various departments viz.,



समग्र समाधान हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण और आवश्यक हार्डवेयर लेने की प्रक्रिया में है, जिसके लिए एक आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) मंगाई गई है।

### वस्तु एवं सेवा कर

मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से संबंधित काम, जीएसटी के भुगतान को केंद्रीयकृत किया गया है जिसे अब केंद्रीय कार्यालय में कर अनुपालन और भुगतान सेल द्वारा किया जा रहा है। बैंक ने जीएसटी के तहत सभी रिटर्न को आज तक विधिवत दाखिल किया है।

# पीएसबी – संशोधन एजेंडा – ईज़ – बढ़ी हुई पहुँच एवं उत्कृष्ठ सेवाएँ

एमओएफ़-जीओआई द्वारा अनुमोदित पीएसबी सुधार एजेंडा नामक पीएसबियों की पुनर्पूंजीकरण योजना - "पीएसबी मंथन में पीएसबी के पूर्ण कालिक निदेशकों और विरष्ठ अधिकारियों द्वारा नवंबर -2017 में की गई सिफारिशों के आधार पर संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) को तैयार किया गया है।

पीएसबी की पुनर्पूंजीकरण योजना को एमओएफ़-जीओआई ने पीएसबी सुधार के नाम पर अनुमोदित किया है। सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए और स्वतंत्र रूप से माप किए गए सुधारों के लिए जनवरी 2018 में पीएसबियों के सुधार एजेंडा को बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज़) के रूप में लॉन्च किया गया था। ईज़ कार्यक्रम ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रमुख क्षेत्रों पर उद्देश्य और बेंचमार्क प्रगति को सक्षम किया है। आईबीए ने ईज़ सुधार एजेंडा के तहत पीएसबी की प्रगति की निगरानी के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की सेवाओं को शामिल किया।

मार्च 2019 को ईज़ 1.0 (वित्तवर्ष 2018-19) के तहत पीएसबी में 75% स्कोर के साथ हमारा बैंक 5 वें स्थान पर था। हमारे बैंक को 8 पुरस्कारों में से "विजेता-सुधार उत्कृष्टता" और "विजेता-गहरा वित्तीय समावेश और डिजिटलाइजेशन" के लिए दो पुरस्कार मिले। हमारे बैंक के शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) को "पीएसबी के मध्य सर्वश्रेष्ठ अभ्यास" के रूप में एक विशेष उल्लेख मिला।

आईबीए ने ईज़ संशोधन एजेंडा को वित्तवर्ष 2019-20 में जारी रखा एवं इसका नाम ईज़ 2.0 रखा है । ईज़ 2.0 ने नए मैट्रिक्स आईडी पर केन्द्रित किया है ।

हमारे बैंक ने ईज़ 2.0 के तहत जून 2019 के सूचकांक में 48% स्कोर के साथ 13 वें स्थान के साथ शुरुआत की । आईबीए ने 26 फरवरी, 2020 को दिसंबर 2019 के लिए ईज़ 2.0 इंडेक्स प्रकाशित किया और हमारे बैंक ने 19 पीएसबी में से 7 वें स्थान पर 70.8% स्कोर के साथ सितंबर 2019 के लिए 9% के मुकाबले 58% स्कोर के साथ सुधार किया है ।

ईज़ 3.0 माननीय वित्त मंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ईज़ 3.0 सुधार एजेंडा सभी पीएसबी के संपूर्ण समय के निदेशकों की उपस्थिति में शुरू किया गया था । ईज़ 3.0 - वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधार एजेंडा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी ग्राहक अनुभवों में बैंकिंग की आसानी को बढ़ाने का प्रयास करता है । फिनटेक, वैकल्पिक डेटा और एनालिटिक्स, डोरस्टेप ऋण सुविधा के लिए डायल-ए-लोन, एंड-टू-एंड डिजिटलाइज्ड लेंडिंग के लिए क्रेडिट पर क्लिक करें, अच्छी तरह से लगातार जगहों पर ईएएसई बैंकिंग आउटलेट्स, पाम बैंकिंग, डिजिटल ब्रांच एक्सपीरियंस, एनालिटिक्स-बेस्ड इंस्टेंट ऑफर ऑफर कैश-फ्लो-आधारित क्रेडिट और टेक-एनेबल्ड एग्रीकल्चर लेंडिंग एजेंडा बनाने वाले टेक-इनेबल्ड विस्तार की एक विस्तुत सारणी का हिस्सा हैं।

### प्रायोजना एवं अर्थ व्यवस्था डेस्क

नियोजन कार्य क्षेत्रवार मासिक लाभ और हानि आंदोलन, कॉर्पोरेट स्तर के बजट की निगरानी, शीर्ष दैनिक प्रबंधन के लिए अनंतिम दैनिक एमआईएस रिपोर्टिंग और विभिन्न अध्ययन विश्लेषण की दिशा में उपयोगी परिणाम प्राप्त करना जारी रखता है। इकोनॉमिक डेस्क नियमित अंतराल पर सरकार / आरबीआई की नीतियों का विश्लेषण करने के अलावा, अर्थव्यवस्था में दिन-प्रतिदिन के विकास के साथ शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है।

### संसदीय/ राज्यसभा समिति

बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित संसदीय (लोक सभा और राज्यसभा) समितियों के दौरान की यात्रा की मेजबानी की :

- क) 16.09.2019 को मदुरै में सरकारी आश्वासन, राज्य सभा की संसदीय समिति का अध्ययन दौरान ।
- ख) 01 नवंबर 2019 को चेन्नै में श्रम पर संसदीय समिति काअध्ययन दौरान ।
- ग) 21 जनवरी 2020 को चेन्ने में 2019 को चेन्ने में अधीनस्थ विधान संसदीय समिति का अध्ययन दौरान।

### दृष्टिकोण 2020-21

कोविड-19 महामारी दुनिया भर में बढ़ रही है तथा मानव जीवन को क्षित पहुंचा रही है, एवं आवश्यक सुरक्षा उपाय आर्थिक गतिविधि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आरबीआई के अनुसार, बेसलाइन परिदृश्य यह मानता है कि 2020 की दूसरी छमाही में महामारी फैलने पर रोकथाम के प्रयास धीरे-धीरे निराधार हो सकते हैं जिसके चलते 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.8 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है। देश-वार अतीत का अनुभव बताता है आर्थिक गतिविधियों में सुधार और पूंजी निर्माण धीमा हो जाता है।



Treasury, Credit verticals, Risk Management Dept etc by bridging the gaps for meeting IndAS requirements. Bank is in the process of going for a holistic solution involving acquisition of software and required hardware for implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) for which an RFP (Request for proposal) has been floated.

#### Goods and Service Tax

Work related to filing of monthly GST Returns, payment of GST has been centralized and is being made by Tax Compliance and Payment Cell at Central office. Bank has duly filed all the Returns under GST up to date.

# PSBs- Reforms Agenda – EASE – Enhanced Access & Service Excellence

The recapitalization plan of PSBs approved by MOF-GOI titled PSB Reforms Agenda- "Enhanced Access & Service Excellence (EASE) has been framed based on the recommendations made by the PSB Whole Time Directors and Senior Executives in PSB Manthan in November-2017.

The PSBs Reforms Agenda was launched as Enhanced Access and Service Excellence (EASE) in January 2018 for publicly reported and independently measured reforms. The EASE program has enabled objective and benchmarked progress on key areas in Public Sector Banks. IBA engaged the services of Boston Consulting Group (BCG) to monitor the progress of PSBs under EASE reform agenda.

Our Bank was ranked 5th position as on March 2019 under EASE 1.0 (FY 2018-19) with 75% score among PSBs. Our Bank received two awards for "Winner-Reforms Excellence" and "Winner- Deepening Financial Inclusion and Digitalisation" out of 8 awards category. Grievance Redressal System (SPGRS) of our Bank got a special mention in "Examples of Best Practice among PSBs".

IBA continued the EASE Reform agenda for FY 2019-20 and named as EASE 2.0. EASE 2.0 has shifted the focus on new Metrics IDs.

Our Bank started with 13th position for under EASE 2.0 as on June 2019 Index with 48% score. IBA published the EASE 2.0 Index for December 2019 on February 26, 2020 and our Bank has improved the rank to 7th out of 19 PSBs with 70.8% score as against 9th position for September 2019 with 58% score.

EASE 3.0 - The Reforms Agenda for FY2020-21 was

launched by Hon'ble Finance Minister in the presence of Whole Time Directors of all PSBs among other dignitaries on February 26, 2020 at New Delhi. EASE 3.0 - The Reforms Agenda for FY2020-21 seeks to enhance ease of banking in all customer experiences using technology. FinTech, alternate data and analytics. Dial-a-loan for doorstep loan facilitation, Credit@click for end-to-end digitalised lending, on-the-spot EASE Banking Outlets at well-frequented places, palm banking, digitalised branch experience, analytics-based instant credit offers, cash-flow-based credit and tech-enabled agriculture lending are part of a wide array of tech-enabled EASE enhancements constituting the agenda.

#### **Planning & Economic Desk**

The Planning function continues to derive useful results towards monitoring region wise monthly Profit & Loss movement, Corporate level Budgeting, reporting provisional daily MIS to Top Management & various study analysis. The economic desk supports Top Management with day-to-day developments in the economy, apart from analyzing the Government/RBI policies at regular intervals.

#### Parliamentary / Rajyasabha Committee

The Bank hosted the visit of the following Parliamentary (Loksabha & Rajyasabha) Committees during the FY 2019-20.

- a) Study Visit of Parliamentary Committee on Government Assurances, Rajya Sabha on 16.09.2019, at Madurai.
- b) Study Visit of Parliamentary Committee on Labour on 01st November 2019, at Chennai.
- Study Visit of Parliamentary Committee in Subordinate Legislation on 21st January 2020, at Chennai.

### Outlook 2020-21

The COVID-19 pandemic is inflicting high and rising human costs worldwide, and the necessary protection measures are severely impacting economic activity. As per RBI, under baseline scenario--which assumes that the pandemic fades in the second half of 2020 and containment efforts can be gradually unwound—the global economy is projected to grow by 5.8 percent in 2021. The country-wise past recession experience suggests that the recovery in economic activity and the capital formation tends to be slow.



# वर्ष 2019-20 हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

### ए. अनिवार्य आवश्यकताएं

### 1. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

बैंक अपने दैनिक क्रियाकलापों का संचालन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों के अनुपालन में करता है। बैंक हमेशा ही पारदर्शिता के पक्ष में रहा है तथा प्राधिकारों के विविध स्तरों पर कार्यनिष्पादन हेतु उच्च मानक,निष्पक्षता व ज़वाबदेही तय की है। बैंक सदैव अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार, कर्मचारी गण, ऋणदाताओं तथा व्यापक तौर पर समाज के हितों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। देश की वित्तीय और आर्थिक प्रणाली में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में,बैंक अपने नैतिक मूल्यों, उद्देश्यों, रणनीतियों और नियंत्रण पर्यावरण को निर्धारित करने में प्रभावी कॉर्पोरेट शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं को महत्व देता है।

### 2. निदेशक मण्डल

### ए. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्य भार निदेशक मंडल पर है। प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेश मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2020 तक 06 निदेशक हैं, जिनमें दो पूर्ण कालिक निदेशक हैं व 2 गैर कार्यपालक निदेश हैं एवं दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व द्वारा चुने गए हैं। क्योंकि गैर कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था एमडी व सीईओ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं।

### बी. i वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्रम सं.	निदेशकों का नाम (श्री/ श्रीमती)	पद	निर्देशन की प्रकृति	नियुक्ति की तिथि	वर्ष के दौरान सेवा निवृत/ कार्यकाल की समाप्ति
1	टी सी ए रंगनाथन	अध्यक्ष	गैर कार्यपालक/ अंशकालिक गैर आधिकारिक	16.02.2017	15.02.2020
2	कर्नम शेखर	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	15.04.2019	
3	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	29.09.2016	30.06.2019
4	के स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	17.02.2017	16.02.2020
5	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक/ पूर्णकालिक	09.10.2017	
6	ऐनी जार्ज मैथ्यू	सरकारी नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	22.07.2016	
7	श्रीमती रीनि अजीत	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	13.08.2019	17.09.2019
8	निर्मल चंद	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	13.03.2014	12.08.2019
9	डॉ दीपक कुमार	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक	आधिकारिक- गैर कार्यपालक	18.09.2019	
10	के रघु	सनदी लेखाकार निदेशक	गैर कार्यपालक	26.07.2016	25.07.2019
11	नवीन प्रकाश सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2017	

31.03. 2020 तक बैंक के निदेशकों की प्रोफाइल अनुबंध के रूप में संलग्न है।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं।

मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

वर्तमान में श्री हरि बाबू, उप महा प्रबंधक बोर्ड के सचिव हैं।



#### REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2019-20

### A. Mandatory Requirements

#### 1. Bank's Philosophy on Corporate Governance

The Bank is conducting its day to day affairs in accordance with the principles of Corporate Governance. The Bank has always stood for transparency, accountability and responsiveness within the framework of regulatory, market, stakeholders and internal governance. In the context of the pivotal role that banks play in the financial and economic system of the country, the Bank values the critical importance of effective corporate governance in determining its ethical values, objectives, strategies and control environment.

#### 2. Board of Directors:

#### a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The MD & CEO and ED function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2020 is Six directors comprising two whole time Directors and 2 non-executive Directors, and two directors elected from amongst the shareholders to duly represent their interest. Since the term of the Non-Executive Chairman ended in February 2020, the MD & CEO presides as Chairman of the Board.

#### b. i Particulars of Directors who held office during the financial year 2019-2020:

SI	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of	Retirement /
No.	(Shri/Smt)			Appointments	Demission of office
					during the year
01	T C A Ranganathan	Chairman	Non Executive/Part	16.02.2017	15.02.2020
			Time Non Official		
02	Karnam Sekar	Managing Director & Chief	Executive / Whole	15.04.2019	
02	Kamam Sekar	Executive Officer	Time	15.04.2019	
03	R. Subramaniakumar	Managing Director & Chief	Executive / Whole	29.09.2016	30.06.2019
		Executive Officer	Time		
04	K Swaminathan	Executive Director	Executive / Whole	17.02.2017	16.02.2020
			Time		
05	Ajay Kumar	Executive Director	Executive / Whole	09.10.2017	
	Srivastava		Time		
06	Annie George	Government Nominee	Official -Non	22.07.2016	
	Mathew	Director	Executive		
07	Smt Reeny Ajith	RBI Nominee Director	Official -Non	13.08.2019	17.09.2019
			Executive		
08	Shri Nirmal Chand	RBI Nominee Director	Official -Non	13.03.2014	12.08.2019
			Executive		
09	Dr. Deepak Kumar	RBI Nominee Director	Official -Non	18.09.2019	
			Executive		
10	K Raghu	Chartered Accountant	Non Executive	26.07.2016	25.07.2019
		Director			
11	Shri Navin Prakash	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2017	
	Sinha				

Profile of Directors of the Bank as on 31.03.2020 is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the MD & CEO confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri Hari Babu, Deputy General Manager, is the present Secretary of the Board.



### बी.ii निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का विवरण

कोर व्यवसाय / विशेषज्ञता / दक्षताओं को बैंक व्यवसाय और क्षेत्रों के संदर्भ में आवश्यक रूप से पहचाना जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें	बोर्ड के पास उपलब्ध मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएं	निदेशकों के नाम जिनके पास कोर कौशल / विशेषज्ञता /सक्षमता है
बैंकिंग	हाँ	श्री कर्नम शेखर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्री संजय रुंगटा श्री दीपक कुमार
वित्त	हाँ	श्री कर्नम शेखर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू श्री संजय रुंगटा
अर्थशास्त्र	हाँ	श्री दीपक कुमार
मानव संसाधन प्रबंधन	हाँ	श्री कर्नम शेखर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू श्री नवीन प्रकाश सिन्हा श्री दीपक कुमार
सूचना प्रौद्योगिकी	हाँ	श्री दीपक कुमार
कोषागार प्रबंधन	हाँ	श्री कर्नम शेखर श्री दीपक कुमार
विपणन	हाँ	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव श्री नवीन प्रकाश सिन्हा
दिवालियेपन में पेशेवर	हाँ	श्री संजय रुंगटा
जोखिम प्रबंधन	नहीं	

एक पुष्टिकरण कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक लिस्टिंग नियमों में निर्दिष्ट शर्तीं को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

### सी. बोर्ड की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को एजेंडा के सभी अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी दी जाती है। आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु बैंक के कार्यपालकों को भी बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने बोर्ड व समिति की बैठकों निदेशक मंडल की तिमाही में कम-से-कम एक बैठक के साथ, वर्ष में न्यूनतम छ: बार आयोजित किए जाने की तुलना में 13 बैठकें हुई।

बेंक ने 2012-13 में बोर्ड पोर्टल, एक वेब आधारित ऑनलाइन वर्क स्पेस, के जिरए बोर्ड के सदस्यों को सूचनाओं का समय पर और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड व सिमित की बैठकों के आयोजन के लिए ई गवर्नेंस पहल शुरू की । इस पोर्टल के द्वारा निदेशकों को आई पैड पर एजेंडा पेपर की गोपनीय पहुँच प्रदान करता है । इस पहल ने बैठक के आयोजन के तरीके को परिवर्तित किया है जिसके द्वारा कीमत, समय और

• वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों पर बोर्ड की 12 बैठकों का आयोजन किया गया :

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	आयोजन स्थल
01	09.05.2019	चेन्नै
02	27.05.2019	चेन्नै
03	26.06.2019	चेन्नै
04	23.07.2019	चेन्नै
05	12.09.2019	चेन्नै
06	19.10.2019	चेन्नै
07	04.11.2019	चेन्नै
08	27.11.2019	चेन्नै
09	19.12.2019	चेन्नै
10	21.01.2020	चेन्नै
11	10.02.2020	चेन्नै
12	16.03.2020	चेन्नै

 सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।



### b. ii Particulars of Skills/ Expertise/ Competence of Board of Directors

Core Skill/ Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank business and sectors for it to function effectively	Core Skill/ Expertise /Competencies available with the board	Name of Directors who has such Core Skill/ Expertise/ Competencies
Banking	Yes	Shri Karnam Sekar
		Shri Ajay Kumar Srivastava
		Shri Sanjay Rungta
		Shri Deepak Kumar
Finance	Yes	Shri Karnam Sekar
		Shri Ajay Kumar Srivastava
		Smt. Annie George Mathew
		Shri Sanjay Rungta
Economics	Yes	Shri Deepak Kumar
Human Resource Management	Yes	Shri Karnam Sekar
		Shri Ajay Kumar Srivastava
		Smt. Annie George Mathew
		Shri Navin Prakash Sinha
		Shri Deepak Kumar
Information Technology	Yes	Shri Deepak Kumar
Treasury Management	Yes	Shri Karnam Sekar
		Shri Deepak Kumar
Marketing	Yes	Shri Ajay Kumar Srivastava
		Shri Navin Prakash Sinha
Insolvency Professional	Yes	Shri Sanjay Rungta
Risk Management	No	

A confirmation that in the opinion of the board, the independent directors fulfill the conditions specified in the listing regulations and are independent of the management.

### c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 13 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

During the year 2012-13, the Bank has promoted an e-governance initiative for e-conduct of Board and Committee meetings by ensuring timely and seamless flow of information to Board members through the use of a Board Portal, a web based online workspace. The portal offers Directors confidential e-access on iPads, on a real-time basis, to agenda papers. This initiative has transformed the way meetings are conducted while resulting in substantial savings in cost, time and resources.

• During the financial year 2019-20, the Board meetings were held 12times on the following dates and places:

SL NO.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	09.05.2019	Chennai
02	27.05.2019	Chennai
03	26.06.2019	Chennai
04	23.07.2019	Chennai
05	12.09.2019	Chennai
06	19.10.2019	Chennai
07	04.11.2019	Chennai
08	27.11.2019	Chennai
09	19.12.2019	Chennai
10	21.01.2020	Chennai
11	10.02.2020	Chennai
12	16.03.2020	Chennai

<sup>•</sup> All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.



· बोर्ड बैठकों आयोजित पिछली ए.जी.एम. में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	श्री/सुश्री निदेशक का नाम	उपस्थित/ आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	10.07.2019 को संपन्न ए.जी.एम. में उपस्थिति
01	श्री टी सी ए रंगनाथन	11/11	उपस्थित
02	श्री आर. सुब्रमण्यकुमार	03/03	अनुपस्थित
03	श्री कर्नम शेखर	12/12	उपस्थित
04	श्री के स्वामिनाथन	11/11	उपस्थित
05	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	12/12	उपस्थित
06	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	08/12*	अनुपस्थित
07	श्री निर्मल चंद	03/04	अनुपस्थित
08	श्रीमती रीनि अजित	00/01	अनुपस्थित
09	श्री दीपक कुमार	07/07**	अनुपस्थित
10	श्री के रघु	04/04	अनुपस्थित
11	श्री संजय रुंगटा	12/12	उपस्थित
12	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	06/12	अनुपस्थित

<sup>\*\*</sup> श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 23.07.2019, 12.09.2019, 19.12.2019 एवं 16.03.2020 को बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सहभागिता की ।

- श्री संजय रुंगटा 600 शेयर
- श्री नवीन प्रकाश सिन्हा -100 शेयर

किसी भी अन्य गैर - कार्यपालक निदेशक आईओबी के शेयर के धारक नहीं है।

### डी. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य/ अध्यक्ष हैं।

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइओबी को छोड़ कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोड़कर )	समितियोंकीसंख्याजिसमेंसदस्यहैं(आइओबी को छोड़कर)
श्री टी सी ए रंगनाथन	3	-
श्री दीपक कुमार	2	-

### ई. समितियों में सदस्यता

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 सिमावतयों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी सूचीबद्ध इकाइयों, जिनमेंवे निदेशक हैं, की पाँच सिमितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं। (सेबी (सूचीबद्ध बाध्यता व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के खंड 26 के संबंध में सीमा की गणना के लिए, लेखापरीक्षा सिमित व स्टेकधारक संबंध सिमित की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है।)

### 3. बोर्ड की समितियां

निर्णय प्रक्रिया को सहज़ बनाने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित सिमितयां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं। हर बैठ कार्यवृत्त सिमिति की अगली बैठक के समक्ष पृष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

- 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
- 2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
- 3. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

- 4. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- 5. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी के प्रबोधन हेतु समिति
- 6. मंडल की ग्राहक सेवा समिति
- 7. अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति
- 8. पारिश्रमिक समिति
- 9. नामांकन समिति
- 10. सूचना प्रोद्योगिकी रणनीति समिति
- 11. मानव संसाधन पर संचालन समिति
- 12. एनपीए की वसूली की निगरानी हेत् बोर्ड स्तरीय समिति
- 13. सामान्य शेयर पूंजी निर्गम हेतु निदेशकों की समिति
- इरादतन चूककर्ताओं एवं गैर-सहकारी उधारकर्ताओं पर समीक्षा समिति
- 15 हितधारक संबंध समिति
- 16. अपीलों के संज्ञान हेतु बोर्ड की समिति
- 17. प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति

<sup>\*\*</sup> श्री दीपक कुमार ने 19.10.2019, 27.11.2019, 10.02.2020 एवं 16.03.2020. को बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सहभागिता की । 31.03.2020 तक सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम 2015 के विनियम 34 के संबंध में गैर-कार्यपालक निदेशकों द्वारा धारित शेयरों के ब्योरे निम्नवत हैं:



Attendance of the directors at the Board meetings and last AGM held on are furnished below:

SI. No.	Name of the Director	Number of Board Meetings attended/held	Attendance in the Last AGM 10.07.2019	
01	Shri T C A Ranganathan	11/11	Attended	
02	Shri R. Subramaniakumar	03/03	Not attended	
03	Shri Karnam Sekar	12/12	Attended	
04	Shri K Swaminathan	11/11	Attended	
05	Shri Ajay Kumar Srivastava	12/12	Attended	
06	Smt Annie George Mathew	08/12*	Not attended	
07	Shri Nirmal Chand	03/04	Not attended	
08	Smt Reeny Ajith	00/01	Not attended	
09	Shri Deepak Kumar	07/07**	Not attended	
10	Shri K Raghu	04/04	Not attended	
11	Shri Sanjay Rungta	12/12	Attended	
12	Shri Navin Prakash Sinha	06/12	Not attended	

<sup>\*</sup> Smt Annie George Mathew attended the meeting through videoconferencing on 23.07.2019, 12.09.2019, 19.12.2019 and 16.03.2020.

Details of Shares held by Non-Executive Directors in terms of Regulation 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 as on 31.03.2020

- 1. Shri Sanjay Rungta 600 Shares
- 2. Shri Navin Prakash Sinha 100 Shares

No other Non-Executive Directors hold any IOB shares.

#### d. Number of other Boards or Board Committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB ) in which he / she is a member/ Chairperson of the Board (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri T C A Ranganathan	3	-
Shri Deepak Kumar	2	-

#### e. Membership in Committees:

None of the Directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all listed entities in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 26 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the chairmanship/membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee alone have been considered).

### 3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation. The minutes are also placed before the Board Meeting for information.

- Management Committee of the Board
- 2. Credit Approval Committee of the Board
- 3. Audit Committee of the Board

- 4 Risk Management Committee of the Board
- 5. Committee for Monitoring Large Value Frauds
- 6. Customer Service Committee of the Board
- 7. Committee for Review of Disciplinary Cases & Departmental Enquiries
- 8. Remuneration Committee
- 9. Nomination Committee
- 10. Information Technology Strategy Committee
- 11. Steering Committee on Human Resources
- 12. Board Level Committee to Monitor Recovery in NPA
- 13. Committee of Directors for Issue of Equity Share Capital
- Review Committee on Wilful Defaulters & Non Co-operative borrowers
- 15. Stakeholders Relationship Committee
- 16. Committee of Board for Consideration of Appeals
- 17. Board Committee for Performance Evaluation

<sup>\*\*</sup> Shri Deepak Kumar attended the meeting through videoconferencing on 19.10.2019, 27.11.2019, 10.02.2020 and 16.03.2020.



### 3.1. बोर्ड की प्रबंधन समिति

एमसीबी का गठन राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों क्रे अनुसार हुआ है । एमसीबी के कार्यकलाप व कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं :-

- क. बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी सीमा के अनुसार ऋण प्रस्तावों (निधि और गैर निधि) की मंजूरी
- ख. ऋण एवं ब्याज समझौता/अपलिखित किये जाने वाले प्रस्तावों-बोड द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार
- ग. पूँजी व राजस्व खर्चों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव
- घ. अधिग्रहण और परिसर के चुनाव के मानदंडों से विचलन सहितअधिग्रहण और परिसर के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव,
- ङ. वाद, अपील की फाइलिंग, उनका बचाव, इत्यादि

- च. सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, अंडर राइटिंग सहित कंपनियों के शेयर और डिबेंचरों में निवेश
- छ. दान
- ज. बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित अन्य कोई मामला

मद संख्या (क) से (छ) एमडी और सीईओ / क्रेडिट अनुमोदन सिमिति की विवेकाधीन शिक्तयों से परे प्रस्तावों के संबंध में लागू हो सकते हैं।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति वर्ष में 16 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के दौरान सिमिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों
संख्या			से	तक	की संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	समिति के अध्यक्ष	29.09.2016	30.06.2019	02/02
2	श्री कर्नम शेखर	समिति के अध्यक्ष	01.07.2019	30.06.2020	16/16
3	श्री के स्वामिनाथन	सदस्य	17.02.2017	16.02.2020	14/14
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		16/16
5	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014	12.08.2019	03/03
6	श्रीमती रीनि अजित	सदस्य	13.08.2019	17.09.2019	00/02
7	श्री दीपक कुमार	सदस्य	18.09.2019		10/10*
8	श्री संजय रुंगटा	सदस्य	04.01.2019	03.07.2019	16/16
			04.07.2019	03.01.2020	
			04.01.2020	03.07.2020	

<sup>\*\*</sup> श्री दीपक कुमार ने 25.09.2019, 19.10.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 27.12.2019, 11.02.2020 एवं 17.03.2020 को बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सहभागिता की ।

# 3.2. मंडल की ऋण अनुमोदन सामिति

ऋण अनुमोदन सिमिति का गठन 25.02.2012 को निदेशक मंडल द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन व विविध प्रावधानों) योजना 1970 में दिनांक-05.12.2011केअधिसूचना सं. एस.0.2736(ई) द्वारा हुए संशोधनों के अनुरूप हुआ है। सिमिति को क्रेडिट प्रस्तावों को मंजूरी देने और ऋण समझौता / राइट ऑफ करने के लिए विशिष्ट वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है।

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 20 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या:

क्रम.	निदेश/सदस्य का नाम	पद			उपस्थित/ आयोजित बैठकों
संख्या			से	तक	की संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	समिति के अध्यक्ष	29.09.2016	30.06.2019	03/03
2	श्री कर्नम शेखर	समिति के अध्यक्ष	01.07.2019	30.06.2020	17/20
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य	09.10.2017		20/20
4	महा प्रबंधक , कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग	सदस्य			20/20
5	महा प्रबंधक , एमएसएमई विभाग	सदस्य			16/20



#### 3.1 MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

- a. Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded) as per quantum fixed by the Board
- b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals as per quantum fixed by the Board.
- c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure
- d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.
- e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

#### q. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of MD & CEO/ powers of Credit Approval Committee, as may be applicable.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 16 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The Members who held office during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020 and the details of number of meetings attended during their tenure by each Committee member are as under:

SI No	Name of the Director Position		Tenure of membership		Number of meetings
			From	То	Attended / Held
1	Shri R Subramaniakumar	Chairman of the Committee	29.09.2016	30.06.2019	02/02
2	Shri Karnam Sekar	Chairman of the Committee	01.07.2019	30.06.2020	16/16
3	Shri K Swaminathan	Member	17.02.2017	16.02.2020	14/14
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		16/16
5	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014	12.08.2019	03/03
6	Smt Reeny Ajith	Member	13.08.2019	17.09.2019	00/02
7	Shri Deepak Kumar	Member	18.09.2019		10/10*
8	Shri Sanjay Rungta	Member	04.01.2019 04.07.2019 04.01.2020	03.07.2019 03.01.2020 03.07.2020	16/16

<sup>\*</sup>Shri Deepak Kumar attended the meeting through video conferencing on 25.09.2019, 19.10.2019, 28.11.2019, 12.12.2019, 27.12.2019, 11.02.2020 and 17.03.2020.

#### 3.2 CREDIT APPROVAL COMMITTEE OF THE BOARD

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No. S.0.2736(E) dated December 5, 2011. The Committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for Loan compromise / write off.

The Chairman of the Committee is the MD & CEO of the Bank. The Committee met 20 times during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of Meetings attended by each Committee Member during the period:

SI No	Name of the Director	Name of the Director Position		membership	Number of meetings
			From	То	Attended / Held
1	Shri R Subramaniakumar	Chairman of the Committee	29.09.2016	30.06.2019	03/03
2	Shri Karnam Sekar	Chairman of the Committee	01.07.2019	30.06.2020	17/20
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member	09.10.2017		20/20
4	G.M Corporate Credit Dept	Member			20/20
5	D G M MSME Dept	Member			16/20



6	महा प्रबंधक , तुलन पत्र प्रबंधन विभाग (सीएफओ)	सदस्य		20/20
7	महा प्रबंधक जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य		20/20
8	महा प्रबंधक , ऋण निगरानी	सदस्य		20/20
9	महा प्रबंधक एआर आइडी	सदस्य		05/20
10	महा प्रबंधक अंतर्राष्ट्रीय	सदस्य		20/20
11	महा प्रबंधक डीबीडी	सदस्य		09/20
12	उप महा प्रबंधक खुदरा बैंकिंग	सदस्य		20/20

### 3.3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (ए.सी.बी) भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है और वर्तमान में समिति में पांच सदस्य हैं आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्य पालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक व एक गैर आधिकारिक व एक शेयर धारक निदेशक। भारतीय रिज़र्व बैंक अपने दिनांक 24 सितंबर 2015 के पत्र के द्वारा यह सूचित किया है कि आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक ए सी बी के सदस्य होंगे जबिक अन्य कार्यपालक निदेशक बैठक में आमंत्रित होंगें।

भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 10.06.2014 के द्वारा सूचित किया है कि निदेशकों की नियुक्ति बैंकिंग कंपनियों ( उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (जी) व (एच) के अंतर्गत की गयी है , जो निदेशक प्रबंधन समिति में शामिल हैं उन्हें लेखा परीक्षा समिति में शामिल नहीं किया जाएगा । बैंक द्वारा इसका पालन किया जा रहा है ।

एसीबी के प्रतिनिधि कार्य और कर्तव्य निम्न रूप से वर्णित हैं:-

- बैंक में कुल लेखा परीक्षा कार्य के संचालन के साथ-साथ दिशा प्रदान करना । कुल लेखापरीक्षा कार्य बैंक के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण के प्रबंधन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के वैधानिक / बाहरी लेखा परीक्षा के साथ अनुवर्तन और आरबीआई के निरीक्षण शामिल हैं ।
- ⇒ बैंक के आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा की समीक्षा- अनुवर्तन के अनुसार प्रणाली, उसकी गुणवत्ता व प्रभावशीलता तथा साथ ही विशिष्ट व अति वृहद शाखा और असंतुष्ट रेटिंग प्राप्त सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट
- कार्यात्मक क्षेत्र के सभी अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करना ।
- वैधानिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा और अनुवर्तन और वार्षिक/ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों से बात करना।
- ⇒ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गये मुद्दों/मामलों की समीक्षा व अनुवर्तन करना

यह समिति मुख्य रूप से निम्न का अनुवर्तन करती है :

- ⇒ अंतर बैंक समायोजन खाता
- ⇒ अंतर बैंक खातों व नोस्ट्रो खातों में असंगत प्रविष्टियाँ जो लंबें समय से बकाया हो

- विभिन्न शाखाओं में बिहयों के मिलान में बकाया राशि
- ⇒ धोखाधड़ी व हॉउस कीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्र

आरबीआई द्वारा जारी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा निर्देशों पर सेबी कमेटी के संदर्भ में एसीबी को निम्नलिखित अतिरिक्त भूमिका कार्य / शिक्तयां सौंपी गई हैं:

- संदर्भ की शर्तों के तहत किसी भी गतिविधि की जांच करना
- किसी भी कर्मचारी से सूचनाएं प्राप्त करना
- बाह्य कानूनी या अन्य प्रोफेशनल सलाह प्राप्त करना
- प्रासंगिक विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति को स्रिक्षित करने के लिए, यदि यह आवश्यक माना जाता है।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में मौजूदा भूमिकाओं के अलावा निम्न भमिकाएं भी शामिल हैं :

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं इसे सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं, लेखांकन मानकों का अनुपालन और वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य कानूनी आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
- प्रबंधन, बाहरी और आंतिरक लेखा परीक्षओं, आंतिरक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के साथ समीक्षा
- उन मामलों में आंतिरक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतिरक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनीयमितता भौतिक प्रकृति की आंतिरक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना
- ऑडिट के प्रकृति और दायरे के साथ-साथ ध्यान देने योग्य किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा चर्चा के बाद लेखा परीक्षा शुरू करने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना
- कंपनी की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सुझावों के मुताबिक,बोर्ड की लेखा परीक्षा सिमित द्वारा अनुमोदित विशिष्ट एक्सपोजर स्तर पर खातों की निम्नलिखित समीक्षाओं को शामिल करने के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा सिमित का दायरा विस्तारित किया गया था

- क. संभावित एनपीए / तनाव के मामलों ,जब आवश्यक हो।
- ख. उच्च मूल्य ऋण जो प्रतिभूतियों के प्रति दिए गए हैं जो भार मुक्त नहीं है



6	G M Balance Sheet Management Dept (CFO)	Member		20/20
7	G M Risk Management Department	Member		20/20
8	GM Credit Monitoring	Member		20/20
9	G M ARID	Member		05/20
10	GM International	Member		20/20
11	GM Digital Banking Dept	Member		09/20
12	DGM Retail Banking	Member		20/20

#### 3.3 AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and presently consists of five members comprising of the Executivet Director (in charge of Internal Inspection and Audit), Government Director, RBI Director, one non-official director and one share holder director. RBI vide its letter dated September 24, 2015 advised that the ED in charge of Internal Inspection and Audit should be the member of the ACB whereas other EDs can be invitees to the meeting.

Government of India has advised vide their letter dated 10.06.2014 that Directors appointed under Section 9 (3) (g) and (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, who are on the Management Committee shall not be on the Audit Committee in any capacity. The Bank is complying with the same.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- ⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.
- ⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of followup and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- ⇒ To obtain and review half yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas
- ⇒ To review and follow up on the report of the statutory audit and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- ⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This Committee specially focuses on the follow-up of:.

- ⇒ Inter Branch Adjustment Accounts
- ⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter Bank Accounts and Nostro Accounts

- ⇒ Arrears in balancing of books at various branches
- ⇒ Frauds and all other major areas of house keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the Bank's Financial and Risk Management Policies.

In line with the suggestions of the Ministry of Finance, Government of India, the scope of the Audit Committee of the Board was broadened to include the following reviews of accounts at specific exposure levels as approved by the Audit Committee of the Board:

- A) Potential NPA / stress cases as and when required.
- B) High value loans which have been granted against a security which is not free from encumbrances



- ग. एक बारगी निपटान के मामले जिसमें उच्च मूल्य ऋण शामिल हैं
- घ. उच्च मुल्य खाते- खाते के प्रति प्रदान की गइ सुरक्षा/ संपार्श्विक(दोनों मूर्त और विशेष रूप से अमूर्त) के:

मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन/ पुनर्मूल्यांकन करना ।

वर्ष 2019-20 के दौरान समिति 10 बार 2019-20 on 08.05.2019, 09.05.2019, 26.06.2019, 22.07.2019, 23.07.2019, 04.11.2019, 04.11.2019, 10.02.2020, 20.02.2020 एवं 29.02.2020 को मिली ।

सभी बैठकें समुचित कोरम व बिना किसी स्थगन के आयोजित की गयी।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की अविध के दौरान सिमिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता	की अवधि	उपस्थित/ आयोजित बैठकों
			से	तक	की संख्या
1	श्री के रघु	समिति के अध्यक्ष	28.08.2016	25.07.2019	05/05
2	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	समिति के अध्यक्ष	28.08.2018		07/10 @
3	श्री के स्वामीनाथन	सदस्य #	17.02.2017	16.02.2020	09/09
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य #	09.10.2017		10/10
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	सदस्य	22.07.2016		06/10*
6	श्री निर्मल चंद	सदस्य	13.03.2014	12.08.2019	04/05
7	श्री दीपक कुमार	सदस्य	18.09.2019		05/05**

\$01.11.2015 से निरीक्षण व लेखा परीक्षा के प्रभारी का.नि.ए.सी.बी के सदस्य हैं और दूसरे का.नि.भा.रि.बैं द्वारा बताए गए अनुसार आमंत्रिती हैं । 16.02.2020 से हमारे बैंक में केवल एक ही कार्यपालक निदेशक है ।

@श्री नवीन प्रकाश सिन्हा ने 23.07.2020 एवं 29.02.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

- \* श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 23.07.2019, 10.02.2020 एवं 10.02.2020 की की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।
- \*\* श्री दीपक कुमार ने 10.02.2020 एवं 10.02.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

### 3.4. जोखिम प्रबंधन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 6 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित
		से	तक	बैठकों की संख्या
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	24.02.2017	15.02.2020	05/05
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
3	श्री कर्नम शेखर	01.07.2019	30.06.2020	06/06
4	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	05/05
5	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		06/06
6	श्री संजय रुंगटा	29.01.2018		06/06

# 3.5 बड़े मूल्य की धोखाधड़ी हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 5 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या:

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित
		से	तक	बैठकों की संख्या
1	श्री टी सी ए रंगनाथन	16.02.2017	15.02.2020	05/05
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
3	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	05/05
4	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	05/05



- C) Cases of One time settlement involving high value loans
- D) High value accounts to evaluate / re-evaluate the value and quality of security / collateral (both tangible and especially intangible) provided against the account.

The committee met 10 times during the year 2019-20 on 08.05.2019, 09.05.2019, 26.06.2019, 22.07.2019, 23.07.2019, 04.11.2019, 04.11.2019, 10.02.2020, 20.02.2020 and 29.02.2020.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournment. The members who held office during the period 01.04.2019 to 31.03.2020 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

SI No	Name of the Director	Position	Tenure o	f membership	Number of meetings
			From	То	Attended / Held
1	Shri K Raghu	Chairman of the Committee	28.08.2016	25.07.2019	05/05
2	Shri Navin Prakash Sinha	Chairman of the Committee	28.08.2018		07/10 @
3	Shri K Swaminathan	Member #	17.02.2017	16.02.2020	09/09
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	Member #	09.10.2017		10/10
5	Smt Annie George Mathew	Member	22.07.2016		06/10*
6	Shri Nirmal Chand	Member	13.03.2014	12.08.2019	04/05
7	Shri Deepak Kumar	Member	18.09.2019		05/05**

# with effect from 01.11.2015 ED in charge of Inspection and Audit is a member of ACB and the other ED is an invitee as advised by RBI. Since 16.02.2020, only one ED is available with our Bank.

- @ Shri Navin Prakash Sinha attended the meeting through video conferencing on 23.07.2019, and 29.02.2020
- \* Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 23.07.2019, 10.02.2020 and 10.02.2020.
- \*\* Shri Deepak Kumar attended the meeting through video conferencing on 10.02.2020 and 10.02.2020

#### 3.4 RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 6 times during the period from 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of Meetings attended by each Member of the Committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of membership	Tenure of membership	
		From	То	Attended/held
1	Shri T C A Ranganathan	24.02.2017	15.02.2020	05/05
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
3	Shri Karnam Sekar	01.07.2019	30.06.2020	06/06
4	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	05/05
5	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		06/06
6	Shri Sanjay Rungta	29.01.2018		06/06

#### 3.5 COMMITTEE FOR MONITORING LARGE VALUE FRAUDS

The Chairman presides over the meetings of the Committee. The Committee met 5 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings	
		From	То	Attended/held	
1	Shri T C A Ranganathan	16.02.2017	15.02.2020	05/05	
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01	
3	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	05/05	
4	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	05/05	



5	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		03/03
6	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/05*
7	श्री के रघु	26.07.2016	25.07.2019	02/02

<sup>\*</sup> श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 11.02.2020 की की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

### 3.6. ग्राहक सेवा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ करते हैं। निम्नलिखित सदस्यों के साथ 12.09.2020 को सिमिति का पुनर्गठन किया गया एवं 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान सिमिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान सिमिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाली बैठकों की संख्या:

क्र सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थति/ आयोजति
		से	तक	बैठकों की संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	04/04
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	03/03
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/04*
6	श्री के रघु	28.03.2019	25.07.2019	02/02
7	श्री संजय रुंगटा	12.09.2019		02/02

<sup>\*</sup> श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 16.03.2020 की की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

# 3.7. अनुशासनिक मामलों एवं विभागिय पूछताछ की समीक्षा हेतु समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्र सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थति/ आयोजति
		से	तक	बैठकों की संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	04/04
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	03/03
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/04*
6	श्री निर्मल चंद	13.03.2014	12.08.2019	01/01
7	श्री दीपक कुमार	18.09.2019		02/02

<sup>\*</sup> श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 12.09.2019 एवं 28.02.2020 की की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

### 3.8. पारिश्रमिक समिति

पूर्ण कालिक निदेशकों को देय पारिश्रिमक (कार्य-निष्पादन से जुडे प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है । अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रिमक नहीं दिया जाता है । भारत सरकार के दिनांक 18.01.2019 के परिपत्र संख्या एफ. सं. 15/1/2011-बीओ. आइ में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क जोिक रू.40,000/-है, के अतिरिक्त कोई अन्य पारिश्रिमक नहीं देता है। बोर्ड बैठक की बैठक शुल्क - रू.20000/- प्रति बैठक और बोर्ड बैठक की अध्यक्षता हेतु रू.10000/- अतिरिक्त फीस प्रदान की जाती है व बोर्ड समिति बैठकों के लिए रू. 5000/- अतिरिक्य फीस प्रदान की जाती है।

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति-पारिश्रमिक समिति उचित समय पर गठित की जाएगी। समिति वर्ष 2019-20 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।

#### 3.9. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपन्न संख्या डीबीओडीसं.बीसी सं.47/29.39.001/2007-08, दिनांक-01.11.2007 के द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार है और 16.10.2006 से लागू है, निदेशकों की नियुक्ति करते समय "योग्य तथा उचित" हैसियत आदि निर्णय लेने के तरीके/ पद्धति, प्राधिकार के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश ज़ारी किए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) - वर्तमान तथा भविष्य दोनों में भी लागू किया जाए। अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

समिति वर्ष 2019-20 के दौरान एक बार भी नहीं मिली।



5	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		03/03
6	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/05*
7	Shri K Raghu	26.07.2016	25.07.2019	02/02

<sup>\*</sup>Smt Annie George Mathew attended the meeting through video conferencing on 11.02.2020.

#### 3.6 CUSTOMER SERVICE COMMITTEE

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 12.09.2019 with the following members and the Committee met 4 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings
		From	То	Attended/held
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	04/04
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	03/03
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/04*
6	Shri K Raghu	28.03.2019	25.07.2019	02/02
7	Shri Sanjay Rungta	12.09.2019		02/02

<sup>\*</sup> Smt Annie George Mathew attended the meeting on 16.03.2020 through Video Conferencing.

### 3.7 COMMITTEE FOR REVIEW OF DISCIPLINARY CASES & DEPARTMENTAL ENQUIRIES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee met 4 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of members	Tenure of membership	
		From	То	Attended/held
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	04/04
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	03/03
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/04*
6	Shri Nirmal Chand	13.03.2014	12.08.2019	01/01
7	Shri Deepak Kumar	18.09.2019		02/02

<sup>\*</sup> Smt Annie George Mathew attended the meeting on 12.09.2019 and 28.02.2020 through Video Conferencing.

#### 3.8 REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, would be constituted at an appropriate time for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank.

The Committee did not meet during the year 2019-2020.

#### 3.9 NOMINATION COMMITTEE

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future. The Chairman presides over the meeting of the Committee.

The Committee did not meet during the year 2019-2020.



नोट : भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन डीबीओडी संख्या. बीसी/ 46. 29.39.01/ 2007-2008 दिनांकित 01 नवंबर 2007 की सूचना के अनुसार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को नामांकन सिमति का गठन करना होता है । अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशकों को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदर्शन के मूल्यांकन एवं प्रदर्शन से जुड़े पारिश्रिमिक के भुगतान के लिए पारिश्रिमिक सिमिति का पुनर्गठन 14.05.2013 को किया गया था । पारिश्रिमिक सिमिति का पुनर्गठन उचित समय पर किया जाना है ।

बाद में आरबीआई ने अपने मास्टर निदेश डीबीआर. एपीपीटी. संख्या 9/ 29.67.001/ 2019-20 एवं आरबीआई / डीबीआर/ 2019-20/ 71 दिनांक 02.08.2019 के द्वारा "योग्य तथा उचित" के संबंध में पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के संबंध में 'फिट और उचित' मानदंड के संबंध में संशोधित निर्देश 2019 जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार पूर्व में दो समितियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया जाना है। नियत समय में समिति का गठन किया जाएगा। आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति बनाने एवं उसमें नामांकन हेतु बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए हम वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के साथ अनुवर्तन कर रहे हैं।

### 3.10. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

समिति की अध्यक्षता चेयरमैन द्वारा की गयी। 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 5 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों
		से	तक	की संख्या
1	श्री टीसीए रंगनाथन	16.02.2017	15.02.2020	05/05
2	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
3	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	05/05
4	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	05/05
5	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		05/05
6	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	25.07.2018		02/05
7	श्री के रघु	26.07.2016	25.07.2019	02/02
8	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018		02/05
9	श्री संजय रुंगटा	12.09.2019		03/03

### 3.11. मानव संसाधन पर संचालन समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ 29.01.2018 को पुनर्गठित की गई और 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 4 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों
		से	तक	की संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	03/04
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	03/03
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017		04/04
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016		03/04*
6	डॉ टीटी राम मोहन			02/04**

<sup>\*</sup> श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 19.06.2019, 29.01.2020 एवं 28.02.2020 की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।

### 3.12. एनपीए वसुली की निगरानी हेत् बोर्ड स्तरीय समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ 28.08.2018 को पुनर्गठित की गई और 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 10 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों
		से	तक	की संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	02/02
2	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	10/10
3	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	09/09

<sup>\*\*</sup> श्री टीटी राम मोहन ने 31.10.2019 एवं 28.02.2020) की बैठक में वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया ।



Note: Reserve Bank of India (RBI) vide its Notification DBOD.No.BC.46/ 29.39.001/ 2007-08 dated November 1, 2007 had required all nationalized banks to constitute a Nomination Committee .The Remuneration Committee was reconstituted on 14.05.2013 to evaluate the performance and to recommend payment of performance linked incentive to Chairman and Managing Director and Executive Directors for the financial year 2012-13. The Remuneration Committee is to be reconstituted at the appropriate time

Subsequently RBI vide Master Direction DBR. Appt. No:9/29.67.001/2019-20 and RBI/DBR/2019-20/71 dated 02.08.2019 has given revised Directions in respect of 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs, Directions, 2019. As per the Directions, a single 'Nomination and Remuneration' Committee has to be constituted for carrying out the functions entrusted to the two Committees earlier. The Committee will be constituted in due course. In the mean time we have taken up with Department of Financial Services(DFS) for filling the vacancies in the Board, to enable us to form the Nomination and Remuneration Committee as per guidelines stipulated by RBI

#### 3.10 INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

The Chairman, presides over the meetings of the Committee. The Committee had met 5 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. The Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings
		From	То	Attended/held
1	Shri Shri TCA Ranganathan	16.02.2017	15.02.2020	05/05
2	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
3	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	05/05
4	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	05/05
5	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		05/05
6	Smt Annie George Mathew	25.07.2018		02/05
7	Shri K Raghu	26.07.2016	25.07.2019	02/02
8	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018		02/05
9	Shri Sanjay Rungta	12.09.2019		03/03

#### 3.11 STEERING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCES

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 29.01.2018 with the following members and had met 4 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings
		From	То	Attended/held
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	03/04
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	03/03
4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017		04/04
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016		03/04*
6	Dr T T Ram Mohan			02/04**

<sup>\*</sup> Smt Annie George Mathew attended the meeting on 19.06.2019, 29.01.2020 and 28.02.2020 through video conferencing.

### 3.12 BOARD LEVEL COMMITTEE TO MONITOR RECOVERY IN NPA

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 28.08.2018 with the following members. The Committee met 10 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI. No.	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of meetings
		From	То	Attended/held
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	02/02
2	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	10/10
3	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	09/09

<sup>\*\*</sup> Dr T T Ram Mohan attended the meeting on 31.10.2019 and 28.02.2020 through video conferencing.



4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	09.10.2017	09/09
5	श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू	22.07.2016	03/10*
6	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018	04/10
7	श्री संजय रुंगटा	28.08.2018	10/10
8	महा प्रबंधक (वसूली)		09/10
9	महा प्रबंधक (ऋण निगरानी)		10/10
10	बैंक के वरिष्ठतम महा प्रबंधक		09/10

<sup>\*</sup> श्रीमती ऐनी जार्ज मैथ्यू ने 16.03.2020 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया।

### 3.13. इरादतन चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी। समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित की गई। 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 3 बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

		सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की संख्या
क्रम सं.	निदेशक का नाम	से	तक	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	03/03
3	श्री संजय रुंगटा	08.12.2017		03/03
4	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	29.01.2018		03/03
5	श्री के रघु	26.07.2016	25.07.2019	01/01

### 3.14. गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर समीक्षा समिति

समिति की बैठक की अध्यक्षता एमडी व सीईओ द्वारा की गयी । समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित की गई । 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 3 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की
प्रग्म त्त.	। गद्राप पर्रा गाम 	से	तक	संख्या
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	03/03
3	श्री संजय रुंगटा	08.12.2017		03/03
4	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		03/03

### 3.15. शेयर धारक समिति

### 1. हितधारक संबंध समिति

श्री संजय रुंगटा, शेयर निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं । 25.01.2019 को निम्नलिखित सदस्यों के समिति का पुनर्गठित किया गया । 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या

क्या मं	francisco de la companya della companya della companya de la companya de la companya della compa	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की
क्रम सं.	निदेशक का नाम	से	तक	संख्या
1	श्री संजय रुंगटा	29.01.2018		04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	04/04
3	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	25.01.2019		03/04

### 2. एकिटी शेयर निधि निर्गमित करने के लिए निदेशकों की समिति

एमडी व सीईओ इस सिमिति के की बैठक के अध्यक्ष हैं । 13.02.2018 को निम्नलिखित सदस्यों के सिमिति का पुनर्गठित किया गया । 01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान सिमिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान सिमिति के प्रत्येक सदस्यों की प्रतिभागिता वाले बैठकों की संख्या :



4	Shri Ajay Kumar Srivastava	09.10.2017	09/09
5	Smt Annie George Mathew	22.07.2016	03/10*
6	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018	04/10
7	Shri Sanjay Rungta	28.08.2018	10/10
8	General Manager (Recovery)		09/10
9	General Manager (Credit Monitoring)		10/10
10	Senior-most General Manager of the Bank		09/10

<sup>\*</sup> Smt Annie George Mathew attended the meeting on 16.03.2020 through video conferencing

### 3.13 REVIEW COMMITTEE ON WILFUL DEFAULTERS

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee had been reconstituted with the following members. The Committee met 3 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI.	N (# 8:	Tenure of membership		Number of Meetings attended/
No.	Name of the Directors	From	То	held
1	Shri R Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	03/03
3	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017		03/03
4	Shri Navin Prakash Sinha	29.01.2018		03/03
5	Shri K Raghu	26.07.2016	25.07.2019	01/01

### 3.14 Review Committee on classification of Non Co-operative Borrowers

The MD & CEO presides over the meeting of the Committee. The Committee had been reconstituted with the following members. The Committee met 3 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

SI.	News	Tenure of membership		Number of Meetings at-
No.	Name	From	То	tended/held
1	Shri R. Subramaniakumar	29.09.2016	30.06.2019	01/01
2	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	03/03
3	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017		03/03
4	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		03/03

### 3.15 SHAREHOLDERS' COMMITTEES

### 1. Stakeholders Relationship Committee

Shri Sanjay Rungta, shareholder director, presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 25.01.2019 with the following members. The Committee met 4 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year:

CL No	Name of the Directors	Tenure of membership		Number of Meetings at-
SI. No.	Name of the Directors	From	То	tended/held
1	Shri Sanjay Rungta	29.01.2018		04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	04/04
3	Shri Navin Prakash Sinha	25.01.2019		03/04

### 2. Committee of Directors for Issue of Equity Share Capital

The MD & CEO presides over the meetings of the Committee. The Committee was reconstituted on 13.02.2018 with the following members and met 4 times during the period 01.04.2019 to 31.03.2020. Number of meetings attended by each member of the Committee during the year.



क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि		उपस्थित/ आयोजित बैठकों की
प्रग्म स.	। निद्शंक की नाम	से	तक	संख्या
1	श्री कर्नम शेखर	01.04.2019	30.06.2020	04/04
2	श्री के स्वामीनाथन	17.02.2017	16.02.2020	03/04
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	01.04.2019		04/04
4	श्री संजय रुंगटा	08.12.2017		04/04*
5	श्री नवीन प्रकाश सिन्हा	08.12.2017		02/04

<sup>\*</sup> श्री संजय रूंगटा ने 27.01.2020 को संपन्न बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लिया ।

# 4.1. अनुपालन अधिकारी

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 6 के संबंध में सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विविध प्रावधानों के अनुपालन हेतु समीक्षाधीन अविध के दौरान श्री एस नंदकुमारन कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी हैं। समीक्षाधीन अविध के दौरान 27.09.2019 से सुश्री दीपा चेलम के स्थान पर बैंक की कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में श्री नंदकुमारन एस को नियुक्त किया गया है।

### 4.2. शेयर धारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त, सुलझाई गई व लंबित शिकायतों की संख्या:

01.04.2019 तक लंबित	0
वर्ष के दौरान प्राप्त	11
वर्ष के दौरान सुलझाई गई	11
31.03.2020 तक लंबित	0

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 46 के संबंध में, हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि निवेशकों की शिकायतों को दूर करने व उनके समाधान हेतु एक अलग ईमेल आईडी investorcomp@iobnet.co.in, आबंटित की गई है और कंपनी सचिव सुश्री दीपा चेल्लम इस संबंध मेंअनुपालन अधिकारी हैं। हमने यह ईमेल आइडी व अन्य प्रमुख ब्योरों को अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। निवेशक संपर्क कक्ष निवेशकों की शिकायतों को भी निपटारा करता हैं।

### 5. सामान्य निकाय बैठक

क) अंतिम तीन सामान्य निकाय बैठकों के स्थान व समय निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	बैठक की प्रकृति	बैठक की प्रकृति दिनांक, दिन, एवं बैठक का समय	स्थल
1	17 वीं,एजीम	28.06.2017, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
2	18 वीं,एजीम	11.07.2018, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	स्टाफ़ कॉलेज, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 230/7ए जवाहर नेहरू रोड, अण्णा नगर, चेन्नै 600 040
3	19 वीं, एजीम	10.07.2019, बुधवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

ख) 17 वीं, 18वीं, 19वीं वार्षिक सामान्य बैठ में शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ योग्यता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यू आइ.पी.), राईट्स ईश्यू. अधिमानी आधार पर आबंटन और अनुवर्तन पब्लिक ऑफर या अधिमानी शेयरों (संचयी/गैरसंचयी) के ज़रिए इक्विटी शेयरों को जारी कर पूँजी जुटाने के लिए विशेष संकल्प प्रस्तुत किए गए।

- ग) कोई डाक मतदान नहीं था।
- घ) स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुई :

क्रम सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक, दिन, एवं बैठक का समय	स्थल
1.	ईजीएम	23.09.2015 बुधवार पूर्वाह्न 10.00	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
2.	ईजीएम	24.03.2016 गुरुवार पूर्वाह्न 10.30	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
3.	ईजीएम	15.09.2016 गुरुवार पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतै हॉल, 603 अण्णा सालै, चेन्नै 600 006



SI.	Name of the Directors	Tenure of	membership	Number of Meetings at-
No.	Name of the Directors	From	То	tended/held
1	Shri Karnam Sekar	01.04.2019	30.06.2020	04/04
2	Shri K Swaminathan	17.02.2017	16.02.2020	03/04
3	Shri Ajay Kumar Srivastava	01.04.2019		04/04
4	Shri Sanjay Rungta	08.12.2017		04/04*
5	Shri Navin Prakash Sinha	08.12.2017		02/04

<sup>\*</sup> Shri Sanjay Rungta attended the meeting through video conferencing on 27.01.2020.

### 4.1 Compliance Officer:

In terms of Regulation 6 of SEBI (LODR), Mr. S Nandakumaran is the Company Secretary and the Compliance Officer during the period under review for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc. Shri Nandakumaran S has been appointed as Company Secretary and Compliance Officer of the Bank in the place of Ms. Deepa Chellam with effect from 27.09.2019.

### 1.2 Shareholders Complaints

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Pending as on 01.04.2019	0
Received during the year	11
Redressed during the year	11
Pending as on 31.03.2020	0

In terms of Regulation 46 of SEBI (LODR), we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - investorcomp@iobnet. co.in has been allotted and Mr. S Nandakumaran, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by the Company Secretary is handling the redressal of investor complaints.

#### 5. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three Annual General Meetings were held:

SI. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	17 <sup>th</sup> AGM	28.06.2017, Wednesday 10.00 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2	18 <sup>th</sup> AGM	11.07.2018, Wednesday 10.00 AM	Staff College, Indian Overseas Bank, 230/7A Jawaharlal Nehru Road, Anna Nagar, Chennai 600 040
3	19 <sup>th</sup> AGM	10.07.2019, Wednesday 10.00 AM	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018

b. In the 17th, 18th & 19th AGMs, special resolutions were put through to obtain the shareholders' approval to raise capital by way of issue of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP), Rights Issue, Preferential allotment or Follow-on Public Offer or preference shares (cumulative / non-cumulative).

c. There was no postal ballot exercise.

### d. Location and time where Extra Ordinary General Meetings were held:

SI. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1.	EGM	23.09.2015 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
2.	EGM	24.03.2016 Thursday 10.30 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
3.	EGM	15.09.2016 Thursday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai 600 006



4.	ईजीएम	29.11.2017 बुधवार पूर्वाह्न 10.30 *	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
5.	ईजीएम	30.01.2018 बुधवार पूर्वाह्न 10.30 **	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
6.	ईजीएम	28.03.2018 बुधवार पूर्वाह्न 10.00	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
7.	ईजीएम	02.11.2018 शुक्रवार पूर्वाह्न 10.00	रानी सीतै हॉल, 603 अण्णा सालै, चेन्नै 600 006
8.	ईजीएम	28.03.2019 गुरुवार पूर्वाह्न 10.00	नारद गान सभा 314, टीटीके रोड, चेन्नै 600 018
9	पोस्टल बैलेट	27.11.2019 बुधवार अपराह्न 5.00	कीमियों कॉर्पोरेट सेवाएँ, नंबर 1, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002
10	पोस्टल बैलेट	26.02.2020 बुधवार अपराह्न 5.00	कीमियों कॉर्पोरेट सेवाएँ, नंबर 1, सुब्रमण्यम बिल्डिंग, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002

उक्त असाधारण सामान्य बैठकों का आयोजन अधिमानी आधार पर भारत सरकार और एल.आइ.सी व उसकी विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया गया।

- \*शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु ईजीएम का आयोजन
- \*\* संचित नुकसानों का शेयरधारकों का शेयर प्रीमियम खाते में से सेटऑफ करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ईजीएम का आयोजन

# ड) ई-वोटिंग:

सेबी (एल.ओ.डी.आर) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, ज़ारीकर्ता वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित होने वाले सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने को सहमत है। तदनुसार बैंक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है।

### 6. सम्प्रेषण का माध्यम :

- क) बैंक के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। बैंक वार्षिक परिणाम हरित पहल के तहत ईमेल के द्वारा उन शेयर धारकों को भेजता रहा है जिनका ईमेल पता बैंक के पास उपलब्ध है तथा अन्य को यह जिन्होंने अपने ईमेल आइडी इसके लिए पंजीकृत नहीं की है उन्हें परिणाम मुद्रित प्रति के रोप में कूरियर / डाक के के जरिए भेजा जाता है।
- ख) सेबी (सूची बद्धकरार व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015(एल.ओ.डी.आर.) के विनियम 47 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशिति किए जाते हैं। प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं:

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	तमिल दैनिक	हिन्दी दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2019	बिजनेस स्टैंडर्ड	द हिंदू	बिजनेस स्टैडर्ड	10.05.2019
30.06.2019	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	द हिंदू	जनसत्ता	24.07.2019
30.09.2019	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	दिनमणि	जनसत्ता	05.11.2019
31.12.2019	बिजनेस स्टैंडर्ड	दिनमणि	बिजनेस स्टैडर्ड	12.02.2020

- ग. तिमाही परिणाम/ वार्षिक परिणाम व विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुति भी बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर प्रदर्शित किए जाते हैं।
- घ. बैंक तिमाही/ वार्षिक परिणामों के दौरान आधिकारिक प्रेस रिलीज़ प्रदर्शित करता है।

### 7. सामान्य शेयरधारकसूचनाः

क) ए.जी.एम.: तारीख, समय और स्थान:



4.	EGM	29.11.2017 Wednesday 10.30 A.M. *	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
5.	EGM	30.01.2018 Tuesday 10.30 A.M.**	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
6.	EGM	28.03.2018 Wednesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
7.	EGM	02.11.2018 Friday 10.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006
8.	EGM	28.03.2019 Thursday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314, TTK Road, Chennai 600 018
9	Postal Bal- lot	27.11.2019 Wednesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002
10	Postal Bal- lot	26.02.2020 Wenesday 5.00 P.M.	Cameo Corporate Services, No.1 Subramanian Building, Club House Road, Chennai 600 002

The above EGMs / Postal Ballot were held for obtaining shareholders' approval for issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

#### e) E-Voting:

In accordance with the provisions of Regulation 44 of SEBI (LODR), the Issuer agrees to provide **E-Voting facility to its shareholders** in respect of all shareholders resolutions, to be passed at AGM/EGM. Accordingly, the Bank is providing e-voting facility.

### 6. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending Annual Reports, under Green Initiative by email to those shareholders whose e-mail addresses are available with the Bank and through courier/post to shareholders who have not registered their email id for this purpose.

Newspapers where the results are normally published.

b. The quarterly financial results are published in a national daily, Hindi daily and a regional vernacular daily in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (LODR). The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Tamil Daily	Hindi Daily	Date of publication
31.03.2019	Business Standard	The Hindu	Business Standard	10.05.2019
30.06.2019	Financial Express	The Hindu	Jansatta	24.07.2019
30.09.2019	Financial Express	Dinamani	Jansatta	05.11.2019
31.12.2019	Business Standard	Dinamani	Business Standard	12.02.2020

- c. The quarterly results / annual results and Performance Analysis are also being displayed on the Bank's web-site www.iob.in
- d. Bank displays official press release during quarterly/annual results

#### 7. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

<sup>\*</sup>EGM held for election of Shareholder Directors

<sup>\*\*</sup> EGM held for obtaining shareholders' approval for set off of Share Premium Account against accumulated losses



दिनांक	24.08.2020
समय	11:00 बजे, सुबह
सभा के लिए डीम्ड स्थान	बैंक का केंद्रीय कार्यालय सं.763, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002

- ख) वित्तीयवर्ष: 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020
- ग) लाभांश भुगतान की तारीख : शून्य (वित्तीय वर्ष2019 -20 के दौरान बैंक को नुकसान हुआ)
- घ) बही बंद करने की तारीख : वार्षिक सामान्य बैठक के लिए 18.08.2020 से 24.08.2020 (दोनों दिन शामिल हैं)
- ड) अदत्तलाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में बैक के अदत्त लाभांश विषयक 10(बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है तथा कॉर्पोरेट मामलात मंत्रालय ने अदत्त लाभांश राशि के निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि (आइ.ई.पी.एफ.) में अंतरण हेतु बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में सूचित किया है।

तदनुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया है अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा:

वर्ष के लिए लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख	केंद्र सरकार को अंतरण की तारीख (आइ.ई.पी. एफ.)
2012-13	01.08.2013	सितंबर 2020
2013-14 (I)	05.03.2014	अप्रैल 2021
2013-14 (F)	01.08.2014	सितंबर 2021

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए हैं: स्टॉक एक्सचेंज का पता उदत किया जाए।

स्टॉक एक्सचेंज का नाम एवं पता	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्वेंज, लिमिटेड पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	532388
नेशनल स्टॉक एक्वेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड "एक्सचेंज प्लाज़ा", सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) ,मुंबई 400 051	IOB EQ AE BE BT

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2018-19 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है ।

**प्राधिकृत पूँजी:** 31.03.2020 तक बैंक की प्राधिकृत पूँजी रु. 25000 करोड़ है ।

# प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने अधिमानी आधार पर क्यू आइ.पी को 28.11.2019 को रु. 11.20 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 1.20 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के निर्गम मूल्य पर नकद के लिए रु. 10 प्रति इक्विटी शेयर के 344,37,50,000 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 3857 करोड़ के करीब हुआ, ज़ारी किए तथा अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 27.02.2020 को रु. 11.32 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 1.32 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम समेत) के इश्यू मूल्य पर नकद के लिए रु.10 प्रति इक्विटी शेयर के आधार पर 385,15,90,106 इक्विटी शेयर जिनका मूल्य रु. 4360 करोड़ के करीब था, ज़ारी किए। अत: बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 9141.65 करोड़ से बढ़कर रु. 16436.99 करोड़ हो गई। भारत सरकार की शेयर धारिता रु. 8457.56 करोड़ (92.52%) से बढ़कर रु. 15752.90 करोड़ (95.84) तथा पब्लिक शेयर धारिता रु. 684.09 करोड़ (4.16%) रही।



Date	24.08.2020
Time	11.00 am
Deemed venue for the meeting	The Central Office of the Bank at No.763, Anna Salai, Chennai - 600 002

- b) Financial Year: 01st April 2019 to 31st March 2020.
- c) Dividend Payment Date: Nil (Bank incurred Losses during FY 2019-20)
- d) Date of Book Closure: 18.08.2020 to 24.08.2020 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
- e) Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, has incorporated a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 on Unpaid dividend of banks and Ministry of Corporate Affairs had advised the process to be followed by banks for transferring the **Unpaid Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF).** 

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years, shall be transferred to IEPF:

Dividend for the year	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c	Due Date for Transferring to Government (IEPF)
2012-13	01.08.2013	September 2020
2013-14 (I)	05.03.2014	April 2021
2013-14 (F)	01.08.2014	September 2021

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges: Address of the stock exchange to be mentioned

Name and address of the Stock Exchange	Stock Code
Bombay Stock Exchange Ltd.  P J Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001	532388
National Stock Exchange of India Ltd.  "Exchange Plaza", C-I, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051	IOB EQ AE BE BT

Annual Listing Fees for the year 2019-20 have been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorized Capital: As on 31.03.2020, the Authorized Capital of the Bank is Rs.25000 cr.

### Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued & allotted 344,37,50,000 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.11.20 per equity share (including premium of Rs.1.20 per equity share) aggregating upto Rs.3857 crore to Government of India on Preferential Basis on 28.11.2019 and 385,15,90,106 equity shares of Rs.10/- each for cash at issue price of Rs.11.32 per equity share (including premium of Rs.1.32 per equity share) aggregating to Rs.4360 crore to Government of India on Preferential Basis on 27.02.2020. Hence, the paid-up capital of the Bank has increased from Rs.9141.65 crore to Rs. 16436.99 crore. Government of India's shareholding has increased from Rs.8457.56 crore (92.52%) to Rs.15752.90 crore (95.84%) and the Public shareholding stood at Rs.684.09 crore (4.16%).




# छ. बाजार मूल्य केआँकड़े

अवधि – माह	एनए	रसई	बीए	सई
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)
अप्रैल 2019	15.45	13.85	15.80	13.92
मई 2019	14.25	11.45	14.40	11.50
जून 2019	12.70	11.15	12.90	11.14
जुलाई 2019	12.95	11.05	12.90	10.20
अगस्त 2019	11.20	8.75	11.21	9.00
सितंबर 2019	10.70	9.35	10.60	9.40
अक्तूबर 2019	10.80	9.20	10.80	8.75
नवंबर 2019	12.20	9.75	12.17	9.80
दिसंबर 2019	12.85	9.80	12.85	9.82
जनवरी 2020	12.15	10.15	12.10	10.09
फरवरी 2020	10.80	8.45	10.74	8.40
मार्च 2020	9.25	6.05	9.16	6.17

2019-20 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं । हमारे बैंक को ट्रेडिंग से सस्पेंड नहीं किया गया है ।

ज. 01-04-2019 से 31-03-2020 के दौरान बीएसई सेंसेक्स निफ्टी 50 की तुलना में इक्रिटी निष्पादन





### g) Market Price Data:-


Period - Month	N	SE	В	SE
	High (Rs.)	Low (Rs.)	High (Rs.)	Low (Rs.)
April 2019	15.45	13.85	15.80	13.92
May 2019	14.25	11.45	14.40	11.50
June 2019	12.70	11.15	12.90	11.14
July 2019	12.95	11.05	12.90	10.20
August 2019	11.20	8.75	11.21	9.00
September 2019	10.70	9.35	10.60	9.40
October 2019	10.80	9.20	10.80	8.75
November 2019	12.20	9.75	12.17	9.80
December 2019	12.85	9.80	12.85	9.82
January 2020	12.15	10.15	12.10	10.09
February 2020	10.80	8.45	10.74	8.40
March 2020	9.25	6.05	9.16	6.17

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares traded during the year 2019-20, in the respective Stock Exchanges. Our Bank was not suspended from trading.

### h). Equity performance in comparison to BSE Sensex and Nifty50 during 01.04.2019 to 31.03.2020







# i) रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि. (यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवी मंज़िल न.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै - 600 002 टेलीफोन : 044-28460395 फैक्स: 28460129 इ-मेल: cameo@cameoindia.com


### झ. शेयर अंतरण प्रणाली

हमारे बैंक के निदेशक मंडल ने इक्किटी शेयरों के लेनदेन का अधिकार कार्यपालक स्तरीय शेयर अंतरण समिति (एल्सटैक), महा प्रबंधकों की समिति को शेयर अंतरण एवं प्रेषण आदि पर विचार करने व उसे अनुमोदित करने के 22 बैठकें हुयी तथा बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। सेबी एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अवलोकन में शेयरों के संचरण या स्थिति अंतरण जो कि डीमैट रूप में, 01.04.2019 से, रखे गए हैं, के अलावा भौतिक रूप से किसी भी शेयर के अंतरण का अनुरोध प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

### ञ) 31.03.2020 को शेयर धारिता का विवरण

क्रम. सं.	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता	,	'
1	भारत सरकार	15752902638	95.84
	उप योग	15752902638	95.84
गैर.	प्रवर्तक का धारण		
2	संस्थागत निवेशक		
अ	म्यूचुअल फण्डस, यू.टी,आइ	2126630	0.01
आ	बैंक व वित्तीय संस्थाएँ	257248781	1.57
इ	बीमा कंपनियाँ	13438245	0.08
ई	विदेशी संस्थागत निवेशक	0	0
उ	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	30206666	0.18
	उप योग	303020322	1.84
3	अन्य		
अ	निजी निगम निकाय	27258410	0.17





### i) Registrar & Share Transfer Agent:

Cameo Corporate Services Limited (Unit-IOB)
Subramanian Building, V Floor No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 e-mail: <a href="mailto:cameo@cameoindia.com">cameo@cameoindia.com</a>

#### j) Share Transfer System:

Our Bank's Board of Directors have delegated the power of transactions on equity shares to Executive Level Share Transfer Approval Committee (ELSTAC), Committee of General Managers, to consider and approve Share Transfer, Transmission etc. The minutes of the ELSTAC meetings are reported to the Board of Directors in each meeting. The Committee met 22 times during last year and reports were submitted to the Board.

Pursuant to amendment of Regulation 40 of SEBI LODR Regulations 2015, any request for effecting transfer of shares in physical form shall not be processed except in case of transmission or transposition of shares unless the share are held in demat form w.e.f. 01.04.2019.

### k) Distribution of shareholding as on 31.03.2020:

S No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	15752902638	95.84
	Sub-Total	15752902638	95.84
NC	ON-PROMOTERS HOLDING		
2	Institutional Investors		
Α	Mutual funds and UTI	2126630	0.01
В	Banks, Financial Institutions	257248781	1.57
С	Insurance Companies	13438245	0.08
D	Foreign Institutional Investors	0	0
F	Foreign Portfolio Investor	30206666	0.18
	Sub-Total	303020322	1.84
3	OTHERS	1	- 1
Α	Bodies Corporate	27258410	0.17



आ	वैयिक्तक	164952047	1.01
इ	एन.आर.आइ	7616654	0.05
	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	48000	0
	ईएसओपी/ईएसओएस/ईएसपीएस	176041366	1.07
ई	अन्य	5148887	0.02
	उप योग	381065364	2.32
कुल योग		16436988324	100.00

# ट) 31.03.2020 तक वितरण सूची

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक – 31.03.2020 को धारिता का वितरण

क्रम	धारिता	संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर	कुल संख्या का %
1	1 से 1000 के बीच	107559	38.42	75810420	0.05
2	1001 से 5000) के बीच	100411	35.87	291141700	0.18
3	5001 से 10000 के बीच	28803	10.29	244761400	0.15
4	10001 से 20000 के बीच	13133	4.69	203805110	0.12
5	20001 से 30000 के बीच	4324	1.54	111777890	0.07
6	30001 से 40000 के बीच	2084	0.74	76053000	0.05
7	40001 से 50000 के बीच	2393	0.85	115117350	0.07
8	50001 से 100000 के बीच	15231	5.44	1235111100	0.75
9	> 100000	6017	2.15	162016305270	98.57
	कुल	279955	100.00	164369883240	100.00

### ठ)31.03.2020 को विदेशी शेयर धारिता

क्रम	संवर्ग	31.03.2018 तक		31.03.2019 तक	
सं.		शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में	शेयरों की सं	कुल पूँजी की तुलना में
1	विदेशी संस्थागत निवेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	ओसीबी	48000	0.00	48000	0.00
3	एनआरआइ	7491556	0.08	7616654	0.05
4	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	24486876	0.27	30206666	0.18
	कुल	32026432	0.35	37871320	0.23

उक्त सारणी में वर्णितानुसार 31.03.2020 तक कुल विदेशी शेयरधारण ( (एफ.आइ.आइ, ओसीबी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 0.23% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है ।

# ड) 31.03.2019 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयर धारक :

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	15752902638	95.84
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	243278891	1.48
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8756567	0.05
4	वेंगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वेंगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड की एक श्रृंखला	7504203	0.05
5	बैंक ऑफ बड़ौदा	7126596	0.04

### ढ) शेयरों व प्रत्यक्ष धारिता

बैंक के शेयर अनिवार्य डीमेट ट्रेडिंग के अधीन हैं। बैंक शेयरों के अमूर्तिक रण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लि.(एन.एस.डी.एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएं (भारत) लि (सा.डी.एस.एल) का सदस्य है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ.एस.आइ.एन. कोड आबंटित किया है- आइएनई 565ए 01014



В	Individuals	164952047	1.01
С	NRI	7616654	0.05
	Overseas Corporate Body	48000	0
	ESOP/ESOS/ESPS	176041366	1.07
D	Others	5148887	0.02
	Sub-total	381065364	2.32
GRAND TOTAL		16436988324	100.00

### I) Distribution schedule as on 31.03.2020

INDIAN OVERSEAS BANK - DISTRIBUTION OF HOLDINGS AS ON 31.3.2020

SL NO	HOLDING	NUMBER	% OF TOTAL	SHARES	% OF TOTAL
1	between 1 and 1000	107559	38.42	75810420	0.05
2	between 1001 and 5000	100411	35.87	291141700	0.18
3	between 5001 and 10000	28803	10.29	244761400	0.15
4	between 10001 and 20000	13133	4.69	203805110	0.12
5	between 20001 and 30000	4324	1.54	111777890	0.07
6	between 30001 and 40000	2084	0.74	76053000	0.05
7	between 40001 and 50000	2393	0.85	115117350	0.07
8	between 50001 and 100000	15231	5.44	1235111100	0.75
9	> 100000	6017	2.15	162016305270	98.57
	Total	279955	100.00	164369883240	100.00

#### j) Foreign Shareholding as on 31.03.2020

S No	Category	As on 31.03.2019		As on 31.03.2020	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors	Nil	Nil	Nil	Nil
2	OCBs	48000	0.00	48000	0.00
3	NRIs	7491556	0.08	7616654	0.05
4	Foreign Portfolio Investor	24486876	0.27	30206666	0.18
	Total	32026432	0.35	37871320	0.23

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs and Foreign Portfolio Investors) as at 31.03.2020 was 0.23% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

#### n) Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2020:

S No	Name of the Shareholders	No. of Shares held	% of Total Holding
1	The President of India, Government of India	15752902638	95.84
2	LIC of India	243278891	1.48
3	United India Insurance Company Ltd	8756567	0.05
4	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds	7504203	0.05
5	Bank of Baroda	7126596	0.04

### o) Dematerialization of shares & Physical Holding:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank is a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.



31.03.2020 तक 1643.70 करोड़ इक्विटी शेयरोंमें से 1641.03 करोड़ शेयर या 99.84% शेयर 197031 शेयर धारकों के पास डीमेट रूप में है (जिसमें से भारत सरकार 1575.29 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रत: 95.84 है) तथा 2.66 करोड़ शेयर या 0.16% शेयर 80924 शेयरधारकों के पास प्रत्यक्ष रूप में है ।

### ण) डीमैट खाते में धारित अदावी शेयर:

अदावी सस्पेंस खाते धारित शेयरों की स्थिति निम्नवत है :

ब्यौरा	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.
01.04.2019 के प्रारंभ में शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हें अदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की समग्र सं. और 31.03.2020 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	220	54800

इन शेयरों से संबंधित वोटिंग अधिकार ऐसे शेयरों के उपयुक्त स्वामी के शेयरों पर दावे तक सुरक्षित रखा जाएगा।

### त) बकाया जीडीआर/ एडीआर/ वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व इक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव :

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

थ) बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए हैं : 31-03-2020 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं :

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोड़ों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन	मोचन की तारीख			
निम्न टियर ॥								
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020			
उच्च टियर॥					माँग विकल्प तिथि			
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021			
बेसल ॥। टियर ॥								
I	03.11.2016	800.00	*120	9.24	#03.11.2021			
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028			
Ш	24.09.2019	500.00^	120	9.0802	24.09.2029			

<sup>@ 10</sup> वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ) । यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा ।

# माँग विकल्प 5 वर्ष के अंत में अथवा अथवा आगामी भुगतान की तिथि पर उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)

^ बेसल ||| टियर || बॉन्ड श्रृंखला || के माध्यम से जुटाई गई 500 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग उस उेश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे लिया गया था जैसा कि सूचना ज्ञापन दिनांक 20.09.2019 में उल्लेख किया गया था, जो कि बेसल ||| आवश्यकताओं के अनुसार और दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने हेतु टियर || पूँजी और बैंक की समग्र पूँजी को बढ़ाने के लिए है |

# द) इश्यू का बॉण्ड ट्रस्टी

बैंक ने उक्त सभी बाँड इश्यू के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आइडीबीआइ ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि., मुंबई को नियुक्त किया है जो बॉण्ड्स के निवेशको के हितों की रक्षा करे । ट्रस्टी का पता निम्नवत है :

> आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड एशियन बिल्डिंग, 17 कमानी रोड, बल्लार इस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001

संपर्क सूत्र : सुश्री शीतल वरिष्ठ प्रबन्धक 022- 40807000



Out of 1643.70 crore equity shares as on 31.3.2020, 1641.03 crore equity shares or 99.84% are held by 197031 shareholders in Demat form (of which Government of India holds 1575.29 crore equity shares in Demat form aggregating to 95.84% and 2.66 crore equity shares or 0.16% are held by 80924 shareholders in physical form.

#### **Unclaimed shares held in Demat Account:**

The position of shares held in the unclaimed suspense account is mentioned below:

Details	No. of shareholders	No. of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning 01.04.2019	220	54800
Number of Shareholders who approached for transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares were transferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the unclaimed suspense account at the end of 31.03.2020	220	54800

The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

q) Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

r) The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2020 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs. in cr)	Tenor (in months)	Coupon %	Redemption Date			
LOWER TIER II								
XIV	31.12.2010	1000.00	120	08.95	31.12.2020			
Upper Tier II					Call Option Date			
IV	10.01.2011	967.00	@180	09.00	@10.01.2021			
Basel III Tier II								
1	03.11.2016	800.00	*120	9.24	#03.11.2021			
II	10.12.2018	300.00	120	11.70	#08.12.2028			
III	24.09.2019	500.00 ^	120	9.0802	24.09.2029			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call

Option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

#Call option available at the end of 5 years and thereafter on subsequent payment date (with prior approval of RBI).

^The funds of Rs.500 crores raised through Basel III Tier II Bonds Series III have been utilised for the purpose for which it was raised as mentioned in the information memorandum dated 20.09.2019 namely to augment Tier II Capital and overall Capital of the Bank for strengthening the capital adequacy as per Basel III requirements and for enhancing the long term resources.

#### S) BOND TRUSTEE TO THE ISSUE:

The Bank has appointed M/s. IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai, as Bond Trustees to all the above Bond Issues, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees is given below:

IDBI Trusteeship Services Ltd.,

Asian Building, 17 R Kamani Road, Ballard Estate, Fort, MUMBAI-400 001

Contact Details: Ms. Sheetal

Senior Manager 022-40807000



# किसी भी मामले पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध बाजारों, स्टॉक एक्सचेंज (बोर्ड) या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए गैर-अनुपालन का विवरण, सुचीबद्ध इकाई पर प्रभारित किए गए दंड व सख्ती;

वर्ष के दौरान बीएसई और एनएसई द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया । पिछले साल बीएसई और एनएसई ने बोर्ड मीटिंग की तारीख में देरी के लिए प्रत्येक पर 10,000 रुपये (केवल दस हजार रुपये) + जीएसटी पर का जुर्माना लगाया है । बैंक ने दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया है । उपरोक्त को छोड़कर कुछ गैर अनुपालन के कारण 2.00 लाख का जुर्माना लगाया गया, जिसे वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में सूचित किया गया था ।

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी पर आरबीआई मास्टर - वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और एफआई निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था । बैंक ने लगाए गए जुर्माने का भुगतान किया है ।

वर्ष के दौरान, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने एवं धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 (1) (ए) और (बी) एवं धारा 12 (3) जिसे विभिन्न नियमों को दर्ज करने में देरी से संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाए, के विभिन्न गैर-अनुपालनों के कारण बैंक पर 10.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था । बैंक ने लगाए गए जुर्माने का भुगतान किया है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान सूर्यदेव मिश्र और पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए अग्रिम करार के चलते विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 11 (3) के उल्लंघन के कारण बैंक पर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था । । बैंक ने लगाए गए जुर्माने का भुगतान किया है ।

31.03.2019 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों / सेबी / किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा हमारे ऊपर कोई अन्य जुर्माना या सख्ती आरोपित नहीं की गई ।

### लेखा परीक्षकों की फीस

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक द्वारा सभी सेवाओं के लिए वैधानिक लेखा-परीक्षकों को रु. 24,81,24,013.42 की फीस प्रदान की गई ।

### पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र

बैंक ने पेशेवर कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या निदेशक के रूप में सेवाएँ देने से वंचित या अयोग्य नहीं घोषित किया गया है ।

### समाचार पत्र में विज्ञापन

कोविड 19 महामारी के संदर्भ में सेबी ने 30 जून 2020 तक निर्धारित सभी घटनाओं के लिए नियमन 47 के तहत समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन को छूट दी है। तदनुसार, बैंक इस प्रकार की सूचनाओं (वित्तीय परिणामों के लिए बोर्ड की बैठक की सूचना का नोटिस) / बोर्ड बैठक, वित्तीय परिणामों का प्रकाशन आदि) का समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है।

### ए देशीय

रेटिंग एजेंसियों के नाम	निम्न टियर॥		उच्च टियर॥		टियर । बेसल ॥ (बेमियादी )	बेसल ॥। टायर ॥			जमाकार्य क्रम का	मियादी जमा कार्यक्रम	
	शृंखला XIII	शृंखला XIV		शृंखला ॥।	शृंखला IV	(बेमियादी ) श्रृंखला IV	शृंखला ।	शृंखला ॥	शृंखला ॥।	प्रमाणपत्र	कार्यक्रम
भारतीय रेटिंग									आईएनडी एए- / नकारात्मक		
क्रिसिल लिमिटेड	ए+ स्थिर	ए+ स्थिर		ए- स्थिर	ए- स्थिर	ए- स्थिर	ए+ स्थिर	ए+ स्थिर	ए+ स्थरि	ए1+	एफ़एए स्थिर
आइसीआरए लिमिटेड	ए+ नकारा त्मक	ए+ नकारा त्मक		ए- नकारा त्मक	ए- नकारा त्मक	ए- नकारा त्मक	ए+(एचवा ईबी) नकारात्म क	ए+(एचवा ईबी) नकारात्म क		₹1+	-



details of non-compliance by the listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years;

During the year no penalty imposed by BSE & NSE. Previous year BSE & NSE has imposed penalty of Rs.10,000.00 (Rupees Ten Thousand only) each plus GST for delay in intimating date of Board Meeting. The Bank has made payment to both the stock exchanges. Except for the above and penalty of Rs. 2.00 lakhs imposed due to certain non compliance, which was reported in Annual Report 2017-18.

During the year\_The Reserve Bank of India had levied a penalty of Rs. 2.50 Crores on account of non-compliance of the RBI Master Directions on Frauds – Classification and Reporting by commercial banks and select Fls. The Bank has paid the levied penalty.

During the year The Financial Intelligence Unit of India, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India had levied penalty on the Bank of Rs.10.40 Lakhs on account of various non-compliances of Section 12 (1)(a) and (b), and Section 12(3) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 read with the Rules made thereunder pertaining to delay in filing of various reports. The Bank has paid the levied penalty.

During the year the Reserve Bank of India on had levied a penalty of Rs 3.30 lakhs on the Bank on account of contravention of Section 11(3) of The Foreign Exchange Management Act, 1999 pertaining to forward contracts undertaken by the Bank with M/s. Suryadev Alloys & Power Private Limited. The Bank has paid the levied penalty.

No other penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI/any Statutory authority on any matter related to capital market during the last three years ended 31.03.2019

#### Auditors Fee:

Total Fee paid by the Bank for all services to the Statutory Auditors for FY 2019-20 is Rs. 24,81,24,013.42

#### **Certificate from Company Secretary in Practice:**

Bank has obtained a certificate from a Company Secretary in Practice that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies.

#### **Newspapers Advertisements:**

In the context of COVID 19 pandemic SEBI has exempted publication of advertisements in newspapers as required under regulation 47 for all events scheduled till June 30, 2020. Accordingly, Bank is not releasing such advertisement in newspapers (Notice of intimation of Board Meeting for Financial Results / Board Meeting, Publication of Financial Results etc.)

#### Credit Ratings

#### A. Domestic

Name of the Rating Agen-	Lower Tier II		'''		Tier I Basel III Tier II		II	Cer-	Fixed Deposit			
cies		Series XIII	Series XIV		Series III	Series IV	(Per- petual) Series IV	Series I	Series II	Series III	Deposit Pro- gramme	Pro- gramme
India Ratings										IND AA- / Negative		
CRISIL Limited		A+ Stable	A+ Stable		A- Stable	A+ Stable	A- Stable	A+ Stable	A+ Stable	A+ Stable	A1+	FAA Stable
ICRA Limited		A+ Negative	A+ Negative		A- Negative	A- Negative	A- Negative	A+(hyb) Negative	A+(hyb) Negative		A1+	-



### बी. अंतर्राष्ट्रीय

रेटिंग एजेंसियों का नाम	दीर्घावधि स्थानीय और विदेशी मुद्रा जमा	आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए) व समायोजित बीसीए	विदेशी मुद्रा काउंटरपार्टी जोखिम	ऑउटलुक
मूडी इंवेस्टर सर्विस,	बीए 2	बी 2	बीए1/एनपी	स्थिर
सिंगापुर	(स्थिर)	(स्थिर)	(अवनति)	

#### ध) पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय

में किए जाते हैं। शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ.ओ.बी.) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पाँचवीं मंज़िल

नं.1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002

टेलीफोन: 044-28460395 फैक्स: 28460129 ई.मेल: cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निवेशक संबंध कक्ष है।

### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

निवेशक संपर्क कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै चेन्नै-600 002

टेलीफोन: 044-71729791, 28415702, 28519654

ई.मेल: investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

#### प्रकटीकरण

- क. प्रबंधन के प्रमुख व्यिक्तयों यानी पूर्ण कालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की तिमाही आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।
- ख. बैंक के निदेशकों, प्रबंधन उनके संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।
- ग. सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्तमान में बैंक एक विसलब्लोअर नीति है और यह पुष्ट किया जाता है कि किसी व्यावक्त को लेखा-परीक्षा सिमिति की पहुँच नकारी नहीं गई है और यह हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- घ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक/ दिशानिर्देशों/ निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है।
- ङ. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के संदर्भ में, वर्ष 2019-20 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट जो इस रिपोर्ट का भाग है, हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.in par उपलब्ध कराई गई है।
- च. प्रासंगिक वस्तुओं के प्रति इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया गया है।
- छ. बैंक कमोडिटी बाजार गतिविधियों का संचालन नहीं करता है।
- ज. वित्तीय वर्ष के दौरान लैंगिक उत्पीड़न की दर्ज शिकायतों की संख्या 3,

वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाये गये शिकायतों की संख्या - 1,

लंबित शिकायतों की संख्या - 2.

जहां बोर्ड ने संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से बोर्ड की किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, उसके कारणों के साथ ही खुलासा किया जाएगा।



#### B. International

Name of the Rating Agencies	Long-term local and foreign currency deposit	Baseline Credit As- sessment (BCA) and Adjusted BCA	Foreign currency counterparty risk	Outlook
Moody's Investors	Ba2	b2	Ba2	Stable
Service, Singapore	(Stable)	(Stable)	(Downgrade)	

#### t) Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer Agents. Shareholders may lodge documents, grievances and complaints at their address:

Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, V Floor

No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044-28460395 Fax: 28460129 email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office to handle the complaints and service requirements of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank

Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai

Chennai-600 002

Tel: 044-28519654, 71729791, 28415702,

email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

#### **Disclosures**

- a. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a quarterly basis by the Audit Committee of the Board.
- b. There are no significant related party transactions of the Bank with its directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- c. Bank has a Whistle Blower Policy and affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee as per CVC guidelines and the same is disclosed in our website.
- d. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by RBI/Government of India to the nationalized banks.
- e. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), Business Responsibility Report for the year 2019-20 is made available in our Bank's web site: <a href="https://www.iob.in">www.iob.in</a>
- f. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.
- g. The Bank does not undertake commodity market activities.
- h. Number of sexual harassment complaints filed during the financial year 3,

Number of complaints disposed off during the financial year – 1,

Number of complaint pending - 2.

where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof



झ. 🔻 एमडी व सीईओ तथा ई डी का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है । इन्हें दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्न रूप से दिया गया है:

क्र.	नाम पदनाम		अवधि	पारिश्रमिक का ब्यौरा*			राशि (रू. में)
सं.				वेतन	बकाया	पी एफ	
1	श्री आर सुब्रमण्यकुमार	प्र.नि व मु.का. अ.	01.04.2019 - 30.06.2019	712695.00	19611.00	61650.00	774345.00
2	श्री कर्नम शेखर	प्र.नि व मु.का. अ.	01.04.2019 – 31.03.2020	2875972.00	42320.00	252060.00	3170352.00
2	श्री के स्वामिनाथन	का.नि	01.04.2019 – 28.02.2020	2277409.93	37520.00	198819.31	2513749.24
3	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	का.नि	01.04.2019 - 31.03.2020	2566153.00	37520.00	223470.00	2827143.00

#### \*राशि भारतीय रूपये में

बैंक जीओआई परिपत्र सं. 15/ 1/ 2011-बीओआई दिनांकित 18.01.2019 की सूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क, जो कि बोर्ड की बैठक में रु 40,000 / - प्रति बैठक एवं समिति की बैठक में रु. 20,000 प्रति बैठक एवं बैठक की अध्यक्षता करे के लिए अतिरिक्त रुपये रु. 10,000 / - व बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता के लिए रु. 5000/- है, के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता है।

- क) सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17 (8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ का प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है एवं एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
- ख) वर्ष 2019-20 के लिए बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 34 के तहत एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है एवं उसकी एक प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
- ग) बैंक की लाभांश वितरण नीति रिपोर्ट का हिस्सा है और यह बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है।
- घ) निदेशकों के परिचय कार्यक्रमों के संबंध में उनका विवरण बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर दिया गया है ।

### गैर अनिवार्य आवश्यकताएँ :

गैर अनिवार्य आवश्यकताएँ	हमारी स्वीकृति
बोर्ड - कंपनी के खर्च पर एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	बैंक ने गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कार्यालय प्रदान नहीं किया है
शेयरधारकों के अधिकार	वित्तीय परिणाम हमारी वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाते हैं।
लेखा परीक्षा योग्यता	वर्ष 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट में योग्य टिप्पणी नहीं है।
अध्यक्ष व सीईओ का अलग पद	सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भारत सरकार द्वारा एक गैर- कार्यकारी अध्यक्ष जोिक बैंक को समग्र नीित निर्देश देने एवं एक पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंध निदेशक और सीईओ को बैंक के दिन प्रतिदिन के कामकाज की देखरेख करने के लिए दिया गया है।
आंतरिक लेखा परीक्षक	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षक/ निरीक्षण है एवं उनकी रिपोर्ट समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखी जाती है ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(कर्नम शेखर) प्रबंध निदेशक व सीईओ

चेन्नै 25.06.2020-



i. The remuneration of MD & CEO and EDs is fixed by the Government of India. The details of remuneration paid to the MD & CEO and EDs are detailed below:

S	Name	Designation	Period	Detail	ls of Remunera	ation*	Amount
No				Salary	Arrears	PF	(Rs)
1	Mr R Subramaniakumar	MD & CEO	01.04.2019 -	712695.00	19611.00	61650.00	774345.00
			30.06.2019				
2	Mr. Karnam Sekar	MD & CEO	01.04.2019 –	2875972.00	42320.00	252060.00	3170352.00
			31.03.2020				
2	Mr K Swaminathan	ED	01.04.2019 –	2277409.93	37520.00	198819.31	2513749.24
			28.02.2020				
3	Mr Ajay Kumar Srivastava	ED	01.04.2019 -	2566153.00	37520.00	223470.00	2827143.00
			31.03.2020				

#### \*Amount in INR

The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors except sitting fee fixed by Government of India which is Rs.40,000/- per Board Meeting and Rs.20,000.00 per Committee Meeting and additional Fee of Rs.10,000/- for chairing Board Meeting and Rs.5,000 for chairing Board Committee meeting in terms of GOI Circular No.F.No.15/1/2011-BO.I dated 18.01.2019.

- a. The Certificate of CEO and CFO in accordance with Regulation 17(8) of SEBI (LODR) has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.
- b. In terms of Regulation 34 of SEBI (LODR), a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2019-20 and the same is annexed to this report.
- c. The Dividend Distribution Policy of the Bank form part of the Report and is available on the Bank's website at www.iob.in
- d. Details of familiarization programmes for Directors have been given on the Bank's website at www.iob.in

#### e. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non-executive Chairman at the company's expense	Bank has not provided office for the non-executive Chairman
Shareholders Rights	The financial results are displayed in our website.
Audit Qualification	The Audit Reports for the year 2018-19 do not contain qualified remarks.
Separate post of Chairman and CEO	The post of Chairman and Managing Director of Public Sector Banks has been bifurcated by the Government of India into a non-executive Chairman to give an overall policy direction to the Bank and a full time executive Managing Director & CEO to oversee the day to day functioning of the Bank.
Internal Auditor	The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their reports are periodically placed to the Audit Committee for review.

For and on behalf of the Board of Directors

(Karnam Sekar) Managing Director & CEO

Chennai 25.06.2020



### वर्ष 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस विषयक निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2019-20 निदेशकों का जीवन परिचय DIRECTORS PROFILE

### 1. श्री कर्नम शेखर एमडी व सीईओ

उम्र एवं जन्म तिथि : 59 वर्ष, 01.07.1960

योग्यता : बी.एससी. (अग्री)

नियुक्ति की तिथि: 01.04.2019

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि: 30.06.2020

#### अनुभव :

श्री कर्नम शेखर की इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति 01.07.2019 से प्रभावी है एवं 01.04.2019 से 01.07.2019 तक एमडी एवं सीईओ के रूप में प्रभार ग्रहण करने तक आईओबी में विशेष कार्य पर अधिकारी एवं पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। दिनांक 01.04.2019 को आईओबी में विशेष कार्य पर अधिकारी एवं पूर्ण कालिक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे देना बैंक में दिनांक 21.09.2018 से एमडी व सीईओ के पद पर थे। उससे पूर्व वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक् एवं मुख्य ऋण अधिकारी के रूप में बैंक की सर्वोच्च ऋण सिमित की अध्यक्षता कर रहे थे। साथ ही एसबीआई में उन पर ऋण नीति के सूत्रीकरण का दायित्व भी था।

श्री शेखर ने 9 दिसंबर 1983 में एसबीआई में अपनी सेवाओं की शुरुआत परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की थी। एसबीआई में उनका अनुभव ऋण एवं शाखा परिचालन में रहा। उन्होंने उत्तर-पूर्व समेत देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य किया है। उनके पूर्ववर्ती कार्यभारों में वे कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रूप ब्रांच, मुंबई के शाखा प्रबन्धक (जो कि कारोबार की मात्रा के मामले में बैंक की सबसे बड़ी शाखा थी) रहे, एसबीआई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में प्रबन्धक (ट्रेजरी) एवं एसबीआई में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने से पूर्व वे लखनऊ अंचल जिसमें 1600 से अधिक शाखाएँ हैं, और 16000 से अधिक कर्मचारी हैं, में मुख्य महा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

आईओबी के शेयरधारिता : लागू नहीं

अन्य निदेशकतव : लागु नहीं

### श्री अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यपालक निदेशक

उम्र एवं जन्म तिथि : 59 वर्ष, 53 वर्ष – 15.10.1967

योग्यता : बी.एससी. (ऑनर्स), सीएआईआईबी भाग।

नियुक्ति की तिथि: 09.10.2017

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : 08.10.2020

#### 1. Shri Karnam Sekar, MD & CEO

Age and Date of Birth: 59 years, 01.07.1960

Qualification: B.Sc. (Agri)

Date of Appointment: 01.04.2019

Date of expiry of the current term: 30.06.2020

#### **Experience:**

Shri. Karnam Sekar is appointed as Managing Director & Chief Executive Officer in Indian Overseas Bank with effect from 01.07.2019 and as an Officer on Special Duty and Whole Time Director in IOB from 01.04.2019 till the time of taking over charge as MD & CEO on 01.07.2019. Prior to his joining as Officer on Special Duty and Whole Time Director in IOB on 01.04.2019, he was MD & CEO in Dena Bank from 21.09.2018. Prior to that, he was Deputy Managing Director and Chief Credit Officer in State Bank of India heading its Highest Credit Committee. In SBI, he was also responsible for formulating loan policy of the Bank.

Mr. Sekar joined State Bank of India as Probationary officer on 9th December, 1983. His experience in SBI has been in Credit & Branch Operations. He worked in various geographies including the North Eastern part of the Country. His earlier assignments include, the Branch Manager of the Corporate Accounts Group Branch, Mumbai (which was the largest Branch in the Bank in terms of the volume of business), and Manager (Treasury) at SBI Johannesburg, South Africa. Before his elevation as Deputy Managing Director in SBI, he was working as Chief General Manager in Lucknow Circle which has more than 1600 Branches, and more than 16000 employees.

Shareholding in IOB : NA Other Directorships : NA

### 2. Shri Ajay Kumar Srivastava Executive Director

Age and Date of Birth: 52 Years - 15.10.1967

Qualification: B.Sc. (Hons), CAIIB Part I

Date of Appointment: 09.10.2017

Date of expiry of the current term: 08.10.2020



#### अनुभव :

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने 9 अक्तूबर 2017 को कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । इससे पूर्व वे इलाहाबाद बैंक में फील्ड महा प्रबन्धक –दिल्ली के रूप में कार्यरत थे ।

उन्होंने अपने बैंकिंग किरयर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में पिरवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और अपने 27 वर्ष के बैंकिंग किरयर में उन्होंने देश के विभिन्न भागों में, जिसमें फील्ड एउयर प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं, में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है । वे एक विद्वान, कार्यकुशल एवं हार्डकोर बैंकर हैं जिन्हें फील्ड का विशाल अनुभव है तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात व दिल्ली के बड़े व महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नेत्रत्व करने का अनुभव प्राप्त है । उन्होंने सकारात्मक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्षेत्र में विभिन्न वर्टिकल का नेटरेटव करते समय कई नई पहलों का शुभारंभ किया है । श्री श्रीवास्तव ने भारत भारत व विदेशों में कुछ प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

आईओबी में शेयरधारण : 18,746 शेयर

अन्य निदेशकता : शून्य

## 3. सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू सरकारी नामिती

उम्र एवं जन्म तिथि : 56 वर्ष - 21.10.1963

योग्यता : एम. एससी.

नियुक्ति की तिथि: 22.07.2016

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : भारत सरकार के अगले आदेश

तक

#### अनुभव :

सुश्री ऐनी जॉर्ज मैथ्यू वर्तमान में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अपर सचिव(पेर्स) हैं ।

आइओबी में शेयर धारण : उनके पास बैंक की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है ।

अन्य निदेशकता: शून्य

## श्री दीपक कुमार आरबीआई नामिति

उम्र एवं जन्म तिथि : 55 वर्ष - 01.08.1964

योग्यता : एमए (अर्थशास्त्र), पीएचडी,अंतर्राष्ट्रीय विपणन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सीएआईआईबी

नियुक्ति की तिथि : 18.09.2019

वर्तमान पद की समाप्ति की तिथि : अगले आदेश तक

#### **Experience:**

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed Office as Executive Director of Indian Overseas Bank on 9th October 2017. Prior to this he was working as Field General Manager- Delhi with Allahabad Bank

He started his banking career as Probationary Officer in 1991 with Allahabad Bank and during his banking career spanning over 27 years, he has worked in various capacities in different parts of the country which include Field as well as Administrative Offices. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi. He has been instrumental in bringing positive structural and cultural changes and took many new initiatives while heading different verticals in the field. Mr Srivastava has undergone some very prestigious training programmes both in India and abroad.

Shareholding in IOB: 18,746 Shares

Other Directorships: Nil

#### 3. Ms Annie George Mathew

#### **Gol Nominee**

Age and Date of Birth: 56 years - 21.10.1963

Qualification: M.Sc.

Date of Appointment: 22.07.2016

Date of expiry of the current term: Until further orders from Government of India

#### **Experience:**

Ms. Annie George Mathew is presently the Additional Secretary (Pers), Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India.

Shareholding in IOB: She does not hold any equity shares of the Bank

Other Directorships: Nil

# 4. Shri. Deepak Kumar RBI Nominee

Age and Date of Birth: 55 years - 01.08.1964

Qualification: MA (Economics), Ph.D, Post Graduate Diploma in International Marketing, CAIIB

Date of Appointment: 18.09.2019

Date of expiry of the current term: Until further orders



### अनुभव :

श्री दीपक कुमार ने भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी सेवाओं की शुरुआत सितंबर 1990 में की एवं वर्तमान में आरबीआई, मुंबई में सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में तैनात हैं। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं एवं नब्बे के दशक में बैंकिंग उद्योग पर कम्प्यूटरीकरण के प्रभाव - एक मूल्यांकन विषय में पीएचडी प्राप्त की है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। हाल में, उन्होंने बिग डेटा, हॅडूप और बिजनेस एनालिटिक्स पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे।

श्री दीपक कुमार ने आरबीआई के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम किया है जिसमें भुगतान प्रणाली, मुद्रा वितरण एवं प्रबंधन, प्रायोजना, बैंकिंग परिचालन, मानव संसाधन प्रबंधन, वाणिज्यिक बैंक पर्यवेक्षण, विदेशी विनिमय विनियमन और पर्यवेक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं।

आइओबी में शेयर धारण : कोई नहीं

अन्य निदेशकता : एनपीसीआई एवं आईएफ़टीएएस (आरबीआई द्वारा नियुक्त)

### 5. श्री संजय रुंगटा शेयरधारक निदेशक

आयु व जन्मतिथि : 54 वर्ष – 26.01.1966

योग्यता : बी.कॉम, एफ़.सी. ए., एफ़.ए.एफ़.पी

नियुक्ति की तिथि: 08.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति की तिथि: 07.12.2020

#### अनुभव :

श्री संजय रुंगटा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें बैंकिंग, वित्त व कर – निर्धारण तथा सार्वजनिक/ प्राइवेट बैंक के लिए कार्य करने का 28 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे मेसर्स एसपी रुंगटा एवं एसोसिएट्स के विरष्ठ पार्टनर हैं। डीएमकेएच वे दिवालियापन समाधान सेवाऐ एलएलपी के भी साझेदार है।

श्री रुंगटा दिवालिया व दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (आईबीबीआई) के साथ 'पंजीकृत दिवालियापन पेशेवर' (आईपी) हैं। श्री संजय रुंगटा आईसीएआई द्वारा नामित 'पियर रिव्यूअर्स' के पैनल में शामिल हैं और उन्होंने सीए फार्मों की पियर समीक्षा की है। बैंकिंग जगत में लेखापरीक्षा के अपने वृहत्त अनुभाव के अलावा उन्होंने कई प्राइवेट व पब्लिक सेक्टर कार्पोरेशन, बीमा कंपनियों, केन्द्रीय सहकारी समितियों, सरकारी कंपनियों का विभिन्न प्रकार से लेखा परीक्षण किया है।

विगत 28 वर्षों में उनके द्वारा बैंक की शाखाओं में विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षा, जैसे नियमित आंतरिक निरीक्षण, समपार्श्विक लेखा परीक्षा, संविधिक लेखा परीक्षा एवं स्टॉक लेखा परीक्षा, प्राथमिक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, सार्वजनिक क्षेत्रों की ओर से बड़े कॉर्पोरेट घरेलू उधारकर्ताओं का प्रबोधन और समुचित सावधानी बरतना, इत्यादि किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के सीडीआर कक्ष के अंतर्गत निगरानी संस्था के सीडीआर क्रियाविधि के तहत बड़े उधारकर्ताओं हेतु समपार्श्विक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

#### **Experience:**

Shri Deepak Kumar, joined Reserve Bank of India in September 1990 and currently posted as Chief General Manager, Department of Information Technology, RBI, Mumbai. He is a Post Graduate in Economics and has obtained Ph.D on the subject 'Impact of Computerization on Banking Industry during Nineties- an Evaluation'. He has done Post Graduate Diploma in International Marketing from Delhi School of Economics. In recent times, he had obtained online Certificates on Big Data, Hadoop and Business Analytics.

Shri Deepak Kumar has worked in various work areas of RBI which includes Payment System, Currency distribution and management, Planning, Banking operations, Human Resource Management, Commercial bank supervision, Foreign Exchange regulation and supervision, Information Technology, etc.

Shareholding in IOB: Nil

Other Directorships: NPCI & IFTAS (Appointed by RBI)

#### 5. Shri Sanjay Rungta Shareholder Director

Age and Date of Birth: 54 Years - 26.01.1966

Qualification: B.Com, F.C. A., F.A.F.P

Date of Appointment: 08.12.2017

Date of expiry of the current term: 07.12.2020

#### **Experience:**

Shri Sanjay Rungta from Mumbai has done B.Com from Rajasthan University and is a practicing Chartered Accountant with more than 28 years of experience in Banking, Finance & Taxation and has been working for the Public/Private sector Banks. He is a Senior Managing Partner of M/s. S. P. Rungta & Associates, Chartered Accountants. He is also a partner in DMKH Insolvency Resolution Services LLP.

Shri Rungta is a 'Registered Insolvency Professional' (IP) with 'Insolvency & Bankruptcy Board of India' (IBBI). He is also on the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, central cooperative societies, government companies.

In the last 28 years he has conducted various kinds of audits of the Bank's Branches like regular Internal inspection, Concurrent Audit, Statutory Audit and has conducted stock audit, valuation of primary securities, due diligence and monitoring of large corporate domestic borrowers on behalf of Public sector Banks. He was also appointed as concurrent auditor of large borrowers under the CDR mechanism by the Monitoring Institution under CDR cell of RBI.



उन्होंने भारत और विदेशों में व्यापक रूप से यात्रा की है । उनकी विशेष दिलचस्पी बैंकिंग वित्त, सहकारी क्षेत्र तथा समाजिक कार्य आदि में है ।

आइओबी में शेयर धारण : उनके पास बैंक के 600 इक्विटी शेयर हैं ।

अन्य निदेशकता : शून्य

### 6. श्री नवीन प्रकाश सिन्हा शेयरधारक निदेशक

आयु एवं जन्मतिथि : 57 वर्ष 15.10.1962

योग्यता : बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र भारत के बीमा संस्थान से अनुज्ञप्ति प्राप्त

नियुक्ति की तिथि: 08.12.2017

वर्तमान टर्म की समाप्ति की तिथि : 07.12.2020

#### अनभव :

श्री नवीन प्रकाश सिन्हा वित्त उत्पादन विपणन, मानव संसाधन प्रबंधन, और श्रम कानून विशेष रूप से जो पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य कर्मचारी लाभ से सम्बद्ध है, का विशाल अनुभव है।

### वित्तीय उत्पाद विपणन:

- हजारीबाग, पटना और हैदराबाद डिवीज़न के सीनियर डिवीज़नल मैनजर (इन-चार्ज) के रूप में, वह लक्ष्यित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इन डिविजनों के तहत सभी शाखाओं की मार्केटिंग और सर्विसिंग गतिविधियों दोनों की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे।
- क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) के रूप में वे अंचल की विपणन रणनीतियों के विकास व कार्यान्वयन तथा विपणन गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार थे।
- प्रमुख (पी व जी एस) के रूप में वे समूह पोर्ट फोलियों के निवेश में शामिल थे, जिसमें वित्तीय बाज़ारों की दैनिक निगरानी समाहित थी।

#### मानव संसाधन प्रबंधन :

- क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में वे अंचल के मानव संसाधन प्रबंधन, जिसमें पदोन्नति तथा अधिकारियों का पदस्थगन शामिल है, जिम्मेदार रहे।
- ज़ेडटीसी, गुड़गांव के अतिरिक्त निदेशक एवं निदेशक के रूप में वे उत्तरी क्षेत्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने इसे उत्कृष्टता के सीखने के केंद्र के रूप में विकसित किया था।
- विशेष रूप से पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं नाय कर्मचारियों के लाभ से संबन्धित श्रम कानून ।
- प्रमुख (पी व जीएस) के रूप में वे कॉर्पोरेट कार्यालय के पेंशन व ग्रुप इंश्योरेंस वर्टिकल के विपणन एवं प्रशासन हेतु जिम्मेदार थे।

He has widely travelled in India and abroad. His special interests are Banking, Finance, Cooperative Sector and Social Work etc.

Shareholding in IOB: He holds 600 shares of our Bank

Other Directorships: Nil

#### 6. Shri Navin Prakash Sinha Shareholder Director

Age and Date of Birth: 57 years 15.10.1962

Qualification: BA (Hons) Economics Licenciate of Insurance Institute of India

Date of Appointment: 08.12.2017

Date of expiry of the current term: 07.12.2020

#### **Experience:**

Shri Navin Prakash Sinha has vast experience in the field of Financial Product Marketing, Human Resource Management and Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other Employees' benefits.

#### **Financial Product Marketing:**

- As a Sr. Divisional Manager (In-Charge) of Hazaribagh, Patna and Hyderabad Division, he was responsible for monitoring and controlling both marketing and servicing activities of all branches under these Divisions for achieving targeted performance.
- As a Regional Manager (Marketing), he was responsible for developing and implementing Marketing strategies of the Zone, Supervising marketing activities under Zone.
- As a Chief (P&GS), he was involved in investment of Group portfolio which included daily monitoring of Financial Markets.

#### **Human Resource Management:**

- As a Regional Manager (P&IR), he was responsible for human resource management of the zone involving promotion and placement of officers.
- As an additional Director and Director ZTC, Gurgaon, he was responsible for training of all officers & employees of Northern zone and develop it as a learning centre of excellence.
- Labour laws especially related to Pension, Gratuity, and other employees' benefits:
- As a Chief (P&GS), he was responsible for marketing and administration of Pension & Group Insurance vertical from Corporate Office.



### वर्तमान/ पूर्व में एलआईसी में धारित पद:

- 09.08.2018 से अभी तक अंचल प्रबन्धक (उ प्र व उत्तराखंड के प्रभारी के रूप में)
- निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र) गुड़गांव अक्तूबर 2017 से 08.08.2018 तक
- अप्रैल 2017 से सितंबर 2017 तक अतिरिक्त निदेशक (अंचल प्रशिक्षण केंद्र), गुडगांव
- अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक प्रमुख (पेंशन व समूह सेवा निवृत्ति योजनाएँ) केन्द्रीय कार्यालय मुंबई
- अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक (विपणन) दक्षिण केंद्रीय अंचल, हैदराबाद
- अप्रैल 2011 से अप्रैल 2012 (कार्मिक व औद्योगिक संबंध) दक्षिण अंचल. चेन्नै
- जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक राष्ट्रीय संबंध प्रबन्धक, चेन्ने
- अगस्त २००७ से जुलाई २०१० तक मुख्य प्रबन्धक मॉरीशस
- मई 2006 से अगस्त 2007 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (इन-चार्ज), हैदराबाद
- मई 2004 से मई 2006 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (इन-चार्ज), पटना
- मई 2002 से मई 2004 तक सीनियर डिवीज़नल मैनेजर (इन-चार्ज), हजारीबाग

आइओबी में शेयरधारण : उनके पास बैंक के 100 इक्विटी शेयर है ।

अन्य निदेशकता : शून्य

#### Post held in LIC at Present/Past

- Zonal Manager (In Charge of UP and Uttarakhand from 09.08.2018 till date
- Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from October,2017 till 08.08.2018
- Additional Director (Zonal Training Centre), Gurgaon from April,2017 to September, 2017
- Chief (Pension & Group Superannuation Schemes),
   Central Office, Mumbai from April, 2015 to April, 2017
- Regional Manager (Marketing), South Central Zone, Hyderabad from April, 2012 to April, 2015
- Regional Manager(Personnel & Industrial Relations),
   Southern Zone, Chennai from April, 2011 to April, 2012
- National Relationship Manager, Chennai from July, 2010 to April, 2011
- Chief Manager, Mauritius from August, 2007 to July, 2010
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hyderabad from May, 2006 to August, 2007
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Patna Division from May, 2004 to May, 2006
- Sr. Divisional Manager (In-charge) of Hazaribagh Division from May, 2002 to May, 2004.

Shareholding in IOB: He holds 100 Shares of our Bank.

Other Directorships: Nil



### निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) विनियम 2015 की अनुसूची v अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

763, अण्णा सालै चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों, रिकॉर्डों, प्रारूपों, विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी।

बेंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2019 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	टीसीए रंगनाथन	गैर कार्यपालक – अध्यक्ष	16.02.2017
2.	आर सुब्रमण्यकुमार	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	05.05.2017
3.	के स्वामिनाथन	कार्यपालक निदेशक	17.02.2017
4.	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017
5.	ऐनी जार्ज मैथ्यू	गैर कार्यपालक – नामिती निदेशक	22.07.2016
6.	निर्मल चंद	गैर कार्यपालक – नामिती निदेशक	13.03.2014
7.	के रघु	गैर कार्यपालक – गैर स्वतंत्र निदेशक	26.07.2016
8.	संजय रुंगटा	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	08.12.2014
9.	नवीन प्रकाश सिन्हा	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	08.12.2017

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविषयगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै कृते आर श्रीधरन व एसोसियेट्स

दिनांक : 25 जून 2020 कंपनी सचिव

सीपी सं 3239

यूआइएन : एस2003टीएन063400 यूडीआइएन : एफ004775बी000375849

# CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015

The Members, INDIAN OVERSEAS BANK 763, Anna Salai,

Chennai - 600 002

We have exminded the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of Issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March 2019 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

S. NO	NAME OF THE DIRECTOR	DESIGNATION	Date Of Initial Ap- pointment
1.	T C A Ranganathan	Non – Executive - Chairman	16.02.2017
2.	R Subramanikumar	Managing Director & Chief Executive Officer	05.05.2017
3.	K Swaminathan	Executive Director	17.02.2017
4.	Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	09.10.2017
5.	Annie George Mathew	Non - Executive - Nominee Director	22.07.2016
6.	Nirmal Chand	Non - Executive - Nominee Director	13.03.2014
7.	K Raghu	Non - Executive - Non Independent Director	26.07.2016
8.	Sanjay Rungta	Non - Execu- tive - Independent Director	08.12.2014
9.	Navin Prakash Sinha	Non - Execu- tive - Independent Director	08.12.2017

Ensuring the eligibility of, every Director on the Board, for their appointment / continuity is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on the same based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI For **R.SRIDHARAN & ASSOCIATES** 

DATE: 25TH JUNE 2020 COMPANY SECRETARIES

CP No. 3239,

FCS No.4775, UIN: S2003TN063400, UDIN: F004775B000375849



#### निदेशकों की गैर- अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ ) विनियम 2015 की अनुसूची v अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुक्रम में

सदस्यगण

#### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

763, अण्णा सालै चेन्नै – 600002

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीगत बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की अनुसूची V अनुच्छेद -सी उप-खंड (10) (i) के साथ पढ़े जानेवाले विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्र के निर्गमन के उद्देश्य से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, जिसका पंजीकृत कार्यालय 763, अण्णा सालै, चेन्नै -600002 स्थित है, (जिसे आगे से "बैंक" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों द्वारा हमें प्रस्तुत सभी संबंधित पंजियों, रिकॉर्डों, प्रारूपों, विवरणियों की हमारे द्वारा जाँच की गयी।

बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और वांक्षित परीक्षणों के अनुसार तथा हमारे अभिमत और जानकारी के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2020 तक बैंक के बोर्ड में शामिल निम्नवत किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रहने से ना तो वर्जित किया गया है और ना ही अयोग्य ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	कर्नम शेखर	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01.04.2019
2.	अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	09.10.2017
3.	ऐनी जार्ज मैथ्यू	गैर कार्यपालक – नामिती निदेशक	22.07.2016
4.	दीपक कुमार	कार्यपालक – नामिती निदेशक	18.09.2019
5.	संजय रुंगटा	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	08.12.2014
6.	नवीन प्रकाश सिन्हा	गैर कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक	08.12.2017

बोर्ड के किसी भी निदेशक की नियुक्ति / उनकी सेवाओं को जारी रखने संबंधी पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जाँच के आधार पर हम उसके बारे में अपना अभिमत व्यक्त करें । यह प्रमाण पत्र ना तो बैंक की भविषयगत परिहार्यता के प्रति और ना ही बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाजों की पद्धति की प्रभाविता या दक्षता के प्रति कोई आश्वासन है ।

स्थान : चेन्नै कृते आर श्रीधरन व एसोसियेट्स

दिनांक : 25 जून 2020 कंपनी सचिव

सीपी सं 3239

यूआइएन : एस2003टीएन063400 यूडीआइएन : एफ004775बी000375805

# CERTIFICATE OF NON – DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

Pursuant to Regulation 34 (3) read with Schedule V Para – C Sub clause (10) (i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Members,

#### **INDIAN OVERSEAS BANK**

763, Anna Salai, Chennai – 600 002

We have exminded the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of INDIAN OVERSEAS BANK having its Registered office at 763, Anna Salai, Chennai – 600 002, (hereinafter referred to as "The Bank") produced before us by the Bank for the purpose of Issuing this certificate, in accordance with Regulation 34 (3) read with Schedule V Part – C Sub clause 10 (i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors as stated below on the Board of the Bank as on 31st March 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India or any such other statutory authority.

S. NO	NAME OF THE DIRECTOR	DESIGNATION	Date Of Initial Ap- pointment
1.	Karnam Sekar	Managing Director & Chief Executive Officer	01.04.2019
2.	Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	09.10.2017
3.	Annie George Mathew	Non - Executive - Nominee Director	22.07.2016
4.	Deepak Kumar	Executive - Nomi- nee Director	18.09.2019
5.	Sanjay Rungta	Non - Executive - Independent Director	08.12.2014
6.	Navin Prakash Sinha	Non - Executive - Independent Director	08.12.2017

Ensuring the eligibility of, every Director on the Board, for their appointment / continuity is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on the same based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

PLACE : CHENNAI For **R.SRIDHARAN & ASSOCIATES** 

DATE: 25<sup>TH</sup> JUNE 2020 COMPANY SECRETARIES

CP No. 3239,

FCS No.4775, UIN: S2003TN063400, UDIN: F004775B000375805



### कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन संबंधी लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्रै के सदस्यों को

हमने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि भारतीय प्रतिभति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं ) विनियम, 2015 के सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूची 5 के अनुच्छेद सी, डी एवं ई तथा विनियमन 46 (2) के खंड (बी) से ( आइ) तथा विनियमन 17 से 27 में निर्धारित किया गया है ।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा सं जारी कार्पोरेट गवर्नेन्स विषयक प्रमाणीकरण संबंधी मार्गदर्शक नोट के अनुसार हुआ और यह प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (के वित्तिय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

हमारे अभिमत एवं जानकारी के अनुसार तथा बैंक द्वारा रखे गए रिकार्डों और दसतावेज़ों एवं हमें दी गयी सूचना और दिए गए स्पृशिकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2020 को समाप्त के सेबी लिस्टिंग विनियमन की अनुसूवी V के अनुच्छेद सी, डी एवं ई तथा विनियमन ४६(२) के खंड (सी ) से ( एफ ) एवं (आइ) तथा विनियमन 17 से 27 मे निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स बैंक पर लागू शर्तों का अनुपालन बैंक द्वारा किया गया है ।

साथ ही, हम यह भी सूचित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है व न ही प्रबंधक की दक्षता या कार्पोरेट गवर्नेन्स प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

# कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार. एफ आरएन ००४१३७एस/एस 200041

### कृते एसएआर सी एंड एसोसएिट्स

सनदी लेखाकार. एफआरएन ००६०८५ एन

( चेतन ठक्कर )

एम नं 114196

एंसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,

यूडीआएन 20114196एएएसी

कृते एम श्रीनिवासन एंड

एफ आरएन 004050 एस

साझेदार

#### ( एन कृष्णमूर्ति )

साझेदार एम नं 019339

यूडीआएन 20019339एएएएबीजे

#### कृते पात्रो एंड कंपनी

सनदी लेखाकार, एफआरएन ३१०१०० ई

(पी वेंकटेश्वर राव) साझेदार एम नं 208606

यूडीआएन 20208606 एएएएडीवी

(एम श्रीनिवासन)

साझेदार एम नं 022959

यूडीआएन 20022959 एएएएएएन

1135

#### AUDITORS' CERTIFICATE REGARDING COMPLIANCE OF CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

То The Members of Indian Overseas Bank Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank ("the bank") Chennai, for the year ended on 31.03.2020, as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was carried out in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India and was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Regulation 17 to 27 and clauses (c) to (f) and (i) of regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the SEBI Listing Regulations, to the extent applicable to the Bank, for the year ended on March 31, 2020.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

#### For **R SUBRAMANIAN AND** For S A R C & ASSOCIATES **COMPANY LLP**

**Chartered Accountants Chartered Accountants** FRN 004137S/S200041 FRN 006085N

#### (N KRISHNAMURTHY) (CHETAN THAKKAR)

Partner Partner M.No.019339 M.No. 114196

UDIN:20019339AAAABJ5389 UDIN: 20114196AAAABC3140

#### For PATRO & CO For M. SRINIVASAN & AS-**SOCIATES**

**Chartered Accountants Chartered Accountants** FRN 004050S FRN 310100E

#### (P VENKATESWARA RAO ) (M. SRINIVASAN)

Partner Partner M.No.208606 M.No.022959

UDIN:20208606AAAADV9423 UDIN:20022959AAAAAN1135



## सचिविक लेखा रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सदस्य गण,

### इण्डियन ओवरसीज़ बैंक,

763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक ( आगे इसे बैंक के रुप में व्यक्त किया जाएगा) द्वारा अपनाई गई अच्छी नैगमिक प्रक्रियाओं और प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की हमने सांविधिक लेखा परीक्षा की । साचिविक लेखा परीक्षा इस रुप में की गई कि उससे हमें कॉर्पोरेट व्यवहारों / सांविधिक अनुपालनों को मूल्यांकित करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मिला जिस कारण हम अपने अभिमत उद्घटित कर पाए ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की बिहयों, कागजातों, कार्यवृत्त बिहयों, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों एवं बैंक द्वारा अभिरक्षित अन्य रिकॉर्डों की मेरे द्वारा जाँच के आधार पर और बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अविध के दौरान प्रदत्त सूचना के आधार पर बैंक ने निम्नवत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं अनुपालन प्रणाली हद तक मौजूद है जो कि यहां पर आगे रिपोर्ट की जाने वाली विषय-वस्तु के तथ्य एवं पद्धित के अनुसार होगी:

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्मों और दायर अन्य विवरणियों एवं अभिरक्षित अन्य रिकॉर्डों की जांच की और यह जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई :

- 1. कंपनी अधिनियम 2013 ( अधिनियम) और बैंक के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होते हैं।
- 2. प्रतिभृति अनबंध (विनियमन) 1957 (एससीआरए) और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार।
- 3. डिपोजिटरीज़ अधिनियम 1996 और उसके तहत सृजित विनियमों और उपनियमों के अनुसार।
- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पारगमन प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहरी वाणिज्यिक उधारों के संदर्भ में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार। (समीक्षा अविध हेतु बैंक के लिए लागू नहीं है।)
- 5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार :
  - क. भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015)
  - ख. भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ( पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2018)
  - ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहितों के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम 2011
  - घ. भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभृतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018, (समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
  - ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014, (समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
  - च. भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभृतियों का निर्गमन एवं लिस्टिंग) विनियम 2008
  - छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर परिवर्तनीय और प्रतिदेय वरीयता शेयरों की निर्गमन एवं लिस्टिंग) विनियम 2013. (समीक्षा अविध के दौरान लागू नहीं)
  - ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ( आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम 2015
- अन्य कानून जो बैंक पर लागू होते हैं, निम्न हैं:
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 सिहत समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र
  - 2. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 और इसके संशोधन

हमने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- क. भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानकताएं (लागू नहीं)
- ख. बैंक द्वारा लिस्टेड समझौतों में प्रवेश बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ किया गया था।



# SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH. 2020

[Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

The Members.

#### **INDIAN OVERSEAS BANK**

763, Anna Salai, Chennai - 600 002

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by INDIAN OVERSEAS BANK (hereinafter called "the Bank"). The Secretarial Audit was conducted in accordance with the guidance note issued by the Institute of Company Secretaries of India and in a manner that provided us a reasonable basis or evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit, where by report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board - processes and compliance - mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2020 according to the provisions of :

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under to the extent applicable to the Bank.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made there under;
- (iii) the Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (Not Applicable to the Bank for the period under review)
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') .
  - a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015;
  - b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
  - c) Securities and Exchange Board of India (Substaintial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
  - d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not Applicable during the year under review)
  - e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)
  - f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
  - g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non Convertible and Redeemable Preference shares) Regulations, 2013; (Not Applicable during the year under review)
  - h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (vi) The following other Laws as applicable to the Bank :
  - Banking Regulation Act, 1949 along with Notifications and Circulars issued by the Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) from the to time;
  - 2. Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1980 and its amendments thereof.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following :

- a) Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. (NOT APPLICABLE)
- b) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSC) and the National stock Exchange of India Ltd. (NSE)



निम्नलिखित को छोडकर समीक्षाधीन अवधि में बैंक ने उपरोक्त अधिनियम, नियम, विनियमों,दिशानिर्देश, मानक, आदि का अनुपालन किया है :

- वाणिज्यिक बैंकों और चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण रिपोर्टिंग पर आरबीआई मास्टर निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई, 2019 को 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।बैंक ने लगाए गए जुर्माने का भुगतान किया है।
- 2. भारत की वित्तीय खुफिया इकाई, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने विविध रिपोर्टी को नियमों के तहत फाईल करने में देरी के कारण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 (3) की नियम 12 (1) (ए) और (बी) के विभिन्न गैर-अनुपालन के कारण 29 जुलाई, 2019 को बैंक पर 10.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बैंक ने लगाए गए जुर्माने का भृगतान किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 19 नवम्बर 2019 को बैंक द्वारा किए गए विदेशी अनुबंधन प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 11(3) के उल्लंघन पर बैंक पर 3.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बैंक ने लगाए गए जुर्माने का भुगतान किया है।
- 4. सूचीबद्ध इकाई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया, जो कि अनुसूची वी क्लॉज सी (10) (1), सेबी के अनुसार व्यवहार में कंपनी के सचिव का एक प्रमाण पत्र (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम , 2015, यह है कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रमाण पत्र का खुलासा करने का एक वच-पत्र प्रदान किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशक के गैर-कार्यकारी संतुलन के साथ किया जाता है। निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन समीक्षा के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के साथ किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कार्य किए हैं।

- (1) निदेशक मंडल ने दिनांक 09.05.2019 को आयोजित अपनी बैठक में बेसल III सम्मत द्वितीय बांड अधिकतम रु.1500 करोड़ निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या अधिक किश्तों में जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया। तदनुसार, बैंक ने दिनांक 24.09.2019 को रु. 500 करोड़ की बेसल III टियर II बाँड निर्गमन एवं आबंटित किया।
- (2) इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम के लिए सिमिति ने 28.11.2019 को आयोजित बैठक में रु. 10 के अंकित मूल्य के 344,37,50,000 इक्विटी शेयर रु.11.20 प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर रु. 1.20 प्रीमियम सिहत) कुल रु. 3857 करोड़ के शेयर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपित) को अधिमान्य आबंटन द्वारा दिनांक 27.11.2019 को आयोजित पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने के परिणामस्वरूप आबंटित एवं जारी किया गया।
- (3) इक्किटी शेयर पूंजी के निर्गम के लिए सिमिति ने 27.02.2020 को आयोजित बैठक में रु. 10 के अंकित मूल्य के 385,15,90,106 इक्किटी शेयर रु.11.32 प्रित इक्किटी शेयर (प्रित शेयर रु. 1.32 प्रीमियम सिहत) कुल रु. 4360 करोड़ के शेयर भारत सरकार (भारत के रष्ट्रपित) को अधिमान्य आबंटन द्वारा दिनांक 26.02.2020 को आयोजित पोस्टल बैलट के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करने के परिणामस्वरूप आबंटित एवं जारी किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में बैंक के आकार और संचालन के साथ पर्याप्त व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं जो अनुपालन योग्य कानून, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ हैं।

> कृते आर श्रीधरन एवं एसोसिएट्स कंपनी सचिव

> > सीएस आर. श्रीधरन

सीपी सं 3239

यूआइएन : एस2003टीएन063400

यूडीआइएन : एफ004775बी000375741

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 25 जून 2020



During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above except the following:

- The Reserve Bank of India on July 31, 2019 had levied a penalty of Rs. 2.50 Crores on account of non compliance of the RBI Master Directions on Frauds - Classification and Reporting by commercial banks and select Fls. The Bank has paid the levied penalty.
- 2. The Financial Intelligence Unit of India, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India on July 29, 2019 had levied penalty on the Bank of Rs.10.40 Lakhs on account of various non-compliances of Section 12 (1) (a) and (b), and Section 12(3) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 read with the Rules made thereunder pertaining to delay in filling of various reports. The Bank has paid the levied penalty.
- 3. The Reserve Bank of India on November 19, 2019 had levied a penalty of Rs 3.30 lakhs on the Bank on account of contravention of Section 11(3) of The Foreign Exchange Management Act, 1999 pertaining to forward contracts undertaken by the Bank. The Bank has paid the levied penalty.
- 4. The listed entity did not disclose in its annual report for the financial year 2018 19, a certificate from a company secretary in practice as per Schedule V clause C (10) (i), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Securities Exchange Board of India or India or any such statutory authority. The Bank has provided an undertaking to disclose the certificate for the financial year 2018 19 in the annual report for the financial year 2019 20.

#### We further report that

The Board of Directors of the Bank is constituted with proper balance of Executive Directors, Non - Executive Directors including Independent Directors and women Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out incompliance with the provisions of the Banking laws in consonance with SEBI (LODR) Regulations, 2015.

We further report that during the audit period the bank has undertaken following events/action:

- i. The Board of Directors at their meeting held on 09.05.2019had accorded approval for issue of Basel III compliant Tier II Bonds up to a maximum extent of Rs. 1500 crores in one or more tranches on private placement basis. Accordingly, the bank had on 24.09.2019 issued and allotted Basel III Compliant Tier II Bonds for an issue of Rs. 500 Crores.
- ii. The committee for Issue of equality share capital had at its meeting held on 28.11.2019, issued and allotted 344,37,50,000 equity shares of the face value of Rs.10/- each at an issue price of Rs. 11.20 per equity share (including premium of Rs. 1.20 per equity share) aggregating to Rs. 3857 crores to Government of India (President of India) by way of preferential allotment consequent to the passing of special resolution by the shareholders through postal ballot held on 27.11.2019
- iii. The committee for Issue of equity share capital had at its meeting held on 27.02.2020, issued and allotted 385,15,90,106 equity shares of the face value of Rs. 10/- each at an issue price of Rs. 11.32 per equity share (including premium of Rs. 1.32 per equity share) aggregating to Rs. 4360 crores to Government of India (President of India) by way of preferential allotment consequent to the passing of special resolution by the shareholders through postal ballot held on 26.06.2020

We further that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines

For R.SRIDHARAN & ASSOCIATES COMPANY SECRETARIES

CS. R.SRIDHARAN

CP No. 3239,

FCS No.4775, UIN: S2003TN063400,

UDIN: F004775B000375741

PLACE : CHENNAI DATE : 25TH JUNE, 2020



## 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

(रु. हजारों में Rs. in 000's)

			(रु. हजारा	म Rs. in 000's)
		SCHEDULES अनुसूची	AS AT 31.03.2020 तक	AS AT 31.03.2019 तक
	CAPITAL & LIABILITIES			
पूँजी	Capital	01	16436 98 83	9141 64 82
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	-282 01 33	7218 22 99
जमाएं	Deposits	03	222951 88 00	222534 07 72
उधार	Borrowings	04	5419 73 08	6146 03 79
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	16200 24 47	4968 36 45
कुल	TOTAL		260726 83 06	250008 35 77
आस्तियाँ	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	Cash and balances with Reserve of India	Bank 06	3155 22 13	10292 53 22
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money a and Short Notice	t Call 07	20905 43 44	20598 96 56
निवेश	Investments	08	79416 07 99	66932 27 34
अग्रिम	Advances	09	121333 40 65	132597 62 96
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	3127 34 28	3336 90 47
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	11	32789 34 59	16250 05 22
कुल	TOTAL		260726 83 06	250008 35 77
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	71030 56 64	56648 72 38
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		15348 25 39	15203 63 35
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		
अनुसूचियाँ तुलन - पत्र का अंग है।		Sche	edules Form Part of t	the Balance Shee
बोर्ड के लिए एवं उसकी ओर से		FOR A	ND ON BEHALF O	F THE BOARD
	SRI KARNAM SEKAR श्री उ	जिय कुमार श्रीवास्तव	SRI AJAY KUMA	
<b>श्री कर्नम शेखर</b> प्रबंध निदेशक व सीईओ		गर्यपालक निदेशक	Executive	Director

स्थान : चेन्नै Chennai दिनांक: 25.06.2020



# 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(रु. हजारों में Rs. in 000's)

			( " 6 - " " "	113. 111 000 3)
		SCHEDULES अनुसूची	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
			31.03.2020	31.03.2019
आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	17406 11 24	17631 26 12
अन्य आय	Other income	14	3359 67 89	4206 32 09
योग आय	TOTAL		20765 79 13	21837 58 21
व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	12103 27 64	12352 12 78
परिचालन व्यय	Operating expenses	16	5128 83 42	4451 58 16
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (नेट)	Provisions & Contingencies (Net)		12061 08 42	8771 75 37
योग	Total		29293 19 48	25575 46 31
लाभ / हानि (-)	Profit/ Loss (-)			
वर्ष के लिए लाभ / हानि (-)	Net Profit / Loss (-) for the year		-8527 40 35	-3737 88 10
अग्रणित लाभ / हानि (-)	Profit /Loss (-) brought forward		-10275 72 32	-6373 69 72
घटायें : शेयर प्रीमियम के प्रतिन सेट ऑफ	Less: Set off against Share Premium		0	0
योग	Total		-18803 12 67	-10111 57 82
विनियोजन	APPROPRIATIONS			
राजस्व आरक्षित निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	0
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		0	0
पूँजी आरक्षितियों मे अंतरण	Transfer to Capital Reserve		173 99 98	164 14 50
विशेष आरक्षित को अंतरण	Transfer to Speciall Reserve		0	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		0	0
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि	Balance carried over to Balance Sheet		-18977 12 65	-10275 72 32
योग	TOTAL		-18803 12 67	-10111 57 82
	Basic & Diluted Earnings per Share (Rs.)		(7.99)	(6.83)
मूल एवं तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Nominal Value per Equity Share (Rs.)		(1.55)	(0.00)

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभित्र अंग हैं ।

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के जरिए	VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE		
कृते <b>आर सुब्रमणियन एंड कंपनी</b> <b>एलएलपी</b> सनदी लेखाकार, एफआरएन 004137एस/एस 200041	For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP Chartered Accountants FRN 004137S / S200041	कृते <b>एसएआर सी एंड</b> <b>एसोसिएट्स</b> सनदी लेखाकार, एफआरएन 006085 एन	For S A R C & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN 006085N
<b>( एन कृष्णमूर्ति )</b> साझेदार एम नं 019339	(N KRISHNAMURTHY) Partner M.No. 019339	<b>(चेतन ठक्कर )</b> साझेदार एम नं 114196	(CHETAN THAKKAR) Partner M.No. 114196
कृते <b>पात्रो एंड कंपनी</b> एफआरएन 310100 ई	For PATRO & CO FRN 310100E	कृते <b>एम श्रीनिवासन एंड</b> <b>एसोसिएट्स</b> एफआरएन 004050 एस	For M. SRINIVASAN & ASSOCIATES FRN004050S
<b>(पी वेंकटेश्वर राव )</b> साझेदार एम नं 208606	(P VENKATESWARA RAO ) Partner M.No.208606	<b>(एम श्रीनिवासन)</b> साझेदार एम नं 022959	(M. SRINIVASAN) Partner M.No.022959
	सनदी लेखाकार CHARTER	ED ACCOUNNTANTS	

स्थान : चेन्नै Place : Chennai दिनांक Date : 25.06.2020



## इण्डियन ओवरसीज़ बैंक INDIAN OVERSEAS BANK

### 31.03.2020 समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

		रु में Rs. in '000s	
		समाप्त वर्ष Yea	ar ended
		31.03.2020	31.03.2019
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
आयकर के बाद निवल हानि	Net Loss after Income Tax	-85 27 40 35	-37 37 88 11
जोडें : आयकर हेतु प्रावधान	Add: Provision for Income Tax	13 55 92	14 13 75
आयकर से पहले निवल हानि	Net Loss before Income Tax	-85 13 84 42	-37 23 74 36
निम्नवत के लिए समायोजन	Adjustments for :		
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	Amortization of HTM Investments	-42 19 67	-66 20 17
निवेशों के पूनर्मू ल्यांकन से हुई हानि	Loss on Revaluation of Investments	1 20 75 85	34 43
नियत आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Fixed Assets	3 00 60 83	3 04 24 45
आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	(Profit) / Loss on Sale of Assets	-5 63 25	-1 00 57 83
आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Reserves	1 05 49 77	6 00 31 16
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for NPAs	110 74 20 03	98 02 80 38
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	2 13 62 21	-70 15 74
निवेशों पर मूल्य ह्रास	Depreciation on Investments	5 60 59 26	8 84 28 48
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other Items	1 99 11 00	-18 31 42 31
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest on Tier II Bonds	3 52 48 60	3 89 52 95
उप योग	Sub total	128 79 04 62	99 13 15 80
निम्नवत के लिए समायोजन	Adjustments for :		
निक्षेपों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Deposits	4 17 80 28	57 02 26 61
उधारियों में वृद्धि / (ह्रास)	Increase / (Decrease) in Borrowings	-1 26 30 71	-30 82 04 32
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (इास)	Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	108 06 58 02	-17 09 77 55
निवेशों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Investments	-131 22 96 10	8 95 23 58
अग्रिमों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Advances	1 90 02 28	-99 11 61 85
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / ह्रास	(Increase) / Decrease in Other Assets	-160 57 79 01	20 46 81 48
उप योग	Sub total	-178 92 65 24	-60 59 12 05
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल)	Direct Taxes (Net)	-4 95 06 05	-9 16 15 26
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क)	NET CASH FLOW GENERATED FROM / (USED IN) OPERATING ACTIVITIES(A)	-140 22 51 09	-7 85 85 87
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटान	Sale / disposal of Fixed Assets	43 61 55	2 00 75 54
नियत आस्तियों की खरीद	Purchase of Fixed Assets	-1 29 02 92	-8 47 88 24
निवेश संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकद (ख)	NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)	-85 41 37	-6 47 13 70
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVI-		
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम (शेय प्रीमियम को मिलाकर)		82 17 00 000	62 23 46 72
टियर । एवं ।। बाँडों का मोचन (निवल)	Redemption of Tier I & Tier II Bonds (Net)	-6 00 00 00	0
टियर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	Interest Paid on Tier II Capital	-3 39 91 75	-4 43 96 46
बेमियादी (एटी1) बॉन्ड पर प्रदत्त ब्याज	Interest paid on perpetual (AT1) bonds	0	0

w

वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (ग)	NET CASH GENERATED FROM/(USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	72 77 08 25	57 79 50 26
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख +ग)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)	-68 30 84 21	43 46 50 70
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
भा.रि.बैं के साथ नकद व शेष	Cash & Balances with RBI	102 92 53 22	115 79 45 04
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	205 98 96 56	149 65 54 04
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
नकद व भा.रि.बैं के साथ शेष	Cash & Balances with RBI	31 55 22 13	102 92 53 22
बैंकों के साथ शेष और माँग-द्रव्य	Balances with Banks & Money at Call	209 05 43 44	205 98 96 56
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमीं	NET INCREASE / DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	-68 30 84 21	43 46 50 70

ये विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

This Statement has been prepared in accordance with Indirect Method.

\*The previous year figures have been reqrouped wherever necessary to conform with the current year figures.

<b>श्री कर्नम शेखर,</b>	<b>Sri Karnam Sekar</b> ,	श्री अजय कुमर श्रीवास्तव	<b>Sri Ajay Kumar Srivastava</b>
प्रबंध निदेशक व सीईओ	Managing Director & CEO	कार्यपालक निदेशक	Executive Director
ऐनी जॉर्ज मैथ्यू	दीपक कुमार	नवीन प्रकाश सिन्हा	संजय रुंगटा
Annie George Mathew	Deepak Kumar	Navin Prakash Sinha	Sanjay Rungta

निदेशक गण DIRECTORS

Vide our Report of Even Date

कृते <b>आर सुब्रमणियन एंड कंपनी</b> <b>एलएलपी</b> सनदी लेखाकार, एफआरएन 004137एस/एस 200041	For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP Chartered Accountants FRN 004137S / S200041	कृते <b>एसएआर सी एंड</b> <b>एसोसिएट्स</b> सनदी लेखाकार, एफआरएन 006085 एन	For S A R C & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN 006085N
<b>( एन कृष्णमूर्ति )</b>	(N KRISHNAMURTHY)	<b>(चेतन ठक्कर )</b>	(CHETAN THAKKAR)
साझेदार एम नं 08460	Partner M.No. 08460	साझेदार एम नं 114196	Partner M.No. 114196
कृते <b>पात्रो एंड कंपनी</b> एफआरएन 310100 ई	For PATRO & CO FRN 310100E	कृते <b>एम श्रीनिवासन एंड</b> <b>एसोसिएट्स</b> एफआरएन 004050 एस	For M. SRINIVASAN & ASSOCIATES FRN004050S
<b>(पी वेंकटेश्वर राव)</b>	(P VENKATESWARA RAO )	<b>(एम श्रीनिवासन)</b>	(M. SRINIVASAN)
साझेदार एम नं 208606	Partner M.No.208606	साझेदार एम नं 022959	Partner M.No.022959

<sup>\*</sup>वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से तारतम्यता हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का आवश्यकता अनुसार पुन: समूहन किया गया है।

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1	AS AT 31.03.2020	AS AT 31.03.2019
7,311	CAPITAL	तक	तक
		(रु. हज़ार में R	s. in 000's)
प्राधिकृत पूँजी	AUTHORISED CAPITAL		
(पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर)	(Previous year-1000,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each)	25000 00 00	10000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूँजी	ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL	16436 98 83	9141 64 82
प्रत्येक रु.10/- के 1643 69 88 324 इक्विट शेयर (इसमें भारत द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 व 1575,29,02,638 शेयर शामिल हैं) पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 914,16,48,218 इक्विटी शेयर (इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 845,75,62,532 शेयर शामिल हैं)	each (Includes 1575,29,02,638 Equity Shares of Rs.10/- each held by Government of India) Previous year 914,16,48,218 Equity Shares of Rs.10/- each		
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2	AS AT	AS AT
<b>5 5</b> .		31.03.2020	31.03.2019
आरक्षितियाँ व अधिशेष	RESERVES & SURPLUS	तक	तक
		(रु. हज़ार में R	s. in 000's)
I.शेयर प्रीमियम	I. SHARE PREMIUM		
अथ शेष	Opening balance	6001 66 51	4029 07 62
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	921 65 99	1972 58 90
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	(
योग- <u>[</u>	TOTAL -I	6923 32 50	6001 66 52
II.सांविधिक आरक्षिती अथ शेष	II. STATUTORY RESERVE	0006 77 60	0060 11 0
अथ शर्ष जोडें : परिवर्धन	Opening balance Add: Additions	2926 77 62	2962 11 87
जाङ् : पारवधन घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deductions	0	35 34 25
वटाए: कटाातया <b>योग-I</b> I	TOTAL -II	2926 77 62	2926 77 62
याग-11 पूँजी आरक्षिती	III. CAPITAL RESERVE	2920 11 02	2320 11 02
भूजा जाराद्वारा अ.पुनर्मृल्यांकन आरक्षिती	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	2484 99 37	2103 25 95
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	28 42 62	605 34 69
घटाएँ: कटौतियाँ / मृल्य-ह्नास	Less: Deductions / Depreciation	182 05 73	223 61 28
योग-अ	TOTAL - A	2331 36 26	2484 99 36
आ आस्तियों की बिक्री पर	B. On sale of Assets		
अथशेष	Opening Balance	1422 02 47	1257 87 97
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	173 99 98	164 14 50
योग-आ	TOTAL - B	1596 02 45	1422 02 47
इ. अन्य	C. Others		
अथशेष	Opening Balance	153 02 18	152 96 12
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	11 40	6 06
योग - इ	TOTAL - C	153 13 58	153 02 18
योग - III (अ, आ, इ)	TOTAL - III (A,B,C)	4080 52 29	4060 04 01



AS AT AS AT 31,03,2020 31.03.2019 तक तक (रु. हज़ार में Rs. in 000's) IV. राजस्व व अन्य आरक्षिती IV. REVENUE & OTHER RESERVES (ए) अन्य राजस्व आरक्षिती A Other Revenue Reserves अथशेष Opening Balance 3333 89 54 3177 93 48 जोड़ें : परिवर्धन Add: Additions 132 57 87 155 96 06 घटाएँ: कटौतियाँ Less: Deduction योग-ए **TOTAL - A** 3466 47 41 3333 89 54 बी) विशेष आरक्षिती **B Special Reserve** अथशोष Opening balance 0 जोडें : परिवर्धन Add: Additions 0  $\cap$ घटाएँ: कटौतियाँ Less: Deduction योग-बी TOTAL - B 0 (सी) निवेश आरक्षिती खाते C Investment Reserve Account अथ शेष Opening Balance 97 95 58 97 95 58 जोड़ें : परिवर्धन Add: Additions 0 Λ घटाएँ: कटौतियाँ Less: Deductions 0 योग - (सी) TOTAL - C 97 95 58 97 95 58 (डी) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती **D Foreign Currency Translation Reserve** अथशोष Opening balance 1073 62 05 975 72 41 जोड़ें : परिवर्धन Add: Additions 181 89 38 204 24 18 घटाएँ: कटौतियाँ Less: Deduction 55 45 77 106 34 54 TOTAL - D योग - (डी) 1200 05 66 1073 62 05 योग - IV (ए,बी,सी व डी) TOTAL - IV (A,B,C,D) 4764 48 65 4505 47 17 V.लाभ व हानि खाते V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT -18977 12 39 -10275 72 32 योग (I, II, III, IV & V) -282 01 33 7218 22 99 TOTAL (I, II, III, IV & V) **AS AT** AS AT अनुसूची-3 **SCHEDULE - 3** 31,03,2020 31,03,2019 **DEPOSITS** जमाएं तक तक (रु. हज़ार में Rs. in 000's) अ । माँग जमाएं A. I. DEMAND DEPOSITS i) बैंकों से i) From Banks 15 42 54 12 22 89 ii) अन्यों से ii) From Others 14163 90 06 14562 89 48 योग - I TOTAL - I 14179 32 60 14575 12 37 Ⅱ.बचत बैंक जमाएं **II. SAVINGS BANK DEPOSITS** 75571 52 87 70652 22 11 III. मीयादी जमाएं III. TERM DEPOSITS i)बैंकों से 61 56 63 i) From Banks 4 61 94 ii)अन्यों से ii) From Others 133139 45 91 137302 11 30 योग - III **TOTAL - III** 133201 02 54 137306 73 24 योग- अ (I, II & III) **TOTAL - A ( I,II & III )** 222951 88 00 222534 07 72 आ.])भारत की शाखाओं में जमाएं B. I) Deposits of branches in India 218028 21 16 217962 67 40 II)भारत के बाहर की शाखाओं में जमाएं II) Deposits of branches outside India 4923 66 84 4571 40 32 योग - आ **TOTAL - B** 222951 88 00 222534 07 72



अनुसूची-4	SCHEDULE - 4	AS AT	AS AT
लिये गये उधार	BORROWINGS	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		(रु. हज़ार में Rs	
I. भारत में लिए गए उधार	I. BORROWINGS IN INDIA		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	203 00 00	
अन्य बेंक	Other Banks	0	
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	1306 84 00	1978 52 9
नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)		300 00 0
बॉण्ड के तौर पर जारी हाइब्रिड कर्ज पूंजी लिखत	Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	967 00 00	1477 00 0
अधीनस्थ कर्ज	Subordinated Debt	2600 00 00	2390 00 0
योग (I)	TOTAL (I)	5076 84 00	6145 52 9
II.भारत के बाहर से लिए गए उधार	II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	342 89 08	50 8
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	5419 73 08	6146 03 7
III.   ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	III. Secured borrowings included in I & II above	1509 84 00	1978 52 9
अनुसूची-5	SCHEDULE - 5	AS AT	AS AT
अन्य देयतायें व प्रावधान	OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		(रु. हज़ार में Rs	. in 000's)
I) देय बिल	I. Bills Payable	547 30 19	547 93 9
II) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments ( Net)	0	
III) प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	56 13 14	73 14 9
IV)अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	15596 81 14	4347 27 5
योग	TOTAL	16200 24 47	4968 36 4



अनुसूची-6	SCHEDULE - 6	AS AT 31.03.2020	AS AT 31.03.2019
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		(रु. हज़ार में Rs	s. in 000's)
<ul><li>I) हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सिम्मिलित हैं)</li></ul>	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1447 69 17	1028 53 28
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	1771 19 74	9261 08 58
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	-63 66 78	2 91 37
योग	TOTAL	3155 22 13	10292 53 22
	SCHEDULE - 7	AS AT	AS AT
बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		(रु. हज़ार में Rs	s. in 000's)
I.भारत में	I. In India		
i)बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क.चालू ख़ातों में	a) In Current Accounts	18 67 16	18 71 17
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	518 89 72	195 53 63
ii)माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क)बैंकों के साथ	a) With banks	14300 00 00	18225 00 00
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	C
योग -।	TOTAL - I	14837 56 88	18439 24 80
II.भारत के बाहर	II. Outside India		
क . चालू खातों में	a) In Current Accounts	611 82 94	429 96 11
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	4923 16 22	1196 28 86
ग)माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	532 87 40	533 46 80
योग -।	TOTAL - II	6067 86 56	2159 71 77
	TOTAL (I & II)	20905 43 44	20598 96 56

अनुसूची-8	SCHEDULE - 8	AS AT	AS AT	
निवेश	INVESTMENTS	31.03.2020 तक	31.03.2019	
		राजा रु. हज़ार में (Rs.	तक in 000's)	
	I. INVESTMENTS IN INDIA	W. 6541 (110)		
i)सरकारी प्रतिभृतियाँ	i) Government Securities	69472 67 49	57625 02 49	
ंi) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	98 95	1 33 95	
iii) शेयर	iii) Shares	836 09 02	896 95 0	
(V)    डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	3374 45 17	1902 83 6°	
V) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	0	(	
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	2077 80 61	2686 15 33	
(म्यूच्युअल फंड, जमाओं की वेंचर पूँज फंड, जमा प्रमाण-पत्र और सी पी प निवेश)	(invocationic in matage range, ventare			
योग - I	TOTAL - I	75762 01 24	63112 30 43	
II) भारत के बाहर निवेश	II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA			
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों समेत)	<ul> <li>i) Government Securities (including Local Authorities)</li> </ul>	3173 13 02	3351 12 0	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	0	(	
iii) शेयर	iii) Shares	8 15	8 05	
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	287 41 39	275 32 62	
V) अनुषंगी/ संयुक्त उद्यम	v) Subsidiaries/ Joint Ventures	193 44 19	193 44 19	
vi) अन्य निवेश	vi) Other Investments	0	(	
योग - II	TOTAL - II	3654 06 75	3819 96 9 <sup>-</sup>	
योग - (I एवं II)	TOTAL (I & II)	79416 07 99	66932 27 34	
भारत में सकल निवेश	Gross Investments in India	78357 88 36	65380 61 5	
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	2595 87 12	2268 31 13	
वटाएं : पुनर्संरचित निवेशों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	(	
निवल निवेश	Net Investments	75762 01 24	63112 30 4	
भारत के बाहर सकल निवेश	Gross Investments Outside India	3671 49 88	3829 22 32	
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	17 43 13	9 25 4	
निवल निवेश	Net Investments	3654 06 75	3819 96 9 <sup>-</sup>	
कुल निवल निवेश	Total Net Investments	79416 07 99	66932 27 3	

W	W

अनुसूची-9	SCHEDULE - 9	AS AT	AS AT
अग्रिम	ADVANCES	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
		रु. हज़ार में (R	s. in 000's)
क.i) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	A. i) Bills Purchased & Discounted	2226 07 18	1945 62 78
ii) रोकड़ उधार, ओवरड़ाफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	61191 02 88	74108 15 05
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	57916 30 58	56543 85 12
योग	TOTAL	121333 40 64	132597 62 96
ख.i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	91813 46 35	104745 67 47
ii) बैंक / सरकारी जमानतों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	1221 15 82	1329 09 6 <sup>-</sup>
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	28298 78 47	26522 85 88
योग	TOTAL	121333 40 64	132597 62 90
ग.I) भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	67411 24 52	61236 56 2
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	5829 10 74	8030 55 7
iii) बैंक	iii) Banks	0	
iv) अन्य	iv) Others	41498 50 35	58026 37 50
योग	TOTAL	114738 85 61	127293 49 52
II)भारत के बाहर अग्रिम	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से बकाया	i) Due from Banks	0	(
ii) अन्यों से बकाया	ii) Due from Others		
क) क्रय व डिस्काउंट किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	1498 27 93	1041 25 95
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	1273 79 52	1593 93 02
ग) अन्य	c) Others	3822 47 59	2668 94 4
योग	TOTAL	6594 55 04	5304 13 44
योग (ग-I & ग-II)	TOTAL (C-I & C-II)	121333 40 65	132597 62 96



अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2020 तक	AS AT 31.03.2019 तक	
	रु. हज़ार में		(Rs. in 000's)	
I.परिसर	I. Premises			
वर्ष के आरंभ में / पुनर्मूल्यांकित पर	At cost / revalued at beginning of the FY	4035 18 89	3416 15 57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	18 15 19	731 86 28	
	_	4053 34 08	4148 01 8	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year *	75 88 98	112 82 90	
	_	3977 45 10	4035 18 8	
अद्यतन मूल्यहास	Depreciation to date	1091 36 34	972 01 3	
योग - I	TOTAL -I	2886 08 76	3063 17 5	
II.पूँजीगत चालू कार्य	II. Capital work in progress	3 48 00	15 55 2	
योग - II	TOTAL - II	3 48 00	15 55 23	
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)	III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)			
वर्ष के आरंभ में लागत पर	At cost as at beginning of the FY	1960 09 93	1831 82 87	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	131 26 85	168 41 59	
	_	2091 36 78	2000 24 46	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	Deductions during the year	21 45 94	40 14 54	
	_	2069 90 84	1960 09 92	
अद्यतन मूल्यहास	Depreciation to date	1832 13 32	1701 92 22	
योग - III	TOTAL - III	237 77 52	258 17 70	
कुल योग (I, II & III)	Total(I, II & III)	3127 34 28	3336 90 4	

<sup>\* 31.03.2020</sup> को विनिमय दरपर विदेशी शाखाओं से संबंधित बदलाव पर समायोजन शामिल ।

<sup>\*</sup> Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange at 31.03.2020



अनुसूची-11	SCHEDULE - 11	AS AT 31.03.2020	AS AT 31.03.2019
अन्य आस्तियाँ	OTHER ASSETS	तक	तक
		(रु. हजार में Rs	s. in 000's)
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments ( Net)	15471 05 61	61 19 1
ii) प्रोद्भूत ब्याज	ii) Interest Accrued	3172 18 27	2512 96 5
iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर (प्रावधानों का निवल)	iii) Tax paid in advance (Net of Provisions)	3338 35 76	2856 85 64
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	3 78 23	4 17 7
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	210 01 51	210 01 5
vi) अन्य (नाबार्ड के पास रखे जमाओं को शामिल करें)	vi) Others (Include Deposits placed with NABARD)	10593 95 21	10604 84 6
योग	TOTAL	32789 34 59	16250 05 2
अनुसूची-12	SCHEDULE - 12	AS AT	AS AT
आकस्मिक दायित्व	CONTINGENT LIABILITIES	31.03.2020	31.03.2019
<b>,</b>		तक	तक
. * > 0 > > > > >		(रु. हजार में R	s. In 000's)
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	<ul> <li>i) Claims against the Bank not acknowledged as debts</li> </ul>	4 13 27	45 00 6
ii) अंशत: संदत्त निवेशों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 6
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	44239 10 80	31474 83 9
iv) ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	<ul><li>iv) Guarantees given on behalf of constituents</li></ul>		
क. भारत में	a) In India	11609 20 66	11957 59 1
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	393 66 50	219 54 6
	v) Acceptances, Endorsements &Other obligations	6160 90 71	5810 53 3
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	obligations		
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप	vi) Other items for which the bank is con-	29 34 55	51 94 5
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हैं i) पूंजीगत खातों पर निष्पादित शेष अनुबंधो की	vi) Other items for which the bank is contingently liable  i) Estimated amount of contracts remain-	29 34 55 1669 53 08	51 94 5 1670 41 0



	* *		
iv) ब्याज दर स्वैप (आइएनआर)	iv) Interest rate swaps (INR)		0 0
v) करेंसी ऑप्शन के तहत बैंक देयता	v) Bank's Liability under Currency Options		0 0
vi) क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप / एफआरए / प्राप् प्रभार			0 81 33 54
vii) भारिबै के साथ डीईएएफ में राशि	vii) Amount in DEAF with RBI	1167 05	10 802 52 55
viii) आइटी मांग विवाद	viii) Disputed IT demands	5757 44	08 4469 45 66
ix) अन्य	ix) Others	6	29 6 29
योग	TOTAL	71030 56	64 56648 72 38
अनुसूची 13 अर्जित ब्याज	SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2020	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2019
			Rs. in 000's)
· / / <del></del>	)		
i) ब्याज / अग्रिम बट्टा / बिल	i) Interest / discount on advances / bills	11512 55 36	11727 00 61
ii) निवेशों पर आय	ii) Income on investments	5207 94 51	4922 28 13
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	624 54 34	614 14 77
iv) अन्य	iv) Others	61 07 04	367 82 61
योग	TOTAL	17406 11 24	17631 26 12
अनुसूची 14	SCHEDULE - 14	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
अन्य आय	OTHER INCOME	31.03.2020	31.03.2019
		रु. हजार में (	Rs. in 000's)
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	रु. हजार में ( 886 40 67	<b>Rs. in 000's</b> ) 976 86 72
,	i) Commission, Exchange and Brokerage  ii) Profit on Sale of Investments ( Net )	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>i) कमीशन, विनिमय और दलाली</li> <li>ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)</li> <li>iii) निवेशों के पूनर्मूल्यांकन पर निवल हानि</li> </ul>		886 40 67	976 86 72
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) iii) निवेशों के पूनर्मूल्यांकन पर निवल हानि	ii) Profit on Sale of Investments (Net)  iii) Net Loss on Revaluation of	886 40 67 601 17 22	976 86 72 732 43 33 -34 43
<ul> <li>ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)</li> <li>iii) निवेशों के पूनर्मूल्यांकन पर निवल हानि</li> <li>iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ</li> </ul>	<ul><li>ii) Profit on Sale of Investments (Net)</li><li>iii) Net Loss on Revaluation of Investments</li><li>iv) Profit on sale of land, Building &amp; other</li></ul>	886 40 67 601 17 22 -120 75 85	976 86 72 732 43 33 -34 43 100 57 83
<ul> <li>ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)</li> <li>iii) निवेशों के पूनर्मू ल्यांकन पर निवल हानि</li> <li>iv) भूमि और भवनों के विक्रय पर लाभ व अन्य आस्तियाँ</li> </ul>	ii) Profit on Sale of Investments (Net)  iii) Net Loss on Revaluation of Investments  iv) Profit on sale of land, Building & other Assets	886 40 67 601 17 22 -120 75 85 5 63 25	976 86 72 732 43 33



	SCHEDULE - 15	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
खर्च किया गया ब्याज	INTEREST EXPENDED	31.03.2020	31.03.2019
		रु. हजार में (Rs.	in 000's)
i) जमाओं पर ब्याज	i) Interest on Deposits	11570 65 76	11548 26 15
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter - Bank Borrowings	532 59 29	803 82 02
iii) अन्य	iii) Others	2 59	4 61
योग	TOTAL	12103 27 64	12352 12 78
अनुसूची-16	SCHEDULE - 16	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED	को समाप्त वर्ष YEAR ENDED
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES	31.03.2020	31.03.2019
		(रु. हजार में ।	Rs. in 000's)
<ul><li>ं) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान</li></ul>	i) Payments to and provisions for employ- ees	3240 72 08	2646 84 82
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	459 16 96	448 39 42
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	19 81 15	24 67 11
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	97 71	91 49
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred fro Revaluation Reserve)	om 300 60 83	304 24 45
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expense	es 99 91	1 00 27
vii) लेखापरीक्षकों की फीस और खर्च (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क व व्यय सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditor's Fees and Expenses)	33 90 23	31 89 45
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	34 07 07	26 10 40
ix) डाक , तार, टेलिफोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	65 78 85	60 66 91
x) मरम्मत और अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	18 43 20	17 66 76
xi) बीमा	xi) Insurance	252 09 42	234 37 07
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	702 26 02	654 80 01
योग	TOTAL	5128 83 42	4451 58 16



### अनुसूची 17

### प्रमुख लेखा नीतियाँ

#### 1. तैयारी का आधार

1.1. यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।यह भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें वैधानिक प्रावधान, नियामक / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिशा-निर्देश, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट्स और प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित विदेशी देशों में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों और प्रथाओं का पालन किया जाता है।

### आकलन का प्रयोग:

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अविध के लिये आय व व्यय की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

#### 2. राजस्व पहचान और लेखांकन खर्च

- 2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है । अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एकबारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो तो मूल रकम के लिए किया जाता है । आय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) को बेची गई परिसंपत्तियों के मामले में, आय को बिक्री की सहमित के नकद घटक की सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जहां बिक्री रकम निवल बही मूल्य से अधिक है ( अर्थात प्रावधान घटाकर बही बकाया)।
- 2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन(साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार/ बीमा को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- 2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई प्राप्त आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

- 2.4 खर्चों को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है,जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
- 2.5 परिपक्क अतिदेय साविध जमाओं के मामले में,जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते,अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मियादी जमाओं के मामलों में ब्याज, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाता है।
- 2.6 वाद दायर खातों के संबंध में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है।
- 2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान / हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया जाता है।

### 3. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 3.1 विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन देन का लेखांकन,लेखा मानक (एएस)11 के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा दरों में परवर्तन के प्रभाव को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है।
- 3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी):
  - क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोड़कर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू कर के रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ,की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।
  - ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में इति शेष, समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।
  - ग) भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को "अन्य देयताएँ व प्रावधान" '/ "अन्य आस्ति खाता" में तत्सम्बन्धी निवल समायोजनाओं सहित राजस्व में ले लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोडकर जहाँ खातों का समायोजन क्लोजिंग दरों पर किया जाता है।



#### **SCHEDULE 17**

#### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### 1. Basis of Preparation

1.1 The Bank's financial statements have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting and on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises applicable statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

#### **Use of Estimates**

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

#### 2. Revenue Recognition and Expense Accounting

- 2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal. In case of assets sold to Asset Reconstruction Companies (ARCs), the income is recognised to the extent of cash component of the Sale Consideration received, where the sale consideration is over and above Net Book Value (i.e. Book outstanding less Provisioning).
- 2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business/ Insurance), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realization basis.
- 2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

- 2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.
- 2.5 Interest payable on Overdue Term Deposits is provided @ Savings Bank rate, till such time it is transferred to Unclaimed term Deposits. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.
- 2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.
- 2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

#### 3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

#### 3.2 Transactions in respect of Treasury (Foreign):

- a) Foreign Currency transactions, except foreign currency deposits and lending, are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.
- b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.
- c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.



 घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा बिहयों में उनके लेनदेन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाताहै

### 3.3. विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन:

- क. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्धारित है, सभी विदेशी शाखाओंको गैर अभिन्न प्रचालन माना जाता है ।
- ख. परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) को हर तिमाही के अंत में के भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- ग. प्रत्येक तिमाही के अंत में आय और व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।
- घ. परिणामी विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन इसे निवल निवेश के निपटान तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व " नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

#### 4. निवेश

- 4.1 1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्रता के लिए धारित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया जाता है:
  - क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
  - ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
  - ग) शेयर
  - घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर
  - ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम
  - च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य
- 4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार उगाही आधार पर की जाती है।
- 4.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:
- 4.3.1. ''व्यापार के लिए धारित" और ''बिक्री के लिए उपलब्ध" प्रवर्गों के

तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन के लिए मार्क किया गया। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फिम्डा (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों,अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचरों का मूल्यांकन एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धतियों और रेटिंग/उधार स्प्रेड यील्ड कर्व के अनुसार किया जाता है। उद्धत भाव वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों पर किया जाता है तथा गैर उद्धत भाव वाले ईक्विटी शेयरों और वेंचर कैपिटल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्य/ एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्यांकन रु.1/-प्रति कंपनी/ निधि के हिसाब से किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखा व लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुअल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या पुनर्खरीद मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ (भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ)/ एफआइएमएमडीए (भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ) द्वारा केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) दर पर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

छ: वर्गीकरणों में से प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्यहास यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि,यदि कोई है तो इसे नजरअंदाज किया जाता है। हालाँकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण कोई परिवर्तन नहीं है तो तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य हास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

- 4.3.2 "परिपक्वता के लिए धारित": ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है। प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान/आय की अनिभज्ञान के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों/बॉण्डों पर भी सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड प्रयोज्य होते हैं और जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है।
- 4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को



d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

#### 3.3 Translation in respect of overseas branches:

- a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.
- b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

#### 4. Investments

- 4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the RBI Guidelines. Disclosures of Investments are made under six classifications viz...
  - a) Government Securities
  - b) Other Approved securities including those issued by local bodies,
  - c) Shares,
  - d) Bonds & Debentures,
  - e) Subsidiaries / Joint Ventures and
  - f) Units of Mutual Funds and Others.
- 4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realization basis as per prudential norms.
- 4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by RBI as under:
- 4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and "Available for Sale" categories are marked to market

at quarterly intervals. Central Government securities and State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value/NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re. 1/- per company / Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI/FBIL periodically.

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

- 4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortized cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortized on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.
- 4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de –recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by RBI for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.
- 4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category,



- लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, करों का निवल लाभ पूँजी आरक्षित खाते में विनियोजित की जाती है।
- 4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज, प्रोत्साहन प्रारंभिक शुल्क (फ्रंट -एंड -फीस) आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है। खंडित अवधि ब्याज ट्रेज़री बिलों के मामले में नहीं होता। आय का लेखांकन होल्डिंग लागत और फेस वैल्यू यानि डिस्काउंट आय के अंतर के आधार पर किया जाता है।
- 4.7 रेपो/रिवर्स रिपो (पुन:खरीद /प्रति पुनर्खरीद) लेन-देन का भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हिसाब-किताब किया जाताहै।
- 4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
- 4.9 सभी निवेशों को वेटेड ऐवरेज प्राइसिंग विधि को अपनाकर धारित किया गया है।
- 4.10 सभी निवेशों सेटलमेंट तिथि के आधार पर बही में धारित है।
- 4.11 निवेश पर डिविडेंड आय का लेखा नकदी आधार पर किया जाएगा।
- 4.12 तुलनपत्र में निवेशों को अनर्जक निवेशों के संबंध में धारित नेट ऑफ प्रावधान के आधार पर दर्शाया गया है।
- 4.13 भुगतान हेतु परिपक्व निवेशों को "अन्य आस्तियों" के तहत दर्शाया गया है और निर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधान भी उन निवेशों से नेट किया गया है।

### 5. अग्रिम

- 5.1 भारत में अग्रिमों को मानक,अव-मानक,संदिग्ध और हानि-जनक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार समय-समय पर ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।
- 5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

### 6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों/ देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्यों लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।।

- 6.2 प्रतिरक्षा उद्देश्यों से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचय आधार पर की जाती है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ या हानि को आस्थगित की गयी है और संविदा की शेष अविध पर अथवा आस्ति/देयता जो भी पहले हो,पर इसकी पहचान की गयी है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गयी है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति/देयता के साथ नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को चिन्हित किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पड़े हुए आस्ति/देयता के बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।
- 6.3 उद्योग में प्रचलित सामान्य पद्धित के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ- हानि खाते में पहचाना/मान्य किया गया। इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है। कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

### 7. अचल आस्तियाँ (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)

- 7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।
- 7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गयी दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है:

परिसर	2.50%
फ़र्नीचर	10%
विद्युत संस्थापना, वाहन व कार्यालयीन उप- करण	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	33 1/3%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यहास को लाभ और हानि खाते से लिया जाता है ।

- 7.3 अधिग्रहण/पुनर्मूल्यांकन की तारीख पर ध्यान दिए बगैर मूल्य हास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है।
- 7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है।
- 7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का चुकतान किया जाता है।



- profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".
- 4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account. Broken Period interest does not arise in case of Treasury Bills. Income is accounted based on the difference between the holding cost and the face value i.e. discount income.
- 4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.
- 4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.
- 4.9 All the investments are held by adopting the Weighted Average Pricing Method
- 4.10 All the investments are held in the book on settlement date basis only
- 4.11 Dividend income on investments is accounted on cash basis
- 4.12 Investments are shown in the Balance Sheet at net of provision held in respect of Non Performing Investments
- 4.13 Investments matured for payment are shown under "Other Assets" and underlying provisions held for Non Performing Investments is also netted off from the said investments.

#### **Advances**

- 5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.
- 5.2 Advances are stated net of provisions, except general provisions for standard advances.

#### 6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

- 6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable/ payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets/ liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.
- 6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or loss on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expense.

#### 7. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

- 7.1 Fixed Assets, except revalued premises, are stated at historical cost.
- 7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%
Computer Software	33 1/3%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to the profit and loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation reserve to Revenue Reserves.

- 7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.
- 7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.
- 7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.



7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास के लिए संबंधित देश में लागू कानून पद्धति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

#### 8. स्टाफ़-सुविधाएँ

- 8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।
- 8.2 उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवानिवृत्ति व्यवस्था के मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर सीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से वर्ष के दौरान अतिरिक्त देयता और ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोत्तरी का पाँच वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है।
- 8.3 विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देशों में लागू कानून के अनुसार किया गया है।

#### 9. आय पर कर:

आयकर व्यय बैंक द्वारा मौजूदा कर व आस्थगित कर व्यय की गयी कुल राशि है। मौजूदा कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण, विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए कर, जो कि संबंधित न्यायाधिकारक्षेत्र के कर नियमों पर आधारित होता है , को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 व " आय पर करों के लेखांकन" से संबंधित लेखांकन मानक 22 के तहत किया जाता है । आस्थिगत कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चीं जिन्हें बाद की एक या इससे अधिक अवधियों में उलट दिये जाने की संभावनाओं पर भी विचार हो सके। आस्थिगित कर से जुड़ी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जाने वाली आयकर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उल्टे जाने की संभावना होती है। आस्थिगत कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

#### 10. प्रति शेयर अर्जन

सनदी लेखाकंन संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "इपीएस (प्रिति शेयर अर्जन)" के अनुसार बैंक प्रित इक्विटी शेयर के आधार पर मूल और डाइलूटेड प्रित शेयर अर्जन की रिपोर्ट करता है। मूल प्रित ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अविध के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित किया गया है। डाइलूटेड अर्जन प्रति इकिटी शेयर संभाव्य घटाव को दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईकिटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईकिटी शेयर डाइलूटेड आय का परिकलन भारित औसत ईकिटी शेयरों की संख्या और अविध के दौरान बकाया डाइलूटिव पोटेंशियल ईकिटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते हैं।

#### 11. आस्तियों की क्षति

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को यह निर्धारित करता है कि क्या किसी आस्ति में घाटा होने का संकेत है। यदि कोइ घाटा हो तो,उसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रकम से अधिक आस्ति रकम तक दर्शाया गया है।

#### 12. क्षेत्र/खंड रिपोर्टिंग

आरबीआइ के दिशानिर्देशों और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यापार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को सेकंडरी रिपोर्टिंग खंड के रूप में चिन्हित करता है।

#### 13 प्रावधानों प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों,प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिये बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक को वर्तमान में बाध्यता हो,संभव है कि ऐसे में संसाधनों का बहिर्प्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेन देनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो तो उसे मान्यता नहीं दी गई है या प्रकट नहीं किया गया है।



7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

#### 8. Staff Benefits

- 8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.
- 8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is made based on actuarial valuation at the year-end.
- 8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

#### 9. Taxes on Income

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 -"Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions. Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account. Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realized against future profits.

#### 10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, "Earnings Per Share", issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the

weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end except where the results are anti-dilutive.

#### 11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

#### 12. Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

# 13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.



#### अनुसूची 18

#### लेखों पर टिप्पणियाँ

#### 1 समायोजन

अंतर बैंक और अंतर –शाखा लेन देनों का समायोजन 31.03.2020 तक पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है।बकाया प्रविष्टियों के विलोपन/समाधान पर प्रबन्धन किसी सामग्री परिणामात्मकता की अपेक्षा नहीं करता ।

#### 2. निवेश

2.1 आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के निवेश पोर्टफोलियों को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नवत हैं:

प्रवर्ग	सकल बही मूल	य(रु.करोड़ों में )	कुल निवेशों का प्रतिशत		
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	
परिपक्वता के लिए धारित	61 620.85	48 740.38	75.12	70.42	
बिक्री के लिए उपलब्ध	20 408.53	20 409.89	24.88	29.49	
ट्रेडिंग के लिए धारित		59.57		0.09	

- 2.2 "परिपक्तता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 19.50 % (पिछले वर्ष 19.50 %) की सीमा के अंदर है जो 31मार्च 2020 की समाप्ति तक बैंक की माँग व साविध देयताओं का 17.80 % (पिछले वर्ष 15.70%) रही।
- 2.3 "परिपक्कता के लिए धारित" प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु. 42.20 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.66.20 करोड़) का इस वर्ष परिशोधन कर दिया गया है।
- 2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु. 1305.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1005.50 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु.5714.50करोड़) (पिछला वर्ष रु.4714.50करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रखी गयी है । रु.1500 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1500 करोड़) की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इंट्रा डे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है । हमने एलए एफ विंडो के अंतर्गत हमारे उधार हेतु आरबीआई के साथ रु.3065 करोड़ (पिछले वर्ष रु415 करोड़) प्रतिभूति रखी है । इसके अलावा , फॉरेक्स परिचालन हेतु डिफॉल्ट निधि के प्रति रु.95.73 करोड़ (पिछले वर्ष रु.85.34 करोड़) को सीसीआइएल के पास रखा गया है और रु.12.50 करोड़ (पिछले वर्ष रु.12.50 करोड़) मुद्रा डेरिवेटिव्स के रूप में धारित है ।
- 2.5 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों के तहत शेयरों में रु.277.38 करोड़ (पिछले वर्ष रु.250.88करोड़) की शेयर पूँजी जमाएँ शामिल हैं।
- 2.6 बैंक ने आउटराइट और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) दोनों के अंतर्गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियाँ बेची। ओएमओं के अंतर्गत बैंक द्वारा रु.4741.23 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष 6365.32 करोड़) और अर्जित लाभ रु.155.10 करोड़ (पिछले वर्ष रु 100.22 करोड़) है । बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियाँ (ओएमओं के

अतिरिक्त) भी बेची और रु.1673.04 करोड़ (बीवी) (पिछले वर्ष रु.2039.92 करोड़) (आरबीआई की 5% सीमा के अंदर) का विक्रय हुआ और अर्जित लाभ रु.97.19 करोड़ (पिछले वर्ष 45.67 करोड़) है।

#### 3. अग्रिम

- 3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार किया गया ।
- 3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों , जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।
- 3.3 अस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमनित मूल्य,केन्द्र सरकार की गारंटियों आदि को ध्यान में रखा गया है।
- 3.4 अलेखा- परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबन्धकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है।
- 3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी. बीसी./79/21.04.048/ 2014-15 दिनांकित 30.03.2015 के अनुसार बैंक को 31.12.2014 की समाप्ति तक उनके द्वारा धारित प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर / फ्लोटिंग प्रावधान का 50% प्रयोग करने के लिए अनुमत किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने (31.03.2019 तक) अनर्जक आस्तियों के निर्दिष्ट प्रावधानों को पूरा करने के प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर रु.338.22 करोड़ के प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के किसी भी भाग का प्रयोग नहीं किया (पिछले वर्ष शून्य)

#### 4. अचल आस्तियाँ (संपत्ति , प्लाँट व संयंत्र )

वर्ष 2019-20 के दौरान आस्तियों की बिक्री पर रु.2.12 करोड़ का लाभ हुआ है ।



#### Schedule 18

#### **NOTES TO ACCOUNTS**

#### 1. Reconciliation

Reconciliation of Inter Branch transactions has been completed up to 31.03.2020 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. The Management does not anticipate any material consequential effect on reconciliation / elimination of outstanding entries.

#### 2. Investments

2.1 In accordance with RBI guidelines, the investments portfolio of the bank has been classified into three categories, as given below:

Category	Gross Book Val	ue (Rs. in crore)	Percentage to To	otal Investments (%)
	31.03.2020 31.03.2019		31.03.2020	31.03.2019
Held to Maturity	61 620.85	48 740.38	75.12	70.42
Available for Sale	20 408.53	20 409.89	24.88	29.49
Held for Trading		59.57		0.09

- 2.2 SLR Securities (domestic) under "Held to Maturity" accounted for 17.80 % (previous Year 15.70%) of bank's Demand and Time liabilities as at 31st March 2020 as against ceiling of 19.50% (previous year 19.50%) stipulated by RBI.
- 2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.42.20 Crore was amortized during the year (previous year Rs.66.20 Crore).
- 2.4 Securities of Face Value for Rs.1305.50 Crore (previous year Rs.1005.50 Crore) towards CCIL Settlement Guarantee Fund/Default Fund and securities for Rs.5714.50 Crore (previous year Rs.4714.50 Crore) towards collateral for borrowing under TREPS/Default Fund have been kept with Clearing Corporation of India Limited. The Bank has placed securities of face value Rs.1500 Crore (previous year Rs.1500 Crore) with RBI for intraday borrowing. The Bank has also placed Securities to the extent of Rs.3065 Crore (previous year Rs.5415 Crore) with Reserve Bank of India for borrowing under the LAF window. Besides, securities to the extent of Rs.95.73 Crore (previous year Rs.85.34 Crore) has been lodged with CCIL towards default fund for Forex operations and Rs.12.50 Crore (previous year Rs.12.50 Crore) held with currency derivative segment.
- 2.5 Shares under Investments in India in Regional Rural Banks is Rs.277.38 Crore (previous year Rs.250.88 Crore) including amount towards share capital Deposits.
- 2.6 The Bank sold Government Securities from HTM category during the year, both outright and RBI's Open Market Operations (OMO). The extent of sale by the Bank under OMO was Rs.4741.23 crore (BV) [previous year Rs.6365.32 crore] and earned a profit of Rs.155.10 crore [previous year Rs.100.22 crore]. The Bank has also sold Government Securities (other than OMO), to the extent of Rs.1673.04 Crore

(BV) [previous year Rs.2039.92 Crore] (within 5%, prescribed limit of RBI) and booked a profit of Rs.97.19 Crore (previous year Rs.45.67 Crore).

#### 3. Advances

- 3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.
- 3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.
- 3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government Guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.
- 3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.
- 3.5 The Reserve Bank of India, vide Circular No. DBR.No.BP. BC.79/21.04.048 / 2014-15 dated 30.03.2015, allowed banks to utilize up to 50% of Counter-cyclical Provisioning Buffer / Floating Provisions held by them as at the end of 31.12.2014. During the year 2019-20, Bank has not utilized any portion of Counter-cyclical Provisioning Buffer [previous year NIL] out of balance in Counter-cyclical Provisioning Buffer of Rs.338.22 Crore held (as on March 31, 2019) for meeting specific provisions for Non-Performing Assets.

#### 4. Fixed Assets (Property, Plant and Equipment)

The Profit on sale of assets during the year 2019-20 was Rs.2.12 crores.



#### 5. रुपया ब्यज दर स्वैप

31.03.2020 को प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज दर स्वैप के निरसन पर लाभ खातों पर आस्थिगित आय शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। इस रकम को स्वैप की संविदागत शेष अविध या आस्तियों / देयताओं की अविध, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

#### 6. पूँजी एवं आरक्षितियाँ

- 1. वर्ष के दौरान , बेसल III के टियर II बॉण्ड श्रृंख्ला III को रु.501 करोड़ तक बढ़ाया गया है ।
- 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान.
- बैंक ने भारत सरकार को प्राथिमकता के आधार पर 28.11.2019 को रु.3857 करोड़ की पूँजी अंतर्वेषन हेतु रु.10 प्रति शेयर मूल्य के 344,37,50,000 ईक्विटी शेयर रु.11.20 प्रति शेयर (जिसमें प्रति शेयर रु.1.20 की प्रीमियम राशि शामिल है) के निर्गम मूल्य पर आवंटित किए हैं।
- बैंक ने 27.02.2020 को रु.4360 करोड़ की पूँजी अंतर्वेषण हेतु
   रु.10 प्रति शेयर मूल्य के 385,15,90,106 ईक्विटी शेयर रु.11.32
   प्रति शेयर (जिसमें प्रति ईक्विटी शेयर रु.1.32 की प्रीमियम राशि
   शामिल है) के निर्गम मूल्य पर आवंटित किए हैं।
- 3. बैंक ने अगस्त 2019 में लोअर टियर ॥ बॉन्ड्स सीरीज XIII को रु.290 करोड़ की कुल राशि के रूप में भुनाया है। बैंक ने सितंबर 2019 में कुल रु 510 करोड़ के लिए अपर टियर ॥ बॉन्ड ॥। पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है। बैंक ने सितंबर 2019 में कुल 300 करोड़ के लिए सतत बांड श्रृंखला IV पर मांग विकल्प का प्रयोग किया है।

आरबीआई की आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण:

#### 7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों , न्यायिक संघोषणाओं और कर विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद , आय कर से संबंधित रु. 5734.33 करोड़ (पिछले वर्ष रु.4446.63 करोड़) और सेवा कर से संबंधित रु. 192.28 करोड़ (पिछले वर्ष रु 192.28 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया।

7.2 वर्ष के लिए कर व्यय रु. Rs.182.92 करोड़ है जिसमें रु. 13.56 करोड़ का मौजूदा कर व्यय और रु. 169.36 करोड़ का आस्थगित कर शामिल है – नोट सं. 19.6 का संदर्भ लें।

- 7.3 बैंक ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान में मौजूदा कर व्यवस्था के पालन का निर्णय लिया है। साथ ही, बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा " आय पर कर हेतु लेखांकन" विषय पर आधारित लेखांकन मानक 22 के अनुसार रु. 6285.40 करोड़ (गत वर्ष रु.6454.76 करोड़) की राशि को 31.03.2020 को निवल आस्थिगत कर आस्ति के रूप में माना है।
- 8 लंबित द्विपक्षीय समझौता, बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए वेतन संशोधन , जो कि नवंबर 2017 से प्रभावी है, हेतु रु.460.41 करोड़ का तदर्थ प्रावधान किया गया है ।
- 9 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तह्त पंजीकृत वेंडरों जिनसे बैंक माल व सेवाएँ प्राप्त कर रहा है, से संबंधित सूचना को बैंक द्वारा वेंडरों से प्राप्त सूचना की हद तक प्रकट किया गया है। मूल राशि और / या ब्याज के संबंधित कोई भी बकाया नहीं है, तदनुसार कोई अतिरिक्त प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

#### 10. पुँजी

क्रम.सं	विवरण	2019-20	2018-19
		%	में
i)	सामान्य ईक्विटी टियर । पूंजी अनुपात	8.21	7.82
ii)	टियर 1 पूँजी	8.21	7.85
iii)	टियर २ पूँजी	2.51	2.36
iv)	कुल पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	10.72	10.21
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	95.84	92.52
		रु. करोड़ में	
vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूँजी रकम	7 295.34	4 250.88
vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	शून्य	शून्य
viii)	जुटाई गई टियर 2 पूँजी	500	300



#### 5. Rupee Interest Rate Swap

Deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging as on 31st March 2020 is NIL (previous year NIL). This amount, if any, is to be recognized over the remaining contractual life of Swap or life of the Assets/Liabilities, whichever is earlier.

#### 6. Capital and Reserves

- During the year, the Bank has successfully raised Basel III Compliant Tier II Bonds Series III to the tune of Rs.501 crores.
- 2. During the Financial Year ended 31.03.2020,
  - Bank has allotted 344,37,50,000 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.11.20 per share (including premium of Rs.1.20 per equity share) on preferential basis to GOI on 28.11.2019 for Capital infusion of Rs.3,857 crore.
  - Bank has allotted 385,15,90,106 equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.11.32 per equity share (including premium of Rs.1.32 per equity share) on 27.02.2020 for Capital infusion of Rs.4,360 crores.
- During the year Bank has redeemed Lower Tier II Bonds Series XIII aggregating Rs.290 crores in August 2019. The Bank has exercised call option on Upper Tier II Bonds III aggregating Rs.510 crores in September 2019. The Bank has also exercised call option on perpetual Bonds Series IV aggregating Rs.300 crore in September 2019.

#### 7. Taxes

- 7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, certain judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.5734.33 Crore (previous year Rs.4446.63 Crore) and Service Tax aggregating to Rs.192.28 crore (previous year Rs.192.28 crore).
- 7.2 Tax expense for the year is Rs.182.92 crore consisting of Current Tax expense of Rs.13.56 crore and Deferred Tax expense of Rs.169.36 crore refer note no.19.6.
- 7.3 The Bank based on internal evaluation presently has decided to continue with the existing tax regime. Further, the Bank has recognized net Deferred Tax Asset as on 31st March, 2020 aggregating to Rs.6285.40 crores (PY Rs.6454.76 crores) on timing differences in accordance with Accounting Standard 22 on "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and adjustments if any to be carried out on reassessment at appropriate stage.
- Pending Bipartite settlement, the Bank has during the year 2019-20 made an adhoc provision of Rs.460.41 crore towards revision of wages due with effect from November 2017.
- 9. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank has been disclosed to the extent information was made available to the Bank by the vendors. There are no overdue pending on account of principal amount and / or interest and accordingly no additional Disclosures have been made.

#### **DISCLOSURES AS PER RBI REQUIREMENTS:**

#### 10. Capital

S.No.	Particulars	2019-20	2018-19	
		In	%	
i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio	8.21	7.82	
ii)	Tier I Capital	8.21	7.85	
iii)	Tier 2 Capital	2.51	2.36	
iv)	Total Capital Ratio (CRAR)	10.72	10.21	
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	95.84	92.52	
		Rs. In Crore		
vi)	Amount of Equity Capital raised (excluding security premium received)	7 295.34	4 250.88	
vii)	Amount of Additional Tier 1 raised	Nil	Nil	
viii)	Amount of Tier 2 capital raised	500	300	



# 11. निवेश

# **11.1 निवेशों का मूल्य** (रु. करोड़ मे)

क्रम संख्या	विवरण	2019-20	2018-19
	निवेशो का सकल मूल्य*		
(i)	(क) भारत में	78 357.88	65 380.62
	(ख) भारत के बाहर	3 671.50	3 829.22
	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(ii)	(क) भारत में	2 595.87	2 268.31
	(ख) भारत के बाहर	17.43	9.25
(:::)	निवेशों का निवल मूल्य		
(iii)	(क) भारत में	75 762.01	63 112.30
	(ख) भारत के बाहर	3 654.07	3 819.97

<sup>\*</sup>एनपीआइ के लिए प्रावधान का निर्वहन धारित

# 11.2 निवेशों पर मूल्यहास के प्रतिधारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(i)	आरंभिक शेष	2 268.31	1 607.89
(II)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	611.61	668.94
(iii)	घटाएँ: वर्ष के दौरान लिखे गए बट्टे खाते डालना / समायोजन	284.05	8.52
(iv)	समापन शेष	2 595.87	2 268.31

# 11.3 रेपो लेन देन (अंकित मूल्य के अनुसार)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान बक	न अधिकतम गया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31 को बकाया	
	19-20	18-19	19-20	18-19	19-20	18-19	19-20	18-19
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ								
i. i. सरकारी प्रतिभूतियाँ								
ii. Ii कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ								
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
i. i. सरकारी प्रतिभूतियाँ								
ii. ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ								



#### 11. Investments

#### 11.1 Value of Investments (Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2019-20	2018-19
	Gross Value of Investments*		
(i)	(a) In India	78 357.88	65 380.62
	(b) Outside India	3 671.50	3 829.22
	Provisions for Depreciation		
(ii)	(a) In India	2 595.87	2 268.31
	(b) Outside India	17.43	9.25
(iii)	Net value of Investments		
(iii)	(a) In India	75 762.01	63 112.30
	(b) Outside India	3 654.07	3 819.97

<sup>\*</sup>net of provision held for NPI

#### 11.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments held in India

(Rs. in Crore)

S.No.	Particulars	2019-20	2018-19
(i)	Opening Balance	2 268.31	1 607.89
(II)	ADD: Provisions made during the year	611.61	668.94
(iii)	LESS: Write-off/Write-Back of excess provisions during the year	284.05	8.52
(iv)	Closing Balance	2 595.87	2 268.31

#### 11.3 Inter Bank Repo transactions (in face value terms)

(Rs. in Crore)

Particulars		Minii outstandi the	ng during	-	mum ng during year	_	verage ng during year		ing as on n 31st
		19-20	18-19	19-20	18-19	19-20	18-19	19-20	18-19
Sec	Securities sold under Repo								
i.	Government securities								
ii.	Corporate debt securities								
Sec	curities Purchased under rev	erse repo							
i.	Government securities								
ii.	Corporate debt securities								



# 11.4 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

#### 11.4.1 गैर एसएलआर निवेशों की जारीकर्तावार संरचना

(रु. करोड़ में)

क्र सं	जारीकर्ता	31.03.20 तक की राशि	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	'कम निवेश श्रेणी' प्रतिभूतियों का विस्तार	'गैर रेटेड' प्रतिभूतियों का विस्तार	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	21044.25	20155.28			
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ	620.14	195.05			
(iii)	बैंक	621.48	368.23	174.74	8.75	8.75
(iv)	निजी कार्पोरेट	5 282.98	4 772.13	144.16	112.87	40.23
(v)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	199.58				
(vi)	अन्य (विदेशी गैर-सरकारी निवेश के साथ)	3178.07				
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	(2 347.85)	(1 905.07)			
	कुल	28 598.65	23 585.62	318.90	121.62	48.98

# 11.4.2 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
अथ शेष	1 918.03	1 647.57
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	224.02	317.49
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	193.71	47.03
इति शेष	1 948.34	1 918.03
कुल धारित प्रावधान*	1 674.61	1 509.73

<sup>\*</sup>जिसमें 31 मार्च 2020 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत इक्विटी शेयरों के एमटीएम की ओर रु. 1184.22 करोड रुपये 31.03.2019 को रु.1100.20 करोड रुपये ।

#### 11.5 एचटीएम श्रेणी को/ से अंतरण एवं बिक्री

वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री एवं अंतरण (निर्धारित सीमा से 5% अधिक) : शून्य (गतवर्ष शून्य )

#### 12. डेरिवेटिव्स

12.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला –बदली

विवरण		2019-20 201		2018-19		
	रुपये	एफएक्स	कुल	रुपये	एफएक्स	कुल
	एक्सपोज़र	एक्सपोज़र		एक्सपोज़र	एक्सपोज़र	
1) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल					65.35	65.35
2) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होने वाली हानि					0.43	0.43



#### 11.4 Non-SLR Investment Portfolio

#### 11.4.1 Issuer Composition of Non-SLR Investments

(Rs. in Crore)

S. No	Issuer	Amount	Extent of Private	Extent of 'Below	Extent of	Extent of 'Un-
		As on	Placement	investment	'Unrated'	listed' securities
		31.03.20		grade' securi-	securities	
				ties		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	21 044.25	20 155.28			
(ii)	Fls	620.14	195.05			
(iii)	Banks	621.48	368.23	174.74	8.75	8.75
(iv)	Private Corporates	5 282.98	4 772.13	144.16	112.87	40.23
(v)	Subsidiaries / Joint	199.58				
	Ventures	199.50				_
(vi)	Others (Including					
	Overseas Non	3178.07				
	Government	3176.07			<del></del>	<del></del>
	Investments)					
(vii)	Provision held towards	(2 247 95)	(1 905.07)			
	depreciation	(2 347.85)	(1 905.07)			
	Total	28 598.65	23 585.62	318.90	121.62	48.98

#### 11.4.2 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance	1 918.03	1 647.57
Additions during the year since 1st April,	224.02	317.49
Reductions during the above period	193.71	47.03
Closing Balance	1 948.34	1 918.03
Total Provisions held*	1 674.61	1 509.73

<sup>\*</sup>of which Rs.1184.22 crores held towards MTM of Equity Shares classified as NPI as on 31st March 2020 against Rs.1100.20 crores as on 31st March 2019.

#### 11.5 Sale and Transfers to/from HTM Category

Sale and transfer to/from HTM category (above the prescribed limit of 5%) during the current year: NIL (previous year NIL)

#### 12. DERIVATIVES

#### 12.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

PARTICULARS		2019-20			2018-19	8-19	
	Rupee	FX	Total	Rupee	FX	Total	
	Exposure	Exposure		Exposure	Exposure		
i) The notional principal of swap agreements		-1			65.35	65.35	
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfill their obligations under the agreements					0.43	0.43	

<b>W W</b>

3) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	 	 		
4) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	 	 		
5) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	 	 	0.43	0.43

#### 12.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2019-20	2018-19
(i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम		
(ii)	31 मार्च तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम		
(iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "ज्यादा प्रभावी " नहीं		
(iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं		

#### 12.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

12.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

#### ट्रेज़री (विदेशी)

बेंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देदश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान हैं।

- अ) विदेशी उधार/एफ़सीएनआर(बी) पोर्टफोलियो/ आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/ विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खाताओं आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमित देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैंक टू बैंक दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमित देती है।
- आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है।
- इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुड़े जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव लेनदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए।

- ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति का निरंतर प्रबोधन किया जाता है।
- उ) बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है।
- ড) डेरिवेटिञ्स का प्रयोग बैंक के तुलन पत्र के एक्सपोज़र को प्रतिरक्षा करने हेतु किया जाता है।
- ऋ) इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है।तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय अदला बदली की शेष संविदात्मक अविध आयु या आस्तियों/देयताओं की अविध, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। ग्राहकों के लिए बैक टू बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।
- ए) सभी प्रतिरक्षा लेन देन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेन देन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है।
- ए) डेरिवेटिव्स लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

डेरिवेटिव से संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियां भी शामिल करने के लिए डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है, उस सीमा तक विशेष संदर्भ के साथ संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की सेवा की जाती है।

अ. डेरिवेटिव व्यापार में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन;



iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	 	 		
iv) of credit risk arising from the swaps	 	 		
v) The fair value of the swap book	 	 	0.43	0.43

#### 12.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year		
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March		
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"		
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"		

# 12.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

#### 12.3.1 Qualitative Disclosure

#### Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

- a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/ Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR(B) portfolio/the asset liability mismatch, for funding overseas branches etc.
- b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposure separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.
- c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with the Banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

- d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.
- e) The Bank has a system of continuous monitoring appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.
- f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet exposures.
- g) The income from such derivatives are amortized and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet Management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.
- h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.
- The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Bank shall discuss their Risk Management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. The discussion shall also include:

a) The structure and organization for management of risk

153

- आ. जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति;
- इ. हेजेज / कमजोरियों की निरंतर तथा प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं से जोखिम को कम करना और / या कम करने के लिए नीतियां बनना; तथा
- ई. बचाव और गैर बचाव के लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय,प्रीमियम और छूट की मान्यता; उत्कृष्ट अनुबंध का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और क्रेडिट जोखिम शमन।

#### टेजरी ( देशीय )

बैंक,सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याजदर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों और सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रुपया ब्याज दर स्वैप(आइआरएस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याज दर स्वैप को अपनाता है।स्वैप लेन देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं। जिनके पास आइएसडीए करार मौजद है।

- क) बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त ढांचा और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेजरी विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है।
- ख) व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन 6) में प्रकट किए अनुसार तैयार की गयी है ।

के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियों की जरूरत की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न), परिचालनगत जोखिम, विनियामक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियां स्थापित कर रखी हैं और व्युत्पन्न लेन देनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइ आर एस लेन देन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर पार्टी के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अंदर होते हैं।

- ग) बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएं नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। केवल दुतरफा आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपक्कता ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नहीं किया है।
- घ) व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ(नीति संख्या

#### 12.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रम. सं	विवरण	2019-20		2018	-19
<b>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</b>		मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	1 669.53	0	1 670.41	0
	ख) व्यापार के लिए	0	0	0	65.35
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति				
	क) आस्तियाँ (+)	0	0	27.97	(+)0.43
	ख) देयताएँ (-)	261.41	0	90.33	(-)0.415
(iii)	ऋण जोखिम*	120.84	0	195.01	0.65
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन (100*पीवी01)	21.64	0	27.85	0
	क) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	0	0	0.00	0.34
	ख) व्यापार डेरिवेटिव्स पर		O	0.00	0.54
v)	वर्ष के दौरान देखे	गए 100* पीवी01 व	ग न्यूनतम और	अधिकतम	
	प्रतिरक्षा पर अधिकतम न्यूनतम	27.93 21.64	0	42.97 27.85	0
	व्यापार पर अधिकतम न्यूनतम	0	0.34	0 0	1.17 0.34

<sup>\*</sup>बैंक मौजूदा आरबीआइ के निर्देशों के अनुसार व्युत्पन्न उत्पादों के क्रेडिट एक्सपोज़र के मापन पर वर्तमान एक्सपोज़र विधि को अपना सकते हैं।



in derivatives trading;

- b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems;
- Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants; and
- d) Accounting policy for recording hedge and nonhedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

#### **Treasury (Domestic)**

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Government Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt. In addition, the bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

 a) The bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes Treasury Department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

- Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.
- Derivatives are used by the bank for trading and hedging. The bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.
- d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy No.6)

#### 12.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

Sr.	Particulars	2019	-20	2018	-19
No.		CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount) a) For Hedging b) For Trading	1 669.53 0	0	1 670.41 0	0 65.35
(ii)	Mark to Market Positions a) Asset (+) b) Liability (-)	0 261.41	0	27.97 90.33	(+)0.43 (-)0.415
(iii)	Credit Exposure*	120.84	0	195.01	0.65
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) a) On hedging derivatives b) on trading derivatives	21.64 0	0	27.85 0.00	0 0.34
v)	Maximum and M	linimum of 100*P\	01 observed du	ring the year	
	a) on hedging Maximum Minimum	27.93 21.64	0	42.97 27.85	0
	b) on trading Maximum Minimum	0	0.34	0	1.17 0.34

<sup>\*</sup>Banks may adopt the Current Exposure Method on Measurement of Credit Exposure of Derivative Products as per extant RBI instructions.



# 13. आस्ति गुणवत्ता

# 13.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
i) निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम (%)	5.44	10.81
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
क) अथ शेष	33 398.12	38 180.15
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	7 225.33	8 844.54
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	20 710.75	13 626.57
घ) इति शेष	19 912.70	33 398.12
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	14 368.30	20 399.66
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5 988.21	7 048.31
ग) वर्ष के दौरान कटौतियाँ (तकनीकी रूप से अपलिखित करना एवं अन्य कटौतियां शामिल हैं	13 753.71	13 079.67
घ) इति शेष	6 602.80	14 368.30
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान कोछोड़कर)		
क) अथ शेष	18 647.23	17 333.78
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	11 171.83	9 881.25
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान को छोड़कर)	16 835.58	8 567.80
घ) इति शेष	12 983.48	18 647.23

# 13.1.2 एनपीए के लिए अस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन के ब्यौरे (आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.डीपीबीसी. सं.63/21.04.018/2016-17 दिनांकित 18.04.2017) निम्नवत है : (रु. करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
1	बैंक द्वारा 31 मार्च तक दर्ज किए गए सकल एनपीए	33 398.12	38 180.15
2	भारिबैं द्वारा 31 मार्च तक आंकलित किया गया सकल एनपीए	33 756.12	38 517.75
3	सकल एनपीए में विचलन(2-1)	358.00	337.60
4	भारिबैं द्वारा 31 मार्च तक दर्ज किया गया निवल एनपीए	14 368.30	20 399.66
5	भारिबैं द्वारा 31 मार्च तक आंकलित किया गया निवल एनपीए	14 726.30	20 737.26
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	358.00	337.60
7	भारिबैं द्वारा 31 मार्च तक दर्ज किया गए एनपीए के लिए प्रावधान	18 647.23	17 333.78
8	भारिबैं द्वारा 31 मार्च तक आंकलित किए गए एनपीए के लिए प्रावधान	20 855.23	19 112.68
9	प्रावधानिकरण में विचलन (8-7)	2208.00#	1 778.90
10	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद दर्ज निवल लाभ (पीएटी)	(3 737.88)	(6 299.49)
11	प्रावधानिकरण में विचलन होने के बाद 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ (पीएटी)	(5 999.88)	(8 406.60)

<sup>#</sup> इसमें निवेश के मूल्यांकन के लिए प्रावधानित प्रावधान शामिल है - रु.281 करोड़।

#### 13.1.3 प्रावधान कवरेज अनुपात

आरबीआइ दिशा-निर्देशों के अनुसार गणना की गई प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31.03.2020 को 31.03.2019 के 71.39% के मुकाबले 86.94% रही ।

<sup>31</sup> मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त डायवर्जन के प्रति पूर्ण प्रावधान किए हैं।



#### 13. ASSET QUALITY

#### 13.1.1 Non-Performing Assets (NPAs) (As certified by Management)

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
i) Net NPAs to Net Advances (%)	5.44	10.81
ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening Balance	33 398.12	38 180.15
b) Additions during the year	7 225.33	8 844.54
c) Reductions during the year	20 710.75	13 626.57
d) Closing Balance	19 912.70	33 398.12
iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening Balance	14 368.30	20 399.66
b) Additions during the year	5 988.21	7 048.31
c) Reductions during the year	13 753.71	13 079.67
(including Technical Write-off and Other Reductions)		
d) Closing Balance	6 602.80	14 368.30
iv) Movement of Provisions for NPAs		
(excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance	18 647.23	17 333.78
b) Provisions made during the year	11 171.83	9 881.25
c) Write-off/Write-back of excess provisions	16 835.58	8 567.80
d) Closing balance	12 983.48	18 647.23

# 13.1.2 Divergence in the Asset Classification and Provisioning for NPAs (vide RBI Circular No.DBR.DP.BC. No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017) (Rs. In Crore)

S.No	Particulars	YE 31.03.2019	YE 31.03.2018
1	Gross NPAs as on 31st March as reported by the Bank	33 398.12	38 180.15
2	Gross NPAs as on 31st March as assessed by RBI	33 756.12	38 517.75
3	Divergence in Gross NPA (2-1)	358.00	337.60
4	Net NPAs as on 31st March as reported by the Bank	14 368.30	20 399.66
5	Net NPAs as on 31st March as assessed by RBI	14 726.30	20 737.26
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	358.00	337.60
7	Provision for NPAs as on 31st March as reported by the Bank	18 647.23	17 333.78
8	Provision for NPAs as on 31st March as assessed by RBI	20 855.23	19 112.68
9	Divergence in provisioning (8-7)	2208.00#	1 778.90
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended 31st March	(3 737.88)	(6 299.49)
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended 31st March after taking into account the divergence in provisioning	(5 999.88)	(8 406.60)

<sup>#</sup> Includes Provision attributed to valuation of investments - Rs.281 crores.

The Bank has made full provisions against the said Divergences during the year ended 31st March 2020.

#### 13.1.3 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 86.94% as on 31.03.2020 (71.39% as on 31.03.2019).

Ŋ
019
-
202
Ö

13.2.2 खातों के पुनर्गठन का विवरण

						<b>&gt;&gt;</b>					
	ω			2		•			क्र	ग्म सं.	
कं स्तर मं उन्नयन	31.03.2020 के दौरान पुनर्सरचित मानक वर्ग	01 04 2019 卦	शामिल है	01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोज़र में बढ़ोत्तरी शामिल है			वित्तीय वर्ष के <b>01</b> अप्रैल 2019 तक पुनर्सरचित खाते			आस्ति वर्गीकरण	पुनर्संरचना का प्रकार
उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राथि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राथि	उधारकर्ताओं की संख्या			का प्रकार
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	मानक		표
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.02	13.49	1	अव मान	<b>ा</b> क	डिआर
0.00	0.00	0	-9.27	185.72	0	13.75	4121.98	26	संदिग्ध		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	हानि		के अंतर्ग
0.00	0.00	0	-9.27	185.72	0	13.77	4135.47	27	कुल		최'
0.00	0.00	0	27.46	468.98	14387	18.69	384.00	8404	मानक		एसए
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	6.24	41.87	58	अव मान	<b>नक</b>	एसएमई उधार संरचना के अंतरगत
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.17	349.62	49	संदिग्ध		र संरच-
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	हानि		न के अंत
0.00	0.00	0	27.46	468.98	14387	25.10	775.49	8511	कुल		रिगत
0.00	0.01	0	0.36	7.21	0	11.02	447.11	6	मानक		
0.00	0.01	0	1.10	21.99	0	0.19	1030.62	10	अव मान	नक	
-24.62	-292.48	-1	17.75	755.03	0	16.54	7336.53	103	संदिग्ध		<sup>생</sup> 권
0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.38	1	हानि		
-24.62	-292.46	-1	19.21	784.23	0	27.75	8814.64	120	कुल		
0.00	0.01	0	27.82	476.19	14387	29.71	831	8410	मानक		
0.00	0.01	0	1.10	21.99	0	6.45	1085.98	69	अव मान	<b>नक</b>	
-24.62	-292.48	-1	8.48	940.75	0	30.46	11808.13	178	संदिग्ध		कुल
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.38	1	हानि		
-24.62	-292.46	-1.00	37.40	1438.93	0	66.62	13725.60	8658	कुल		

	ω			2			_			SI No.		13.2
to 31.03.2020	of restructured standard category during 01.04.2019	Upgradation	in exposure for existing accounts	during 01.04.2019 to 31.03.2020	Fresh Restructuring		Restructured Accounts as on April 1, 2019		Details	Asset Classification	Type of Restructuring	13.2 Particulars of Accounts Restructured (As certified by Management)
Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers			ucturing	ınts Restructur
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Standa	rd		ed (As
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.02	13.49	1	Sub- standa	rd	Jnder C	certifi
0.00	0.00	0	-9.27	185.72	0	13.75	4121.98	26	Doubtfi	ul	Under CDR Mechanism	ed by I
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Loss		chanis	Vlanag
0.00	0.00	0	-9.27	185.72	0	13.77	4135.47	27	Total		] 3	ement)
0.00	0.00	0	27.46	468.98	14387	18.69	384.00	8404	Standa	rd	Unde	
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	6.24	41.87	58	Sub- standa	rd	SY SME	100
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.17	349.62	49	Doubtfo	ul	Under SME Debt Restructuring Mechanism	2019 - 2020
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Loss		estruct sm	
0.00	0.00	0	27.46	468.98	14387	25.10	775.49	8511	Total		uring	
0.00	0.01	0	0.36	7.21	0	11.02	447.11	6	Standa	rd		
0.00	0.01	0	1.10	21.99	0	0.19	1030.62	10	Sub- standa	rd		
-24.62	-292.48	-1	17.75	755.03	0	16.54	7336.53	103	Doubtf	ul	Others	
0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.38	1	Loss			
-24.62	-292.46	-1	19.21	784.23	0	27.75	8814.64	120	Total			
0.00	0.01	0	27.82	476.19	14387	29.71	831	8410	Standa	rd		
0.00	0.01	0	1.10	21.99	0	6.45	1085.98	69	Sub- standa	rd		
-24.62	-292.48	-1	8.48	940.75	0	30.46	11808.13	178	Doubtf	ul	Total	
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.38	1	Loss			(Rs. in Crore)
-24.62	-292.46	-1.00	37.40	1438.93	0	66.62	13725.60	8658	Total			Crore)

2019 - 2020

"

	6			У	**		4			क्रम सं.	
की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत	के दौरान पुनर्सरिचेत खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु	01.04.2019 से 31.03.2020		01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्सरचित खातों का अवनयन		में जिन्हें पुनर्सरिवित मानक अग्निम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उच्च प्रावधान आकर्षित करने वाले पुनर्सरचित मानक अग्रिम और / या वित्तीय वर्ष के अंत में जोखिम भार और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ		विवरण	पुनः संरचना का प्रकार	
उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या		आस्ति वर्गीकरण	प्रकार
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	मानक		44
-0.02	-0.57	0	0.00	0.00	0				अवमा	नक	ोडीआर
-4.25	-85.04	0	0.00	0.00	0				संदिग्ध		प्रणाली
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				हानि		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत
-4.27	-85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	कुल		রি
-3.42	-68.41	-1333	-4.01	-90.36	-2415	0.00	0.00	0	मानक		एसएम
-6.24	-41.87	-58							अवमा	नक	एसएमई उधार पुनर्सरचना के अंतर्गत
-0.17	-349.62	-49	0.00	0.00	0				संदिग्ध		पुनर्सर
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				हानि		वना के
-9.83	-459.90	-1440	-4.01	-90.36	-2415	0.00	0.00	0	कुल		अंतर्गत
0.00	-421.21	-1	0.01	-0.04	0	-1.20	-24.19	-3	मानक		
-0.42	-8.50	9	8.05	-155.42	-8				अवमा	नक	
77.91	-1158.16	42	7.92	158.43	8				संदिग्ध		अय
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				हानि		
77.49	-1587.87	50.00	15.98	2.97	0	-1.20	-24.19	-3	कुल		
-3.42	-2133.38	-1390	-4.00	-90.40	-2415	-1.20	-24.19	-3.00	मानक		
-6.68	-50.94	-49	8.05	-155.42	-8	0.00	0.00	0.00	अवमा	नक	
73.49	-1592.82	-7	7.92	158.43	8	0.00	0.00	0.00	संदिग्ध	•	कुल
0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	हानि		
63.39	-3777.14	-1446	11.97	-87.39	-2415	-1.20	-24.19	-3.00	कुल		

	<i>%.2%.2</i>
_	<b>*</b>

						= 💚 🤝					
	0			Οī		4				SI No.	
during 01.04.2019 to 31.03.2020	CDR/ recovery action initiated in restructured accounts	Write off/ sale/		restructured accounts during 01.04.2019 to 31.03.2020	Downgradation of the	weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	attract higher provisioning and / or additional risk	Restructured standard advances	Details	Asset Classification	Type of Restructuring
Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers			cturing
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Stan	dard	_
-0.02	-0.57	0	0.00	0.00	0				Sub- stand		Inder C
-4.25	-85.04	0	0.00	0.00	0				Doub	otful	DR Me
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				Loss		Under CDR Mechanism
-4.27	-85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Total		3
-3.42	-68.41	-1333	-4.01	-90.36	-2415	0.00	0.00	0	Standard		Unde
-6.24	-41.87	-58							Sub- stand		Under SME Debt Restructuring Mechanism
-0.17	-349.62	-49	0.00	0.00	0				Douk	otful	1E Debt Res Mechanism
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				Loss		estruct
-9.83	-459.90	-1440	-4.01	-90.36	-2415	0.00	0.00	0	Total		uring
0.00	-421.21	-1	0.01	-0.04	0	-1.20	-24.19	-3	Stan	dard	
-0.42	-8.50	9	8.05	-155.42	-8				Sub- stand		
77.91	-1158.16	42	7.92	158.43	8				Douk	otful	Others
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				Loss		
77.49	-1587.87	50.00	15.98	2.97	0	-1.20	-24.19	-3	Total		
-3.42	-2133.38	-1390	-4.00	-90.40	-2415	-1.20	-24.19	-3.00	Stan	dard	
-6.68	-50.94	-49	8.05	-155.42	-8	0.00	0.00	0.00	Sub- stand		
73.49	-1592.82	-7	7.92	158.43	8	0.00	0.00	0.00	Douk	otful	Total
0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Loss		
63.39	-3777.14	-1446	11.97	-87.39	-2415	-1.20	-24.19	-3.00	Total		

$\forall \forall$

	7			क्रम सं.		
G Z	अस्ति वर्गीकरण विवरण उधार 31 मार्च 2020 (अंतिम आंकड़े) तक पुनर्सरचित किए गए					
उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	रण	र्गीकरण	पुन: संरचना का प्रकार	
0.00	0.00	0	मानक		له	
0.00	12.92	1	अवमानक	<del>-</del>	शीडीआर	
0.23	4222.66	26	संदिग्ध		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	
0.00	0.00	0	हानि		के अंतर्ग	
0.23	4235.58	27	कुल		리'	
38.72	694.21	19043	मानक		एसए	
0.00	0.00	0	अवमानक	7	एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत	
0.00	0.00	0	संदिग्ध		र पुनर्सर	
0.00	0.00	0	हानि		वना के उ	
38.72	694.21	19043	कुल		भंतर्गत	
10.19	8.89	2	मानक			
8.92	888.70	11	अवमानक	-		
95.50	6799.35	152	संदिग्ध		왕권	
0.00	0.38	1	हानि			
114.61	7697.32	166	कुल			
48.91	703.10	19045	मानक			
8.92	901.62	12	अवमानक	7		
95.73	11022.01	178	संदिग्ध		कुल	
0.00	0.38	1	हानि			
153.56	12627.11	19236	कुल			

(162



	7			SI No.	
Figures)	Accounts as on March 31 of the 2020 (closing	Details	Asset Classification	Type of Restructuring	
Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers		structuring	
0.00	0.00	0	Stand	ard	_
0.00	12.92	1	Sub-s	tandard	Inder C
0.23	4222.66	26	Doubt	ful	DR Me
0.00	0.00	0	Loss		Under CDR Mechanism
0.23	4235.58	27	Total		ă
38.72	694.21	19043	Stand	Unde	
0.00	0.00	0	Sub-s	tandard	Under SME Debt Restructuring  Mechanism
0.00	0.00	0	Doubtful		1E Debt Res Mechanism
0.00	0.00	0	Loss	Restruc	
38.72	694.21	19043	Total		turing
10.19	8.89	2	Stand	ard	
8.92	888.70	11	Sub-s	tandard	
95.50	6799.35	152	Doubt	ful	Others
0.00	0.38	1	Loss		
114.61	7697.32	166	Total		
48.91	703.10	19045	Stand	ard	
8.92	901.62	12	Sub-s	tandard	
95.73	11022.01	178	Doubt	ful	Total
0.00	0.38	1	Loss		
153.56	12627.11	19236	Total		

~	
_	
o	
- 1	
~	
_	
_	
ي	

	ω			2			_		д	ज्म सं.	
	01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्सरचित मानक वर्ग के स्तर में उन्नयन			31.03.2020 क दारान नई संरचना जिसमें मौजूदा खातों हेतु एक्सपोजर में बटोनरी	01.04.2019 甘		वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल 2019 तक पुनर्सरचित खाते		विवरण	पुनर्संरचना का प्रकार	
उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राখि	उधारकर्ताओं की संख्या			का प्रकार
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.68	72.16	3	मानक		41
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	7.66	364.50	4	अव मान	क	सीडी आर
0.00	0.00	0	-12.17	206.67	0	27.42	4217.71	25	संदिग्ध		प्रणाली
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	हानि		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत
0.00	0.00	0	-12.17	206.67	0	36.76	4654.37	32	कुल		ଘ
0.00	0.00	0	19.63	373.88	8403	0.00	11.69	1	मानक		एसए
0.00	0.27	1	4.61	30.72	53	0.03	41.28	2	अव मान	क	एसएमई उधार संरचना के अंतरगत
0.00	-0.27	-1	-0.16	0.25	0	0.31	336.37	58	संदिग्ध		र संरचन
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	हानि		∏ के अंत
0	0	0	0.00	0.00	0	0.34	389.34	61	कुल		रगत
2.35	64.15	1	-0.44	6.72	0	22.51	1824.74	29	मानक		
0.00	0.00	0	0.00	99.22	0	5.96	4073.92	15	अव मान	क	
-2.34	-64.15	-1	-1.54	5.63	0	16.21	4659.46	107	संदिग्ध		왕권
0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.46	1	हानि		
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	44.68	10558.58	152	कुल		
2.35	64.15	1	19.19	380.60	8403	24.19	1908.59	33	मानक		
0.00	0.27	1	4.61	129.94	53	13.65	4479.70	21	अव मान	क	
-2.34	-64.42	-2	-13.87	212.55	0	43.94	9213.54	190	संदिग्ध		कुल
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.46	1	हानि		
0.01	0.00	0	9.93	723.09	0	81.78	15602.29	245	कुल		

2
0
$\rightarrow$
$\infty$
2
0
$\rightarrow$
9


						<b>-₩</b>						
	ω				Ν	• •					SI No.	
	category during 01.04.2018 to	restructured standard		for existing accounts	during 01.04.2018 to 31.03.2019 including increase in exposure	Fresh Restructuring		Restructured Accounts as on April 1, 2018		Details	Asset Classification	Type of Restructuring
Provision Thereon	Outstanding	Amount	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers			tructuring
0.0	00	0.00	0	0.00	0.00	0	1.68	72.16	3	Standar	rd	n
0.0	00	0.00	0	0.00	0.00	0	7.66	364.50	4	Sub-sta	ndard	nder C
0.0	00	0.00	0	-12.17	206.67	0	27.42	4217.71	25	Doubtfu	ıl	Under CDR Mechanism
0.0	00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Loss		chanis
0.0	00	0.00	0	-12.17	206.67	0	36.76	4654.37	32	Total		3
0.0	00	0.00	0	19.63	373.88	8403	0.00	11.69	1	Standar	rd	Unde
0.0	00	0.27	1	4.61	30.72	53	0.03	41.28	2	Sub-sta	ndard	ir SME
0.0	00 -	-0.27	-1	-0.16	0.25	0	0.31	336.37	58	Doubtfu	ıl	1E Debt Res Mechanism
0.0	00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Loss		Under SME Debt Restructuring  Mechanism
	0	0	0	0.00	0.00	0	0.34	389.34	61	Total		uring
2.3	35 6	84.15	1	-0.44	6.72	0	22.51	1824.74	29	Standar	rd	
0.0	00	0.00	0	0.00	99.22	0	5.96	4073.92	15	Sub-sta	ndard	
-2.3	-6	84.15	-1	-1.54	5.63	0	16.21	4659.46	107	Doubtfu	ıl	Others
	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.46	1	Loss		
0.0	00	0.00	0	0.00	0.00	0	44.68	10558.58	152	Total		
2.3	35 6	84.15	1	19.19	380.60	8403	24.19	1908.59	33	Standar	rd	
0.0	00	0.27	1	4.61	129.94	53	13.65	4479.70	21	Sub-sta	ndard	
-2.3	-6	64.42	-2	-13.87	212.55	0	43.94	9213.54	190	Doubtfu	ıl	Total
0.0	00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.46	1	Loss		
0.0	)1	0.00	0	9.93	723.09	0	81.78	15602.29	245	Total		

=		
_	<b>W W</b>	١

	6			υ			4			क्रम सं.	
01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्सरवित खातों को बट्टे खाते डालना / समाप्ति/ सीडीआर से निकासी / उसमें वसूली हेतु की जाने वाली कार्रवाई का शुरुआत				01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन		मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है			विवरण	पुनः संरचना का प्रकार	
उन पर प्रावधान	बकाया राधि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या		आस्ति वर्गीकरण	प्रकार
-0.01	-32.51	-1	-0.02	-13.49	-1	-1.65	-26.16	-1	मानक		
-2.14	-17.78	0	-5.50	-333.23	-3				अवमान	क	सीडीआर
-7.02	-649.12	-3	5.52	346.72	4				संदिग्ध		प्रणाली
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				हानि		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.65	-26.16	-1	कुल		ପ '
0.00	-1.57	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	मानक	मानक	
0.00	-0.05	0	-0.03	-41.22	-2				अवमान	क	एसएमई उधार पुनर्संरचना के अंतर्गत
-0.01	-27.95	-10	0.03	41.22	2				संदिग्ध		र पुनर्सर
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				हानि		वना के उ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	कुल		भंतर्गत
-0.49	-368.65	-2	0.00	-422.70	-8	-12.91	-657.15	-14	मानक		
-0.94	-240.74	-1	-4.83	-2901.78	-4				अवमान	क	
-0.62	-588.89	-15	4.83	3324.48	12				संदिग्ध		अन्य
0.00	-0.08	0	0.00	0.00	0				हानि		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-12.91	-657.15	-14	कुल		
0.00	0	0	-0.02	-436.19	-9	-14.56	-683.31	-15.00	मानक		
-3.00	-259	-1	-10.36	-3276.23	-9	0.00	0.00	0.00	अवमान	क	
-8.00	-1266	-28	10.38	3712.42	18	0.00	0.00	0.00	संदिग्ध		कुल
0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	हानि		
-10.73	-1524.61	-29	0.00	0.00	0	-14.56	-683.31	-15.00	कुल		

- 💞	<i>"</i> //

			1								
	0			σı		4				SI No.	
during 01.04.2018 to 31.03.2019	CDR/ recovery action initiated in restructured accounts	Write off/ sale/	0.00.	Downgradation of the restructured accounts during 01.04.2018 to		weight at the end of FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	attract higher provisioning and /	Restructured standard advances	Details	Type of Restructuring	
Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers	Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers			turing
-0.01	-32.51	-1	-0.02	-13.49	-1	-1.65	-26.16	-1	Sta	ndard	
-2.14	-17.78	0	-5.50	-333.23	-3				Sul	o- ndard	Inder C
-7.02	-649.12	-3	5.52	346.72	4				Doi	ubtful	Under CDR Mechanism
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				Los	ss	chanis
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.65	-26.16	-1	Tota	al	3
0.00	-1.57	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Sta	ndard	Unde
0.00	-0.05	0	-0.03	-41.22	-2				Sul	o- ndard	r SME
-0.01	-27.95	-10	0.03	41.22	2				Doi	ubtful	ME Debt Res
0.00	0.00	0	0.00	0.00	0				Los	ss	Under SME Debt Restructuring  Mechanism
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	Tota	al	turing
-0.49	-368.65	-2	0.00	-422.70	-8	-12.91	-657.15	-14	Sta	ndard	
-0.94	-240.74	-1	-4.83	-2901.78	-4				Sul sta	o- ndard	
-0.62	-588.89	-15	4.83	3324.48	12				Doi	ubtful	Others
0.00	-0.08	0	0.00	0.00	0				Los	SS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-12.91	-657.15	-14	Tota	al	
0.00	0	0	-0.02	-436.19	-9	-14.56	-683.31	-15.00	Sta	ndard	
-3.00	-259	-1	-10.36	-3276.23	-9	0.00	0.00	0.00	Sul	o- ndard	
-8.00	-1266	-28	10.38	3712.42	18	0.00	0.00	0.00	Do	ubtful	Total
0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Los	SS	
-10.73	-1524.61	-29	0.00	0.00	0	-14.56	-683.31	-15.00	Tota	al	



3  $\equiv$ 

एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)

खातों की संख्या

कुल प्रतिफल

# ् A. बिक्री का ब्यौरा

बी. सुरक्षा रसीद में निवेश मूल्य का विवरण

विवरण

2019-20

2018-19

(रु. करोड़ में)

213.79

355.75 12.99 303.77 92.44

851.23 495.48

2.46

103.65

840.27

ŀ

103.65

840.27

1. अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित

2.अंतर्निहित अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित

कुल

3 <u>S</u> (iii)

निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / (हानि)

गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल

# 🧵 13.3 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

		7			क्रम सं.		
?	G Z	31 मार्च 2020 (अंतिम आंकड़े ) तक पुनर्संरचित किए गए	n	विवरण	आस्ति वर्गीकरण	पुनः संरचना का प्रकार	
) )	उन पर प्रावधान	बकाया राशि	उधारकर्ताओं की संख्या	ण	र्तिकरण	का प्रकार	
	0.00	0.00	0	मानक	-	ય	
•	0.02	13.49	1	अवमा	नक	रीडीआर	
,	13.75	4121.98	26	संदिग्ध	ſ	प्रणाली	
	0.00	0.00	0	हानि		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत	
,	13.77	4135.47	27	कुल		ব	
) !	19.63	384.00	8404	मानक	-	एसए	
)	4.61	31.00	54	अवमा	नक	मई उधा	
	0.17	349.62	49	संदिग्ध	ſ	र पुनर्सर	
	0.00	0.00	0	हानि		एसएमई उधार पुनर्सरचना के अंतर्गत	
	24.41	764.62	8507	कुल		्र भंतर्गत	
	11.02	447.11	6	मानक	-		
	0.19	1030.62	10	अवमा	नक		
	16.54	7336.53	103	संदिग्ध	ſ	अस्य	
	0.00	0.38	1	हानि			
	27.75	8814.64	120	कुल			
	30.65	831.11	8410	मानक			
	4.82	1075.11	65	अवमा	नक		
	30.46	11808.13	178	संदिग्ध	[	कुल	
	0.00	0.38	1	हानि			
	65.93	13714.73	8654	कुल			

(रु. करोड़ में)

2019-20

2018-19

6 खाते एवं 8397 गैर प्रतिभूति शिक्षा ऋण एनपीए खातों का पोर्टफोलियो

=		

13.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction A. Details of Sales

NO. Ņ 3 3 3 3 **Particulars** Aggregate gain/(loss) over net book value in earlier years Additional consideration realized in respect of accounts transferred Aggregate consideration Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC No. of accounts 6 accounts and portfolio of 8397 Unsecured Education Loan NPA Accounts 2019-20 303.77 213.79 92.44 2.46 (Rs. in Crore) 2018-19 355.75 851.23 495.48 12.99 =

B. Details of book Value of Investment in Security Receipt

**Particulars** 

2019-20

2018-19

(Rs. in Crore)

103.65

840.27

103.65

840.27

Total

underlying

ii) Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions /non-banking financial companies as

i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying

7			SI No.		
Figures)	Restructured Accounts as on March 31 of the 2019 (closing Figures)		Details	Asset Classification  Details	
Provision Thereon	Amount Outstanding	No. of Borrowers			Type of Restructuring
0.00	0.00	0	Stand	ard	_
0.02	13.49	1	Sub-s	tandard	nder C
13.75	4121.98	26	Doubt	ful	DR Me
0.00	0.00	0	Loss		Under CDR Mechanism
13.77	4135.47	27	Total		3
19.63	384.00	8404	Stand	ard	Unde
4.61	31.00	54	Sub-s	tandard	Under SME Debt Restructuring  Mechanism
0.17	349.62	49	Doubt	ful	1E Debt Res Mechanism
0.00	0.00	0	Loss		estruct
24.41	764.62	8507	Total		turing
11.02	447.11	6	Stand	ard	
0.19	1030.62	10	Sub-s	tandard	
16.54	7336.53	103	Doubt	ful	Others
0.00	0.38	1	Loss		
27.75	8814.64	120	Total		
30.65	831.11	8410	Stand	ard	
4.82	1075.11	65	Sub-s	tandard	
30.46	11808.13	178	Doubt	ful	Total
0.00	0.38	1	Loss		
65.93	13714.73	8654	Total		



# सी. सुरक्षा रसीद में निवेश के मूल्य पर अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पिछले 5 वर्षों में जारी की गई एसआर	पिछले 5 वर्षों के बाद लेकिन 8 वर्षों से पहले जारी की गई एसआर	8 वर्ष पहले जारी की गई एसआर
(i)	अंतर्निहित बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बुक वैल्यू	1125.69	1417.98	247.20
	(1)के प्रति प्रावधान	177.94	928.81	247.20
(ii)	अंतर्निहित के रूप में अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआरएस का बुक वैल्यू	0.00	0.00	0.00
	(2)के प्रति प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+ (ii)	1125.69	1417.98	247.20

# 13.4 अन्य बैंकों से क्रय/ विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों का विवरण 13.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(रु. करोड़

में)

विवरण	2019-20	2018-19
1 (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		
2 (क) वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		

# 13.4.2 विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
1. विक्रय किए गए खाते		
2. कुल बकाया		
3. प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल		

#### 13.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
मानक अस्तियों के प्रति प्रावधान	710.16*	554.47

<sup>\*</sup>मानक आस्ति प्रावधानों में कोविड 19 सामान्य प्रावधान हेतु रु.97.00 करोड़ (देशी – रु.95.00 करोड़ व विदेशी –रु.2.00 करोड़) शामिल हैं ।

# 14 कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	6.73%	7.04%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.30%	1.68%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.37%	2.00%
(iv)	अस्तियों से लाभ	-2.95%	-1.35%
(v)	कारोबार (जमाएँ व अग्रिम ) प्रति कर्मचारी (रु. करोडों में)	14.38	14.21
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड़ों में)	-0.3427	-0.1418



C. Additio	Additional Disclosure on book Value of Investment in Security Receipt			(Rs. In Crore)
S. NO.	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	1125.69	1417.98	247.20
	Provision held against (i)	177.94	928.81	247.20
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00

#### 13.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

#### 13.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in Crore)

247.20

Particulars	2019-20	2018-19
1 (a) No. of accounts purchased during the year		
(b) Aggregate outstanding		
2 (a) Of these, number of accounts restructured during the year		
(b) Aggregate outstanding		

Total (i)+ (ii)

1125.69

1417..98

#### 13.4.2 Details of non-performing financial assets sold:

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
1. No. of accounts sold		
2. Aggregate Outstanding		
3. Aggregate consideration received		

#### 13.5 Provisions on Standard Assets

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Provisions towards Standard Assets	710.16*	554.47

<sup>\*</sup>Standard Assets Provision is inclusive of Rs.97.00 crore (Domestic – Rs.95.00 crore and Overseas – Rs.2.00 crore) for COVID 19 General Provision.

#### **14 BUSINESS RATIOS**

S. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.73%	7.04%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.30%	1.68%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.37%	2.00%
(iv)	Return on Assets	-2.95%	-1.35%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in Crore)	14.38	14.21
(vi)	Profit per employee (Rs. in Crore)	-0.3427	-0.1418



# 15 आस्ति देयता प्रबंधन:

# 31 मार्च 2020 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान\*

# (रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा
		(सकल)	(सकल)		आस्तियाँ	देयताएँ
1 दिन	1 500.33	1 993.25	12 622.81	0.00	2 364.92	1 429.58
2 से 7 दिन	5 005.99	3 785.74	2 265.81	0.00	967.33	944.07
8 से 14 दिन	6 020.55	5 723.52	1 388.41	0.00	1 647.08	525.86
15 से 30 दिन	4 866.20	1 620.41	1 509.56	0.00	3 124.27	3 839.54
31 दिन से 2 महीने तक	8 922.35	6 003.71	2 245.16	0.00	5 719.01	3 828.42
2 महीने से 3 महीने तक	9 653.23	8 859.49	2 206.15	0.00	4 343.22	2 101.54
3 महीने से 6 महीने	23 439.55	13 211.16	5 650.09	366.96	3 082.44	6 710.14
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	38 205.59	21 988.76	10 492.19	1 112.00	1 611.58	2 615.36
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	32 327.57	46 419.53	12 136.51	1 086.25	1 148.82	643.02
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	7 139.03	9 240.00	2 435.40	0.00	490.15	951.14
5 वर्ष से अधिक	85 871.49	15 925.82	26 464.00	2 854.51	1 649.37	2 559.52
कुल	222 951.88	134 771.41	79 416.08	5 419.73	26 148.19	26 148.19

# 31 मार्च 2019 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान\*

# (रु. करोड़ में)

विवरण	जमाएँ	अग्रिम (सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1 दिन	2 201.91	2 516.38	4 859.36	0.51	3 386.23	1 022.49
2 से 7 दिन	5 773.99	3 362.01	2 300.80	6.27	1 146.81	660.25
8 से 14 दिन	5 533.43	5 219.13	1 273.15	0	405.25	396.96
15 से 30 दिन	5 214.26	4 310.35	1 264.56	0	1 998.57	2 183.21
31 दिन से 2 महीने तक	9 851.40	12 221.29	2 554.86	0	2 494.55	2 271.24
2 महीने से 3 महीने तक	8 115.85	14 416.58	3 037.08	0	1 317.83	999.07
3 महीने से 6 महीने	22 215.09	16 165.08	5 816.05	1 178.64	3 043.45	3 783.57
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	44 884.48	23 000.91	10 767.65	441.99	1 144.18	2 858.36
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	32 558.94	63 424.73	9 997.98	1 473.30	2 421.43	1 979.64
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	7 025.77	12 662.19	3 148.80	0	649.18	866.59
5 वर्ष से अधिक	79 158.96	22 011.79	21 911.99	3 045.32	1 350.30	2 336.40
कुल	222 534.08	179 310.44	66 932.28	6 146.03	19 357.78	19357.78

# \*प्रबंधन द्वारा संकलन व प्रमाणन के अनुसार



#### 15 ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

#### Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2020\*

(Rs. in Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	1 500.33	1 993.25	12 622.81	0.00	2 364.92	1 429.58
2 to 7 days	5 005.99	3 785.74	2 265.81	0.00	967.33	944.07
8 to 14 days	6 020.55	5 723.52	1 388.41	0.00	1 647.08	525.86
15 Days – 30 Days	4 866.20	1 620.41	1 509.56	0.00	3 124.27	3 839.54
31 Days – 2 Months	8 922.35	6 003.71	2 245.16	0.00	5 719.01	3 828.42
2 Months – 3 Months	9 653.23	8 859.49	2 206.15	0.00	4 343.22	2 101.54
3 Months – 6 Months	23 439.55	13 211.16	5 650.09	366.96	3 082.44	6 710.14
Over 6 Months & Upto 1 year	38 205.59	21 988.76	10 492.19	1 112.00	1 611.58	2 615.36
Over 1 year & up to 3 years	32 327.57	46 419.53	12 136.51	1 086.25	1 148.82	643.02
Over 3 years & up to 5 years	7 139.03	9 240.00	2 435.40	0.00	490.15	951.14
Over 5 years	85 871.49	15 925.82	26 464.00	2 854.51	1 649.37	2 559.52
Total	222 951.88	134 771.41	79 416.08	5 419.73	26 148.19	26 148.19

#### Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at March 31, 2019\*

(Rs. in Crore)

Particulars	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Net)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2 201.91	2 516.38	4 859.36	0.51	3 386.23	1 022.49
2 to 7 days	5 773.99	3 362.01	2 300.80	6.27	1 146.81	660.25
8 to 14 days	5 533.43	5 219.13	1 273.15	0	405.25	396.96
15 Days – 30 Days	5 214.26	4 310.35	1 264.56	0	1 998.57	2 183.21
31 Days – 2 Months	9 851.40	12 221.29	2 554.86	0	2 494.55	2 271.24
2 Months – 3 Months	8 115.85	14 416.58	3 037.08	0	1 317.83	999.07
3 Months – 6 Months	22 215.09	16 165.08	5 816.05	1 178.64	3 043.45	3 783.57
Over 6 Months & Upto 1 year	44 884.48	23 000.91	10 767.65	441.99	1 144.18	2 858.36
Over 1 year & up to 3 years	32 558.94	63 424.73	9 997.98	1 473.30	2 421.43	1 979.64
Over 3 years & up to 5 years	7 025.77	12 662.19	3 148.80	0	649.18	866.59
Over 5 years	79 158.96	22 011.79	21 911.99	3 045.32	1 350.30	2 336.40
Total	222 534.08	179 310.44	66 932.28	6 146.03	19 357.78	19357.78

<sup>\*</sup>As compiled and certified



#### १६ उधार

16.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण (रु. करोड़ में)

स्थावर संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण	30 171.38	27 990.68
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	4 819.00	3 588.20
आ) अप्रत्यक्ष ऋण	-	
वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु उद्देश्यीय  वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस	0.00	0.00
ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा-	2 881.74	2 148.37
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयिक्तक आवास ऋण	3 195.95	4 524.49
उधारकर्ता की उस रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जायेगा ।	10 981.43	10 165.23
i) रिहाइशी बंधक-	19 274.69	17 729.62
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
श्रेणी	2019-20	2018-19

# 16.2 पूँजी बाजार को ऋण जोखिम

विवरण	2019-20	2018-19
i) उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में नहीं किया गया है;	427.61	427.61
ii) शेयरों (आइपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईिकटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की ईकाईयों पर अग्रिम	0.27	0.27
iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडो की यूनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है	1.40	1.78
iv) प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईिकटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम;	665.01	732.79
v) स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ;	0.59	0.85
vi) डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के प्रति या निर्बन्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण;	0.00	0.00



#### 16 Exposures

#### 16.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in Crore)

Category	2019-20	2018-19
(a) Direct Exposure		
i) Residential Mortgages-		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	19 274.69	17 729.62
Out of which individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	10 981.43	10 165.23
ii) Commercial Real Estate-		
Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenated commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based(NFB) limits;	3 195.95	4 524.49
iii) Real estate other (Hotel, Hospital & liquirent not under CRE)	2 881.74	2 148.37
iv) Investments in mortgage backed securities (MBS) and other securitized exposures- a. Residential b. Commercial Real Estate c. other investment CIG Reality	0.00	0.00
(b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National	4.040.00	0.500.00
housing Bank(NHB) and Housing Finance companies(HFCs)	4 819.00	3 588.20
TOTAL EXPOSURE TO REAL ESTATE SECTOR	30 171.38	27 990.68

#### 16.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity- oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	427.61	427.61
ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.27	0.27
iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	1.40	1.78
iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. Where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	665.01	732.79
v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	0.59	0.85
vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00

<u>》</u>

vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii) शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंड की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	0.40	0.00
x) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही) के प्रति सभी ऋण	114.08	131.83
पूँजी बाजार को कुल उधार	1209.36	1 295.13

#### 16.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण :

(रु. करोड़ में)

जोखिम वर्ग *	31.03.2020 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2020 तक धारित प्रावधान	31.03.2019 तक (निवल) अग्रिम	31.03.2019 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	11862.41	9.16	9 966.76	
कम	7658.45		4 982.52	
सामान्य रूप से कम	81.81		64.99	
सामान्य	317.66		293.16	
सामान्य रूप से उच्च	1.71		10.03	
उच्च	0			
उच्चतर	0			
कुल	19 922.04	9.16	15 317.46	

<sup>\*</sup>वैसे समय तक , जब बैंक आंतरिक रेटिंग व्यवस्था से आगे बढ़ते हैं , बैंक देश जोखिम एक्सपोज़र के वर्गीकरण करने एवं प्रावधान बनाने हेतु ईसीजीसी द्वारा अपनाए जा रहे सात श्रेणी वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं । ईसीजीसी द्वारा बैंकों को उनके देश वर्गीकरण की तिमाही अपडेट अनुरोध किए जाने पर प्रदान कर सकता है और अंतरिम अविध के दौरान देश वर्गीकरण में अचानक हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना दे सकता है।

# 16.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा(जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है:

बैंक ने नीचे दिए गए मामलों में आरबीआइ द्वारा निर्धारित विवेकाधीन सीमा से अधिक एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र लिया था :

2019-20

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2020 तक के लिए बकाये की स्थिति
1.	अर्माडा 98/2 प्रा. लि. शाखा सिंगापुर *	रु. 302.66 करोड़ (यूएसडी40 मियो) एसबीएल	रु. 378.33 करोड़ (यूएसडी 50 मियो)	12.09.2019 से 31.03.2020	04.11.2019 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	शून्य

<sup>\*</sup>कंपनी द्वारा सीमा का लाभ उठाया जाना है।



vii) bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix) financing to stock brokers for margin trading;	0.40	0.00
x) all exposures to venture Capital Funds (both registered and unregistered and commitment charges)	114.08	131.83
TOTAL EXPOSURE TO CAPITAL MARKET	1209.36	1295.13

### 16.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs. in Crore)

Risk Category*	Exposure (net) as at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020	Exposure (net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019
Insignificant	11 862.41	9.16	9 966.76	
Low	7 658.45		4 982.52	
Moderately Low	81.81		64.99	
Moderate	317.66		293.16	
Moderately High	1.71		10.03	
High	0			
Very High	0			
Total	19 922.04	9.16	15 317.46	

<sup>\*</sup>Till such time, as Banks move over to internal ratings systems, Banks may use the seven category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd., (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to Banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all Banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

### 16.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

The bank had taken single/group borrower exposure in excess of prudential limit prescribed by RBI in the cases given below:

2019-20 (Rs. In Crore)

SL No	Name of the borrower	Exposure Ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Board ratification details	Position as on 31.03.2020 outstanding
1.	Armada 98/2 Pte Ltd Branch Singapore *	INR 302.66 Crore (USD 40 Mio) SBL	INR 378.33 Crore (USD 50 Mio)	12.09.2019 To 31.03.2020	Ratified by Board on 04.11.2019	Nil

<sup>\*</sup>The limit is yet to be availed by the company.



### **2018 -19** (रु. करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूर की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन हुआ	बोर्ड की संपुष्टि के विवरण	31.03.2019 तक के लिए बकाये की स्थिति
1	ट्विन स्टार होल्डिंग्स लि.	276.62	414.93	01.04.2018से 18.03.2019 तक	05.12.2014 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	207.47
2	टीसीआइ संनमार कैमिकल एस.ए.ए.	276.62	764.16	01.04.2018 से 04.02.2019 तक	29.05.2018 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	257.05
3	स्वेतारण्य होल्डिंग प्रा. लि.	276.62	318.11	01.04.2018 से 28.09.2018 तक	29.01.2018 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	253.63
4	जेवीएफ पैट्रो- कैमिक्लस लि.	276.62	385.68	01.04.2018 से 15.11.2018 तक	16.04.2013 बोर्ड द्वारा संपुष्ट	

### 16.5 अप्रतिभूत अग्रिम

विवरण	2019-20	2018-19
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल रकम जैसे अधिकार, लाइसेंस प्राधिकार पर किए गए	4 753.03	4 592.21
प्रभार आदि		
ऐसी अमूर्त संपार्श्विकों का आकलित मूल्य	4 753.03	4 592.21

### 17 लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

(रु. करोड़ में)

	·	
विवरण	2019-20	2018-19
आरबीआइ द्वारा लगाए गए दंड	2.50	4.50
सेबी/ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए दंड		0.0020
अन्य दंड	0.1370*	

\*अन्य दंडों में फेमा अधिनियम की धारा 11(3) के तहत लगाए गए रु.0.033 करोड़ व पीएमएलए अधिनियम के तहत लगाए गए रु. 0.104 करोड़ का दंड शामिल है ।

### 18. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### 18.1 लेखांकन मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि , पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी को उन्हीं लेखांकन नीतियों व पॉलिसियों के आधार पर तैयार किया गया है जिनका पालन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया था।

18.2 लेखांकन मानक ९ – राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसी – अनुसूची 17 में मद सं. 2 में वर्णितानुसार राजस्व को मान्यता दी गयी है।

### 18.3 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ

- i. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है।
- ii. लेखांकन मानक-15 (परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन-उत्तर लाभों और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की स्थिति का सारांश निम्नवत है:



### 2018-19 (Rs. In Crore)

SL	Name of the	Exposure	Limit	Period during	Board	Position as
No	borrower	Ceiling	sanctioned	which limit	ratification	on 31.03.2020
				exceeded	details	outstanding
	Twin Star Holdings			01.04.2018 to	Ratified by Board	
1.	Ltd.	276.62	414.93	18.03.2019	on 05.12.2014	207.47
	TOL 0					
2	TCI Sanmar	276.62	764.16	01.04.2018 to	Ratified by Board	257.05
	Chemicals S.A.E.	270.02	764.16	04.02.2019	on 29.05.2018	257.05
	Swetharanya			01.04.0019.+0	Patified by Poord	
3	Holdings Pvt. Ltd.	276.62	318.11	01.04.2018 to	Ratified by Board	253.63
				28.09.2018	on 29.01.2018	
	JBF			04 04 00401	D 177 11 D 1	
4	Petrochemicals	276.62	385.68	01.04.2018 to	Ratified by Board	
	Limited			15.11.2018	on 16.04.2013	

### 16.5 Unsecured Advances

(Rs. In Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licenses authority, etc., has been taken	4 753.03	4 592.21
Estimated value of such intangible collateral	4 753.03	4 592.21

### 17 Disclosure of Penalties imposed

(Rs. In Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Penalties imposed by RBI	2.50	4.50
Penalties imposed by SEBI / stock exchanges		0.0020
Other Penalties	0.1370*	

<sup>\*</sup>The other penalties includes Rs.0.033 crores under Section 11(3) of FEMA Act and of Rs. 0.104 crores under Section13 of PMLA Act.

### **DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS**

### 18.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

The financial statements have been prepared following the same accounting policies and practices as those followed for the year ended March 31, 2019.

- 18.2 Accounting Standard 9 Revenue Recognition
  - Revenue has been recognized as described in item No. 2 of Significant Accounting Policies Schedule 17.
- 18.3 Accounting Standard 15 Employee Benefits
  - i. The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.
  - ii. The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss

    Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard 15 (Revised) are as under: -



### (क) परिभाषित लाभ योजनाएँ

### बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
Iddtol	2020	2019	2020	2019	2020	2019
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का	0.625.72	0.350.04	1 272 74	1 470 44	472.40	46430
वर्तमान मूल्य	8 625.72	8 258.94	1 372.74	1 472.41	473.49	464.20
ब्याज लागत	635.53	609.74	98.18	105.40	32.72	32.63
वर्तमान सेवा लागत	225.01	163.02	59.40	65.59	36.05	34.35
प्रदत्त लाभ	(808.21)	(742.00)	(215.00)	(217.89)	(100.33)	(87.41)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान /	430.22	226.01	(200 (5)	(52.77)	62.04	20.71
(लाभ)	430.22	336.01	(296.65)	(52.77)	62.04	29.71
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	9 108.28	8 625.72	1 018.68	1 372.74	503.96	473.49

### (ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
Iddeol	2020	2019	2020	2019	2020	2019
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का	8 625.26	8 253.78	1 487.79	1 472.41		
उचित मूल्य						
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	701.70	689.94	107.11	120.80		
नियोक्ता का अंशदान	557.48	467.65		115.06	100.33	87.41
प्रदत्त लाभ	(808.21)	(742.00)	(215.00)	(217.89)	100.33	87.41
बाध्यताओं पर वास्तविक (नुकसान)	32.05	(44.11)	20.96	(2.59)		
/ लाभ						
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का	9 108.28	8 625.26	1 400.86	1 487.79		
उचित मूल्य						
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता						

### (ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (	निधिक)	ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
विवरण	2020	2019	2020	2019	2020	2019
वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का	9 108.28	8 625.72	1 018.67	1 372.74	503.96	473.49
अनुमानित वर्तमान मूल्य						
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का	9 108.28	8 625.26	1 400.86	1 487.79		
उचित मूल्य						
तुलन पत्र में पहचानी गई अनिधिक		0.46			503.96	473.49
निवल देयता						
तुलन पत्र में पहचानी गई निधिक			382.18	115.05		
निवल देयता						

### (घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (र्1	निधिक)	ग्रैच्युटी	(निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
वर्तमान सेवा लागत	225.02	163.02	59.40	65.59	36.05	34.35	
ब्याज लागत	635.53	609.74	98.18	105.40	32.72	32.63	



### (a) Defined Benefit Schemes:

### Changes in the present value of the obligations

(Rs. In Crore)

Particulars	PENS (Fund		GRAT	TUITY ded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)		
	2020	2020 2019 2020 2019		2020	2019		
Present Value of obligation as at the beginning of the year	8 625.72	8 258.94	1 372.74	1 472.41	473.49	464.20	
Interest Cost	635.53	609.74	98.18	105.40	32.72	32.63	
Current Service Cost	225.01	163.02	59.40	65.59	36.05	34.35	
Benefits Paid	(808.21)	(742.00)	(215.00)	(217.89)	(100.33)	(87.41)	
Actuarial loss/(gain) on Obligations	430.22	336.01	(296.65)	(52.77)	62.04	29.71	
Present Value of Obligation at year end	9 108.28	8 625.72	1 018.68	1 372.74	503.96	473.49	

### (b) Change in Fair Value of Plan Asset

(Rs. In Crore)

Particulars	PENSION	(Funded)	GRATUITY	(Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Fair Value of Plan Assets at the	8 625.26	8 253.78	1 487.79	1 472.41			
beginning of the year	0 025.20	0 233.70	1 407.79	1 472.41			
Expected return on Plan As-	701 70	690.04	107.11	100.00			
sets	701.70	689.94	107.11	120.80			
Employer's contribution	557.48	467.65		115.06	100.33	87.41	
Benefit Paid	(808.21)	(742.00)	(215.00)	(217.89)	100.33	87.41	
Actuarial gain/(loss) on Obli-	20.05	(44.11)	20.06	(0.50)			
gations	32.05	(44.11)	20.96	(2.59)			
Fair Value of Plan Asset at the	0.100.00	0.605.06	1 400 96	1 407 70			
end of the year	9 108.28	8 625.26	1 400.86	1 487.79			
Unfunded Transitional Liability							

### (c) Amount recognized in Balance Sheet

(Rs. In Crore)

	PENSION	I (Funded)	GRATUIT	(Funded)	LEAVE ENCASHMENT		
Particulars					(Un F	unded)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
Estimated Present value of	9 108.28	8 625.72	1 018.67	1 372.74	503.96	473.49	
obligations as at the end of							
the year							
Actual Fair value of Plan As-	9 108.28	8 625.26	1 400.86	1 487.79			
sets as at the end of the year							
Unfunded Net Liability recog-		0.46			503.96	473.49	
nized in Balance Sheet							
Funded Net Assets to be rec-			382.18	115.05			
ognized in Balance Sheet							

### (d) Expenses Recognized in Profit & Loss

(Rs. In Crore)

PENSION (Funded) Particulars		GRAT (Fund		LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Current Service Cost	225.02	163.02	59.40	65.59	36.05	34.35
Interest Cost	635.53	609.74	98.18	105.40	32.72	32.63

Ì

योजना आस्ति पर अनुमानित	(701.70)	(689.94)	(107.11)	(120.80)		
लाभ						
वर्ष में पहचाना गया निवल	398.17	380.13	(317.61)	(50.18)	62.04	29.71
बीमांकिक (लाभ) / हानि						
लाभ व हानि खाते में प्रभारित	557.02	462.95	(267.14)		130.81	96.69
करने योग्य कुल व्यय						
।। पेंशन विकल्पियों / पीएफ में	लागू नहीं					
नियोक्ता के अंशदान से प्राप्त						
रकम						

### (ड़्) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतताः

### (आंकडे %में)

विवरण	पेंशन	। न्यास	ग्रैच्युटी न्यास		
Iqqto	2020	2020 2019		2019	
क ) ऋण लिखतें					
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	2.59	1.21	8.33	2.17	
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	3.52	2.97	33.97	41.06	
पीएसयु / पीएफआइ/कार्पोरेट बाँडों में निवेश	5.55	8.26	15.99	13.99	
अन्य निवेश	87.91	87.45	40.25	41.96	
ख ) ईक्विटी लिखतें	0.43	0.11	1.46	0.82	

नोट : मौजूदा वर्ष से , बीमा में निवेश को अन्य निवेशों में शामिल किया गया है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 हेतु निवेशों की प्रतिशतता को ,बीमा में निवेश को शामिल करने के पश्चात, पुनर्वर्णित किया गया है ।

### (च) तुलन-पत्र की तारीख तक मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

### (आंकडे %में)

विवरण	पेंशन	(निधिक)	ग्रैच्युटी	(निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)		
199१ण	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
बट्टा दर	6.81	7.54	6.82	7.76	6.82	7.76	
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	8.25	8.00	7.76	8.50			
दर							
वेतन वृद्धि की प्रत्याशित दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
अपनायी गयी प्रक्रिया	"अनुमानित" यूनिट क्रेडिट		"अनुमानित" यूनिट क्रेडिट		"अनुमानित" यूनिट क्रेडिट		

### (जी ) अनुभवगत समंजन (रु. करोड़ में)

	पेंशन (निधिक)			ग्रैच्युटी (निधिक)				अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)							
विवरण	2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(32.05)	44.11	(3.09)	(139.69)	85.42	(20.96)	2.59	(13.50)	(62.79)	10.14	1	1	1	1	
योजना देयताओं पर अनुभवगत समंजन (हानि) / लाभ	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(657.80)	(907.77)	356.18	52.77	(172.84)	(202.74)	(130.80)	18.52	29.71	23.89	67.62	53.44

बीमांकक मूल्यांकन के तहत भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ,मुद्रास्फीति,वरीयता,पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों यथा कर्मचारी बाज़ार में माँग व आपूर्ति को हिसाब में लिया गया है।

विदेशी शाखाओं के संबंध में, कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के अभाव में यह नहीं है।



Expected return on Plan Asset	(701.70)	(689.94)	(107.11)	(120.80)		
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	398.17	380.13	(317.61)	(50.18)	62.04	29.71
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	557.02	462.95	(267.14)		130.81	96.69
Amount received from II Pension optees/ employer's contribution of PF	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

### (e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

(Figures in %)

Particulars	Pensio	on Trust	Gratuity Trust					
Faiticulais	2020	2019	2020	2019				
a) Debt Instruments								
Central Government Securities	2.59	1.21	8.33	2.17				
State Government Securities	3.52	2.97	33.97	41.06				
Investment in PSU /PFI / Corporate Bonds	5.55	8.26	15.99	13.99				
Other Investments	87.91	87.45	40.25	41.96				
b) Equity Instruments	0.43	0.11	1.46	0.82				

Note: From the current year, investment in Insurance is included under Other Investments. Accordingly, the percentage of investments made for FY 18-19 after inclusion of investment in insurance is restated.

### (f) Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

(Figures in %)

	PEN:	SION	GRA <sup>*</sup>	TUITY	LEAVE EN	CASHMENT
Particulars	(Fun	ded)	(Fur	nded)	(Unfu	ınded)
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Discount Rate	6.81	7.54	6.82	7.76	6.82	7.76
Expected rate of return on	8.25	8.00	7.76	8.50		
Plan Assets						
Expected Rate of Salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
increase						
Method used	Projected	unit credit	Projected	unit credit	Projected	unit credit

### (g) Experience Adjustments

(Rs. In Crore)

Particulars		-	ENSIC Funde					RATUIT	-		L		NCASI nfunded		-
T distinction	2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016	2020	2019	2018	2017	2016
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	(32.05)	44.11	(3.09)	(139.69)	85.42	(20.96)	2.59	(13.50)	(62.79)	10.14	1	1	1	1	-
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	(430.22)	(336.01)	(595.21)	(657.80)	(77.77)	356.18	52.77	(172.84)	(202.74)	(130.80)	18.52	29.71	23.89	67.62	53.44

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

## (ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर : बट्टा दर को मूल्पांकन की तारीख (तुलन - पत्र दिनांकित 31.03.2020) सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

परिदृश्य के कारण आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। प्रत्याशित वापसी दर: अस्तियों पर कुल मिलाकर प्रत्याशित लाभ दर उस तिथि पर प्रचलित बाजार मूल्य पर तय की जाती है, जिस अवधि में लागू तिथि पर दायित्वों का निपटारा किया जाना है। सुधरे हुए स्टॉक बाजार

अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रैच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.230 करोड़ है

## 18.4 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

अन्य बैंकिंग परिचालनों मे वर्गीकृत किया है। खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व 🏻 बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री , कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रीटेल बैंकिंग 🔻 व

### भाग ए : कारोबार खण्ड

(रु. करोड़ों में)

(रु. करोड़ में)										भाग ख - भौगोलिक खण्ड
233 648.48	244 571.86									कुल देयताएं
56.16	43.39									अनाबंटित देयताएं
233 592.32	244 528.47	355.19	564.20	72 628.01	74 848.05	85 308.73	77 989.56	75 300.39	91 126.66	खण्डवार देयताएँ
250 008.37	260 726.83									कुल अस्तियाँ
9 599.69	9 668.77									अनाबंटित अस्तियाँ
240 408.68	251 058.06	159.78	514.58	74 799.78	76 560.54	87 936.05	80 055.73	77 513.07	93 927.21	खण्डवार अस्तियाँ
										अन्य सूचना
(3 737.88)	(8 527.40)									निवल लाभ
0.00	0.00									असाधारण लाभ / हानि
10 994.42	11 878.16									प्रावधान व आकस्मिकताएँ
(2 222.67)	182.92									आय कर
5 033.87	3 533.68									🔪 परिचालनगत लाभ/हानि
11.33	1.23									अनाबंटित व्यय
468.42	66.71									अनाबंटित आय
4 576.75	3 468.20	335.78	333.87	2 650.51	2 102.04	135.11	(126.48)	1 455.35	1 158.77	परिणाम
21 369.18	20 699.09	404.27	435.14	7 417.75	7 134.24	7 019.45	6 491.21*	6 527.71	6 638.50	राजस्व
2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	विवरण
7	कुल	परिचालन	अन्य बैंकिंग परिचालन	र्गेंकिंग 	रीटेल बैंकिंग	ोक बैंकिंग	कापरिट / थोक बैंकिंग	होष	राजकोष	कारोबार खण्ड

विवरण

缩

2019-20

2018-19 571.02 अंतरराष्ट्रीय

ঞ্চুত্ৰ

राजस्व आस्तियाँ

2019-20 20 319.18 254 628.77

2018-19 21 266.56 238 395.18

446.61 6 098.06

11 613.18

2019-20 20 765.79 260 726.83

2018-19 21 837.58 250 008.36

184

# h) The financial assumptions considered for the calculations are as under: -

Discount Rate: The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation (Balance sheet dated 31.03.2020)

Expected Rate of Return: The Overall expected rate of return on assets is determined based on the market prices prevailing on that date applicable to the period over which the obligation is to be settled. There has been significant change in expected rate of return on assets due to the improved stock market scenario.

Bank's best estimate expected to be paid in next Financial Year for Gratuity is Rs. 230 Crore.

## 18.4 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations. The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into

### Part A: Business Segments

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury	sury	Corporate / Wholesale Banking	Wholesale ting	Retail Banking	anking	Other Banking Operations	g Operations		TOTAL
Particulars	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	
Revenue	6 638.50	6 527.71	6 491.21*	7 019.45	7 134.24	7 417.75	435.14	404.27	20 699.09	
Result	1 158.77	1 455.35	(126.48)	135.11	2 102.04	2 650.51	333.87	335.78	3 468.20	
Unallocated Income									66.71	
Unallocated Expenses									1.23	
Operating Profit/Loss									3 533.68	
Income Taxes									182.92	
Provisions & Contingencies									11 878.16	
Extraordinary profit / loss									0.00	
Net Profit									(8 527.40)	
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	93 927.21	77 513.07	80 055.73	87 936.05	76 560.54	74 799.78	514.58	159.78	251 058.06	
Unallocated Assets									9 668.77	
Total assets									260 726.83	
Segment Liabilities	91 126.66	75 300.39	77 989.56	85 308.73	74 848.05	72 628.01	564.20	355.19	244 528.47	
Unallocated Liabilities									43.39	
Total Liabilities									244 571.86	
Part B – Geographic segments										

### Part B - Geographic segments

	Domestic	stic	Internationa	ational	Total	tal
Particulars	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Revenue	20 319.18	21 266.56	446.61	571.02	20 765.79	21 837.58
Assets	254 628.77	238 395.18	6 098.06	11 613.18	260 726.83	250 008.36

विवरण निम्नवत है : 18.5 लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण ( प्रबन्धन द्वारा समेकन व प्रमाणन के अनुसार ) \* इसमें विदेशी शाखा से संबंधित निवल निवेश के निपटान पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त विनिमय अधिमान के उपलक्ष्य पर रु.53.31 करोड़ का असाधारण आय शामिल है ।

ए) संबंधित पार्टियों का नाम व उनके संबंध, क) एसोसियेट्स – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1. ओडिसा ग्राम्य बैंक

ख) संयुक्त उद्यम : इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बईद लिमिटेड

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक : 1. श्री कर्नम शेखर , प्रबंध निदेशक व सीईओ

2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , कार्यपालक निदेशक

		ण्सोसिएटस/संयक्त उद्यम**	대	TI**		मख्य प्रबंधन कार्मिक	न कार्मिक	91		मख्य प्रबंधन का	कार्मिक के रिश्तेदार	जित्तार 		Ol	क्ष	
		2019-20	2	2018-19		2019-20	20	2018-19			2	2018-19	2	2019-20		2018-19
	क्रो	– के नम		14	क्रो	– के नम		– के नम	क्रो	– के नम			क्रो	के	को	के
मदें/ संबंधित पार्टी	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम् शेष राशि	31.03.20219 के बकाया	01.04.2018 – 31.03.2019 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम् शेष राशि	31.03.20219 क बकाया	01.04.2018 — 31.03.2019 के दौरान अधिकतम् शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम शेष राशि	31.03.20219 क बकाया	01.04.2018 — 31.03.2019 के दौरान अधिकतम् शेष राशि	31.03.2020 को बकाया	01.04.2019 – 31.03.2020 के दौरान अधिकतम् शेष राशि	31.03.20219 क बकाया	01.04.2018 – 31.03.2019 के दौरान अधिकतम शेष राशि
उधार	0.0000	123.3400	1935.0000	2698.6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	123.3400	1935.0000	2698.6200
जमाएं	211.4000	226.8700	78.1700	145.2500	0.0589	0.2484	0.2239	0.3811	0.0948	0.0948	0.2241	0.2249	211.5537	227.2132	78.6180	145.8850
निवेश	470.8249#	470.8249#	430.1849	430.1849	0.0223	0.0634	0.0634	0.6450	0		0		470.8472	470.8472	470.2483	470.2483
अग्रिम	0.0000	0.0000	1150.0000	1250.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	1150.0000	1250.0000
वर्ष के दौरान लेन-देन		2019-20	2	2018-19		2019-20	20	2018-19		2019-20	N	2018-19	N	2019-20	2018-19	8-19
निश्चित संपत्तियों की खरीद		0		0		0		0		0		0		0		0
अदा किया गया ब्याज		0.4500	_	106.41		0.0090	0	0.024		0.006		0	0	0.4650	106.	106.434
प्राप्त ब्याज		3.8100	5	54.7700		0.0014	0	0.0182		0.0031		0.0116		3.8145	54.7	54.7999
# निवेश राशि में ओडिशा ग्राम्य बैंक में निवेश किए गए रु.40.64 करोड शामिल	बैंक मे	निवेश किए ग	전정.4	0.64 करोड	쐽	ल है जो कि अ	रअरर्ब	है जो कि आरआरबी शेयर पूँजी में धारित है	नें धारित	[황						

(रु. करोड़ में)

\*Includes Rs.53.31 crores being Extraordinary Income on account of Exchange Differences recognized as Income on disposal of Net Investment in respect of one of the Foreign

The details are as follows: 18.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures (as compiled & certified by Management)

Name of the Related Parties and their relationship:

Odisha Gramya Bank

Associates - Regional Rural Banks:

Joint Venture: India International Bank (Malaysia) Berhad Ltd. Key Management Personnel:

Shri Karnam Sekar, Managing Director and CEO

Shri Ajay Kumar Srivastava, Executive Director

	Þ	Associates */Joint Ventures**	int Ve	ntures**		Key Management Personne	ent Pers	onnel	Rela	Relatives of Key Management Personnel	nagemei	nt Personnel		Total	<u>a</u>	
		2019-20		2018-19		2019-20	2	018-19		2019-20	N	018-19	N	2019-20		
Items / Related Party	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020	Balance as on 31.03.2019	Maximum Balance during the period 1.04.2018 – 31.03.2019	Balance as on 31.03.2020	Maximum Balance during the period 1.04.2019 – 31.03.2020	Balance as on 31.03.2019	
Borrowings	0.0000	123.3400	1935.0000	2698.6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	123.3400	1935.0000	
Deposits	211.4000	226.8700	78.1700	145.2500	0.0589	0.2484	0.2239	0.3811	0.0948	0.0948	0.2241	0.2249	211.5537	227.2132	78.6180	
Investment	470.8249#	470.8249#	430.1849	430.1849	0.0223	0.0634	0.0634	0.6450	0		0		470.8472	470.8472	470.2483	
Advances	0.0000	0.0000	1150.0000	1250.0000	0.0000	0	0	0	0	0	0	0	0.0000	0.0000	1150.0000	
Transactions during the year		2019-20		2018-19		2019-20	2	2018-19		2019-20	N	2018-19	N	2019-20	21	2018-19
Purchase of fixed assets		0		0		0		0		0		0		0		0
Interest paid		0.4500		106.41		0.0090		0.024		0.006		0		0.4650	1	106.434
Interest received		3.8100		54.7700		0.0014		0.0182		0.0031		0.0116		3.8145	54.7999	4-
# Investment Amount includes Rs.40.64 crore in Odisha Gramya Bank held in RRB Share Capital Money Pending for Allotm	Rs.40	.64 crore in C	)disha	a Gramya Ban	ık hel	d in RRB Shar	e Capita	ત્રી Money Pen	ding f	or Allotment A/C	Ċ					

(Rs. In Crore)



### आइआइबीएम के निवेशकों का विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री. संथानम वंगल जगन्नाथन	अध्यक्ष व स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
2.	श्री. दातुक भूपतराय ए/ श्री.आइ मकसुखलाल प्रेमजी	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक
3.	श्री. गोह चिंग ची	स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक

### 2018-19 व 2019-20 के दौरान पूर्वकालिक निदेशकों को वेतन और प्रदर्शन प्रोत्साहन का विवरण:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2019-20)	पारिश्रमिक* राशि (रु.) (2018-19)
1.	श्री. आर सुब्रमण्यकुमार	पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	7,74,345.00**	30,74,904.00
2.	श्री कर्नम शेखर	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी	31,70,352.00	
3.	श्री. के स्वामिनाथन	पूर्व कार्यपालक निदेशक	25,13,749.24**	25,83,453.00
4.	श्री. अजय कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालक निदेशक	28,27,143.00	25,81,467.00

\*पारिश्रमिक में वेतन व भत्ते, वेतन बकाया, निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि, छुट्टी भुनाई बकाया और ग्रैच्युटी बकाया शामिल हैं । \*\*वर्ष का भाग

### 18.6 लेखांकन मानक 20-प्रति शेयर आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु. करोड़ों में )	(8 527.40)	(3 737.88)
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	10,675,590,332	5,474,928,289
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	Rs.(7.99)	Rs.(6.83)
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	Rs.10.00	Rs.10.00

### 18.7 लेखांकन मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) और लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशके लिए लेखांकन चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

18.8 लेखांकन मानक 22: आय पर करों के लिए लेखांकन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03	3.2020	31.03	.2019
Iddio	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	66.15		85.03	
धोखाधड़ियों के लिए प्रावधान	231.42		165.44	
अन्य सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	164.61		44.73	
पुन: संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान	29.78		27.94	
प्रथिककरण के लिए प्रावधान	17.82		51.93	
विशेष आरक्षितियाँ	0.00		1.23	



### The details of the Directors of IIBM

S.No.	Name	Designation
1.	Mr. Santhanam Vangal Jagannathan	Chairman and Independent Non-Executive Director
2.	Datuk Bhupatrai a/l Mansukhlal Premji	Independent Non-Executive Director
3.	Mr. Goh Ching Chee	Independent Non-Executive Director

### Details of Salary and Performance Incentive paid to Whole Time Directors during the year 2018-19 and 2019-20:

SI. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2019-20)	Remuneration* Amount (Rs.) (2018-19)
1.	Shri R SubramaniaKumar	Ex - Managing Director &	7,74,345.00**	30,74,904.00
		Chief Executive Officer		
2.	Shri Karnam Sekar	Managing Director & Chief	31,70,352.00	
۷.	Sili Kamam Sekai	Executive Officer	31,70,332.00	
3.	Shri K Swaminathan	Ex - Executive Director	25,13,749.24**	25,83,453.00
4.	Shri Ajay Kumar Srivastava	Executive Director	28,27,143.00	25,81,467.00

<sup>\*</sup>Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

### 18.6 Accounting Standard 20 – Earnings per Share

Particulars	2019-20	2018-19
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders (Rs. in Crore)	(8 527.40)	(3 737.88)
Weighted Average Number of Equity Shares	10,675,590,332	5,474,928,289
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.(7.99)	Rs.(6.83)
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

### 18.7 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

### 18.8 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

(Rs. in Crore)

Particulars	31.03	31.03.2020		.2019
Particulars	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Fixed Assets	66.15		85.03	
Provision for Employee Benefits	231.42		165.44	
Provision for Frauds	164.61		44.73	
Provision for Other Assets	29.78		27.94	
Provision for Restructured Advances	17.82		51.93	
Reserve for Severance Pay	0.00		1.23	

<sup>\*\*</sup>Part of the year



एनपीए के लिए प्रावधान	5 673.93		5 439.10	
विदेशी मुद्रा अंतरण के लिए प्रावधान		76.03	375.12	
अन्य	249.94	72.22	264.24	
कुल	6 433.65	148.25	6 454.76	0.00
निवल डीटीएल	6 285.40		6 454.76	

### 18.9 लेखांकन मानक 26 – अमूर्त आस्तियाँ

कोर बैंकिंग सिस्टम के लिए अधिप्रहित सॉफ्टवेयर को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जाता है।

### 18.10 लेखांकन मानक 27 -संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में हमारे बैंक ने (35% हिस्से के साथ) बैंक ऑफ बड़ौदा (40%) और आंध्र बैंक (25%) के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं । इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद (आइआइबीएम) नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया जिसकी प्रधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500 मियो । (संयुक्त उद्यम का पेडअप कैपिटल एमवाईआर 330 मियो है) इस समनुदेशित पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% -115.500 मियो एमवाइआर है । संयुक्त उद्यम का परिचालन 11.07.2012 से आरंभ हुआ।

31.03.2020 को संयुक्त उद्यम ने बैंक का निवेश मूल्य बही के अनुसार रु.193.44 करोड़ (मूल निवेश मूल्य रु. 199.58 करोड़ है, जो कि रु. 6.14 करोड़ राशि के निवेश के मूल्यों तक कम किया गया है) है।

### 18.11 लेखांकन मानक 28 - अस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को कॉर्पोरेट आस्तियाँ माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस -28 में दिए गए परिभाषा के अनुसार यह नकदी सृजन इकाई नहीं है। प्रबन्धन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति को क्षति नहीं हुई है।

### 18.12 लेखांकन मानक 29 –आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है ।

### 19 अतिरिक्त प्रकटीकरण

19.1 जमाओं , अग्रिमों , उधारों व अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

### 19.1.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	12 414.27	22 665.71
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	5.57%	10.19%

### 19.1.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण (उधार एक्सपोज़र व्युत्पन्नों सहित)

(रु. करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त कुल अग्रिम	14 944.73	23 057.11
बैंक के कुल अग्निमों की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्निमों का प्रतिशत	11.09%	15.17%

19.1.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण (उधार और निवेश एक्सपोज़र )

(रु. करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	25 906.85	24 821.13
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं /ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र का प्रतिशत	10.84%	10.12%

### 19.1.4 अनर्जक आस्तियों का केंद्रीकरण

(रु. करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
उच्च चार अनर्जक खातों से संबंधित कुल एक्सपोज़र	4 570.30	4 569.12

190



Provision for NPA	5 673.93		5 439.10	
Foreign Currency Translation Reserve		76.03	375.12	
Others	249.94	72.22	264.24	
Total	6 433.65	148.25	6 454.76	0.00
Net DTL /DTA	6 285.40		6 454.76	

### 18.9 Accounting Standard 26 - Intangible Assets

The software acquired for core banking system is treated as intangible asset and amortized over a period of 3 years.

### 18.10 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Bank (with 35% share) has floated a Joint Venture at Malaysia along with Bank of Baroda (40%) and Andhra Bank (25%) by name INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD (IIBM). IIBM has an Authorized Capital of MYR 500 Mio. The Joint Venture's Paid up Capital is MYR 330 Mio. (previous year MYR 330 Mio.) Bank's share in the Assigned up Capital is 35% - MYR 115.500 Mio. The Joint Venture commenced operation on 11.07.2012.

As on 31.03.2020, Bank's investment value in the Joint Venture as per the books stands at Rs.193.44 Crore (Original Investment value Rs.199.58 Crores as reduced by Diminution in Value of Investments amounting to Rs.6.14 crore).

### 18.11 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

### 18.12 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

### 19 Additional Disclosures

### 19.1 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

### 19.1.1 Concentration of Deposits

(Rs. in Crore)

		(110. 111 01010)
Particulars	2019-20	2018-19
Total Deposits of twenty largest depositors	12 414.27	22 665.71
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	5.57%	10.19%

### 19.1.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives)

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Advances to twenty largest borrowers	14 944.73	23 057.11
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.09%	15.17%

### 19.1.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure)

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	25 906.85	24 821.13
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	10.84%	10.12%

### 19.1.4 Concentration of NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Exposure to top four NPA accounts	4 570.30	4 569.12



### 19.1.5 प्रवर्ग –वार अग्रिम/ अनर्जक आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

			2019-20			2018-19	
क्र.सं.	क्षेत्र	कुल अग्रिमों का बकाया	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता	कुल अग्रिमों का बकाया	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए की प्रतिशतता
अ.	प्राथमिक क्षेत्र				l .	Į.	
1.	कृषि व सम्बन्धित गति- विधियाँ	29 166.70	2 424.92	8.31	33 352.67	3 649.18	10.94
2.	प्राथमिक क्षेत्र उधार के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	13 120.27	1 907.72	14.54	18 352.47	2 991.13	16.30
3.	सेवाएं	12 867.57	1 382.66	10.75	14 811.43	2 029.24	13.70
4.	वैयिक्तक ऋण	12 578.93	520.56	4.14	12 740.20	493.12	3.87
	कुल (अ)	67 733.47	6 235.86	9.21	79 256.77	9 162.67	11.56
आ	गैर प्राथमिक क्षेत्र						
1.	कृषि व सम्बन्धित गति- विधियाँ	2 364.50	2.75	0.12	1 135.13	137.95	12.15
2.	उद्योग	26 001.53	11 678.63	44.92	39 532.09	20 745.65	52.48
3.	सेवाएं	11 139.74	1 722.66	15.46	11 723.56	3 011.65	25.69
4.	व्यक्तिगत ऋण	27 532.16	272.80	0.99	20 348.80	340.20	1.67
	कुल (आ)	67 037.93	13 676.84	20.40	72 739.58	24 235.45	33.32
	कुल (अ+आ)	134 771.40	19 912.70	14.78	151 996.35	33 398.12	21.97

### 19.2 अनर्जक आस्तियों का संचलन (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
1 अप्रैल को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	33 398.12	38 180.15
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	6 787.16	6 070.56
अन्य शेष/ मौजूदा खातों में क्रेडिट	438.17	2 773.98
उप-योग (अ)	40 623.45	47 024.69
घटाएँ :		
i. उन्नयन	1 247.06	1 452.10
ii. वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर और एआरसीआइएल को बिक्री सहित)	2 663.91	3 672.95
iii) तकनीकी रूप/ प्रूडेंशियल रूप से बट्टे खाते डाले	16 406.61	7 682.82
iv) एआरसी को बिक्री	377.05	707.98



### 19.1.5Sector-wise Advances / NPAs

(Rs. in Crore)

			2019-20			2018-19	
S. No	SECTOR	Outstanding Total Ad- vances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to total advances in that sector
A.	Priority Sector						
1.	Agriculture and allied activities	29 166.70	2 424.92	8.31	33 352.67	3 649.18	10.94
2.	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	13 120.27	1 907.72	14.54	18 352.47	2 991.13	16.30
3.	Services	12 867.57	1 382.66	10.75	14 811.43	2 029.24	13.70
4.	Personal Loans	12 578.93	520.56	4.14	12 740.20	493.12	3.87
	Sub Total (A)	67 733.47	6 235.86	9.21	79 256.77	9 162.67	11.56
В	Non Priority Sector						
1.	Agriculture and allied activities	2 364.50	2.75	0.12	1 135.13	137.95	12.15
2.	Industry	26 001.53	11 678.63	44.92	39 532.09	20 745.65	52.48
3.	Services	11 139.74	1 722.66	15.46	11 723.56	3 011.65	25.69
4.	Personal loans	27 532.16	272.80	0.99	20 348.80	340.20	1.67
	Sub Total(B)	67 037.93	13 676.84	20.40	72 739.58	2 4 235.45	33.32
	TOTAL (A+B)	134 771.40	19 912.70	14.78	151 996.35	3 3 398.12	21.97

### 19.2 MOVEMENT OF NPAs

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	33 398.12	38 180.15
Additions (Fresh NPAs) during the year	6 787.16	6 070.56
Other Debits / Credits in Existing Accounts	438.17	2 773.98
Sub-total (A)	40 623.45	47 024.69
Less:-		
(i) Up-gradations	1 247.06	1 452.10
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	2 663.91	3 672.95
(iii) Technical Write-offs / Prudential Write-offs	16 406.61	7 682.82
(iv) Sale to ARC etc	377.05	707.98



• •		
v) विनिमय उतार चढ़ाव	16.12	110.72
उप-कुल	20 710.75	13 626.57
31 मार्च के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ		
(समापन शेष) (अ-आ)	19 912.70	33 398.12

### 19.3 तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने की गतिविधि

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
1 अप्रैल को तकनीकी / प्रूडेंशियल का प्रारम्भिक शेष	16 823.54	12 133.10
योग : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तकनीकी / प्रूडेंशियल बट्टे	15 259.41	5 986.95
उप-योग (ए)	32 082.95	18 120.05
घटाना: पूर्व के वर्षों में बट्टे में डाले गए खातों में तकनीकी/ वसूली तथा प्रूडेंशियल वसूली (बी)	1 441.06	1 296.51
31 मार्च (ए-बी) को अंतिम बकाया	30 641.89	16 823.54

### 19.4 विदेशी अस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
कुल आस्तियाँ	13 560.37	11 635.68
कुल अनर्जक आस्तियाँ	1 228.32	982.62
कुल राजस्व (एच.ओ. ब्याज की नेटिंग)	446.61	571.02

(नोट 1: ऑर्किड फार्मा लिमिटेड खाते के संबंध में भारतीय एक्सपोज़र को एनसीएलटी आदेश के माध्यम से निपटाया गया है। सिंगापुर शाखा के संबंध में यूएसडी 11.080 मियो (रु.83.78 करोड़) की बकाया राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान तकनीकी रूप से 100% प्रावधान के समायोजन के माध्यम से राइट ऑफ किया गया।

नोट 2: एचओ ब्याज को नेट ऑफ करने से पहले 2018-19 हेतु कुल राजस्व रु.754.27 करोड़ था जो नेट ऑफ के बाद रु.571.02 करोड़ है)

### 19.5 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन – मानदण्डों के अनुसार समेकन किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम		
देशीय	विदेशी	

19.6 वर्ष के दौरान आय-कर के लिए किए गए प्रावधानों की मात्रा : (रु. करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
आयकर के लिए प्रावधान	13.56	14.14

आस्थगित कर के लिए प्रावधान	169.36	-2 236.80
निवल प्रावधान	182.92	-2 222.66

19.7 प्रावधान और आकस्मिकताएँ –ब्रेक अप लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का अलग –अलग विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	487.31	670.14
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	11 171.83	9 881.25
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	116.62	-70.16
कोविड 19 मानक अग्रिम हेतु आकस्मिक प्रावधान	97.00	
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान	-97.63	-78.44
आय कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित)	182.92	-2 222.66
अन्य प्रावधान व आकस्मिकताएँ	103.03	591.62
कुल	12061.08	8 771.75



(v) Exchange Fluctations / Others	16.12	110.72
Sub-total (B)	20 710.75	13 626.57
Gross NPAs as on 31st March		
(Closing Balance) (A-B)	19 912.70	33 398.12

### 19.3 Movement of Technical Write off

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance of Technical / Prudential Write off as on 1st April	16 823.54	12 133.10
Add: Technical / Prudential Write offs during the year	15 259.41	5 986.95
Sub-total (A)	32 082.95	18 120.05
Less: Recoveries and other adjustments in Technical / Prudential written off accounts of earlier years (B)	1 441.06	1 296.51
Closing Balance as on 31st March (A-B)	30 641.89	16 823.54

### 19.4 OVERSEAS ASSETS, NPAs AND REVENUE

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Assets	13 560.37	11 635.68
Total NPAs	1 228.32	982.62
Total Revenue (Netting of H.O. Interest)	446.61	571.02

(Note 1: As regards A/C Orchid Pharma Ltd – the Indian exposure was settled through NCLT order. Regarding Singapore Branch, the amount o/s of USD11.080 Mio (INR 83.78 crores) will be technically written off by adjusting 100% provision held during first quarter of FY 2020-21.

Note 2: The figure for total revenue for 2018-19 was before netting-off HO Interest – Rs.754.27 crores. After netting off HO Interest it is 571.02 crores)

### 19.5 Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored			
Domestic Overseas			

### 19.6 Amount of provisions made for Income Tax during the year: (Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Provision for Income Tax	13.56	14.14

Provision for Deferred Tax	169.36	-2 236.80
Net Provision	182.92	-2 222.66

### 19.7 Provisions and Contingencies – Break-up

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Provisions for depreciation on Investment / Written back	487.31	670.14
Provision towards NPA	11 171.83	9 881.25
Provision towards Standard Assets	116.62	-70.16
Contingent Provision for Standard Adv Covid 19	97.00	1
Provision for Restructured accounts	-97.63	-78.44
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	182.92	-2 222.66
Other Provision and Contingencies	103.03	591.62
Total	12061.08	8 771.75

### 19.8 अस्थिर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(a)	अस्थिर प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष		
(b)	लेखा-वर्ष में किए गए अस्थिर प्रावधानों की मात्रा		
(c)	लेखा –वर्ष के दौरान निकाली गई रकम (प्रतिचक्रीय बफर को अंतरित)		
(d)	अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष		

### 19.9 शिकायतों का प्रकटीकरण

### 19.9.1 ग्राहकों की शिकायतें (गैर – डिजिटल लेन-देन व एटीएम संबंधित लेन-देनों के अलावा)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(ক)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	1 708	1 180
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	36 316	37 870
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	36 658	37 342
(ঘ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	1 366	1 708

जहाँ कहीं अगले कार्य –िदवस के अंदर ही शिकायतों का निवारण कर दिया गया तो उनको विवरण में शामिल नहीं किया गया है ।

### 19.9.2 एटीएम – ग्राहक की शिकायतें

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(ক)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित रही शिकायतों की संख्या	3 657	1 907
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	130 429	110 005
(11)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	132 180	108 255
(ঘ)	वर्ष की समाप्ति पर लंबित रही शिकायतों की संख्या	1 906	3 657

### ू 19.9.3 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2018-19
(ক)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	1	2
(ख)	वर्ष के दौरान पारित किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई अधिनिर्णयों की संख्या	3	1
(ঘ)	अपीलिय प्राधिकरण द्वारा खारिज किये गये निर्णयों की संख्या (हमारे पक्ष में खारिज)		1
(ङ)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृत किये जाने के कारण रद्द निर्णयों की संख्या		
(च)	ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण कालातीत हुए अधिनिर्णयों की संख्या	1*	*1
(ন্ত)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या		

\*आरबीआइ , मुम्बई में अपील लंबित

### 19.9.4 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)

विवरण	2019-20	2018-19
वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती		
आश्वासन पत्र		
31 मार्च को बकाया रहे चुकौती आश्वासन		2
पत्र		
निर्धारित वित्तीय प्रभाव		
संचयी रूप में निर्धारित वित्तीय दायित्व		

### 19.10 बैंक बीमा कारोबार

(रु. करोड़ में)

	1				
क्रम सं.	आय का स्वरूप *	2019-20	2018-19		
(a)	जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	2.17	2.99		
(b)	गैर जीवन बीमा पॉलिसियों को बेचने के लिए	20.54	20.14		
(c)	म्युचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.29	0.74		
(d)	अन्य (स्पष्ट करें)				
	कुल	23.00	23.87		

196



### 19.8 Floating Provisions (Rs. in Crore)

S. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	Opening balance in the floating provisions account		
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year		
(c)	Amount of draw down made during the ac- counting year (Trans- ferred to Counter Cycli- cal Buffer)		
(d)	Closing balance in the floating provisions account		

### 19.9 Disclosure of complaints

### 19.9.1 Customer Complaints other than ATM related and Non-digital transactions

S. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	1 708	1 180
(b)	No. of complaints received during the year	36 316	37 870
(c)	No. of complaints redressed during the year	36 658	37 342
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1 366	1 708

Wherever the complaints are redressed within next working day is not included in the statement

### 19.9.2 ATM - Customer Complaints

S. No.	Particulars	2019-20	2018-19
(a)	No. of ATM complaints pending at the beginning of the year	3 657	1 907
(b)	No. of ATM complaints received during the year	130 429	110 005
(c)	No. of ATM complaints redressed during the year	132 180	108 255
(d)	No. of ATM complaints pending at the end of the year	1 906	3 657

### 19.9.3 Awards passed by the Banking Ombudsman

S. No.	Particulars	2019-20	2018-19			
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year / appeal pending with Appellate Authority	1	2			
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	3	1			
(c)	No. of Awards implemented during the year	3	1			
(d)	No. of Awards set-aside by Appellate Authority (set- aside in our favour)		1			
(e)	No. of Awards lapsed due to non-acceptance by customer					
(f)	Appeal against the Awards	1*	*1			
(g)	No. of unimplemented Awards at the end of the year					

<sup>\*</sup>Appeal pending at RBI, Mumbai.

### 19.9.4 Letters of Comfort (LoC)

Particulars	2019-20	2018-19
Letters of Comfort issued during the year	-	
Letters of Comfort outstanding as on 31st March		2
Assessed financial impact		
Cumulative Assessed Financial Obligation		

### 19.10 Bancassurance Business

(Rs. in Crore)

S. No.	Nature of income*	2019-20	2018-19
(a)	For selling Life Insurance Policies	2.17	2.99
(b)	For selling Non Life Insurance Policies	20.54	20.14
(c)	For Selling Mutual Fund products	0.29	0.74
(d)	Others (specify)		
	Total	23.00	23.87

### \*बैंक द्वारा लिए गए बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक

### 19.11 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण – शून्य

(गत वर्ष शून्य)

19.12 उधार डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस)- शून्य

(गत वर्ष शून्य)

### 19.13 आरक्षितियों से आहरण – लागू नहीं

### 19.14 इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
इंट्रा ग्रुप) एक्सपोज़र की कुल राशि	522.17	16.83
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप) एक्सपोज़र की कुल राशि	522.17	16.83
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का	0.38%	0.39%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर सीमा विच्छेद के विवरण और उन पर की गई नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो		

### 20 जमाकर्ता शैक्षिक एवं जागरूकता निधि को अंतरण (डीईएएफ)

(रु. करोड में)

विवरण	2019-20	2018-19
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	802.52	695.58
जोड़े : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	376.62	115.27
घटाएँ : दावे की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	12.09	8.33
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंतिम शेष	1167.05	802.52

### 21. अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण (यूएफसीई)

भा.रि.बै. के परिपत्र भा.रि.बै./2013-14/620 एवं भा.रि.बै./2013-14/448 के

अनुसार, शाखाओं से उधारकर्ता के यूएफसीई से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन प्राप्त किए जाते हैं और जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा अरिक्षत विदेशी मुद्रा ऋण वाली इकाइयों के ऋण के लिए पूँजी व अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान की गणना का समेकन किया जाता है।

बैंक ने आरबीआइ डीबीओडी.सं.बीसी.85 / 21.06.200 / 2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 बीपी.के शर्तों के अनुसार अपने घटकों को रु.2.79 करोड़ का अनहेच्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र देने का प्रावधान किया है। हालाँकि, बैंक के पास 31.03.2020 को 11.08 करोड़ रुपये का प्रावधान है।



\* Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

### 19.11 Disclosures relating to Securitisation NIL (previous year – NIL)

### 19.12 Credit Default Swaps (CDS) NIL (previous year – NIL)

### 19.13 Draw Down from Reserves N.A.

### 19.14 Intra-Group Exposures

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Total amount of intra-group exposures	522.17	16.83
Total amount of top 20 intra-group exposures	522.17	16.83
% of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers	0.38%	0.39%
Details of breach of limits on intra- group exposures and regulatory action thereon, if any		

### 20 Transfer to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Rs. in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Opening Balance of Amounts transferred to DEAF	802.52	695.58
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	376.62	115.27
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	12. 09	8.33
Closing Balance of Amounts transferred to DEAF	1167.05	802.52

### 21 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE)

As per RBI circular ref to RBI/2013-14/620 & RBI/2013-14/448, data relating to UFCE of borrowers from individual branches is obtained through online and consolidated working of the required additional provision and capital for Exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure is done at Risk Management Department.

The Bank has estimated the provision towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular DBOD.NO.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 at Rs.2.79 crore. However, the Bank holds provision of Rs.11.08 crores as on 31.03.2020 against the same.

3	9	U	4	(iii)	3	9	ω	(ii)	€	2	नकर्द		उव्य			22
ऋण उत्पादों पर निधीकरण की हानि से संबंधित बहिर्वाह	व्युत्पन्न एक्सपोज़र एवं अन्य संपार्श्वी अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्वाह	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिसमें से	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन	अप्रतिभूति ऋण	गैर परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	परिचलनात्मक जमाएँ (सभी कॉउंटर पार्टियाँ)	अप्रतिभूत थोक वित्तीयन जिसमें	कम स्थिर जमाएं	स्थिर जमाएं	लघु कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमाएं व जमाएं, जिसमें	नकदी प्रवाह	कुल उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति (एच क्यू एल ए)	उच्च गुणवत्ता तरलता आस्ति			लिकिडिइटी कवरेज़ अनुपात का प्रकटीकरण
0	171.83	232.78	138.89	0	19639.75	19827.38	39467.13	43177.89	14359.37	57537.26				कुल अभारित मूल्य* (औसत)	<b>जू</b> न-19	। अनुपात का
0	171.83	177.83	138.89	0	9501.65	1048.45	10550.10	4317.79	717.97	5035.76		45399.58		कुल भारित मूल्य* (औसत)	9	प्रकटीकर
0	111.09	156.75	0	0	17124.49	21198.45	38322.94	41232.94	13863.00	55095.94				कुल अभारित मूल्य* (औसत)	পূন	믜
0	111.09	115.56	0	0	8507.52	1101.38	9608.90	4123.29	693.15	4816.44		39488.15		कुल भारित मूल्य* (औसत)	<b>জুন</b> -18	
0	115.60	178.36	166.80	0	22112.30	0	22112.30	135253.11	16553.37	151806.48				कुल अभारित मूल्य* (औसत)	सितंबर -19	
0	115.60	121.80	0.23	0	9902.76	0	9902.76	13525.31	827.67	14352.98		50206.44		कुल भारित मूल्य* (औसत)	₹-19	
0	10.23	65.38	452.19	0	19233.80	19418.02	38651.82	42345.82	13909.15	56254.97				कुल अभारित मृल्य* (औसत)	सितंब	
0	10.23	15.66	452.19	0	9685.93	1522.86	11208.79	4234.58	695.46	4930.04		46031.19		कुल भारित मूल्य* (औसत)	सितंबर -18	
0	231.83	276.12	1149.69	0	44337.85	0.13	44337.97	144465.22	4973.76	149438.98				कुल अभारित मूल्य* (औसत)	दिसंबर	
0	231.83	236.13	0	0	13105.54	0.03	13105.57	14446.52	248.69	14695.21		52002.21		कुल भारित मूल्य* (औसत)	र -19	
0	164.82	194.99	460.96	0	21816.89	19901.48	41718.37	42035.94	14098.45	56134.39				कुल अभारित मूल्य* (औसत)	दिसंबर -18	
0	164.82	167.78	460.96	0	11344.15	1052.06	12396.21	4203.59	704.92	4908.51		46810.11		कुल भारित मूल्य* (औसत)	₹-18	
0	432.84	473.12	2267.81	0	26916.84	0.13	26916.97	181308.66	6151.61	187460.27				कुल अभारित मूल्य* (औसत)	मार्च -20	
0	432.84	436.76	0	0	12020.60	0.03	12020.63	18130.87	307.58	18438.45		53381.25		कुल भारित मूल्य* (औसत)	-20	
0	81.92	144.70	1001.34	0	20639.17	20023.07	40662.24	43141.56	14215.51	57357.07				कुल अभारित मूल्य* (असित)	माच	(સ સ
0	81.92	88.10	1.87	0	10080.33	1060.85	11141.18	4314.16	710.78	5024.94		42252.54		कुल भारित मूल्य* (औसत)	मार्च -19	(रु. करोड़ में)

(200)

## 22 Disclosure on Liquidity Coverage Ratio

(Rs. in Crore)

								<b>»</b> » –							
(ii)	(i)	Ó	4	(iii)	(ii)	3	ω	(ii)	(i)	20	Cash	_	High		
Outflows related to loss of funding on debt products	Outflows related to derivative exposures and other	Additional requirements, of which	Secured wholesale funding	Unsecured debt	Non-operational deposits (all counterparties)	Operational deposits (all counterparties)	Unsecured wholesale funding, of which:	Less stable deposits	Stable deposits	Retail deposits and deposits from small business customers of which	Cash Outflows	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	High Quality Liquid Assets		
0	171.83	232.78	138.89	0	19639.75	19827.38	39467.13	43177.89	14359.37	57537.26				Total Un- weighted Value [average]	Jun-19
0	171.83	177.83	138.89	0	9501.65	1048.45	10550.10	4317.79	717.97	5035.76		45399.58		Total Weight- ed Value (aver- age)	19
0	111.09	156.75	0	0	17124.49	21198.45	38322.94	41232.94	13863.00	55095.94				Total Un- weight- ed Value [aver- age]	Ju
0	111.09	115.56	0	0	8507.52	1101.38	9608.90	4123.29	693.15	4816.44		39488.15		Total Weighted Value (aver- age)	Jun-18
0	115.60	178.36	166.80	0	22112.30	0	22112.30	135253.11	16553.37	151806.48				Total Un- weighted Value [average]	Sep-19
0	115.60	121.80	0.23	0	9902.76	0	9902.76	13525.31	827.67	14352.98		50206.44		Total Weight- ed Value (aver- age)	-19
0	10.23	65.38	452.19	0	19233.80	19418.02	38651.82	42345.82	13909.15	56254.97				Total Un- weight- ed Value [aver- age]	Se
0	10.23	15.66	452.19	0	9685.93	1522.86	11208.79	4234.58	695.46	4930.04		46031.19		Total Weighted Value (aver- age)	Sep-18
0	231.83	276.12	1149.69	0	44337.85	0.13	44337.97	144465.22	4973.76	149438.98				Total Un- weighted Value [aver- age]	Dec-19
0	231.83	236.13	0	0	13105.54	0.03	13105.57	14446.52	248.69	14695.21		52002.21		Total Weight- ed Value (aver- age)	··19
0	164.82	194.99	460.96	0	21816.89	19901.48	41718.37	42035.94	14098.45	56134.39				Total Un- weight- ed Value [aver- age]	Dec-18
0	164.82	167.78	460.96	0	11344.15	1052.06	12396.21	4203.59	704.92	4908.51		46810.11		Total Weight- ed Value (aver- age)	-18
0	432.84	473.12	2267.81	0	26916.84	0.13	26916.97	181308.66	6151.61	187460.27				Total Un- weight- ed Value [aver- age]	Mar-20
0	432.84	436.76	0	0	12020.60	0.03	12020.63	18130.87	307.58	18438.45		53381.25		Total Weight- ed Value (aver- age)	.20
0	81.92	144.70	1001.34	0	20639.17	20023.07	40662.24	43141.56	14215.51	57357.07				Total Un- weight- ed Value [aver- age]	Maı
0	81.92	88.10	1.87	0	10080.33	1060.85	11141.18	4314.16	710.78	5024.94		42252.54		Total Weighted Value (average)	Mar-19



			`		<b>//</b> ====								
15	14	13	12	=======================================	10	9	नकदी प्रवाह	œ	7	6	(iii)		
तरलता कवरेज अनुपात []	कुल निवल नकद प्रवाह	कुल एन क्यू एल ए	कुल नकद अंतर्वाह	अन्य नकद अंतर्वाह	पूर्णता निष्पादित एक्सपोज़र से अंतर्वाह	सुरक्षित ऋण (उदा : रिवर्स रेपो)	प्रवाह	कुल नकद बहिर्वाह	अन्य संभाव्यता वित्तीयन बाध्यताएं	अन्य संविदागत निधीकरण बाध्यताएं	ऋण एवं तरलता सुविधा		
			29992.67	12488.16	421.15	17083.36			52991.99	0	60.95	कुल अभारित मृत्य* (औसत)	জুন-19
465.48	9753.23	45399.58	8484.64	6380.13	421.15	1683.36		18237.87	2335.29	0	6.00	कुल भारित मूल्य* (औसत)	19
			10675.87	10563.31	112.56	0			22765.44	0	45.66	कुल अभारित मृत्य* (औसत)	জুন -18
409.03	9654.01	39488.15	5569.85	5457.29	112.56	0		15223.86	682.96	0	4.47	कुल भारित मूल्य* (औसत)	-18
			23265.08	2765.79	15663.64	4835.65			32631.32	0	62.76	कुल अभारित मृत्य* (असत)	सितंबर -19
331.84	15129.51	50206.44	10518.15	2067.02	8451.13	0		25647.66	1269.89	0	6.20	कुल भारित मूल्य* (औसत)	र -19
			26493.29	14198.34	10.51	12284.44			46854.17	0	55.15	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	सितंबर -18
507.03	9078.57	46031.19	9385.18	7340.24	10.51	2034.43		18463.75	1857.07	0	5.43	कुल भारित मूल्य* (औसत)	र -18
			18149.30	449.07	13533.57	4166.67			34631.54	0	44.29	कुल अभारित मूल्य* (औसत)	दिसंब
243.89	21322.14	52002.21	7753.72	224.53	7259.19	0		29075.86	1038.95	0	4.31	कुल भारित मूल्य* (औसत)	दिसंबर -19
			23012.60	10760.06	174.70	12077.84			47897.95	0	30.17	कुल अभारित मृत्य* (औसत)	दिसंब
382.69	12231.95	46810.11	7589.90	5537.36	174.70	1877.84		19821.85	1888.39	0	2.96	कुल भारित मूल्य* (औसत)	दिसंबर -18
			19578.24	412.69	12749.12	6416.43			37436.88	60.06	40.28	कुल अभारित मूल्य* (असित)	मार्च
214.44	24893.19	53381.25	7231.33	206.35	7024.98	0		32124.52	1168.62	60.06	3.92	कुल भारित मूल्य* (औसत)	मार्च -20
			30697.84	343.61	9719.25	20634.98			52383.27	0	62.78	कुल अभारित मृत्य* (औसत)	मार्च-19
387.13	10914.39	42252.54	7628.09	343.61	5144.50	2139.98		18542.48	2286.39	0	6.18	कुल भारित मूल्य* (असत)	-19

## एलसीआर के बारे में गुणवत्ता प्रकटीकरण

लागू किया है जिसे कि भारतीय बैंकों द्वारा 01 जनवरी 2015 से लागू किया जाएगा एवं सम्पूर्ण कार्यावयन 01 जनवरी 2019 तक प्रभावी होगा । बैंको के लिए ट्रांजिशन समय प्रदान करने के लिए, वर्ष2015 बेसल ॥। पूंजी विनिमय चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल 2013 को लागू हुआ है एवं दिनांक 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से लागू किए जाएंगे । आगे भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल ॥। चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को

के लिए न्यूनतम अपेक्षा 60% थी जो कि 1 जनवरी 2015 से प्रभावी थी एवं 1 जनवरी 2019 तक न्यूनतम 100% प्राप्त करने के लिए इसे समान चरणों में बढ़ाया जाएगा।

लचीलापन को बढ़ावा देता है।= एलसीआर 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (मुख्यालय) सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की संभावित तरलता व्यवधान के लिए बैंकों की अल्पकालिक

				— ₩	<b>/</b>								
15	14	13	12	11	10	9	Cash	σ.	7	6	1		
LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)	TOTAL NET CASH OUTFLOWS	TOTAL HQLA	TOTAL CASH INFLOWS	Other cash inflows	Inflows from fully performing exposures	Secured lending (e.g. reverse repos)	Cash Inflows	TOTAL CASH OUTFLOWS	Other contingent funding obligations	Other contractual funding obligations	Credit and liquidity facilities		
			29992.67	12488.16	421.15	17083.36			52991.99	0	60.95	Total Un- weighted Value [aver- age]	Jun-19
465.48	9753.23	45399.58	8484.64	6380.13	421.15	1683.36		18237.87	2335.29	0	6.00	Total Weight- ed Value (aver- age)	-19
			10675.87	10563.31	112.56	0			22765.44	0	45.66	Total Un- weighted Value [aver- age]	Jun-18
409.03	9654.01	39488.15	5569.85	5457.29	112.56	0		15223.86	682.96	0	4.47	Total Weight- ed Value (aver- age)	-18
			23265.08	2765.79	15663.64	4835.65			32631.32	0	62.76	Total Un- weighted Value [aver- age]	Sep-19
331.84	15129.51	50206.44	10518.15	2067.02	8451.13	0		25647.66	1269.89	0	6.20	Total Weight- ed Value (aver- age)	-19
			26493.29	14198.34	10.51	12284.44			46854.17	0	55.15	Total Un- weighted Value [aver- age]	Sep-18
507.03	9078.57	46031.19	9385.18	7340.24	10.51	2034.43		18463.75	1857.07	0	5.43	Total Weight- ed Value (aver- age)	-18
			18149.30	449.07	13533.57	4166.67			34631.54	0	44.29	Total Un- weighted Value [aver- age]	Dec-19
243.89	21322.14	52002.21	7753.72	224.53	7259.19	0		29075.86	1038.95	0	4.31	Total Weight- ed Value (aver- age)	:-19
			23012.60	10760.06	174.70	12077.84			47897.95	0	30.17	Total Un- weighted Value [aver- age]	Dec-18
382.69	12231.95	46810.11	7589.90	5537.36	174.70	1877.84		19821.85	1888.39	0	2.96	Total Weight- ed Value (aver- age)	-18
			19578.24	412.69	12749.12	6416.43			37436.88	60.06	40.28	Total Un- weighted Value [aver- age]	Mar-20
214.44	24893.19	53381.25	7231.33	206.35	7024.98	0		32124.52	1168.62	60.06	3.92	Total Weight- ed Value (aver- age)	-20
			30697.84	343.61	9719.25	20634.98			52383.27	0	62.78	Total Un- weighted Value [aver- age]	Mar-19
387.13	10914.39	42252.54	7628.09	343.61	5144.50	2139.98		18542.48	2286.39	0	6.18	Total Un- weighted Value [aver- age]	-19
					_								

## **Qualitative Disclosure about LCR**

on January 1, 2019 for banks, the requirement was minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal steps to reach the minimum required level of 100% Coverage Ratio (LCR) to be implemented by banks in India from January 1, 2015 with full implementation being effective from January 1, 2019. With a view to provide transition time Basel III capital regulation has been implemented from April 1, 2013 in phases and it was to be fully implemented-as on March 31, 2019. Further RBI also introduced Basel III Liquidity

scenario lasting for 30 days. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress

203



एलसीआर की परिभाषा: उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLAs) का स्टॉक

अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी प्रवाह (बहिर्गमन)

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों (HQLA) के स्टॉक में, परिसंपत्तियों की दो श्रेणियां हैं, अर्थात स्तर 1 और स्तर 2 संपत्ति। स्तर 2 एसेट्स को उनके मूल्य-अस्थिरता के आधार पर स्तर 2 ए और स्तर 2 बी परिसंपत्तियों

में उप-विभाजित किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी में शामिल किए जाने वाले परिसंपत्तियां वे हैं जो बैंक के पास तनाव अवधि के पहले दिन मौजूद है। स्तर 1 की संपत्ति 0 प्रतिशत कटौती के साथ है जबिक स्तर 2 में, 2 ए की संपत्ति न्यूनतम 15 प्रतिशात कटौती और स्तर 2 बी एसेट्स की संपत्ति , न्यूनतम 50 कटौती के साथ है।

कुल निवल नकदी बिहर्गमन को अगले 30 कलेंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बिहर्गमन से कटौती के रूप में पारिभाषित किया गया है। कुल अपेक्षित कैश आउटफ्लों की गणना विभिन्न श्रेणियों या देनदारियों और बकाया-बैलेंस शीट प्रतिबद्धताओं के बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा करके की जाती है, जिस पर वे बंद होने या कम होने की उम्मीद करते हैं। कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना दरों की संविदात्मक प्राप्तियों

की विभिन्न श्रेणियों के लिए बकाया शेष राशि को गुणा करके की जाती है जिस पर वे कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75 प्रतिशत के कुल कैप तक प्रवाह की उम्मीद करते हैं।

### 23. वित्तीय वर्ष 2019-20 के चार तिमाहियों के लिए एलसीआर का विवरण :

(रु. करोड में)

विवरण	31.03.20	31.12.19	30.09.19	30.06.19	31.03.19
एचक्यूएलए	53381.25	52002.21	50206.44	45399.58	42252.54
कुल निवल नकदी बहिर्गमन	24893.19	21322.14	15129.51	9753.23	10914.39
% में एलसीआर	214.44%	243.89%	331.84%	465.48%	387.13%

31.03.2020 को बैंक के लिए एलसीआर 214.44% था जो वर्तमान कैलेंडर वर्ष के लिए आरबीआई निर्धारित 100% के स्तर से काफी ऊपर है। बैंक के पास 53381.25 करोड़ रूपए के उच्च गुणवत्ता वाले तरल संपत्तियों का मजबूत आधार के साथ साथ अचानक नकद बहिर्वाह को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है।

बैंक में तरलता प्रबन्धन बैंक की एएलएम नीति व विनियमों पर आधारित है। देशीय व विदेशी केंद्र आस्ति देयता प्रबन्धन सिमित (अल्को) को रिपोर्ट करते हैं। बैंक बोर्ड ने अल्को को बैंक की फंडिंग रणनीतियाँ बनाने हेतु अधिकार प्रदान किया है तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोतों में विविधता है और यह बैंक के परिचालन आवश्यकता के अनुरूप है। अल्कों के सभी प्रमुख फैसले बैंक के बोर्ड को समय- समय पर सूचित किए जाते हैं। दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, नियमित रूप से बैंक की तरलता जरूरतों का आकलन करने हेतु बैंक दैनिक सांविधिक तरलता विवरणी तैयार करता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के ऊपर एसएलआर निवेश के रूप में मुख्य रूप से एचक्यूएलए को बनाए रख रहा है। खुदरा जमा कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे फंडिंग स्रोत विविध हैं। प्रबंधन का मानना है कि बैंक की भविष्य की अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

### 23. सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना (जिन खातों में वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के तहत हैं) पर प्रकटीकरण

विवरण	2019-20	2018-19
खातों की संख्या जहां एसडीआर को लागू किया गया है ।		
		(रूपये करोड़ में)
को बकाया राशि	2019-20	2018-19
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत		
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत		
खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण से इक्विटी का रूपांतरण लंबित है	2019-20	2018-19
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत		
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत		
उन खातों के संबंध में बकाया राशि जहां ऋण का इक्विटी रूपांतरण हुआ है	2019-20	2018-19
मानक के अंतर्गत वर्गीकृत		
एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत		



Definition of LCR: Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

Total net cash outflows over the next 30 calendar days

In the stock of high quality liquid assets (HQLA), there are two categories of assets, viz. Level 1 and Level 2 assets. Level 2 assets are sub-divided into Level 2A and Level 2B assets on the basis of their price-volatility. Assets to be included in each category are those that the bank is holding on the first day of the stress period. Level 1 assets are with 0% haircut while in Level 2, 2A assets are with a minimum 15% haircut and Level 2B Assets, with a minimum 50% haircut.

The total net cash outflow is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows.

### Details of LCR for the four quarters of FY 2019-20:

(Rs. In Crore)

Details	31.03.20	31.12.19	30.09.19	30.06.19	31.03.19
HQLA	53 381.25	52 002.21	50 206.44	45 399.58	42 252.54
Total Net cash Outflows	24 893.19	21 322.14	15 129.51	9 753.23	10 914.39
LCR in %	214.44%	243.89%	331.84%	465.48%	387.13%

LCR for the bank quarter ended 31.03.2020 stands at 214.44%, which is well above the RBI stipulated level of 100%. The Bank is having a strong built up High Quality Liquid Assets at Rs.53381.25 crore and has sufficient liquidity to meet sudden cash outflows.

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The domestic and overseas centres are reporting to the Asset Liability Management Committee (ALCO). The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. All the major decisions of ALCO are being reported to the Bank's Board periodically. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank prepares daily Structural Liquidity Statements to assess the liquidity needs of the Bank on an ongoing basis.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, and such funding sources are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future short term requirements.

### 23 Disclosure on the Strategic Debt Restructuring Scheme (Accounts which are currently under the Stand-Still Period)

Particulars	2019-20	2018-19
Number of Accounts where SDR has been applied		
		(Rs. in Crore)
Amount Outstanding as on	2019-20	2018-19
Classified as Standard		-
Classified as NPA		
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending	2019-20	2018-19
Classified as Standard		
Classified as NPA		
Amount Outstanding with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	2019-20	2018-19
Classified as Standard		
Classified as NPA		



### 24. तनावग्रस्त संपत्तियों के सतत संरचना के लिए योजना पर प्रकटीकरण (एस4ए)

विवरण	2019-20	2018-19
खातों की संख्या जहाँ एस4ए लागू किया गया है		
मानक के रूप में वर्गीकृत		
एनपीए के रूप में वर्गीकृत		
		(रु. करोड़ में)
सकल बकाया राशि	2019-20	2018-19
मानक के रूप में वर्गीकृत		
एनपीए के रूप में वर्गीकृत		

### (रु. करोड़ में)

बकाया राशि	2019-20	2018-19
मानक के रूप में वर्गीकृत		
भाग ए में		
भाग बी में		
एनपीए के रूप में वर्गीकृत		
भाग ए में		
भाग बी में		
धारित किए गए प्रावधान	-	

### 25 अग्रिम संबन्धित धोखाधड़ियाँ

विवरण	2019-20	2018-19
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	165	115
		(रु. करोड़ में)
विवरण	2019-20	2018-19
इस प्रकार के धोखों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया (निवल कटौती)	6 492.53	3 957.08
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्र	6 492.53	3 957.08
अन्य आरक्षितियों से डेबिट किए गए असंबद्ध प्रावधानों की मात्रा		

### अग्रिम संबंधी धोखाधड़ियों के अलावा

### (रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	42	46
		(रु. करोड़ में)
विवरण	2019-20	2018-19
विवरण इन धोखाधड़ियों में शामिल राशि - 31 मार्च को बकाया	<b>2019-20</b> 447.29*	<b>2018-19</b> 446.61

\*इसमें संटो इस्टेवम शाखा में हुई धोखाधड़ी , जाहाँ जाँच के दौरान यह पाया गया कि वहाँ रु.11.56 लाख की धोखाधड़ी हुई है, से संबंधित रु.1.00 लाख की अतिरिक्त राशि शामिल है । हालांकि , एफएमआर संख्या 1901-0005 में घोषित राशि रु.10.56 लाख थी , जिसके लिए 31.03.2019 को समाप्त तिमाही में रु.10.56 लाख का प्रावधान किया गया था एवं शेष रु.1.00 लाख की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 की जून तिमाही में प्रदान की गयी थी ।



### 24 Disclosure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

Particulars	2019-20	2018-19
Number of Accounts where S4A has been applied		
Classified as Standard		
Classified as NPA		
		(Rs. in Crore)
Aggregate Amount Outstanding	2019-20	2018-19
Classified as Standard		
Classified as NPA		

(Rs. in Crore)

Amount Outstanding	2019-20	2018-19
Classified as Standard		
In Part A		
In Part B		
Classified as NPA		
In Part A		
In Part B		
Provision Held		

### 25 Advances Related Frauds

Particulars	2019-20	2018-19
Number of Frauds reported	165	115
		(Rs. in Crore)
Particulars	2019-20	2018-19
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March (Net off Deductions)	6 492.53	3 957.08
Quantum of Provision made during the year	6 492.53	3 957.08
Quantum of unamortized provision debited from 'other reserves'		

### OTHER THAN ADVANCES RELATED FRAUDS

(Rs. In Crore)

<b>.</b>	2019-20 2018-19	
Particulars	Sales	Sales
Number of Frauds reported	42	46
		(Rs. in Crore)
Particulars	2019-20	2018-19
Amount involved in such Frauds - Outstanding as on 31st March	447.29*	446.61
Quantum of Provision made for the outstanding amount as on 31st March	447.29*	446.61

<sup>\*</sup>Includes an additional amount of Rs.1.00 lakh pertaining to a fraud committed in Santo Estevam Branch where after investigation it was found out that the total amount involved was Rs.11.56 lakhs. However, in FMR number 1901-0005, the amount declared was Rs.10.56 lakhs and provision was made for Rs.10.56 lakhs during the quarter ended 31.03.2019. the difference amount of Rs.1.00 lakh was provided in the June Quarter of 2019-20.



कंदामंगलम शाखा में हुई धोखाधड़ी में यह पाया गया कि अग्रिम संबंधी व अन्य खातों को एक ही एफएमआर संख्या 2001-0040 के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया था । अग्रिम से इतर खातों की राशि (रु.5.56 लाख) शामिल है ।

### 26. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी)

रु. करोड में)

क्रम	विवरण	2019-20		2018-19	
सं.	विवरण	खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	पीएसएलसी कृषि				
2	पीएसएलसी - एसएफ़/ एमएफ़		1600		1500
3	पीएसएलसी - अतिलघु				
4	पीएसएलसी सामान्य				2236

### 27. 31.03.2020 को पुन:संरचित किए गए एमएसएमई अग्रिम

विवरण	2019-20	2018-19
पुनर्संरचित खातों की संख्या	19 043	8 403
राशि करोड़ो में	694.21	373.88

### 28 कोविड विनियामक पैकेज – अस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण

(i) एसएमए / अतिदेय वर्गों, जहाँ अधिस्थगन / आस्थगन को आरबीआई परिपत्र डीओआर . नं. बीपी.बीसी .63/21.04.048 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के पैराग्राफ 2 व 3 के अनुसार विस्तारित किया गया है, की राशि निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

खाता की स्थिति	31.03.2020
एसएमए -0	11470
एसएमए -1	4586
एसएमए -2	6473
कुल	22529

- (ii) (a) घरेलू परिचालन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण लाभ को आरबीआई के परिपत्र डीओआर . नं. बीपी.बीसी .63/21.04.048 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के संदर्भ में रु.945.67 करोड़ तक विस्तारित किया गया है ।
- (ii) (बी ) विदेशों में परिचालन (बैंकॉक शाखा में 5 खाते ) के संबंध में आस्ति वर्गीकरण लाभ को आरबीआई के परिपत्र डीओआर . नं. बीपी.बीसी .63/21.04.048 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के संदर्भ में रु.12.85 करोड़ तक विस्तारित किया गया है ।
- (ii) (सी ) बैंक ने उन खातों में रु.97 करोड़ का प्रावधान किया है जहाँ आस्ति वर्गीकरण लाभ को विस्तारित किया गया है ।
- (iii) आरबीआई के परिपत्र डीओआर . नं. बीपी.बीसी .63/21.04.048 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान निम्नवत हैं :

(रु. करोड में)

विवरण	प्रावधान की राशि
देशी शाखाएँ	95.00
विदेशी शाखाएँ	2.00

- (iv) आरबीआई के परिपत्र डीओआर . नं. बीपी.बीसी .63/21.04.048 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के पैराग्राफ 6 के संदर्भ में संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान स्लिपेजों के प्रति समायोजित प्रावधान व अवशिष्ट प्रावधान श्रन्य है ।
- 29. प्रडेंशियल फ्रेमवर्क के तहत कार्यांवित समाधान योजना (आरबीआई परिपत्र 07.06.2019)

वविरण	2019-20	2018-19
खातों की संख्या जहाँ समाधान योजना कार्यांवित की गयी है	4	1
मानक के रूप में वर्गीकृत	1	
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	3	1



In a fraud reported at Kandamangalam Branch, there were instances of both Advance Related and Other than Advances related accounts which were reported under a single FMR number 2001-0040. The amount pertaining to Other than Advances (Rs.5.56 lakhs) is included.

### 26 Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(Rs. in Crore)

S.	Darticulare	2019-20		2018-19	
No.		Purchase	Sales	Purchase	Sales
1	PSLC - Agriculture				
2	PSLC - SF/MF		1600		1500
3	PSLC - Micro Enterprises				
4	PSLC - General				2236

### 27 MSME Advances Restructured as on 31.03.2020

Particulars	2019-20	2018-19
Number of accounts Restructured	19 043	8 403
Amount in Rs. Crore	694.21	373.88

### 28 COVID-19 Regulatory Package – Asset Classification and Provisioning

(i) The following amount in SMA / Overdue categories where moratorium / deferment was extended in terms of paragraph 2 and 3 of RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 is given below:

### Amount (Rs. in Crore)

Account Status	31.03.2020
SMA-0	11470
SMA-1	4586
SMA-2	6473
Total	22529

- (ii) (a) The Asset Classification Benefit with regard to domestic operations is extended to the tune of Rs.945.67 crores in terms of RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020.
- (ii) (b) The Asset Classification Benefit with regard to overseas operations (5 accounts in Bangkok branch) is extended to the tune of Rs.12.85 crores in terms of RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020.
- (ii) (c) The Bank has made a provision of Rs.97 crores in respect of Accounts where Asset Classification Benefit is extended.
- (iii) The Provisions made during Q4 of FY 2019-20 in terms of RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 is given below:

Amount (Rs. in Crore)

Particulars	Amount of Provision
Domestic Branches	95.00
Overseas Branches	2.00

(iv) The Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the Residual Provisions in terms of paragraph 6 of RBI Circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 is NIL.

### 29 Resolution Plan implemented under Prudential Frame work (RBI Circular 07.06.2019)

Particulars	2019-20	2018-19
Number of Accounts where Resolution Plan was implemented	4	1
Classified as Standard	1	
Classified as NPA	3	1

209



•		
		(रु. करोड़ में)
कुल बकाया राशि	2019-20	2018-19
मानक के रूप में वर्गीकृत	119.31	
एनपीए के रूप में वर्गीकृत	178.70	71.83

- **30** भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए कुछ उधार खातों के संबंध में 23 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या डीबीआर.एन.बीपी: 1519 9 / 21.04.048 / 2016-17 के अनुसार दिवालियापन और दिवालियापन संहिता(आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कुछ उधार खातों के संबंध में 28अगस्त,2017 दिनांकित डीबीआर.एन.बी.बी.बी.सी. 1949/21.04.048/2017-18 के अनुसार बैंक को अतिरिक्त प्रावधान करना था । तदनुसार, बैंक ने 02.04.2018 के आरबीआई पत्र सं. डीबीआरएन. बी.पी. / 8756 / 21.04.048 / 2017-18 के अनुसार किसी रियायत का लाभ उठाए बिना उन खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किया है ।
- **31** अन्य आय में विदेशी शाखा से संबंधित निवल निवेश के निपटान पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त विनिमय अधिमान के उपलक्ष्य पर रु.53.31 करोड़ का असाधारण आय शामिल है।
- **32** एसएआरएस- सीओवी 2 वायरस कोविड 19 के फैलाव हेतु जिम्मेदार है जिसके परिणामस्वरूप भारत सहित दुनियाभर में लॉकडॉउन हुआ। निरंतर लॉकडॉउन के परिणामस्वरूप वैश्विक व स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट आयी है। अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और बैंक इस स्थिति का अवलोकन कर रहा है। मौजूदा स्थितियों के बावजूद, चालू कंपनी अनुमानों व बैंक के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 33 तुलनात्मक आंकड़ेपिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुन: समूहित / पुन: वर्गीकृत किए गए हैं।



Amount (Rs. in Crore)		
Aggregate Amount Outstanding	2019-20	2018-19
Classified as Standard	119.31	
Classified as NPA	178.70	71.83

- 30 As per RBI directions vide letter No.DBR.NO.BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017 in respect of certain Borrowal accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) and vide letter no. DBR. NO.BP.BC.1949/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017 in respect of certain Borrowal accounts covered under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the Bank was required to make additional provision as stated therein. Accordingly, the Bank has made adequate provision in respect of those accounts without availing any concession as per the latest RBI letter No.DBR.No.BP/8756/21.04.048/2017-18 dated 02.04.2018.
- 31 Other Income includes Rs.53.31 crores being Extraordinary Income on account of Exchange Differences recognized as Income on disposal of Net Investment in respect of one of the Foreign Branches.
- 32 The spread of SARS COV 2 virus responsible for COVID 19 hos resulted in a lockdown in India and across the globe. The continued lockdown has resulted in significant decline in global and local economic activities. The situation continues to be uncertain and Bank is closely monitoring the situation. Despite these prevalent conditions, there would not be significant impact on Bank's results and going concern assumptions.

### 33 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.



### स्वायत्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### सेवा में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सदस्यगण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समीक्षा पर रिपोर्ट अभिमत

- हमने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (बैंक) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक के तलन पत्र के अलावा तत्संबंधी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरन व नकद प्रवाहों का विवरण शामिल है। इसके अलावा इसमें विनिर्दिष्ट लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण मूलक सूचनाओं के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के प्रति नोट सभी शामिल है जिसमें संबंधित तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं तथा सांविधिक शाखा लेखा परिक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1586 शाखाओं (3 विदेशी शाखाओं और 2 क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) एवं स्वायत्त लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित1विदेशी शाखा की विवरणियाँ समाहित है।हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। इस तुलन-पत्र में, लाभ और हानि के विवरण और 1724 शाखाओं से लौटायी गई नकद प्रवाह के विवरणियाँ (46 क्षेत्रीय कार्यालयों और 7 अंचल कार्यालयों की विवरणियाँ भी शामिल की गई हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है। अ-लेखापरीक्षित इन शाखाओं का अग्रिम के क्षेत्र में अंशदान 11.85%, जबिक जमाओं में 30.84%, ब्याज आय में 9.02% और ब्याज संबंधी खर्चों में 28.99% का अंशदान है।
- 2. हमारे अभिमत और हमारे संज्ञान के अनुसार तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुक्रम में उक्त पृथक वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) द्वारा वांछित सूचना प्रदान करते है। इस रूप में जैसे कि बैंक के लिए आवश्यक है और वे भारत में सामान्यत:स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है।
- (i) तुलन पत्र को उसमें दी गई पूरी टिप्पणियों में पूर्ण और उचित तुलन पत्र के सभी आवश्यक ब्योरे निहित हैं,भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2020 को बैंक की वर्तमान स्थिति का उचित रूप से सही और उचित आकलन किया गया है;
- (ii) लाभ हानि के साथ टिप्पणियों में लेखा द्वारा वर्ष के लिए कवर की गई भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ पुष्टि करते हुए लाभ के सही शेष दर्शाते हैं: और
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है।

### अभिमत का आधार

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा विषयक मानकताओं के अनुसार की। इन मानकताओं के अधीन हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के भाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के तहत विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नीतिगत संहिता के अनुसार बैंक संबंध रखे बिना तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुडी नीतिगत अपेक्षाओं सहित लेखापरीक्षा की है और हमने इन अपेक्षाओं के नीतिगत संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिगत बाध्यताओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह प्रयाप्त है और अपने विचार के लिए आधार प्रदान करते हुए सम्प्रयुक्त है।

### मामलों पर बल

- 4. हम ध्यान आकृष्ट करते है:-
- क) अनुसूची 18 के नोट नंबर 7.1 में विभिन्न विवादित आयकर और अप्रत्यक्ष करों के लिए अतिरिक्त प्रावधान की गैर पहचान को बताया गया है।
- ख) अनुसूची 18 की संख्या 7.3 में इस तथ्य का विस्तार नहीं किया गया है कि बैंक ने मौजूदा कर व्यवस्था और समायोजन के साथ जारी रखने का फैसला किया है, यदि किसी को देफरेड कर परिसंपत्ति (नेट) की वहन राशि उचित चरण में पुनर्मुल्यांकन पर ले जाने के लिए।
- ग) अनुसूची 18 की नोट संख्या 32 जो बताती है कि कोविड-19 महामारी बैंक की गतिविधियों को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो इस स्तर पर अत्यधिक अनिश्चित हैं।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारे अभिमत संशोधित नहीं हैं।

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामलें :-

5. हमारे व्यवसायिक अभिमत में प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो चालू अविध के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे है। इन मामलों पर हमारे अभिमत वित्तीय विवरणों के समावेश रूप में हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में है और उन पर हमारे अभिप्रायों को प्रदान नहीं करना चाहते। निम्नांकित मामलों को हमने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जो हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए गएहै।

क्रम सं	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलें	लेखा परीक्षक के अभिमत
1.	आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण  अग्रिमों का प्रतिशत बैंक की कुल आस्तियों का 46.53% है। बैंक द्वारा प्रदत्त अग्रिमों के संबंध में संचयन आधार पर आय की पहचान, निष्पादित एवं गैर-निष्पादित के रूप में अग्रिमों का वर्गीकरण और तत्संबंधी प्रावधानीकरण आय की पहचान विषयक विविक पूर्ण मानदण्डों एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आइआर एसी) मानदण्डों तथा समय- समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों व निर्देशों के अनुसारहै (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 3 के साथ पढते हुए अनुसूची 17 का संदर्भ लें)।	मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाँ में डिजाइन का परीक्षण करना और आंतरिक नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभाविता की जाँच करना और वस्तुगत परीक्षण करना भी निम्नानुसार शामिल रहा।  ⇒ आइएआरएसी विषयक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और आरबीआई द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों /निर्देशों के साथ बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं का भी मूल्यांकन किया गया।  ⇒ अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावात्मकता एवं बैंक तथा आरबीआईनिरीक्षण की प्रबोधन प्रणाली के अनुसार पूरी की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं में की गई टिप्पणियों के अनुपालन का परीक्षण किया गया।



### INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

#### To the Members of Indian Overseas Bank

# Report on the Audit of the Standalone Financial Statements Opinion

- We have audited the standalone financial statements of Indian Overseas Bank ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Profit and Loss account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us 1586 branches (including 3 overseas branches and 2 Regional Offices) audited by statutory branch auditors and one Overseas branch reviewed by Independent Auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss account and Statement of Cash Flows are the returns from 1724 branches (Including 46 Regional Offices and 7 Zonal Offices) which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 11.85% of advances, 30.84% of deposits, 9.02% of interest income and 28.99% of interest expenses.
- 2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act,1949("the act") in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020;
- (ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss for the year ended on that date; and
- (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash Flows for the year ended on that date.

#### **Basis for Opinion**

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued the Institute of Chartered Accountants of India("the ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone financial statements under the provisions of the act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### **Emphasis of Matter**

- 4. We draw attention to:
- Note No. 7.1 of Schedule 18 detailing non recognition of additional provisioning towards various disputed income tax and Indirect taxes for the reasons stated therein
- b) Note No 7.3 of Schedule 18 detailing the fact that the bank has decided to continue with the existing tax regime and adjustments if any to the carrying amount of Deferred tax asset (Net) to be carried out on reassessment at appropriate stage.
- c) Note No 32 of Schedule 18 which explains that the extent to which the COVID-19 Pandemic will impact the Bank's operations will depend on future developments, which are highly uncertain at this stage.
  - Our Opinion is not modified in respect of the above matters.

#### **Key Audit Matters**

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our Report.

Sr. No	Key Audit Matter	Auditor's Response
1	Income Recognition , Asset Classification & Provisioning relating to Advances  Advances constitute 46.53% of the Bank's total assets. The recognition of income on accrual basis in respect of advances extended by the Bank, Classification of advances into Performing and Non performing and provisioning thereof are in accordance with the extant prudential norms on Income Recognition and Asset Classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by Reserve bank of India from time to time (Refer Schedule 17, read with Note 3 of Schedule 18 to the financial statements).	Principal Audit Procedures  Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as under:-  ⇒ Evaluating the design of internal controls relating to implementation of prudential norms on IRAC and other related circulars/directives issued by RBI and also the internal policies and procedures of the Bank.  ⇒ Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI inspection.



लेनदेन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल आदि, प्रदर्शन और गैर-प्रदर्शन, प्रदर्शन में अग्रिमों के बारे में हमारी राय में, इस तरह के संबंध में आय की मान्यता तथा प्रदर्शन / गैर प्रदर्शन से संबंधित अग्रिमों के प्रावधानीकरण को भी ऑडिट में में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जाता है इसलिए यह एक प्रमुख आडिट मामला है।

- ⇒ नमूना आधार पर सभी बड़े अग्निमों / तनावग्रस्त अग्निमों और अन्य अग्निमों की जांच करना, जिसमें बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा भी शामिल है।
- ⇒ अन्य वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर निर्भर रहना।
- शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के ज्ञापन की समीक्षा करना और उचित कार्रवाई करना।
- ⇒ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा।
- कानूनी मामलों, विलेखों, मूल्यांकन और बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के अन्य पहलूओंपर मुख्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भरता रखना।
- ऐसे खातों के नमूने और संचालन के आधार पर चयनित उधार कर्ताओं की फाईलों की समीक्षा।
- ⇒ प्रासंगिक विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन ।
- ⇒ ब्याज आवेदन की जाँच, अन्य शुल्क, कमीशन आदि की जाँच।

#### 2 आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता जैसा कि एएस29 में परिभाषित किया गया है-प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति के लिए संभावित परिणामों और नकदी प्रवाह के आकलन की आवश्यकता होती है। आकस्मिक देनदारियों की पहचान और मात्रा का ठहराव प्रबंधन द्वारा अनुमान और निर्णय की आवश्यकता है।

(अनुसूची का 17 देखें, वित्तीय विवरणों के लिए 18 के नोट 18.12 के साथ पढें)

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मुकदमों से संबंधित मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता के मद्देनजर, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, हमने उपरोक्त क्षेत्र कोएक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है

## प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया

हमने प्रबंधन द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं का सत्यापन निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पुरा करके किया है

- अंतर्निहित मान्यताओं के कारण का मूल्यांकन ।
- मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना ।
- ⇒ विभिन्न कर प्राधिकारियों / न्यायिक मंचों से हाल के आदशों और / या संचारों की जांच और उसके बाद की कार्रवाई ।
- ⇒ रिकॉर्ड पर संबंधित दस्तावेजों की जांच ।
- उपलब्ध संबंधित बाहरी साक्ष्यों सहित विधिक अभिमत, संबंधित नयायिक प्रक्रिया एवं उद्योग प्रक्रियाओं पर भरोसा करना।
- ⇒ जहाँ-जहाँ आवश्यक हो प्रबंधन से पृष्टि लेना।

#### आईटी सिस्टम और नियंत्रण

वित्तीय विवरणों की पूरी तैयारी सीबीएस और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और उचित आईटी नियंत्रण की आवश्यकता है कि ये आईटी अनुप्रयोग प्रक्रिया डेटा अपेक्षित रूप से और बदलाव उचित तरीके से किए गए हैं। इस तरह के नियंत्रण गलत आउटपुट डेटा के अपेक्षित जोखिमको कम करने को सुनिश्चित करते हैं। ऑडिट का परिणाम मौजूदा आईटी नियंत्रण और प्रणालियों पर निर्भर है, और तदनुसार उपरोक्त क्षेत्रों को एक प्रमुख ऑडिट मामला होने के लिए निर्धारित किया जाता है।

## प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया

हमने ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आइटी नीतियों और नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निरीक्षण, नियंत्रण और मूल्यांकन करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली आइटी नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में मानकों के साथ अपनी ऑडिट प्रक्रियाओं को अंजाम दिया है।

हमने आइएस ऑडिटर द्वारा जारी रिपोर्ट पर भरोसा किया हे और जहां भी आवश्यक हो आइएस विशेषज्ञों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की है।

# गैर-निष्पादित निवेश के लिए निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान

(अनुसूची का 17 देखें, वित्तीय विवरणों के लिए 18 के नोट 2 के साथ पढें)

## निवेश बैंक की कुल संपत्ति का 30.45% हैं।

निवेश का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें

#### प्रमुख लेखा परीक्षा की प्रक्रिया

हमने मूल्यांकन, गैर-प्रदर्शनकारी निवशों की पहचान, निवेश से संबंधित प्रवधान और मल्यांकन के संबंध में भारिबैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक के आतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मल्यांकन किया और समझा।

निवेश के मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन।



Taking into consideration the nature of transactions, compliance with the Reserve Bank of India guidelines, issues involved in the valuation of securities etc., in our opinion classification of Advances into performing and non performing, recognition of income in respect of such advances and also provisioning relating to Performing/Non-Performing advances are considered to be one of the most significant matter in the audit and therefore determined to be a Key audit matter.

- Examining all large advances/stressed advances and other advances on a sample basis including review of valuation reports of independent valuers as provided by the Bank's management.
- ⇒ Relying on the audit reports of other Statutory Branch Auditors
- ⇒ Reviewing Memorandum of Changes suggested by the Branch Auditors and take appropriate action.
- Review of various audit and inspection reports made available to us in the relevant areas.
- Placing reliance on the opinions of domain experts on legal matters, titles, valuation and other aspects of securities charged to the bank.
- ⇒ Review of files of the borrowers selected on sample basis and operations of such accounts.
- ⇒ Performing relevant analytical procedures.
- Test checking of interest application, levying of other charges, commission etc.,

#### 2 Contingent Liability

The contingent liability as defined in AS 29 – provisions, contingent liability and contingent assets requires assessment of probable outcomes and cash flows. The identification and quantification of contingent liabilities require estimation and judgment by management.

(Refer Schedule 17, read with Note 18.12 of Schedule 18 to the financial statements)

In view of associated uncertainty relating to the outcome of the matters relating to litigations involving Direct and Indirect taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debts, we have determined the above area as a Key audit matter

#### **Principal Audit Procedures**

We have carried out the validation of information provided by the management by performing the following procedures

- Evaluating reasonableness of the underlying assumptions.
- Understanding the current status of the litigations/tax assessments.
- Examination of recent orders and /or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up action thereon.
- ⇒ Examining the relevant documents on record.
- ⇒ Relying on relevant external evidence available including legal opinion , relevant judicial precedents and industry practices.
- Getting management confirmation where-ever necessary.

## 3 IT Systems & Control

The entire Preparation of financial statements is highly dependent on CBS and other supporting software and hardware controls. Adequate and appropriate IT controls are required to ensure that these IT application process data as expected and changes are made in an appropriate manner. Such controls ensure mitigating the expected risk of erroneous output data. Audit outcome is dependent on the extant IT controls and systems, and accordingly the above areas are determined to be a Key audit matter.

#### **Principal Audit Procedures**

We have carried out our audit procedures with standards on auditing guidelines towards implementation of IT policies and procedures followed by the bank in order to effectively monitor, control, and evaluate the IT applications and controls to ensure effective implementation of such policies and procedures.

We have also relied on the report issued by the IS Auditor and obtained necessary inputs from IS experts wherever necessary.

# Classification and valuation of Investments, identification of and provisioning for non performing investments.

(Refer Schedule 17, read with Note 2 of Schedule 18 to the financial statements)

Investments constitute 30.45% of the total assets of the bank.

Valuation of Investments are done as per the guidelines,

#### **Principal Audit Procedures**

We evaluated and understood the Bank's internal control systems to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments, provisioning and depreciation related to investments.

Evaluating the process adopted for collection of data from various sources for determining the value of investments.



बीएसई / एनएसई और अन्य एजेंसियों पर उद्त दरों को लागू करना शामिल होता है, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर निर्भर रहना आदि लेनदेन की मात्रा को ध्यान में रखते हैं। बैंक की पुस्तकों में किए जा रहे निवेश का मूल्य, निवेश के मूल्यांकन में शामिल जटिलताएं हमने उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना है। नॉन परफॉर्मिंग इनवेस्टमेंट की पहचान की व्यवस्था का आकलन और मूल्यांकन, ऐसे निवेशों में आय की मान्यता और नॉन परफॉर्मिंग इनवेस्टमेंट के संबंध में आवश्यक प्रावधान का निर्माण सुनिश्चित करना।

## 5 प्राथमिक और गैर प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिमों का वर्गीकरण

बैंक ने लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान प्राथमिक और गैर-प्राथमिक क्षेत्र के बीच उधारकर्ताओं के खातों का पुन: वर्गीकरण किया है।

नतीजतन, हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट विषय माना है।

हमने बैंक द्वारा क्षेत्रवार वर्गीकरण की प्रणाली की प्रभावकारिता का आकलन किया है।

हमने शाखा लेखा परीक्षा रिपोर्टी पर भरोसा किया है कि क्षेत्रवार वर्गीकरण के लिए नोडल स्तर पर शाखाओं के एकीकरण को समेकित किया गया है।

हमने क्षेत्रवार वर्गीकरण की रिपोर्टिंग की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र के वर्गीकरण में उत्पाद वार खातों के नमूने का चयन किया है।

प्राथमिकता/गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र अग्रिमों की पहचान की प्रणाली की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

## 6. कोविड-19 महामारी के प्रकाश में संशोधित ऑडिट प्रक्रियाएं की गईं

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और परिणामस्वरुप देशव्यापी लॉकदाउन और केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय अधिकारियों द्वारा हमारे लेखा परीक्षा अविध के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, हम ऑडिट को परिणाम देने के लिए शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों की शारीरिक रुप से दौरा नहीं कर सके। जहाँ शारीरिक रुप से दौरा संभव नहीं था, वहाँ लेखा परीक्षा दूरस्थ रुप से किया गया था। दो संयुक्त लेखा परीक्षक लॉक डाउन के कारण प्रधान कार्यालय का दौरा नहीं कर सके।

जहाँ भी हम विभिन्न स्थानों पर जाने में सक्षम नहीं थे, बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम, ई-मेल और संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (फिनेकल) माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड /रिपोर्ट /दस्तावेज़/ प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध कराए गए थे। हम अधिकांश शाखा कार्यालयों और क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सके। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, अधिकांश शाखा लेखा परीक्षक भी उन्हें आबंटित शाखाओं में नहीं जा सकते हैं और तदनुसार उन्होंने संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को भी अपनाया है। इस प्रकार, लेखा परीक्षा ऐसे दस्तावेज़ों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर की गई थी, जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो हमारे द्वारा ऑडिट के प्रमाण के रुप में और रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए थे।

चूंकि हम संबंधित शाखाओं/ क्षेत्रों /प्रधान कार्यालय में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से भौतिक / व्यक्तिगत रूप में ऑडिट साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऑडिट प्रक्रिया की पहचान यहां की प्रमुख लेखा परीक्षा विषय के रुप में की है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया है:

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवश्यक अभिलेखों/ दस्तावेज़ों/ रिपोर्टों की जाँच/सत्यापन और संबंधित सॉफ्टवेयर (फिनेकल) के लिए दूरस्थ पहुंच, जहाँ यह संभव नहीं था कि बैंक के कार्यालयों का दौरा किया जा सके।

दस्तावेज़ों, प्रमाण-पत्रों, रिपोर्टों, वित्तीय विवरणों और संबंधित रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन हमें रिमोट एक्सेस/ईमेल के माध्यम से इलेक्टॉनिक रुप से उपलब्ध कराया जाता है।

वीडियो कॉंफ्रेंसिंग, स्कैन की गई प्रतियाँ, ईमेल के माध्यम से दस्तावेज़, टेलिफोनिक वार्तालाप और संचार के अन्य समान तरीकों के माध्यम से सहभागिता और ऑडिट साक्ष्य जटाना।

विचार-विमर्श, डिजिटल रिकॉर्ड की प्राप्ति, टेलिफोनिक वार्तालाप और ईमेल के माध्यम से लेखा परीक्षा विसंगतियों का समाधान किया गया।

### स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल है (लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने इस इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी होने के समय और वार्षिक रिपोर्ट में निर्देशकों की रिपोर्ट सहित जारी की थी, यदि उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर जारी हमारी राय में बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 के खुलासे को शामिल नहीं किया गया है और हम इस बारे में आश्वासन के किसी भी रुप को व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपरोक्त अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ अन्य जानकारी भौतिक रुप से असंगत है या ऑडिट में प्राप्त हमारा ज्ञान या भौतिक रुप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर जो काम किया है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की साम्रगी गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।



circulars and directives issued by RBI from time to time involving applying the rates quoted on BSE/NSE and other agencies, relying on the financial statements of unlisted companies etc. Taking into consideration the volume of transactions, value of investments being carried in the books of the bank, complexities involved in the valuation of investments we have considered the above area as a Key audit matter.

Assessing and evaluating the system of identification of Non performing investments, income recognition on such investments and also ensuring creation of necessary provision in respect of Non performing investments.

## 5 Classification of Advances into Priority & Non-Priority Sector

Bank has made re-classification of borrowers' accounts between Priority & Non-Priority Sector during the year under Audit.

Consequently, we have considered this as a Key Audit Matter.

We have assessed the efficacy of the system of sector wise classification by the Bank.

We have relied on the Branch audit reports Consolidation of Branches returns at Nodal level for sector wise classification.

We have selected sample of product wise accounts in priority sector classification to determine the correctness of reporting of sector wise classification.

The system of identification of priority/non-priority sector advances needs review and revalidation.

## 6 Modified Audit procedures carried out in light of COVID-19 outbreak

Due to outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent nationwide lockdown and travel restrictions imposed by the Central Government/ State Government/Local Authorities during the period of our audit, we could not travel to the Branches, Zonal Offices, to carry out the audit processes physically. The audit was carried out remotely where physical access was not possible. Two of the Joint auditors could not visit Head office due to lock down.

Wherever we were not able to visit various locations, the necessary records/reports/documents/certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to the relevant application software (FINACLE). We could not visit most of the Branch Offices and Zones. As informed to us, most of the Branch Auditors also could not visit the Branches allotted to them and accordingly they also adopted modified audit procedures. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports, and records made available to us, which were relied upon by us as audit evidence for conducting the audit and reporting for the year under report.

Since we could not gather audit evidence physically/in person/through meetings with the officials of the Bank at the respective Branches/zones/head office; we have identified the audit procedure as contained herein as a Key Audit Matter.

We have modified our audit procedures as follows:

Conducted examination/verification of necessary records/ documents/reports electronically through e mails and remote access to the relevant software (Finacle), where it was not possible to physically visit the Offices of the Bank.

Carried out verification of scanned copies of the documents, certificates, reports, financial statements, and related records made available to us electronically through remote access/ emails.

Interaction and gathering audit evidence through video conferencing, scanned copies, documents through emails, telephonic conversations, and other similar modes of communication.

Resolved audit observations through discussions, receipt of digital records, telephonic conversations and e mails.

## Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance report (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon), which we obtained at the time of issue of this auditors' report, and the Directors' Report including annexures in annual report, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the

Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.



जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक यदि कोई हो, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई साम्रगी गलत है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ प्रभारित लोगों से बात करने की आवश्यकता है।

## स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा वे सभी जिन पर शासन का प्रभार है तथा प्रबंधन की जिम्मदारी

बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों जोकि आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक के वितृतीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखामानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देशानसार तैयार किए वित्तीय विवरणों के संबंध में जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जोकि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रृटि के कारण भी हुई हो शामिल है

जबतक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या परिचालन को बंद करने का इरादा रखता है,या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, चिंता प्रकट करने, चिंता करने से संबंधित मामलों के लागू होने और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

#### वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

8 हमारा उद्देश्य चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव ही किसी सामग्री के गलती के मौजूद होने का पता लगाएगी। यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल में वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए उनसे यथोचित अपेक्षा की जा सकती है, तथा गलतफहमी या धोखाधड़ी से त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जिसे सामग्री माना जाता है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम एक पेशेवर निर्णय करते हैं तथा पूरी लेखा परीक्षा के द्वारा एक पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

 चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें,उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होनेवाली सामग्री से गलत विवरण का पता नहीं लगने के कारण जोखिम त्रुटि एक से अधिक रूप में परिणामित हो सकती है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को निरस्त करना शामिल हो सकती है।

- प्रबंधन के द्वारा इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तथा तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया गया है।
- लेखापरीक्षा के प्रबंधन की चिंता के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, लेखापरीक्षा के साक्ष्मों के आधार पर कि क्या कोई घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जोिक एक चिंता का विषय है एवं बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां बैंक के लिए चालू रहने के रूप में जारी रहने से वंचित कर सकती हैं।
- संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें कि क्या खुलासे सिहत वित्तीय विवरणों की ये समग्र प्रस्तुति वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो रही हो ।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में असंगत वर्णन का परिणाम है, जो व्यक्तिगत रुप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणवता कारकों पर विचार करते हैं, और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में किसी भी पहचान किए गए असंगत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के बीच योजनाबद्ध गुंजाइश लेखा परीक्षा का समय तथा लेखा परीक्षा के निष्कर्ष जिसकी हमने अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की थी के साथ किसी भी महत्वपूर्ण किमयों को शामिल करके जिनपर शासन का प्रभार है को करते हैं।

हम उन लोगों जिन पर शासन का प्रभार है तथा उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है को वक्तव्य प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और जहां कहीं भी लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय किया है।

जिन पर शासन का प्रभार को संप्रेषित मामलों में से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अविध के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले हैं। जबतक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है, हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं या जबतक कि अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले कोन हीं दर्शाया जाए, क्योंकि ऐसा करने से दुष्परिणाम स्वरूप संचार जनहित लाभ कम हो जाएंगे।

#### अन्य मामले

9. हमने बैंक के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 1587 (संख्या) शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक 87353.61 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है और उस वर्ष के लिए कुल राजस्व 12,717.98 करोड़ रुपये है, जैसा कि स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा-जोखा शाखा



When we read the Directors' Report, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

## Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter, or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### Other Matter

9. We did not audit the financial statements / information of 1587(number) branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.87353.61 crore as at 31st



लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है जो पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

इस संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

#### अन्य विधिक तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम,
   1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है।
- 11. उपरोक्त पैराग्राफ 6 से 8 में इंगित ऑडिट की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे एवं हमने उन्हें संतोषजनक पाया है:
- ख बैंक के वे सभी लेनदेन जोकि हमारे संज्ञान में थे बैंक की क्षमता के अधीन हैं; तथा
- ग बैंक की शाखाओं तथा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त पाई गयी थीं।
- 12. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :
- क हमारे द्वारा दौरान हीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विवरणियों से प्राप्त की गयी हैं एवं विधि द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा समुचित रूप से रखी गई हैं।
- ख इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी के फ्लो का विवरण, खातों की पुस्तक के साथ एवं हमारे द्वारा दौरान हीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरण के साथ हैं।

#### कृते आर सुब्रमणियन एंड कंपनी एलएलपी

सनदी लेखाकार, एफआरएन ००४१३७एस/एस २०००४१

## (एन कृष्णमूर्ति)

साझेदार एम नं 019339 यूडीआएन 20019339एएएएबीके 9664

#### कृते पात्रो एंड कंपनी

सनदी लेखाकार, एफआरएन 310100 ई

#### (पी वेंकटेश्वर राव)

साझेदार एम नं 208606

यूडीआएन २०२०८६०६ एएएएडीजेड -2510

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 25 जून 2020

- ग बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा समुचित सावधानी बरती गई है।
- घ हमारी राय में, तुलन पत्र लाभ हानि खाता तथा नकदी प्रवाह के स्टेटमेंट इस हद तक वे भारिबैं द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हुए बनाए गए हैं।
- 13. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.6270/08.91.001/2019-20 दिनांकि 17 मार्च 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए की रिपोर्टिंग उत्तरदायित्व" पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उत्तरवर्ती संसूचना दिनांकित 19 मई, 2020 के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार है:
- (क) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, यहाँ तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- (ख) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकृल प्रभाव पडता है।
- (ग) 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के उपधारा (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 से निदेशक के रुप में नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (घ) खातों और अन्य मामलों से जुड़े मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकृल टिप्पणी नहीं है।
- (ङ) जैसा कि आरबीआई ने 19 मई, 2020 को अनुमित दी थी, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से " वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है, हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं देते हैं।

#### कृते एस ए आर सी एंड एसोसएिट्स

सनदी लेखाकार, एफआरएन ००६०८५ एन

#### (चेतन ठक्कर)

साझेदार एम नं 114196 यूडीआएन 20114196एएएएबीडी 3827

#### कृते एम श्रीनिवासन एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार, एफआरएन ००४०५० एस

#### (एम श्रीनिवासन)

साझेदार एम नं 022959 यूडीआएन 20022959 एएएएएओ9969



March 2020 and total revenue of Rs. 12717.98 crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors. Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
- 11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- (a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- 12. We further report that:
- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us
- the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us

### For R SUBRAMANIAN AND COMPANY LLP

Chartered Accountants FRN 004137S / S200041

#### (N KRISHNAMURTHY)

Partner

M.No. 019339

UDIN: 20019339AAAABK9664

#### For PATRO & CO

Chartered Accountants FRN 310100E

#### (P VENKATESWARA RAO)

Partner

M.No.208606

UDIN: 20208606AAAADZ2510

Place : Chennai Date : 25.06.2020

- the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) in our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- 13. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any comment in this regard.

#### For S A R C & ASSOCIATES

Chartered Accountants FRN 006085N

#### (CHETAN THAKKAR)

Partner

M.No. 114196

UDIN: 20114196AAAABD3827

#### For M. SRINIVASAN & ASSOCIATES

Chartered Accountants FRN004050S

#### (M. SRINIVASAN)

Partner M.No.022959

UDIN: 20022959AAAAAO9969



## 31.03.2020 तक अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, नए पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बेसल ( II) पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। दिशानिर्देशों के संबंध में पिलर III अपेक्षाओं के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं।

#### जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। अपनी जोखिम एपटाइट के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में बैंक कई प्रकार का जोखिम लेते हैं। बैंक द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन से बैंक का रिस्क प्रोफाइल बदलता है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम भरे कार्यकलापों से रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पूरी जानकारी, स्पष्ट उद्देश्य और समझ के साथ जोखिम उठाया गया है ताकि इसका आकलन किया जा सके और शमन किया जा सके। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबंधन उपाय एवं प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक नियमित आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जिरए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है तािक बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीित जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीितयों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जिरए प्रदर्शित होते हैं।

बेंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-सिमित, जोखिम प्रबंधन सिमित गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबंधन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन सिमित (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन सिमित (एएलसीओ) और बाज़ार जोखिम के प्रबंधन हेतु अल्को उप सिमित, परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन सिमित (ओआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन हेतु उत्पाद/ प्रोसेस जोखिम शमन सिमित (पीआरएमसी) तथा सूचना सुरक्षा के प्रबंधन हेतु सूचना सुरक्षा सिमित का भी गठन किया है।

बेंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बेंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बेंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं और सभी आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों के लिए संयोजक हैं। विशेष रूप से जोखिम प्रबंधन में मिड ऑफिस तथा उधार समर्थन सेवाएँ विभाग और सामान्यत: अन्य प्रकार्यात्मक विभाग/ शाखा भी जोखिम प्रबंधन कार्य करते हैं तथा नीति जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के पालन / अनुपालन का प्रबोधन करते हैं। जोखिम प्रबंधकों को क्षेत्रीय कार्यालयों/ अंचल कार्यालयों में तैनात किया गया है। विभिन्न एम आइ एस को प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग के साथ समन्वयन करने के अलावा वे क्षेत्र/ अंचल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति में

सहभागिता करते हैं।

जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए मूल एप्रोच इसके प्रारंभिक बिंद के जोखिम नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। बैंक ने 31.3.2008 से प्रभावी पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल ॥) का कार्यान्वयन किया था और ये समय - समय पर भा.रि.बैं. द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में फ्रेमवर्क के अनपालन में है। बेसल ।।। दिशानिर्देशों की शरूआत 01.04.2013 से की गई है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहे हैं। बेसल ॥ फ्रेमवर्क तीन पारस्परिक सहायक पिलर पर आधारित हैं। संशोधित फेमवर्क का पहला पिलर क्रेडिट, मार्केट और परिचालनात्मक जोखिम के लिए न्युनतम पुँजी आवश्यकता से संबंधित है। दूसरा पिलर पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त पूँजी है ताकि वह अपने कारोबार में सभी प्रकार के जोखिमों का बैंक के जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण वातावरण के साथ शमन कर सकता है। भा.रि.बै. की अपेक्षा के अनुरूप बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया ( आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है ताकि वह दूसरे पिलर की अपेक्षाओं को परा कर सके। इस नीति का लक्ष्य उन सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का मुल्यांकन प्रथम पिलर जोखिमों के तहत विनियामक निर्धारकों से ऊपर करना है जिसका सामना बैंक करता है और पर्याप्त पूँजी ढाँचा सुनिश्चित करना ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे।

बेंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 02.12.2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक तनाव जांच नीति /फ्रेमवर्क तैयार किया है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषतः बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डिविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से इवेल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है। फायरवॉल और इन्ट्रूजन डिटेक्शन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है। सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग (आइ एस सेक्यूरिटी) की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके। जबिक आइ एस लेखापरीक्षा अनुभाग बैंक के विभागों और शाखाओं की आवधिक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा की देख-रेख करता है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है। नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है।

बेसल ॥ फ्रेमवर्क के तहत परिकल्पित उन्नत पहलों को माइग्रेट करने के लिए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया को उन्नत बनाने की प्रक्रिया में सलंग्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च 2013 से प्रभावी लिक्किडिटी जोखिम प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दिशानिर्देश में विभिन्न स्तरों पर घरेलू व विदेशी परिचालनों समेत समेकित बैंक परिचालनों की तैयारी व प्रस्तुति शामिल है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने प्रणाली व प्रक्रिया तैयार की है।



#### **ADDITIONAL DISCLOSURES AS ON 31.03.2020**

Reserve Bank of India issues guidelines on Basel III Capital Adequacy Framework from time to time. In terms of the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

#### **RISK MANAGEMENT**

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which include policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder's value through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated broadly through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Risk Management Committee (CRMC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO), Funds Committee for managing market risk, Operational Risk Management Committee (ORMC) and Product/Process Risk Mitigation Committee (PRMC) for managing operational risk, and Information Security Committee for managing Information security.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank and is the convener for all the internal risk management committees. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept., in particular, and other functional departments/ branches in general also carry out the risk management functions and monitor the adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices and Zonal Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional and Zonal Level

Credit Approval Committees.

The basic approach to manage risk more effectively lies with controlling the risk at the point of its origination. The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013 and bank is maintaining capital as per the guidelines. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI Circular, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events in line with the guidelines issued by RBI on 2nd December 2013. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly suitable proactive steps are taken to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO/ RMCB / Roard

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centers and Central, Dual connectivity from different alternate service/ alternate providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. A Security Operating Centre (SOC) has been established by the Information System Security Department to monitor and analyse the information security incidents to take corrective steps while IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's department and branches. The bank has finetuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercise are conducted by external experts.

The Bank is also in the process of upgrading its risk management systems and procedure for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

Reserve Bank of India has issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from March 2013. The guideline covers preparation and submission of consolidated bank operations including domestic operations and overseas operations separately at various frequencies. The bank has put in place system and procedure in this regard in compliance with the RBI guidelines.



तरलता कवरेज अनुपात व निवल स्थायी वित्त पोषण अनुपात विषयक भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के संदर्भ, बैंक जनवरी 2015, इसके बाद भा.रि.बैं. को एलसीआर दर्ज कर रहा है। एलसीआर का कार्यान्वयन 60 प्रतिशत के न्यूनतम आवश्यक अपेक्षा के साथ 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध किया गया है जो 1 जनवरी 2019 तक धीरे – धीरे 100 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। 30.09.2019 को हमारे बैंक का एलसीआर 331.84% है जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय तिमाही के तीन महीनों का औसत है । आरबीआई ने अपने दिनांक 29 नवंबर 2018 के परिपन्न संख्या आरबीआइ/ 2018-19/84 डीबीआर.बीपी .बीसी . संख्या 08/21.04.098/2018-19 के माध्यम से सूचित किया है कि निवल स्थिर निधिपोषित अनुपात (एनएसएफ़आर) की गणना व निगरानी 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी । जब कभी भी आरबीआई के द्वरा एनएसएफ़आर के बारे में सूचित किया जाएगा तब बैंक रिपोर्ट कर देगा ।

बेसल ।।। ने एक सरल, पारदर्शी व गैर जोखिम आधारित लेवरेज अनुपात की शुरूआत की है, जिसे जोखिम आधारित पूँजी अपेक्षा के लिए विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में कार्य करने के लिए जांचा जाता है। बैंक को भी लेवरेज अनुपात पर नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है और 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर भा.रि.बैं. को रिपोर्ट कर रहा है।

भा.रि.बैं. ने बैंक द्वारा जून 30 2013 को समाप्त तिमाही के बेसल 3 पूँजी अनुपात के साथ 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी चरणबद्ध रूप से कार्यान्वियत किए जाने के लिए भारत में बेसल ।।। पूँजी विनियामकों को कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार इनका अनुपालन

## बेसल - ॥। के तहत स्तंभ ॥। प्रकटीकरण के अनुसार वांछित विवरण

प्रयोज्यता की संभावना और पुँजी पर्याप्तता

#### तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना

बैंकिंग समूह का नाम जहां यह रूपरेखा लागू होती है

- (i) गुणात्मक प्रकटीकरण
- (क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

### कर रहा है।

बेसल ॥ फ्रेमवर्क के तीसरे स्तंभ का अभिप्राय बाज़ार अनुशासन से है। बाज़ार अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूँजी आवश्यकता और स्तम्भ ॥ के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ 1 से 11 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूँजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मुल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूँजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1) अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूँजी पर्याप्तता (डीएफ-2), (3) उधार जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम: पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम शमन: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-5), (6) प्रतिभृतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-6), (7) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-7), (8) परिचालन जोखिम (डीएफ-8), (9) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) (डीएफ-9), (10) काउंटर पार्टी उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-10), (11) पूँजी का संघटन (डीएफ-11) और (12) लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (डी एफ 18) । यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी भी प्रदान करेगा।

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	क्या ईकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या ईकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है(हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावना के सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
ओडिशा ग्रामीण बैंक	हाँ	ईिकटी विधि	नहीं	ईक्रिटी विधि	लागू नहीं	एसोसियेट – समेकन की संभावना के अंतर्गत नहीं आते
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	हाँ	आनुपातिक समेकन विधि	नहीं	आनुपातिक समेकन विधि	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम – विनियामक समेकन की संभावना के
इंडियन इंटरनेशनल बैंक , बेरहद, मलेशिया	हाँ	आनुपातिक समेकन विधि	नहीं	आनुपातिक समेकन विधि	लागू नहीं	अंतर्गत नहीं आते हैं



With regard to the RBI guidelines on Liquidity Coverage ratio and Net Stable funding ratio, Bank is reporting LCR to RBI from Jan. 2015 onwards. The implementation of the LCR has been phased in from January 1, 2015 with a minimum mandatory requirement at 60 per cent, which has gradually increased to 100 per cent by January 1, 2019. Our Bank's LCR as on 30.09.2019 was 331.84% (based on the average of 3 months of Q2 of FY 2019-20.) . RBI vide their circular number RBI/2018-19/84 DBR.BP.BC.No.08/21.04.098/2018-19 dated Nov 29, 2018 advised that the calculation and monitoring of Net stable funding ratio (NSFR) will come into effect from April 1, 2020. The bank shall accordingly report NSFR as and when advised by RBI.

Basel III has introduced a simple, transparent and non-risk based leverage ratio, which is calibrated to act as a credible supplementary measure to the risk based capital requirement. Bank has been in compliance with the regulatory requirement on Leverage ratio and reporting to RBI on a quarterly basis from the guarter ending June 30, 2013

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June

#### Data Required as per Pillar III disclosure under Basel III

1. Scope of Application and Capital Adequacy

#### TABLE DF -1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies

- (i) Qualitative disclosures:
- a. List of group entities considered for consolidation:

30, 2013. The bank is complying with the same.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI, a set of disclosure (both qualitative and quantitative) is published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardized Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10),(k) Composition of Capital (DF 11) and Leverage ratio common disclosure template (DF-18). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of con- solidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Odisha Gramin- ya Bank	Yes	Equity Method	No	Equity Method	NA	Associate- Not under the scope of con- solidation
Universal Sompo General Insurance	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Proportionate Consolidation Method	NA	Joint Venture: Not under scope of Regulatory consoli-
Indian In- ternational Bank, Berhad, Malaysia	Yes	Proportionate Consolidation Method	No	Proportionate Consolidation Method	NA	dation



## (ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईिकटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	ईकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियमक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)		
नोट							

#### ii. मात्रात्मक प्रकटीकरण

## क. समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(रु. करोड में)

निगमन के देश/ ईकाई का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति(विधिक
जैसा ऊपर (।) क में इंगित किया	-	इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में	इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में
गया है		उल्लिखित)	उल्लिखित)
ओडिशा ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	782.19	14508.63

## ख. सभी अनुषंगी इकाइयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन के देश / अनुषंगी का नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी(विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
		लागू नहीं		

## ग. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाइयों के नाम	ईकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलनपत्र में उल्लिखित)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारित प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	साधारण बीमा	368.20	18.06	सीआरएआर में 1 बीपीएस से कम की कटौती

## (च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा:

### लागू नहीं

## तालिका डीएफ-2: पूँजी पर्याप्तता

### गुणात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बेसल III पूँजी नियमकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2013 से लागू हैं जहाँ बैंक 30 जून 2013 को समाप्त तिमाही से अपनी बेसल III की पूँजी की घोषणा कर रही हैं। बैंक उपरोक्त दिशानिर्देशों साथ अनुपालन कर रहे हैं।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के केंद्रीय कार्यालय में संबधित आँकड़ों के आधार पर बाज़ार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी की गणना की है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत क्रेडिट जोखिम के लिए पूँजी की गणना में बैंक अपने केन्द्रीय कार्यालय की पोर्टफोलियो से इतर प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर निर्भर है। सभी प्रकार के ऋणों में क्रेडिट जोखिम पूँजी की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के

दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधारकर्तावार या सुविधा प्रकार आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और सीबीएस के ज़िरए शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कुल जोखिम भारित आस्ति अर्थात जोखिम भारित आस्ति की पूँजी के 9% के न्यूनतम अनुपात को बनाए रखना नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी फ्रेमवर्क 5.5% के न्यूनतम सीईटी के साथ 7% न्यूनतम टियर। सीआरएआर के अनुरक्षण की बात करता है। कुल पूँजी (टियर 1 पूँजी + टियर 2 पूँजी) को नियमित आधार पर जोखिम भारित आस्तियों का कम से कम 9% अवश्य होना चाहिए। बेसल।।। के निर्देशों के अनुसार, आरडब्ल्यूए की 5.5% की न्यूनतम कॉमन ईक्विटी टियर। पूँजी के अतिरिक्त बैंक द्वारा सामान्य ईक्विटी टियर। पूँजी के रूप में 0.625% प्रतिवर्ष की वृद्धि सहित 31.03.2016 से 31.03.2020 तक की संक्रमणशील व्यवस्था के साथ आरडब्ल्यूए की 2.5% को पूँजी संरक्षण बफर के तौर पर बनाए रखने की आवश्यकता है। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27.03.2020 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचित किया है कि पूँजी संरक्षण बफर



#### b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of		
		the legal entity)		of the entity	the legal entity)		
Note							

#### ii. Quantitative disclosures:

#### a. List of Group entities considered for consolidation

(Rs. in Crore)

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Odisha Graminya Bank	Banking	782.19	14508.63

## b. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's hold- ing in the total equity	Capital deficiencies
		Not applicable		

#### c. The aggregate amounts (e.g. currant book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Eq- uity (as stated in the ac- counting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's hold- ing in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regu- latory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Universal Sompo General Insurance	General Insur- ance	368.20	18.06	Reduction of less than 1 bps in CRAR

## f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group:

#### **Not Applicable**

Table DF - 2

#### **CAPITAL ADEQUACY**

#### Qualitative disclosures:

Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in a phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ending June 30, 2013. The bank is complying with the same.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Central Office of the bank. In all loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation

advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the Branch level, Regional Office level and Central Office level through CBS System.

RBI has prescribed that banks are required to maintain a minimum total capital (MTC) of 9% of total risk weighted assets (RWAs) i.e. capital to risk weighted assets (CRAR). The framework issued by RBI prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 7% with a minimum CET 1 of 5.5%. Total Capital (Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital) must be at least 9% of RWAs on an ongoing basis. As per Basel III guidelines, in addition to the minimum Common Equity Tier 1 capital of 5.5% of RWAs, banks are also required to maintain a capital conservation buffer (CCB) of 2.5% of RWAs in the form of Common Equity Tier 1 capital with a transitional arrangement from 31.03.2016 to 31.03.2020 with an increase of 0.625% every year. However, RBI Press release of 27.03.2020 has informed the deferment of the implementation of the last



(सीसीबी) के 0.625% की अंतिम किश्त के कार्यांवयन को मार्च 31,2020 से सितंबर 30, 2020 तक आस्थगित कर दिया है , 31.03.2020 को बैंक द्वारा 1.875% की सीसीबी बनायी रखनी चाहिए ।

पूँजी संरक्षण बफर को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि बैंक सामान्य समय(तनाव ग्रस्त समय के अलावा) में अपनी पूँजी को बढ़ा सके जिसे तनाव ग्रस्त समय में हुई हानि के समय इस्तेमाल किया जा सके। बैंक तनाव ग्रस्त है अतः आरबीआई के द्वारा बताए गए 1.875% की सीसीबी को बनाए रखने में अक्षम है। हालाँकि, बैंक ने सीसीबी के अनुरूप 31.03.2020 तक सीईटी1 की प्रतिशतता बरकरार रखी है। बैंक निरंतर आधार पर पूँजी पर्याप्तता (सीसीबी के अलावा) का रखरखाव कर रहा है।

बेंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तंभ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम प्रवृत्ति, जहाँ कही लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

बेसल III फ्रेमवर्क के अंश के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लीवरेज अनुपात अवधारणा शुरू की है। लीवरेज अनुपात टायर । पुँजी (कॉमन इक्विटी + अतिरिक्त टियर ।) तथा कुल जोखिम (बेसल ।।। के तहत परिभाषितानुसार) का अनुपात है। लीवरेज अनुपात का अनुरक्षण तिमाही आधार पर किया जाना है। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई न्यूनतम लिवरेज़ अनुपात निर्धारित नहीं किया । आरबीआइ द्वारा ने परिपन्न संख्या आरबीआइ /2018-19/225 डीबीआर .बीपी.बीसी. सं. 49/21.06.201/2018-19 दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से अंतिम दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि गैर – देशीय प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (डीएसआइबी) द्वारा 01.10.2020 से 3.5% के लिवरेज़ अनुपात का रखरखाव किया जाना है । मार्च 2020 के लिए बैंक का लिवरेज अनुपात 3.52% है जो कि आरबीआइ द्वारा निर्धारित वांक्षित स्तर 3.50% से अधिक है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) तथा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) जैसी दो न्यूनतम मानकों के संबंध में दिशानिर्देश ज़ारी किया है। संभाव्य चलस्थितियों से संबंधी बाधाएँ उत्पन्न होने पर 30 दिनों तक गंभीर मौद्रिक तनाव की स्थिति से जूझने के लिए बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्तियों को सुनिश्चित करते हुए एलसीआर बैको को अल्पकालिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। एलसीआर व एनएसएफआर अपीक्षाएँ क्रमश: 1 जनवरी 2015 से बैंकों पर बाध्य होंगी। बैंकों को संक्रमण अवधि प्रदान करने के मद्देनजर कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अपेक्षा न्यूनतम 60% होगी अर्थात यह 1 जनवरी 2015 से प्रभावी होगी और नीचे दी गई समय सीमा के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए समान चरणों में बढ़ोतरी अपेक्षित है:

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %

साथ ही , भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या आरबीआइ/2019-20/217 डीओआर.बीपी.बीसी. सं. 65/21.04.098/2019-20 दिनांकित 17 अप्रैल 2020 के माध्यम से बैंकों को एलसीआर का रख रखाव निम्न रूप से करने हेतु सूचित किया है :

परिपत्र की तिथि से 30 सितंबर 2020 तक	80 प्रतिशत
01 अक्तूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक	90 प्रतिशत
01 अप्रैल 2021 से	१०० प्रतिशत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29.11.2018 के परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 8/21.04.098/2018-19 के माध्यम से एनएसएफआर (निवल स्थिर फंडिंग अनुपात) के कार्यांवयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। परिपत्र के अनुसार, एनएसएफआर दिशानिर्देश अप्रैल 1, 2020 से प्रभावी होंगे। कोविड 19 के प्रकोप के कारण, आरबीआइ ने परिपत्र सं. डीओआर .बीपी. बीसी. सं. 46/21.04.098/2019-20 दिनांकित 27.03.2020 के द्वारा एनएसएफआर दिशानिर्देशों के कार्यांवयन को आस्थिगत करने का निर्णय लिया है। ये दिशानिर्देश 01 अप्रल 2020 के स्थान पर 01 अक्तूबर 2020 से प्रभावी होंगे। उपरोक्त अनुपात चालु आधार पर कम से कम 100% के समान होगा। बैंक एनएसएफआर दिशानिर्देशों का अनुपालन करने को तैयार है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटीकरण	31.03.2020 को
क) उधार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता	
<ul> <li>मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र</li> </ul>	7621.18
• जांचकरण एक्स्पोज़र	0.00
ख) बाज़ार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता:	
• मानकीकृत आवधिक पहुँच	
- ब्याज दर जोखिम	449.21
- विदेशी परिचालन जोखिम	0.00
- एक्विटी जोखिम	536.06



tranche of 0.625% of Capital Conservation Buffer (CCB) from March 31, 2020 to September 30, 2020. As on 31.03.2020, Banks should maintain CCB of 1.875%.

As Capital Conservation Buffer is designed to ensure that banks build up capital buffers during normal times (i.e. outside periods of stress) which can be drawn down as losses are incurred during a stressed period. The bank is under stress and hence, was not able to maintain the desired CCB of 1.875% in total CRAR of the Bank as stipulated by RBI. However, Bank has maintained the CET1 percentage with CCB as on 31.03.2020. Bank has been maintaining capital adequacy (excluding CCB) on an ongoing basis.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards adequacy of capital available to meet the residual risk as part of Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy, the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite.

As part of Basel III framework RBI has introduced Leverage

Ratio concept. The leverage ratio is the ratio of Tier-1 capital (Common Equity + Additional Tier I) and total exposure (as defined under Basel III). The leverage ratio has to be maintained on a quarterly basis. Final guidelines was issued vide RBI circular RBI/2018-19/225 DBR.BP.BC.No.49/21.06.201/2018-19 dated: 28.06.2019 wherein it was decided that Non - Domestic Systemically Important Banks (DSIBs) have to maintain a leverage ratio of 3.5% w.e.f 01.10.2020. Bank's Leverage Ratio for the March 2020 is 3.52 % which is above the desired level of 3.50 % as stipulated by RBI.

RBI has issued guidelines on two minimum standards Viz. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity. The LCR promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that bank have sufficient high quality liquid assets (HQLA) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. With a view to providing transition time for banks, the requirement would be minimum of 60% for the calendar year 2015 i.e with effect from January 1, 2015 and rise in equal measure to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019 as per the time line given below:

	January 1, 2015	January 1,2016	January 1,2017	January 1,2018	January 1,2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further, RBI vide its circular RBI/2019-20/217 DOR.BP.BC.No.65/21.04.098/2019-20 dated April 17, 2020, advised that the banks are permitted to maintain LCR as under:

From date of circular to September 30, 2020 -	80 per cent
Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

LCR for the bank as on 31.03.2020 stood at 214.44% which is well above the RBI stipulated level of 100% as on 31.03.2020. Bank is having enough liquidity to meet sudden cash outflows.

RBI vide circular No. DBR.BP.BC.No.8/21.04.098/2018-19 of 29.11.2018 has issued final guidelines on implementation of NSFR (Net Stable Funding Ratio). As per the circular, the NSFR guidelines will come into effect from April 1, 2020. Due to Covid-19 outbreak, RBI vide circular No. DOR.BP.BC.No.46/21.04.098/2019-20 of March 27, 2020 has decided to defer the implementation of NSFR guidelines by six months. These guidelines will now come to effect from October 1, 2020 as against April 1, 2020. The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. Bank is in readiness to comply with the NSFR guidelines.

Quantitative disclosures: (Rs. in crore)

		As on 31.3.2020
a)	Capital requirements for credit risk	
•	Portfolios subject to standardised approach	7621.18
•	Securitisation exposures	0.00
b)	Capital requirements for market risk:	
•	Standardised duration approach	
	- Interest rate risk	449.21
	- Foreign Exchange risk	0.00
	- Equity risk	536.06



ग) परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता:	
• मूल संकेतक दृष्टिकोण	1331.37
• मानकीकृत दृष्टिकोण	
घ) कुल एवं इक्विटी टायर । पूँजी अनुपात	(प्रतिशत में )
शीर्ष एकीकृत समूह के लिए तथा	
• कुल पूँजी अनुपात	10.72%
• कुल सीआरएआर (आवेदन के अधीन विवेकपूर्ण तल पर)	10.72%
• कुल टायर । पूँजी अनुपात (टायर । सीआरएआर)	8.21%
• कुल एवं टायर आई पूँजी अनुपात	8.21%

#### तालिका डीएफ-3:

## उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

## गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधार जोखिम उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास से जुड़ी हानियों की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों तथा बैंक के विश संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न होता है यदि उधारकर्ता/प्रतिपक्षी ऋणदाता/ निवेशक के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम भी शामिल हैं।

## उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बेंक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर मापन व प्रबोधन के ज़िरए अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतिरक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव गुणों और अवगुणों के मूल्यांकन में सहायक है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल कारक मात्रात्मक और गुणात्मक गुण जैसे जोखिम घटकों से संबंधित हैं जैसे उद्योग जोखिम, व्यापार जोखिम, प्रबंधन जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ लागू हो) और सुविधा जोखिम इत्यादि । उद्योग क्रिसिल आधारित बाजार स्थितियों के जोखिम पर डेटा नियमित रूप से अद्यतन / समर्थित है ।

वैसे खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 100 लाख से कम है, उनकी रेटिंग आइएमएसीएस (आइसीआरए) जोखिम रेटिंग मॉडलों के तहत की जानी है । अतः सभी पात्र खाते जोखिम स्कोर रेटिंग जो कि कई जोखिम मापदंडों पर आधारित है, के अधीन है।

बैंक ने 02.01.2017 से लागू पुष्पका(वाहन ऋण) के लिए तथा मूल्य के संबंध में गैरजमानती ऋण तथा गृह ऋण "खुदरा में स्कोर करने का तंत्र" लागू किया है ।रू. 10 लाख तक के ऋण का अनुरोध करने वाले छोटे एमएसएमई उधारकराओं के लिए बैंक ने इन- हॉउस स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की है। बैंक ऋणों तथा अग्निमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों /अंचल/ केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज के अनुसार, वैसे सभी खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 25 करोड़ से ज्यादा है, उनकी रेटिंग अनिवार्यतः बाह्य रूप से की जानी है और वैसे खाते जो डाइनिमक रेटिंग हेतु पात्र है, उन्हें डायनिमक रूप से रेट किया जाना है।

#### उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बेंक ने उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त अग्रिमों पर ब्याज दर नीति, निधि एवं निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड सकता है।



c)	Capital requirements for operational risk	
	Basic indicator approach	1331.37
	The Standardised Approach	
d)	Total and Tier 1 Capital Ratio:	(in Percentage)
Fo	r the top consolidated group;	
•	Total Capital Ratio (CRAR)	10.72%
•	Total CRAR (Subject to application of Prudential Floor)	10.72%
•	Total Tier I Capital Ratio (Tier I CRAR)	8.21%
•	Total and Tier-I Capital Ratio	8.21%

#### Table DF - 3

#### CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

#### Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/ worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

#### **Credit rating and Appraisal Process:**

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated and supported by CRISIL, based on market conditions.

Accounts having exposure below Rs 100 Lacs are rated under the IMACS (ICRA) risk rating models. Thus all the eligible accounts are subjected to Risk Scores Rating spanning over a number of risk parameters.

Bank has implemented "Retail Scoring Models" for Pushpaka (Vehicle Loan), Clean Loan and Housing loan irrespective of the amount w.e.f 02.01.2017. Bank has developed in-house scoring model for rating Small MSME borrowers requesting for loans upto Rs.10 lacs.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Committees have been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers.

As per Loan policy Document of the Bank, all the Accounts having an exposure above Rs 25.00 Cr are mandatorily externally rated and the Accounts eligible for dynamic rating are rated dynamically.

#### **Credit Risk Management Policies:**

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The Credit Risk Management Committee (CRMC) takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Interest Rate Policy on Advances, Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.



## (रूपये करोड़ में)

त्मक प्रकटीकरण	31.03.20
अ) कुल सकल क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर:	
निधि आधारित	223142.
गैर निधि आधारित	23836.
कुल	246978.
आ) भौतिक वितरण एक्सपोजर:	
• घरेलू	
निधि आधारित	127335.
गैर निधि आधारित	16381.
• विदेशी	
निधि आधारित	7435.
गैर निधि आधारित	1782.
इ) एक्सपोजर, फंड आधारित और गैर-निधि अलग-अलग उद्योग प्रकार	अनुबंधि
ई) परिसंपत्तियों की अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्कता ब्रेकडाउन	अनुबंधि
उ) एनपीए का मूल्य (कुल)	19912.
• अवमानक	5226.
• संदिग्ध	13602.
(क) डी1	2384.
(ख) डी2	9629.
(ग) डी3	1588.
• हानि	1083.
ऊ) निवल एनपीए	6602.
ऋ) एनपीए अनुपात	
• कुल अग्रिमों पर कुल एनपीए	14.78
• निवल एनपीए पर निवल एनपीए	5.44
<ul><li>ऌ) एनपीए की प्रवृत्ति (कुल)</li><li>शुरुआती बकाया(01.04.2017)</li></ul>	22200
• सुरुजाता बकावा(01.04.2017) • जोड़	33398. 7225.
• আড় • ঘटাব	20710.
<ul><li>अंतिम बकाया (31.03.2018)</li></ul>	19912.
ए) एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	13312.
• प्रारंभिक शेष (01.04.2019)	18647.
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	11171.
• बट्टे खाते में डाला गया अतिरिक्त प्रावधानों का प्रलेखन	16835.
• अंतिम शेष (31.03.2020)	12983.
ऐ) अनर्जक निवेशों की राशि	1948.
ओ <sub>)</sub> अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	1674.



(Rs. in crore)

Qu	antitative disclosures:	31.03.2020
a)	Total gross credit risk exposures:	
	Fund based	223142.19
	Non fund based	23836.07
	Total	246978.26
b)	Geographic distribution of exposures :	
	Domestic	
	Fund based	127335.65
	Non Fund based	16381.49
	Overseas	
	Fund based	7435.76
	Non Fund based	1782.29
c)	Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately	Annexed
d)	Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e)	Amount of NPAs (Gross)	19912.70
	Substandard	5226.19
	Doubtful	13602.57
	(a) D1	2384.98
	(b) D2	9629.06
	(c) D3	1588.53
	• Loss	1083.94
f)	Net NPAs	6602.80
g)	NPA Ratios	
	Gross NPAs to gross advances	14.78%
	Net NPAs to net advances	5.44%
h)	Movement of NPAs (Gross)	
	Opening balance (01.04.2019)	33398.12
	Additions	7225.33
	Reductions	20710.75
	Closing balance (31.03.2020)	19912.70
i)	Movement of provisions for NPAs	
	Opening balance (01.04.2019)	18647.23
	Provisions made during the period	11171.83
	Write off / Write back of excess provisions	16835.58
	Closing balance (31.03.2020)	12983.48
j)	Amount of Non-Performing Investments	1948.34
k)	Amount of provisions held for non-performing investments	1674.61



औ) निवेशों पर मूल्य हास के लिए प्रावधान का उतार – चढाव	
• प्रारंभिक शेष (01.04.2019)	2268.31
• अवधि के दौरान किए गये प्रावधान	611.61
• बट्टे खाते में डाला गया /अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	284.05
• अंतिम शेष (31.03.2020)	2595.87

## 1. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

## (रू. करोड़ों में)

(रू. करोड़ों में)

विवरण	राशि
दिन 1	16316.43
2 दिन – 7 दिन	14857.63
8 दिन – 14 दिन	10651.95
15 दिन – 30 दिन	5424.05
31 दिन – 2 माह	10086.59
2 माह – 3 माह	11379.21
3 माह – 6 माह	21483.41
>6 माह – 12 माह	36151.41
>1 বর্ष – 3 বর্ष	37987.91
>3 বর্ष – 5 বর্ष	13993.69
> 5 বর্ष	90587.83

## 2. उद्योगवार प्रकटीकरण

उद्योग का नाम	31.03.2020 को बकाया
खनन व क्वेरियिंग	3772
खाद्य प्रसंस्करण	4470
उनमें से चीनी	744
उनमें से खाद्य तेल व वनस्पति	932
उनमें से चाय	141
बेवरेज़ व तंबाकू उत्पाद	718
सूती वस्त्र	4159
जूट वस्त्र	171
हस्तशिल्प/ खादी ( गैर प्राथमिक)	340
अन्य वस्त्र उद्योग	2820
चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	684
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	714
कागज व कागज उत्पाद	1809
पेट्रोलियम (गैर- इंफ्रा) , कोयलान उत्पाद ( गैर- खनिज) एवं नाभिकीय इंधन	1592
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेंटस, इत्यादि )	3332
उनमें से उर्वरक	1595
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	614
उनमें से अन्य	1123



I)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	Opening Balance (01.04.2019)	2268.31
	Provisions made during the period	611.61
	Write-off / Write-back of excess provisions	284.05
	• Closing Balance (31.03.2020)	2595.87

## Residual contractual Maturity break down of Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Amount
Day 1	16316.43
2 Days – 7 Days	14857.63
8 Days – 14 Days	10651.95
15 Days – 30 Days	5424.05
31 Days – 2 Months	10086.59
2 Months – 3 Months	11379.21
3 Months – 6 Months	21483.41
>6 Months – 12 Months	36151.41
>1 Year – 3 Years	37987.91
>3 Years – 5 Years	13993.69
> 5 Years	90587.83

## **INDUSTRY WISE EXPOSURES**

(Rs. in crore)

w. Nowa	Exposure	
Industry Name	as on 31.03.2020	
Mining and quarrying	3772	
Food Processing	4470	
Of which Sugar	744	
Of which Edible Oils and Vanaspati	932	
Of which Tea	141	
Beverages and Tobacco	718	
Cotton Textiles	4159	
Jute Textiles	171	
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	340	
Other Textiles	2820	
Leather and Leather Products	684	
Wood and Wood Products	714	
Paper and Paper Products	1809	
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1592	
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	3332	
Of which Fertilisers	1595	
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	614	
Of which Others	1123	



रबर , प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1349
ग्लास एवं ग्लासवेयर	135
सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	1585
लौह एवं स्टील	9258
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	2839
सभी इंजीनियरिंग	5463
उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	1231
वाहन , वाहन के भाग , परिवहन साधन	3260
रत्न व आभूषण	2887
निर्माण	1150
इंफरास्ट्रक्चर	27584
उनमें से रोडवेज़	8709
उनमें से शक्ति	12148
उनमें से तार संचार	3163
अन्य उद्योग	149
अवशिष्ट अन्य अग्रिम	142162
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	71
कुल ऋण व अग्रिम	222402

### तालिका डीएफ -4:

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण:

#### सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बेसल ॥ पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

#### बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल ॥) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सात देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई),क्रिसिल लि, इंडिया रेटिंग्स (पहले फिच इंडिया के नाम से जाना जाता था), इकरा लि.,ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. ,छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) और इनफोमेरिक्स मूल्यांकन एवं रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इनफोमेरिक्स) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है। तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है।

बैंक पूँजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल प्रार्थित बाहरी रेटिंग्स का उपयोग

करता है । 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है।

विदेशी एक्सपोज़र की पूँजी परिकलन के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग ऐजेंसियों जैसे फिच , मूडी एवं स्टैंडर्ड व पूअर द्वारा प्रदत्त रेटिंग्स का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के ऋण नीति दस्तावेज के अनुसार , वैसे सभी खाते जिनका एक्सपोज़र रु. 25 करोड़ से ज्यादा है , उनकी रेटिंग अनिवार्यतः बाह्य रूप से की जानी है।

#### आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है। बैंक द्वारा विभिन्न खंडों के अंतर्गत आने वाले खातों को रेट करने के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) प्रयोग किया जाता है। रैम मॉडल को जून 2018 में सर्वोत्तम जोखिम प्रैक्टिस शामिल करते हुए अद्यतित किया गया है। साथ ही बैंक ने उधारकर्ता जोखिम के उचित मूल्यांकन हेतु 7 अतिरिक्त मॉडल खरीदे। उधारकर्ता के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर आधारित रेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक ने "डाइनमिक रेटिंग" की अवधारणा की शुरुआत की है, जो कि कुछ ट्रिगर्स पर आधारित हैं। रणनीति के तौर पर रिटेल, कृषि व एमएसएमई(आरएएम) के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने 01.01.2017 में रिटेल स्कोरिंग मॉडल की शुरुआत की है और इसे ऑनलाइन ऋण प्रसंस्करण के साथ एकीकृत किया है। रेटिंग सत्यापन क्रेडिट विभागों से स्वतंत्र है।

आंतरिक रेटंग्स के आधार पर , प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लिया जाता है। बैंक ने नए खातों के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया है। प्रवेश स्तर पर से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।



Rubber, Plastic and their products	1349
Glass & Glassware	135
Cement and Cement Products	1585
Iron and Steel	9258
Other Metal and Metal Products	2839
All Engineering	5463
Of which Electronics	1231
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3260
Gems and Jewellery	2887
Construction	1150
Infrastructure	27584
Of which Roadways	8709
Of which Energy	12148
Of which Telecommunications	3163
Other Industries	149
Residuary Other Advances	142162
Of which Aviation Sector	71
Total Loans and Advances	222402

#### Table DF-4:

## CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

#### **General Principle:**

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted New Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

#### **External Credit Ratings:**

Rating of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRAs) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the Basel II Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of seven domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, India Ratings (formerly known as FITCH India), ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd., Acuite Rating and Research (erstwhile SMERA) and INFOMERICS Valuation and Rating Pvt. Ltd. (INFOMERICS).

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

The bank uses only solicited external ratings for capital

computation purpose. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI quidelines.

As per Loan policy Document of the Bank, all the Accounts having and exposure above Rs 25.00 Cr are mandatorily externally rated.

#### **Internal Credit Rating:**

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower. Bank has put in place a Risk Assessment Model (RAM) to rate accounts under various segments. The RAM model was updated in June-18 to incorporate the best risk management practices. Further, Bank procured 7 more models for appropriate assessment of borrower risk. Rating has been made compulsory based on the Audited Balance sheet of the Borrower. Bank has also introduced the concept of "Dynamic Rating", which is based on certain triggers. Realizing the focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) growth as strategy, Bank introduced Retail Scoring Model on 01.01.2017 and integrated with on-line loan processing. The rating validation is independent of credit departments.

Based on the internal ratings, credit decisions are taken as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the prescribed rating entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.



मात्रात्मक प्रकटीकरण: (रू. करोड़ में)

वर्गीकरण	ताश्चप के नेरक मक (मएएइ) रजोपक्सए	बाहरी रेटिंग के अधीन कवर्ड इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम/निवेश 100% जोखिम भार से कम 100% जोखिम भार 100% से अधिक जोखिम भार घटाएँ	118997.17 38382.64 7254.92	15079.52 8927.11 5386.88	103917.64 29455.53 1868.04
qciq	0.00	0.00	0.00
कुल	<u>164634.72</u>	<u>29393.51</u>	<u>135241.22</u>
<u>अन्य आस्तियाँ</u>			
100% जोखिम भार से कम	28267.57	2745.83	25521.74
100% जोखिम भार	3003.67	0.00	3003.67
100% से अधिक जोखिम भार	6.33	0.00	6.33
घटाएँ	0.00	0.00	0.00
कुल	31277.56	2745.83	<u>28531.74</u>

## तालिका डीएफ - 5:

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

### उधार जोखिम को करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋन देते समय सामान्यता स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है तािक बैंक के हित की सरक्षा/रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभृतियों का प्रशासन/प्रबोधन भी हो।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

### क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचिता अनुसार, बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग़ से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उद्धार जोखिम पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है।

## ख) ऑन बैलेंस शीट नेटींग:

उधार जोखिम कम करने की तकनीक तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटींग की गणना की गयी है ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोज़र के आधार पर किया जाता है।

### ग) पात्र गारंटियाँ

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं – क) क्रेंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसई (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ड़) साख- पत्र के अधीन खरीदे/ बट्टे खाते में डाले गये बिलों के रूप में बैंक गारंटी (धिशानिर्देशों के अनुसार देशी और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

#### उधार जोखिम को कम करने में सकेंद्रीकरण जोखिम

बेंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम शमन में कोई संकेंद्रन जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा/ उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

गुणात्मक प्रकटीकरण (रू. करोड़ में)

ब्यौरा	31.03.2020 तक राशि
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	29692.99



#### Quantitative disclosures:

(Rs. in crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	118997.17	15079.52	103917.64
100% risk weight	38382.64	8927.11	29455.53
More than 100% risk weight	7254.92	5386.88	1868.04
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	164634.72	29393.51	135241.22
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	28267.57	2745.83	25521.74
100% risk weight	3003.67	0.00	3003.67
More than 100% risk weight	6.33	0.00	6.33
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31277.56	2745.83	28531.74

#### Table DF - 5

## CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

#### Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

#### Credit Risk Mitigation under Standardized Approach:

#### (a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital.

#### (b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on-balance sheet

netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

#### (c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

#### Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigant the bank uses for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

#### **Quantitative Disclosures**

(Rs. in crore)

Particulars	Amount As on 31.03.2020
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible financial collaterals after the application of haircuts	29692.99



देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयाँ	335.33
बैंकों – अनुसूची (आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाई में विदेशी बैंकों का दावा	0.00
प्राथमिक डीलर	0.00
कॉर्पोरेट	2788.99
विनियामक रिटेक पोर्टफोलियो (आर आर पी)	18748.41
आवासीय संपति द्वारा प्रतिभूत दावे	7.33
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	31.15
उपभोक्ता ऋण	4596.72
पूँजी बाज़ार एक्सपोज़र	0.20
एनबी एफ सी	0.87
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ – क) आवासीय ऋण	0.03
अनर्जक आस्तियाँ – ख) अन्य	47.64
अन्य आस्तियाँ – स्टाफ ऋण	8.89
अन्य आस्तियाँ	3127.34
पुनर्संरचित खाते	0.00
वाणिज्यिक संपत्ति- आर एच द्वारा प्रतिभूत दावे	0.08
पुनर्संरचित गृह ऋण	0.00
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद ) जो कि गारंटी/ ऋण व्युत्पन्नी द्वारा कवर किया गया है (जब भी आरबीआई द्वारा विशेषरूप से अनुमति प्रदत्त)	1152.96
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	0.00
कॉर्पोरेट	1151.90
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो ( आर आर पी)	1.06
पुनर्संरचित खाते	0.00
सीआरई	0.00
सीआरई- आरएच	0.00

## तालिका डीएफ 6

## प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

## तालिका डीएफ – 7 : ट्रेडिग बुक में बाज़ार जोखिम गुणात्मक प्रकटीकरण :

### बाज़ार जोखिम:

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, इक्विटी कीमतें तथा कमोडिटी कीमतों जैसे बाजार व्युत्पन्न द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गित के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग

बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित व्युत्पन्न से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और इक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है।

## बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बेंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और व्युत्पन्न नीति हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा



Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Enterprises	335.33
Banks-Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank denominated in FCY	0.00
Primary Dealers (PD)	0.00
Corporates	2788.99
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	18748.41
Secured by Residential Property	7.33
Secured by Commercial Property	31.15
Consumer Credit	4596.72
Capital Market Exposure	0.20
NBFC ND	0.87
Venture Capital	0.00
N.P.A. housing loan	0.03
N.P.A. Others Loan	47.64
Staff Loans	8.89
Other Assets	3127.34
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
Claims secured by Commercial Property - RH	0.08
Restructured Housing Loan	0.00
For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	1152.96
Public Sector Enterprises	0.00
Corporates	1151.90
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1.06
Restructured / Rescheduled Accounts	0.00
CRE	0.00
CRE-RH	0.00

#### Table DF - 6

## SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

No Securitization for the half year ended 31.03.2020

#### Table DF - 7

#### Market Risk in Trading Book

#### Qualitative disclosure:

#### Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book

(Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

#### Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk



उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जिरए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अविशष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धित को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जिरए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक ओवरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से अल्को (एएलसीओ) में रखा जाता था । हालाँकि आरबीआइ के हालिया परिपत्र के अनुसार , मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम की संगणना की जानी है तथा आरबीआइ को रुपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज़ केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बेंक ने अल्पाविध गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अविशष्ट पिरपक्ता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जिरए मूल्यांकित किया जाता है। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक घरेलू ट्रेजरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जिरए पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्वलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जिरए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने अविध अंतराल विश्लेषण फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गित के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन तथा अविध अंतराल आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (अल्को ) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। कार्यरत मिड ऑफिस विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

चूंकि ब्याज दर की गित अस्थिर होती है, खासकर रु. 2 करोड़ व इससे अधिक पर ,अतः इस तरह के जमा पर प्रतिस्पर्धी दरों को उद्गत करने हेतु दैनिक आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। एएलसीओ की एक उप सिमित , फंड कमेटी ,इस उद्देश्य के लिए व्यावसायिक घंटों की शुरुआत में दैनिक रूप से मिला करेगी । सिमित बैंक की वर्तमान और अनुमानित तरलता स्थिति, तत्काल भुगतान की आवश्यकता, तैनाती के अवसरों के बारे में उपलब्ध बाजार प्रवृत्ति, अनहेज़ विदेशी मुद्रा एक्सपोजर आदि पर प्रभाव की समीक्षा करेगी।

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अविध दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2020 तक बैंक के टेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं:

(रू. करोड में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	5547.63	443.81
ईिकटी स्थिति जोखिम	6700.70	536.06
विदेशी विनिमय जोखिम	67.50	5.40
कुल	12315.83	985.27

## तालिका डीएफ – 8 परिचालनात्मक जोखिम :

## गुणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं लेकिन रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

बेंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बेंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) साइबर सुरक्षा नीति (ग) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (घ) अपने ग्राहक को जानें (के वाइ सी) पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (ड.) अविराम कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (बीसी) डीआरपी अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और किमयों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी संगणना हेतु आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालनात्मक जोखिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर पंजी धारित करनी चाहिए।

#### मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(रू. करोड़ में)

मानदंड	पूँजी राशि	अनुमानित जोखिम भारित आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	1331.37	16642.11



management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hitherto reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per RBI guidelines from March 2013 the liquidity risk is computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed by RBI for the first four buckets and by Bank's Board for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk for domestic operations and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

As interest rate movements are volatile, particularly on deposits of Rs. 2 Crore and above, there is a need to take views on quoting competitive rates to such deposits on daily basis. A subcommittee of ALCO, namely Funds Committee, shall meet daily at the beginning of business hours for this purpose. The committee shall review the present & projected liquidity position of the bank, requirement for immediate payment of funds, market trend regarding deployment opportunities available, impact on un-hedged forex exposure etc

#### Quantitative disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2020 in trading book of the bank is as under:

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement	
Interest rate risk	5547.63	443.81	
Equity position risk	6700.70	536.06	
Foreign exchange risk	67.50	5.40	
Total	12315.83	985.27	

Table DF - 8

#### **OPERATIONAL RISK:**

#### Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) Cyber Security Policy (c) forex risk management policy (d) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (e) Business Continuity and Disaster Recovery Plan (BC-DRP) (f) compliance policy and (g) policy on outsourcing of Financial Services.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

#### **Quantitative disclosures:**

(Rs. in Crore)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	1331.37	16642.11



## तालिका डीएफ – 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम गुणात्मक प्रकटीकरण :

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है । ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है । प्रिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनाऐएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है । इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है ।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (% के रूप में) के निर्धारन के लिए 200 बीपीएस पर किल्पत दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषन को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक

की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आर्ति (आर एस ए) दर संवेदनशील देयता (आर एल ए) पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की आस्ति या वैश्विक देयता कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5% या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर गणना की जाती है ।

## गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आए आए) और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2020 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है:

(रु. करोडों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा	जोखिम पर अर्जन (रआएइ)	
		31.03.20	20
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	162.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3% )	39.24	21.74
0.50% परिवर्तन	323.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	78.48	43.49
0.75% परिवर्तन	485.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9% )	117.22	65.22
1.00% परिवर्तन	646.00 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12% )	156.96	86.96
2.00% परिवर्तन	1292 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24% )	313.92	173.92

इक्टिटी का आर्थिक मूल्य	31.03.2020
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)	-0.19
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1.00%
इक्विटी की बाजार मूल्य (एमवीई)	
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्विटी में घटाव	- 10.19%



#### Table DF - 9

#### INTEREST RATE RISK ON THE BANKING BOOK (IRRBB)

#### Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year.

For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

#### Quantitative disclosures:

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2020 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy	Earnings at Risk (EaF	
	Limit for EaR	31.03	.2020
		Up to	Up to
		1 year	5 years
0.25% change	162.00 (3% of NII of previous year)	39.24	21.74
0.50% change	323.00 (6% of NII of previous year)	78.48	43.49
0.75% change	485.00 (9% of NII of previous year)	117.22	65.22
1.00% change	646.00 (12% of NII of previous year)	156.96	86.96
2.00% change	1292.00 (24% of NII of Previous year)	313.92	173.92

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	31.03.2020
Modified Duration Gap (DGAP)	-0.19
Limit as per ALM Policy	
Market value of Equity (MVE)	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value	- 10.19%



## तालिका डीएफ़ 10-

## प्रतिपक्ष उधार जोखिम से संबंधित एक्सपोजर से संबंधित सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	Ų.	डेरिवेटिव्स एवं सीआरआर के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्न शामिल हैं - काउंटर पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए क्रेडिट लिमिट एवं आर्थिक पूंजी को सौंपने में प्रयुक्त कार्यप्रणाली की चर्चा  • क्रेडिट आरक्षितियों को स्थिर करने तथा संपाश्चिकों प्रतिभूतियों के लिए नीतियों पर चर्चा  • त्रुटिपूर्ण विधि से जोखिम एक्सपोज़र के संबंध में नीतियों की चर्चा  • सम्पाश्चिकों की राशि के प्रभाव पर चर्चा से बैंक को क्रेडिट रेटिंग को कम किया जाएगा।
मात्रात्मक बी करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र, धारि प्रकटीकरण प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरिवेटिव क्रेडिट एक्सपोज़र । इर तहत एक्सपोज़र राशि अथवा डिफॉल्ट के एक्सपोज़र सीमा का अनुमानित मूल्यतथ		करारों का सकल सकारात्मक उचित मूल्य, नेटिंग वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र, धारित सम्पार्श्विक (सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी इत्यादि जैसी सहित) एवं निवल डेरिवेटिव क्रेडिट एक्सपोज़र । इसके अलावा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि अथवा डिफॉल्ट के एक्सपोज़र सीमा का अनुमानित मूल्यतथा क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रकारों द्वारा वर्तमान क्रेडिट एक्सपोज़र का वितरण।
	सी	क्रेडिट डेरिवेटिव सौदे जो कि सीसीआर (अनुमानित मूल्य) के एक्सपोज़रको उत्पन्न करते हैं को संस्था के निजी क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रयोग के लिए अलग-अलग किया जाएगा एवं इसके साथ-साथ वित्तीय मध्यस्थता गतिविधियों के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट डेरिवेटिव उत्पादाअगे पुन: प्रत्येक समूह के साथ ब्रोकेन डाउन के माध्यम से खरीद एवं बिक्री से की गई सुरक्षा।

## गुणात्मक प्रकटीकरण (रु. करोड़ में)

क्र	ब्योरे	काल्पनिक मूल्य	एमटीएम	कुल चालू ऋण एक्सपोजर
1	डेरिवेटिव्स	0.00	0.00	0.00
2	ब्याज दर करार / स्वैप एस	1669.53	0.00	0.00
3	आगे की खरीददारी /बिक्री करार	44152.67	472.79	472.79
4	ऋण डेरिवेटिवस	0.00	0.00	0.00
5	ऋण डिफ़ोल्ट स्वैप	0.00	0.00	0.00

## सारणी डीएफ -11: पूँजी की संघटना

भाग -1 टेम्पलेट जिसका प्रयोग केवल सितम्बर 30, 2018 से किया जाना है : लागू नहीं

भाग 2 - टेम्पलेट जिसका प्रयोग केवल सितम्बर 30, 2018 से पहले किया जाना है (बेसल-

## ॥। नियामक संयोजन की संक्रमण अवधि के दौरान)

डीएफ -	(रु. करोड़ में )				
	सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ				
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) 23360.31				
2	2 प्रतिधारित आय 8142.41				
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरिक्षितियाँ)	1949.16	1949.16		



#### Table DF - 10

## GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK

Qualitative Disclosures	(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to derivatives and CCR, including:  Discussion of methodology used to assign economic capital and credit limits for counter party credit exposures  Discussion of policies for securing collateral and establishing credit reserves  Discussion of policies with respect to wrong way risk exposures  Discussion on impact of the amount of collateral the bank would have to provide given a credit rating downgrade	
Quantitative Disclosures	(b)	Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposures, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit exposure hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.  Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated	
		between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group	

Quantitative disclosure: (Rs. in crore)

No	Particulars	Notional Amount	МТМ	Total current credit exposures
1	Derivatives	0.00	0.00	0.00
2	Interest Rates Contracts/Swaps	1669.53	0.00	0.00
3	Forward Purchase / Sales Contract	44152.67	472.79	472.79
4	Credit Derivatives	0.00	0.00	0.00
5	Credit Default Swaps	0.00	0.00	0.00

#### Table DF - 11

#### **COMPOSITION OF CAPITAL**

Part I: Template to be used only from September 30,2018: Not Applicable

Part II : Template to be used before September 30,2018 ( i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

DF - 1	(Rs. in crore)		
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	23360.31	23360.31
2	Retained earnings	8142.41	8142.41
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1949.16	1949.16



4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	0.00
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0.00	0.00
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर।पूँजी	33451.88	33451.88
	सामान्य ईक्विटी टियर । पूँजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	0.00
8	साख (संबंधित कर देयता कानिवल)	0.00	0.00
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता कानिवल)	18977.12	18977.12
10	आस्थिगत कर आस्तियाँ	0.00	0.00
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00	0.00
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी	0.00	0.00
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	0.00	0.00
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	0.00	0.00
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	0.00	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)	0.00	0.00
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	22.91	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10% से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश	0.00	0.00
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, योग्य अल्प स्थितियों कानिवल (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)3	277.38	0.00
20	बंधक सेवा अधिकार (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	0.00
21	5 अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	4845.09	4845.09
22	15 % प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	0.00
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	0.00
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0.00	0.00
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0.00	0.00
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों कीईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26b	जिसमें से: समेकित गैरवित्तीय अनुषंगियों 8 की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0.00	0.00
26c	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक 9 द्वारा नहीं हुआहै, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0.00	0.00
26d	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	0.00
	बासेल ॥।प्र तिपादन पूर्व के अधीन राशियों केसंबंध में सामान्य ईक्विटी टियर । पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	0.00



4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	33451.88	33451.88
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	0.00
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	0.00
9	Intangibles (net of related tax liability)	18977.12	18977.12
10	Deferred tax assets	0.00	0.00
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	0.00
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	0.00
13	Securitisation gain on sale	0.00	0.00
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	0.00
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	0.00	0.00
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	22.91	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	277.38	0.00
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	4845.09	4845.09
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	0.00
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	0.00
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	0.00
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	0.00
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	0.00
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non- financial subsidiaries	0.00	0.00
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	0.00
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	0.00



27	कटौती को कवर करने केलिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियरातथा टियरा।के कारण सामान्य ईक्विटी टियरापर लागू विनियामक समायोजन।	0.00	0.00
28	सामान्य ईक्विटी टियर।पर कुल विनियामक समायोजन	24122.51	23822.21
29	सामान्य ईक्विटी टियर।पूँजी (सीईटी 1)	9329.37	9629.67
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखतें			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखतसहितसंबंधितस्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	0.00	0.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर- संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	0.00
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	0.00	0.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0.00	0.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0.00	0.00
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषगिंयों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0.00	0.00

अतिरि	क्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	0.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10%) की सीमा से ऊपर कीराशि) की जारीसाझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक कीराशि न हो	0.00	0.00
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0.00	0.00
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	0.00
41a	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर।पूँजी में निवेश	0.00	0.00
41b	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर । पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
42	अपर्याप्त टियर ॥की वजह से कटौतियों को कवर करने केलिए अतिरिक्त टियर । में लागू विनियामक समायोजन		
43	अतिरिक्त टियर । पूँजी में कुल विनियामक समायोजन्	0.00	0.00
44	अतिरिक्त टियर । पूँजी (एटी1)	0.00	0.00
45	टियर। पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44)	9329.37	9629.67



27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	0.00
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	24122.51	23822.21
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	9329.37	9629.67
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	0.00	0.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	0.00
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	0.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	0.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00	0.00
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.00
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	0.00
	ional Tier 1 capital: regulatory adjustments  Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
37		0.00	0.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	0.00
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	0.00
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	0.00
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44)	9329.37	9629.67



टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिक स्टॉक	0.00	0.00
47	टियर 2 से बाहरहोनेहोने कीशर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	1793.40	300.00
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0.00	0.00
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0.00	0.00
50	प्रावधान	1058.50	1058.50
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूँजी	2851.90	1358.50

टियर 2	2 पूँजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	0.00	0.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	0.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों कानिवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10%%) की सीमा से ऊपर कीराशि) की जारीसाझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक कीराशि न हो	0.00	0.00
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों कानिवल)	0.00	0.00
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00	0.00
56a	जिनमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0.00	0.00
56b	जिनमें से: बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक केसाथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	0.00
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	0.00	0.00
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	2851.90	1358.50
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	12181.27	10988.16
60	कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	113637.69	
60a	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	84679.76	
60b	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	12315.83	
60c	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	16642.11	
पूँजी अ	नुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वालीआस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.21%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली) आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	8.21%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.72%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति- चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	



Tier 2	capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00	0.0
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1793.40	300.0
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	0.0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	0.0
50	Provisions	1058.50	1058.5
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	2851.90	1358.5
Tier 2	capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	0.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	0.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	0.00
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	0.00
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	0.00
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	0.00
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	0.00	0.00
58	Tier 2 capital (T2)	2851.90	1358.50
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	12181.27	10988.16
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	113637.69	
60a	of which: total credit risk weighted assets	84679.76	
60b	of which: total market risk weighted assets	12315.83	
60c	of which: total operational risk weighted assets	16642.11	
Capit	al ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.21%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	8.21%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.72%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	



65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति केलिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर (जोखिम भारांक वाली) आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	0.83%	
राष्ट्रीय	न्यूनता (बेसल ॥। से भिन्न होने पर)		
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसला।। न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बेसला॥ न्यूनतम से भिन्न होने पर)	7.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बेसला॥ न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौर्त	ी केलिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)		
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल )	0.00	
75	अस्थाई अंतरसे उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता कानिवल )	0.00	
टियर	2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ		
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों केसंबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	1058.50	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने केलिए सीमा	1058.50	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणें के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	NA	
79	मानकीकृत आंतरिकरेटिंग आधारित अभिगम के तहत दियर 2 में शामिल करने केलिए प्रावधान की सीमा	NA	
फेज़ उ	आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(मार्च 31 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू	)	
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीइटी1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सीइटी1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि )	0	
82	फेज आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	90.00	
83	सीमा को देय ए टी 1 में शामिल नहीं राशि ( मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि )	0.00	
84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	1793.40	
85	सीमा को देय टी 2 में शामिल नहीं राशि ( मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिकराशि )	1773.60	

टेम्पलेट को नोट्स (रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	राशि
	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	0
10	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल	6286.31
	क्रम संख्या १० में दर्शित अनुसार योग	0.00



65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	0.83%	
Natio	nal minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amo	unts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	1058.50	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	1058.50	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capit	tal instruments subject to phase-out arrangements (only applicable betw March 31, 2022)	een March 31, 2017	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	90.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	1793.40	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	1773.60	

Notes to the Template Rs. (in crore)

Row No. of the template	Particular	Amount
	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0
10	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	6286.31
	Total as indicated in row 10	0.00



टेम्पलेट की क्रम संख्या	विवरण	राशि
	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10 की सीमा पर विचार किया गया है, बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि	0.00
19	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0.00
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोत्तरी	0.00
	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार	0.00
26b	(i) सामान्य ईक्विटी टियर  1 पूँजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोत्तरी	0.00
	टियर २ पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान	1058.50
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	0.00
	क्रम 50 का कुल	1058.50

## सूची डीएफ़ – 12 पूंजी की रचना – सामाधान आवश्यकता

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	ब्योरा	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र		
м		31.03.2020 तक	31.03.2020 तक		
 _अ	्र पूंजी और देयता				
	प्रदत्त पूँजी	16436.99	16436.99		
	आरक्षिति तथा अधिशेष	-282.01	-282.01		
i	अल्पमत ब्याज	0.00	0.00		
	कुल पूँजी	16154.98	16154.98		
	जमाएं	222951.88	222951.88		
l	जिसमें से : बैंकों से जमा	76.99	76.99		
ii	जिसमें से : ग्राहकों से जमा	222874.89	222874.89		
	जिसमें से : अन्य	0	0		
	उधार	5419.73	5419.73		
	जिसमें से : आरबीआइ से	203.00	203.00		
	जिसमें से : बैंक से	1306.84	1306.84		
iii	जिसमें से : अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	342.89	342.89		
	जिसमें से : अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0.00	0.00		
	जिसमें से : पूँजी लिखत	3567.00	3567.00		
iv	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	16200.24	16200.24		
	कुल	260726.83	260726.83		
_आ	आस्तियां				
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	3155.22	3155.22		
i	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	20905.43	20905.43		



Row No. of the template	Particular	Amount
	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
19	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
26b	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	1058.50
50	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	1058.50

Table DF - 12

### COMPOSITION OF CAPITAL-RECONCILIATION REQUIREMENTS

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of con- solidation
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
Α	Capital & Liabilities		l
	Paid up Capital	16436.99	16436.99
	Reserves and Surplus	-282.01	-282.01
İ	Minority Interest	0.00	0.00
	Total Capital	16154.98	16154.98
	Deposits	222951.88	222951.88
::	of which : Deposit from Banks	76.99	76.99
ii	of which : customer deposits	222874.89	222874.89
	of which : Others	0	0
	Borrowings	5419.73	5419.73
	of which : From RBI	203.00	203.00
	of which : From bank	1306.84	1306.84
iii	of which : from other institutional & agencies	342.89	342.89
	of which : Others(pl .Specify)	0.00	0.00
	of which : Capital instruments	3567.00	3567.00
iv	Other liabilities and provisions	16200.24	16200.24
	Total	260726.83	260726.83
_B	Assets		
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	3155.22	3155.22
1	Balance with bank and money at call and short notice	20905.43	20905.43



	निवेश	79416.08	79416.08
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियाँ	69472.67	69472.67
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.99	0.99
	जिसमें से : शेयर	836.09	836.09
II	जिसमें से : डिबेंचर तथा बाण्ड	3374.45	3374.45
	जिसमें से : अनुषंगियों / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्यूअल फंड आदि)	2077.81	2077.81
क्र.सं.	ब्योरा	वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र	नियामक विचार के दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र
		31.03.2020 तक	31.03.2020 तक
	ऋण तथा अग्रिम	121333.41	121333.41
	जिसमें से : बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	0	0
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	121333.41	121333.41
iv	अचल आस्तियाँ	3127.34	3127.34
	अन्य आस्तियाँ	32789.35	32789.35
v	जिसमें से : साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियाँ	6286.68	6286.68
vi	समेकन पर साख	0	0
vii	लाभ व हानि खाते में ऋण शेष	0	0
	कुल	260726.83	260726.83

(रू. करोड़ में)

क्रम सं.	बेसल III का सार – सामान्य प्रकटीकरण टैम्प्लेट (अतिरिक्त कॉलम के साथ)- तालिका डीएफ -11 (भाग । / भाग II जो भी लागू हो)	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत व रिजर्व	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गयी विनियामक पूँजी के कंपोनेंट
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर- संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के लिए सम्तुल्य अधिशेष)	23360.31
2	प्रतिधारित आय	8142.41
3	संचियत अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	1949.16
4	सीईटी 1 से बाहर चरण के अधीन जारी प्रत्यक्ष पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी (सीईटे 1 समूह में राशि की अनुमति)	0.00
6	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टायर 1 पूंजी	33451.88
7	प्रूडेंशियल मूल्यांकन समायोजन	-
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल )	-



	Investments	79416.08	79416.08
	of which: Government Securities	69472.67	69472.67
	of which: Other approved securities	0.99	0.99
	of Which :shares	836.09	836.09
II	of which : Debentures & Bonds	3374.45	3374.45
	of which: Subsidiaries / joint Venture /Associates	0.00	0.00
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2077.81	2077.81
S. No.	Particulars	Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2020
	Loans and advances	121333.41	121333.41
	of which : Loans and advances to banks	0	0
	of which : Loans and advances to customers	121333.41	121333.41
iv	Fixed assets	3127.34	3127.34
	Other assets	32789.35	32789.35
V	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	6286.68	6286.68
vi	Goodwill on consolidation	0	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	0
	Total	260726.83	260726.83

(Rs. in crore)

S. No.	Extract of Basel III common disclosure template (with added column)- Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)	
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and re	eserve
		Component of regulatory capital reported by bank
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	23360.31
2	Retained Earning	8142.41
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1949.16
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	33451.88
7	Prudential valuation adjustment	-
8	Goodwill(net of related tax liability)	-



# तालिका डीएफ-13 : नियमित कैपिटल लिखतों की मुख्य विशेषताएं

## नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्रम सं	विवरण	लोअर टियर ॥
क्रम स	विवरण	श्रृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09215
3	लिखत के शासकीय कानून	चैन्नै
	नियामक व्यवहार	
4	बेसल III नियमों का परिवर्तन काल्ã	टियर ॥
5	बेसल III नियमों के परिवर्तन के बा <sup>a</sup>	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टियर॥ ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि(हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	शून्य
9	लिखत का बराबर मूल्य	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	31.12.2010
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	31.12.2020
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	लागू नहीं
15	वैकलिप्क कोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियाँ और रिडेम्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य , शून्य , 1000
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर - संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं



#### Table DF - 13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS Disclosure template for main features of regulatory capital instruments Lower Tier II **Particulars** No. **SERIES XIV PSU Bank** 1 Issuer 2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement) INE565A09215 3 Governing law(s) of the instrument Chennai Regulatory treatment 4 Transitional Basel III rules Tier II 5 Post-transitional Basel III rules ineligible 6 Eligible at solo/group/group @ solo Solo 7 Tier II debt instruments Instrument type 8 Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date) **ZERO** Rs.10.00 lakhs 9 Par value of instrument 10 Account classification Liability 11 Original date of issuance 31.12.2010 12 Perpetual or dated dated 31.12.2020 13 Original maturity date 14 Issuer call subject to prior supervisory approval Not applicable 15 Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore) nil, nil, 1000 16 Subsequent call dates, if applicable Not applicable Coupons / dividends 17 Fixed or floating dividend/coupon Fixed 18 Coupon rate and any related index Coupon rate 19 Existence of a dividend stopper No 20 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory Mandatory Not available 21 Existence of step up or other incentive to redeem Non-cumulative Non-cumulative 22 or cumulative 23 Convertible or non-convertible Non-convertible If convertible, conversion trigger(s) N/A 24 25 If convertible, fully or partially N/A 26 If convertible, conversion rate N/A 27 If convertible, mandatory or optional conversion N/A If convertible, specify instrument type convertible into N/A 28 29 If convertible, specify issuer of instrument it converts into N/A 30 Write-down feature No 31 If write-down, write-down trigger(s) N/A N/A 32 If write-down, full or partial 33 N/A If write-down, permanent or temporary N/A 34 If temporary write-down, description of write-up mechanism



		अन्य सभी लेनदारों और
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	हां
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	बेसल ।।। के आधार पर कोई हानि नहीं
टेबल	्र डीएफ – 13 : विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ	
विनिय	मक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट	
क्रम सं.	विवरण	उच्चतर टियर ॥ श्रेणी ।v
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09223
3	लिखत के शासकीय कानून	चेन्नै
	नियामक समाधान	
4	बेसला॥ नियमों का परिवर्तन काल	टियर ॥
5	बेसला।। नियमों के परिवर्तन के बाद	टियर ॥
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	उच्चतर टियर॥ पूँजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	193.40
9	लिखत का बराबर मूल्य	रू.10.00 লাख
10	खाता वर्गीकरण	देयता
11	जारी होने की मूल तिथि	10.01.2011
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	10.01.2026
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हां
15	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथि और मोचन राशि (रु. करोड़ में )	10.01.2021 शून्य 967
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	नहीं
	कूपन / लाभांश	
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उत्थान गत ०.५०
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर - संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय



35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	YES
37	If yes, specify non-compliant features	No Basel III loss Absorption

### Table DF - 13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S. No.	Particulars	Upper Tier II SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II
6	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore, as of most recent reporting date)	193.40
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability
11	Original date of issuance	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated
13	Original maturity date	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating divedend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up 0.50%
22	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible



24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	नहीं
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	लागू नहीं
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	हां
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	कूपन दर में वृद्धि, बेसल ।।। का अवशोषण

# टेबल डीएफ – 13 : विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ

विनियामक पूँजी लिखतों की प्रमुख विशेषताएँ का प्रकटीकरण टेम्पलेट

		बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
क्रम सं.	विवरण	बेसल ॥।टियर ॥	बेसला॥टियर॥	बेसल ।।।टियर ।।
		श्रेणी ।	श्रेणी ।	श्रेणी ।
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035
3	लिखत के शासकीय कानून	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	नियामक समाधान			
4	बेसला॥नियमों का परिवर्तन काल	टियर ॥	टियर ॥	टियर ॥
5	बेसला।।नियमों के परिवर्तन के बाद	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल पर योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टियर ॥ ऋण लिखत	टियर ॥ ऋण लिखत	टियर॥ ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (हाल ही की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार रुपए करोड़ों में)	800	300	500
9	लिखत का बराबर मूल्य	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख	रू.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता



24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss Absor- bency

### Table DF-13: MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

S.		Perpetual	Perpetual	Perpetual
No.	Particulars	Basel III Tier II	Basel III Tier II	Basel III Tier II
110.		SERIES I	SERIES II	SERIES III
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Debt Instru- ments	Tier II Debt Instru- ments	Tier II Debt Instru- ments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. In Crore as of most recent reporting date)	800	300	500
9	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability



11	जारी होने की मूल तिथि	03.11.2016	10.12.2018	24.09.2019
12	शाश्वत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
14	पर्यवेक्षी के अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता का निर्णय	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक क़ोल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और रिडेम्प्शन राशि (रु. करोड़ों में)	शून्य , शून्य , 800	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 500
16	आगामी कॉल तिथियां यदि लागू है तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश			
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश/ कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	कूपन रेट	कूपन रेट	कूपन रेट
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी	गैर - संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण ट्रिगर (ओं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह से या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत प्रकार को परिवर्तनीय निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जो इसे परिवर्तित करता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन सुविधा	हां	हां	हां
31	यदि अवलेखन, अवलेखन ट्रिगर	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत	भा. रि. बै. द्वारा घोषणा पर पीओएनवी के तहत
32	यदि अवलेखन, आंशिक या पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण	आंशिक/पूर्ण
33	यदि अवलेखन, स्थाई या अस्थाई	स्थायी	स्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थाई अवलेखन, आलेख क्रियाविधि का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरंत बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालन संक्रमण सुविधाओं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां, तो गैर-अनुरूप विशेषताएं निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट			
क्र. सं.	विवरण	निम्न टियर ॥ श्रृंखला XIV	
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अंथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09215	
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर ॥ ऋण लिखतें	



11	Original date of issuance	03.11.2016	10.12.2018	24.09.2019
12	Perpetual or dated	dated	dated	Dated
13	Original maturity date	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. In Crore)	nil, nil, 800	nil, nil, 300	nil, nil, 500
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	yes	yes	yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI	Upon declaration under PONV by RBI
32	If write-down, full or partial	partial/full	partial/full	partial/full
33	If write-down, permanent or temporary	permanent	permanent	permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitional features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

Table	Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS			
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments				
S.	Particulare	Lower Tier II		
No.	Particulars	SERIES XIV		
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement	INE565A09215		
2	Instrument type	Tier II debt instruments		



3	लिखत के बराबर मूल्य	रू. 10 लाख
4	जारीकर्ता कॉल पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन है	लागू नहीं
5	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियाँ एवं रिडेम्प्शन राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, 1000
6	यदि लागू है तो बाद की तिथि	लागू नहीं
7	फिक्स्ड या फ्लोटिंग लाभांश /कूपन	स्थिर
8	कूपन दर और किसी भी संबंधित सूचकांक	कूपन दर
9	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं
10	पूरी तरह से विवेकपूर्ण, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
11	रिडीम करने के लिए कदम उठाने या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
13	परिवर्तनीय या गैर-परिवर्तनीय	गैर-परिवर्तनीय
14	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के तुरन्त बाद लिखत प्रकार निर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	गैर अनुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ
16	यदि हाँ तो गैर अनुरूप विशेषताएँ निर्दिष्ट करें	बेसल III के आधार पर कोई हानि नहीं

## तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते विनियामक पुंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

विक्षि	विनियामक पूजा लिखता के प्रमुख तत्वा का प्रकटाकरण टेपलट				
क्र. सं.	विवरण	उच्च टियर ॥			
яν. π.	Idata	श्रृंखला ।∨			
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अंथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09223			
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर ॥ पूंजी लिखत			
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू. 10 लाख			
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हां			
		10.01.2021			
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	श्न्य			
		967			
6	अनुवर्ती माँग तिथियाँ, यदि लागू हो	नहीं			
7	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित			
8	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर			
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं			
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य			
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	स्टेप-अप			
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी			
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय			
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन			
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ			
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	कूपन दर मे वृद्धि, बासल III का अवशोषण नहीं			



3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	No
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	YES
16	If yes, specify non-compliant features	No Basel III loss Absorption

Table	Table DF - 14 : TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS			
Disclo	sure template for main features of regulatory capital instruments			
S.	Particulars	Upper Tier II		
No.	Particulars	SERIES IV		
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09223		
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument		
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs		
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes		
		10.01.2021		
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in Rs. Crore)	nil		
		967		
6	Subsequent call dates, if applicable	No		
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed		
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate		
9	Existence of a dividend stopper	No		
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory		
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up		
12	Non-cumulative or cumulative	Non-Cumulative		
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible		
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors		
15	Non-compliant transitioned features	yes		
16	If yes, specify non-compliant features	Step-Up in coupon rate, No Basel III loss absorbency		



## तालिका डीएफ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के लिए नियम व शर्ते

### विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
क्र. सं.	विवरण	बेसल ॥। अनुपालन	बेसल ॥। अनुपालन	बेसल ॥। अनुपालन
,	1441-1	टायर ॥	टायर ॥	टायर ॥
		श्रृंखला ।	श्रृंखला ॥	श्रृंखला ॥।
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप्, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035
2	लिखत प्रकार	ऋण लिखत	ऋण लिखत	ऋण लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रू. 10 लाख	रू. 10 लाख	रू. १० लाख
4	सतत या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक माँग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रू. करोड़ में)	शून्य, शून्य, ८००	शून्य, शून्य, ३००	शून्य, शून्य, 500
8	निश्चित या चल लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
9	लाभांश अवरोधक की मौजूदगी	नहीं	नहीं	नहीं
10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार	पूर्ण विवेकाधिकार
11	क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
12	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर – संचयी	गैर – संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय	गैर-संपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	अन्य सभी लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
15	अनुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

### टेबल डीएफ-16

1

### इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

### गुणात्मक प्रकटीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के अंनुसार, बैंक का इक्विटी पोर्टफोलियो का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

बिक्री के लिए उपलब्ध और ट्रेडिंग प्रवर्ग के लिए धारित इक्रिटी शेयरों के लिए

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन अंतिम बाज़ार दरों पर किया जाता है अर्थात बाज़ार को मार्क किए हुए
- असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र से प्राप्त बही मूल्यों के आधार पर किया जाता है । यदि तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो उसे प्रति कंपनी रु. 1/- पर मूल्यांकित किया जाता है ।

परिपक प्रवर्ग तक धारित इक्विटी शेयरों के लिए

परिपक्क प्रवर्ग तक धारित इक्किटी शेयरों के लिए मूल्यांकन लागत पर किया जाता है ।



### Table DF - 14: TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Perpetual	Perpetual	Perpetual  Basel III Compliant Tier II	
S. No.	Particulars	Basel III Compliant Tier II	Basel III Compli- ant Tier II		
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09256	INE565A09264	INE565A08035	
2	Instrument type	Debt Instrument	Debt Instrument	Debt Instrument	
3	Par value of instrument	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	Rs.10.00 lakhs	
4	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	
5	Original maturity date	03.11.2026	10.12.2028	24.09.2029	
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (Rs. in Crore)	nil, nil, 800	nil, nil, 300	nil, nil, 500	
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	
9	Existence of a dividend stopper	No	No	No	
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary	
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	
16	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	

#### Table DF - 16

1

### **EQUITIES - DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS**

### **Qualitative Disclosure**

As per regulatory guidelines, the Equity portfolio of Bank is valued as under:

For Equity Shares held in Available For Sale and Held For Trading category

- Listed Equity Shares are valued at latest Market Rates i.e. Marked to Market.
- > Unlisted Equity Shares are valued at Book value ascertained from the latest available balance-sheets. If the balance-sheet is not available, then the same are valued at Re.1/- per company.

For Equity Shares held in Held till Maturity category

> Equity shares held in Held till Maturity category are valued at cost.



## प्रमाणात्मक प्रकटीकरण

### (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	निवेशों के तुलन पत्र मे प्रकटित मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य ; कोट किए हुए प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोट किए हुए शेयरों की तुलना जहाँ शेयर कीमत उचित मूल्य से भिन्न है ।	71.23
2	निम्नासुर वर्गीकृत की जा सकने वाली राशि के साथ निवेशों के प्रकार व स्वरूप सार्वजनिक रूप से ट्रेड होने वाले निजी रूप से धारित	1394.24 676.36
3	रिपोर्टिंग अवधि में समापन व ळ्बिकि से प्राप्त संचयित लाभ (हानि ) (01.01.2019 से 31.03.2019) (01.04.2018 से 31.03.2019) वित्तीय वर्ष 2018-19	0.00 0.78
4	न उगाहे गए कुल लाभ (हानि)**	(1277.01)
5	कुल निहित पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)	0.00
6	टियर । व / या टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त कोई भी राशि	0.00
7	विनियामक पूंजीगत अपेक्षाओं के संबंध में प्रावधानों के पर्यवेक्षी संकमण की शर्त पर इक्विटी निवेशों के प्रकार व सकल राशि के साथ-साथ बैंक की पद्धतियों के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा काटी गयी पूंजीगत अपेक्षाएं	0.00

<sup>\*</sup> सभी उद्त इक्विटी शेयरों के नवीनतम बाज़ार मूल्य का संकेत देता है ।

### डीएफ तालिका 17

## लेखांकन आस्तियां तथा लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपायों का तुलनात्मक सारांश

### रू. करोड़ में

क्र.सं.	मदें	राशि
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	310373
2	बैंकिंग में निवेश हेतु समायोजन, वित्तीय, बीमा अथवा कारोबारी इकाइयां जो कि लेखांकन उद्देश्य से समेकित की गई हैं किंतु नियामक समेकन के विस्तार के बाहर हैं	222
3	परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किंतु लिवरेज अनुपात मानक से बाहर तुलनपत्र पर पहचानी गई प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	1953
5	प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेनों के लिए समायोजन (जैसे कि रेपो एवं समान सुरक्षित उधार)	18225
6	तुलनपत्र से परे की मदों के लिए समायोजन (तुलनपत्र एक्सपोजर से परे समतुल्य क्रेडिट राशियों में परिवर्तन)	23158
7	अन्य समायोजन	87656
8	लिवरेज अनुपात एक्सपोजर	265830

<sup>\*\*</sup> ऊपर बताए गए चित्र में FITL प्रावधान को समायोजित किए बिना साझा टोकरी में सकल एमतीएम मूल्यहास है ।



### Quantitative disclosure:

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	Amount
1	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value *	71.23
2	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as: <ul><li>Publicly traded</li><li>Privately held</li></ul>	1394.24 676.36
3	The cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period (01.01.2019 to 31.03.2019) (01.04.2018 to 31.03.2019) FY 2018-19	0.00 0.78
4	Total unrealised gains (losses)**	(1277.01)
5	Total latent revaluation gains (losses)	0.00
6	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital	0.00
7	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	0.00

<sup>\*</sup> Indicates the latest market value of all the quoted equity shares.

### Table DF - 17

### SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS. LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE

(Rs. in crore)

Sr. No.	Item	Amount
1	Total consolidated assets as per published financial statements	310373
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	222
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	1953
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	18225
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	23158
7	Other adjustments	87656
8	Leverage ratio exposure	265830

<sup>\*\*</sup>Figure reported above is the Gross MTM depreciation in Shared Basket without adjusting FITL provision available.



# डीएफ तालिका 18 लेवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

## रू. करोड़ में

क्र. सं.	. मदें			
1	तुलनपत्र की मदें (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर किंतु संपार्श्विकों सहित)			
2	(बेसल III टायर 1 पूंजी निर्धारित करने में कटौती की गई आस्ति राशियां)			
3	तुलनपत्र में कुल एक्सपोज़र (डेरीवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (1 एवं 2 पंक्तियों का योग)			
	डेरीवेटिव एक्सपोज़र			
4	सभी डेरीवेटिव लेनदेनों के साथ संबद्ध प्रतिस्थापना मूल्य (जैसे कि पात्र नकदी भिन्नता मार्जिन का निवल )	473		
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों के साथ पीएफई संबद्ध हेतु अतिरिक्त राशियां	1480		
6	जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के आधार पर तुलन पत्र आस्तियों से कटौतियां की गई हैं वहां डेरीवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस-अप			
7	(डेरीवेटिव लेनदेनों में प्रदत्त नकदी विचलन मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)			
8	(ग्राहक-निपटान कारोबार एक्सपोज़र से सीसीपी लेग की छूट)			
9	लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए अनुमानित राशि का प्रभावी समायोजन			
10	(लिखे हुए क्रेडिट डेरीवेटिव के लिए समायोजित अनुमानित राशि ऑफसेट तथा अतिरिक्त कटौतियां)			
11	कुल डेरीवेटिव एक्सपोज़र (4 से 10 पंक्तियों का योग)			
	प्रतिभूति वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र			
12	बिक्री खाता लेनदेनों के लिए समायोजित करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं है)			
13	(सकल एसएफटी आस्तियो की नकद प्राप्तियों तथा नकद देयताओं की निवल राशि)			
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	18225		
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र			
16	कुल प्रतिभूतित वित्तीय लेनदेन एक्सपोज़र (12 से 15 पंक्तियों का योग)	18225		
	तुलनपत्र से परे अन्य मदें			
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र से परे एक्सपोज़र	36531		
18	(क्रेडिट समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन)	13373		
19	तुलनपत्र से परे मदें (17 तथा 18 पंक्तियों का योग)	23158		
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र			
20	टियर 1 पूंजी	9329		
21	कुल एक्सपोजर (3,11,16 तथा 19 पंक्तियों का योग)	265028		
	लिवरेज अनुपात			
22	बेसल III लिवरेज अनुपात	3.52%		



### Table DF - 18

### LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

(Rs. in crore)

Sr. No.	). Item			
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)			
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	88681		
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)  * (Less undrawn amount – Rs.777 Cr)			
-	Derivative exposures			
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	473		
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1480		
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework			
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)			
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)			
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives			
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)			
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	1953		
	Securities financing transaction exposures			
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions			
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)			
14	CCR exposure for SFT assets	18225		
15	Agent transaction exposures			
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	18225		
	Other off-balance sheet exposures			
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	36531		
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	13373		
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)			
	Capital and total exposures			
20	Tier 1 capital	9329		
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	265028		
<u> </u>	Leverage ratio			
22	Basel III leverage ratio	3.52%		



# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2019-2020

## सेक्शन ए : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईनहीं )	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
3. रजिस्टर्ड पता	763 अण्णा सालै, चेन्नई 600 002
4. वेबसाइट	www.iob.in
5. ईमेल	investor@iobnet.co.in
6. वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	2019-20
7. कंपनी जिस क्षेत्र से संबन्धित है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार के अनुसार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ
8. तीन उत्पादों/ (तुलन पत्रमें) सेवाओं की सूची जो की उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई हो	क) खुदरा बैंकिंग ख) कॉर्पोरेट बैंकिंग ग) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग
9.कंपनी द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप करने के कुल स्थानों की संख्या	
।. राष्ट्रीय	31.03.2020 को 3270 शाखाएं
॥. अंतरराष्ट्रीय	04 (सिंगापुर, श्रीलंका, हाँगकाँग, बैंकॉक)
10. कंपनी द्वारा सर्विस दिए जाने वाले बाजार स्थानीय /राज्य /राष्ट्रीय /अंतराष्ट्रीय	बैंक की 27 राज्यों में और 6 संघ राज्य क्षेत्र में शाखाएँ हैं और सिंगापुर, सिऔल, श्रीलंका, हाँगकाँग व बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है ।

### सेक्शन बी : कंपनी के वित्तीय विवरण

1) प्रदत्त पूंजी (रु.)	रु. 16436.99 करोड़		
2) कुल व्यवसाय (रुपये) / राजस्व	लागू नहीं		
3) कर के बाद कुल लाभ (रुपये)	चौथी तिमाही के लिए 143.79 करोड़ व वि व 2019 - 20 के लिए :- रु 8,527.40  करोड़		
4) कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	नुकसान के कारण सीएसआर के तहत कोई खर्च नहीं (रु. लाख में)		
	क्रमांक सीएसआर विवरण राशि गतिविधि		
	लागू नहीं लागू नहीं शून्य		
5) उन गतिविधियों की सूची जिसमें उपरोक्त 4 पर व्यय किया गया है ।	लागू नहीं		

### सेक्शन सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की सहायक कंपनी/ कंपनियां है	नहीं
2. क्या सहायक कंपनियां कार्यान्वयन है: मूल कंपनी के बीआर पहलों को कार्यान्वित करती है यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या इंगित करें।	लागू नहीं
3. कोई अन्य इकाई / संस्थाएं (उदा. आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) की कंपनी कंपनी के बीआर पहल में भाग लेने के साथ व्यापार करती है? यदि हां, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? (30% से कम, 30% -60%, 60% से अधिक)	नहीं



## Indian Overseas Bank

## Business Responsibility Report - 2019 - 2020

### Section A: General Information about the Company

1.Corporate Identity Number:		
(CIN) of the Company	Not Applicable	
2. Name of the Company	INDIAN OVERSEAS BANK	
3. Registered Address	763 ANNA SALAI, CHENNAI 600 002	
4. Website	www.iob.in	
5. Email	investor@iobnet.co.in	
6. Financial Year Reported	2019 - 2020	
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services	
	a) Retail Banking	
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	b) Corporate Banking	
	c) International Banking	
Total number of locations where: business activity is undertaken by the Company		
No. of Locations		
I. National	3270 branches as on 31.03.2020	
II. International		
	4 (Singapore, Sri Lanka, Hongkong & Bangkok)	
10. Markets served by the Company-Local/State/National/ International	Bank has branches in 27 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore, Hongkong, Sri Lanka, and Bangkok.	

### Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	Rs. 16436.99 crore				
2) Total Turn Over (INR) / Revenue	Not applicable				
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		For Q4: Rs.143.79 crore and FY 2019-20: -Rs.8,527.40 Crore No spending under CSR due to the loss (Rs.in Lakhs)			
porodinage of Front alice fax (70)	SI. No.	CSR activity	Particulars	Amount	
		NA	NA	NIL	
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	Not Applicable				

### Section C: Other Details

Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	No
Do the subsidiaries implement :     BR initiatives of the parent company     If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	Not applicable
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No



## सेक्शन डी: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

### ए. बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

डीआईएन संख्या	लागू नहीं
नाम	अजय कुमार श्रीवास्तव
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

### बीआर हेड का विवरण - नीचे दिया गया है:

क्रमांक	विवरण	विवरण				
1	डीआईएनी संख्या (यदि लागू हो )	लागू नहीं				
2	नाम	भुवन चन्द्र				
3	पदनाम	महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ				
4	टेलीफोन संख्या	044-2851 9487				
5	ईमेल आई डी	investor@iobnet.co.in / radhavk@iobnet.co.in				

### 2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हां / नहीं में जवाब) (जांचने के लिए)

क्रमांक	प्रश्न	व्यावसायिक नैतिकता	उत्पाद ज़िम्मेदारी	कर्मचारी का कल्याण	स्टेक हो एडर अनुबंध	मानवाधिकार	पर्यावरण	सार्वजनिक नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास सिद्धातों के लिए नीति/ नीतियां हैं?	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है? यदि हां, निर्दिष्ट करें?* (50शब्द)	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
4	क्या बोर्ड द्वारा नीति को मंजूरी दे दी गई है? यदि हां, तो क्या यह एमडी / मालिक / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बोर्ड / निदेशक / आधिकारिक की एक निर्दिष्ट समिति है ?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक को इंगित करें?	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हां
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से सभी सं- बन्धित आंतरिक और बाहरी हितधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां
9	क्या कंपनी के पास हितधारकों की नीति / नीतियों से संबंधित शिकायतों के निपटान हेतु शिकायत निवारण तंत्र है ?	हां	हां	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हां
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा इस नीति के संचालन के लिए अलग से लेखा परीक्षा / मूल्यांकन किए हैं ?	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हां

278 278



### **Section D: BR Information**

1. Details of Director/ Directors responsible for BR

### a. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	NA		
Name	Ajay Kumar Srivastava		
Designation	Executive Director		

### b. Details of the BR head - as below

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
		Bhuwan Chandra
		General Manager & CFO
4	Telephone no.	044-28519487
5 e-mail id		investor@iobnet.co.in / gmbcs@iobnet.co.in

### 2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies (Reply in Y / N)( to check)

SI No	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/ policies for principles	Y	Y	N	Y	N	N	N	Υ	Υ
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Υ	Υ
3	Does the policy confirm to any national/ international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Υ	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/ Owner/ CEO/ appropriate Board Director	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Υ	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Υ	Υ
6	Indicate the link for the policy to be viewed online? @	Υ	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Υ
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Υ	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Υ	Υ
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies?	Υ	Y	NA	Y	NA	NA	NA	Υ	Υ
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	NA	Y	NA	NA	NA	N	Υ
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	NA	N	NA	NA	NA	N	Υ



\* सोसाइटी के लिए फायदेमंद सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों की नीति का पालन करना।

@ www.iob.in

### ए. यदि किसी भी सिद्धांत पर क्रमांक 1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया स्पष्ट करें क्यों: (2 विकल्पों तक टिक करें )

क्रमांक	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है ।									
2	कंपनी उस अवस्था में नहीं है जहां यह खुद को निर्दि- ष्ट सिदद्धांतों पर नीतियों को बचाने और लागू करने की स्थिति में पाती है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या जनशिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं .									
4	यह अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है।									
5	यह अगले एक वर्ष के भीतर किया जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)			#		&	%	\$		

# बैंक के पास अलग से कर्मचारी कल्याण नीति नहीं है। हालाँकि बोर्ड की मंजूरी के साथ कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए गए हैं। &बैंक की अलग से मानवाधिकार नीति नहीं है। हालांकि, इन पहलुओं को मानव संसाधन नीतियों और बैंक के व्यवहार के तहत शामिल किया गया है।

% बैंक के पास लिखित नीति नहीं है लेकिन भारत सरकार द्वारा नई पहलों पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

\$बैंक की लिखित नीति नहीं है लेकिन बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक नीति को आकार देने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं से जुड़ा हुआ है।

### 3. बी आर से संबंधितअधिकार

क. निदेशक मंडल, बोर्ड की सिमिति या सीईओ द्वारा बी आर के कार्य निष्पादन का आकलन कितनी बार किया जाता है इंगित करें , 3 महीने, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक	वार्षिक आधार पर
ख. क्या कंपनी बी आर या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है	हां, यह वार्षिक आधार पर प्रकाशित है । वेबसाइट पर बीआरआर देखा जा सकता है : www.iob.in

### सेक्शन ई : सिद्धांत वार निष्पादन

### सिद्धांत 1: व्यवसाय को नीति, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ आचरित व शासित करना होगा

1) क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है ? क्या यह समूह /संयुक्त उद्यम/ आपूर्तिकर्ता/ ठेकेदार/ गैर सरकारी संगठनों/ अन्य लोगों तक पहुंचता है?

यह बैंक के साथ - साथ इसके वेण्डर/ सप्लायर/ ठेकेदार को कवर करता है। पारदर्शिता, टीमवर्क और स्वामित्व के रूप में व्यक्त किया गया है।

बैंक के सभी कर्मचारियों को निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है

- \* जीवन के सभी क्षेत्रों में कानून की सत्यता और शासन का पालन करना;
- न तो रिश्वत लेना और न ही देना;
- \* सभी कार्यों को एक ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करना;
- \* सार्वजनिक हित में कार्य करना;
- \* उदाहरण प्रस्तुत करते हुए व्यिक्तगत व्यवहार में अखंडता प्रदर्शित करना;
- उपयुक्त एजेंसी को भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट करना।

अनुबंध को सुरक्षित करने या आगे बढ़ाने के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / बोली-दाताओं को अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी भी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध पश्चात चरण केदौरान अपनाने की प्रतिबद्धता हेतु एक पूर्व अनुबंध अखंडता संधि निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।



\*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

@ www.iob.in

#### 2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

S. No	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)			#		&	%	\$		

<sup>#</sup> Bank does not have a separate Employees Welfare Policy. However several welfare measures for employees have been taken with Board approval.

%Bank does not have a written policy but the guidelines issued by Government of India on Green Initiatives are being followed.

\$ The Bank does not have a written policy but is associated with regulators and policy makers to shape public policy relating to banking sector

#### 3. Governance related to BR

a. Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company, within 3 months, 3-6 months, annually, more than 1 year	Annually
b.Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	Yes, it is published on an annual basis. BRR could be viewed at website: <a href="https://www.iob.in">www.iob.in</a>

#### Section E: Principle-wise-performance

#### Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1) Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?

It covers the Bank as well as its vendors / suppliers / contractors etc.

The Bank has operationalized an Ethics Policy which is a statement of the Bank's commitment to good conduct and highest standards of ethical practices.

The Bank's core values have been articulated as Customer Centricity, Ethics, Transparency, Teamwork and Ownership.

All employees of the Bank are required to take the Integrity Pledge committing

- To follow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

All suppliers / contractors / bidders are required to execute a Pre Contract Integrity Pact to commit to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it.

<sup>&</sup>amp; Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank



बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए स्वेच्छा से ग्राहकों के लिए बैंकों की वचनबद्धता -जनवरी 2014 को मंजूरी दे दी गयी लखु उद्दयमों के प्रति वचनबद्धता सहिता - अगस्त 2015 को सौदे में अपनी उचित अभ्यास संहिता के रूप में अपने ग्राहहकों के साथ । कोड की पूरी प्रति बेंक क वेबसाइट www.iob.in पर उपलब्ध है ।

"सिटीज़न चार्टर बैंक की शाखाओं में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली" विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सिटिजन चार्टर के साथ कोड ग्राहकों के साथ बैंक के लेनदेन उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा।

बैंक में एक व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी है।

**आईओबी विजिल:** जून 2013 के दौरान जागरूकता के लिए एक चैथाई आंतरिक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था।

अन्य पक्ष इकाइयों के खिलाफ : बैंक अपनी इंट्रानेट वेबसाइट पर प्रतिबंधित तृतीय पक्ष इकाइयों जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंटस. वैल्यअर्स और वकीलों की सची प्रकाशित करता है।

#### सतर्कता जागरूकता सप्ताह (VAW)

सीवीसी देश का सर्वोच्च संस्थान है जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह को बहु--आयामी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखता है। हमारे बैंक सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सीवीसी के निर्देशों के अनुसार 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक "ईमानदारी - एक जीवन शैली" थीम के साथ मनाया गया।

**ऑनलाइन ई-इंटीग्रिटी प्लेज का परिचय** - इंटीग्रिटी प्लेज प्राप्त करने की ई-इंटीग्रिटी प्लेज प्रक्रिया की एक नई पहल के माध्यम से बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ एकीकृत किया गया, जो ग्राहक के आवश्यक डेटा को इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान करता है जो सीधे सीबीएस से ईमानदारी की शपथ ले रहा है।

जागृति, बैंक में प्रत्येक कंप्यूटर मॉनीटर के डेस्क टॉप पर प्रदर्शित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नें के माध्यम से विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में कर्मचारियों के जागरूकता स्तर को बनाने और ताज़ा करने की पहल है।

जन संपर्क / दृश्यता गतिविधियाँ: देश भर में 21 जागरूकता व 2 मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया ।

स्कूलों और कॉलेजों में VAW गतिविधियाँ: देश भर के 2445 स्कूलों में सतर्कता जागरू-कता गतिविधियाँ आयोजित की गईं और 3,70,413 छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया गया। इन कॉलेजों में 348 कॉलेजों का चयन किया गया और सतर्कजा जागरुकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें 56,271 छात्र शामिल रहे, जिसमें सामूहिक प्रतिज्ञा से लेकर भाषण, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता तक की गतिविधियाँ शामिल थीं

जागरूकता ग्राम सभाएँ: देश भर के अर्ध-शहरी और ग्रामीण गाँवों में 3677 जागरूकता ग्राम सभाएँ की गईं, जिसमें 115,715 ग्रामीणों सहित 92,572 महिलाओं ने भाग लिया।

इंटीग्रिटी क्लब: देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में 122 अखंडता क्लबों को पुनर्जीवित किया गया और ईमानदारी, अखंडता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की गतिविधियों को सतत गतिविधियों के रूप में शुरू किया गया।

नागरिकों के साथ सीवीओ का इंटरफ़ेस: सतर्कता जागरुकता सप्ताह पर नागरिकों के साथ सीवीओ का इंटरफ़ेस 28.10.2019 को शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक चेन्नई आकाशवाणी के एफएम रेनबो (101.4) पर प्रसारित किया गया, जिसमें पूरे तिमलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और श्रीलंका का कुछ हिस्सा शामिल है।

2) पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें	716 1 1 1 1 1 1 ( ) 5 1 7 1 1 1 1 1	शेयरधारक शिकायतें
प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने		
प्रतिशत को हल किया गया था? यदि ऐसा है, तो इसके बारे		
में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।		
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	1708	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	36316	11
वर्ष के दौरान निवारण शिकायतों की संख्या	36658	11
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	1366	0
निवारण की गई शिकायत का प्रतिशत	96%	100%



Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has therefore voluntarily adopted the Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014 and Code of Commitment to Micro and Small enterprises – August 2015 as its Fair Practice Code in dealings with its customers. Complete copy of the Code is available at www.iob.in

"Citizens' Charter" provides key information of various facilities/ services provided to customers in the branches of the Bank.

The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.

The Bank has a Whistle Blower Policy in place.

**IOB Vigil:** A quarterly in-house news letter to spread vigilance awareness was launched during June 2013.

**Action against Third Party Entities:** Bank publishes on its intranet website the list of banned third party entities viz., Chartered Accountants, Valuers and Lawyers.

#### Vigilance Awareness Week (VAW)

CVC the apex integrity institution of the country endeavors to promote integrity transparency and accountability in public life, observes Vigilance Awareness Week every year as part of the multi-pronged approach. As per the directions of CVC in our Bank VAW observed from 28th October to 2rd November, 2019 with the theme "Integrity –a way of Life.

Introduction of Online E-Integrity Pledge – through a new initiative of E-Integrity Pledge process of obtaining Integrity Pledge was integrated with Core Banking Solutions of the Bank facilitating collecting the required data of the customer who is taking integrity pledge directly from the CBS.

Jagrithi, an initiative to create and refresh the awareness levels of the staff in various sensitive areas through objective type questions displayed on desk top of every computer monitor in the bank.

Mass contact/ Visibility Activities: Organized 21 Awareness Walks and 2 Human Chain across the country.

VAW activities in Schools and Colleges: Vigilance Awareness Activities were conducted in 2445 schools across the country and 3,70,413 students were actively participated in various programs. 348 colleges were selected and VAW was celebrated in these colleges involving 56,271 students with activities ranging from mass pledge to speech, debate and essay competition.

**Awareness Gram Sabhas:** 3677 Awareness Gram Sabhas were conducted in semi-urban and rural villages across the country wherein 115,715 villagers including 92,572 women were participated

**Integrity Clubs:** 122 integrity clubs were revived in schools and colleges across the country and activities based on honesty, integrity and need to fight against corruption have been started as continuing activities.

CVO Interface with Citizens: CVO interface with citizens on VAW was broadcasted on 28.10.2019 at 5 PM to 6 PM on FM Rainbow (101.4) of Chennai AIR which covers entire Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman and some part of Srilanka.

How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management?  If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	Customer Complaints Digital (other than ATM related) and Non-digital transactions	Shareholder Complaints
No. of complaints pending at the beginning of the year	1708	0
No. of complaints received during the year	36316	11
No. of complaints redressed during the year	36658	11
No. of complaints pending during the year	1366	0
% age of complaints resolved	96%	100%



# सिद्धांत 2: व्यापार को ऐसे सामान और सेवाएं प्रदान करना चाहिए जो सुरक्षित हैं और जो अपने संपूर्ण जीवन चक्र में स्थिरता के प्रति योगदान दे

1. अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएं ऑफर करता है जिनमें सामाजिक एवं औपचारिकताओं को शामिल किया गया हैं।	
और / याअवसरों को शामिल किया गया है।	वित्तीय साक्षरता	
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 22 स्थानों पर स्थापित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (SNE-HA) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाती है। इन केंद्रों के परामर्शदाता औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के संबंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, आमने-सामने वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं और ऋणी व्यक्तियों को ऋण परामर्श प्रदान करते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर समय-समय पर शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक, एफएलसी द्वारा 73,112 क्रेडिट काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। स्थापना के बाद से बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर 10,003 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। 93,702 एसबी खातों को शुरू से ही सोर्स किया खोला गया है। 1,47,208 लाभार्थियों को कवर करके वित्तीय प्रणाली में नए शामिल लोगों के लिए 1,295 विशेष शिविर आयोजित किए गए थे। लक्ष्य समूह के लिए एसएचजी, छात्र, विरष्ठ नागरिक, किसान और सूक्ष्म और लघु उद्यमी से जुडे 2,28,307 लाभार्थियों को शामिल करके 1,834 शिविर आयोजित किए गए।।	
	स्वयं सहायता समूह	
	वर्ष के दौरान, बैंक क्रेडिट से जुड़े 37727 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रु 964 करोड़ ऋण प्रदान किए गए । बैंक द्वारा से कुल 7,81,570 एसएचजी हैं और उन्हें मार्च 2020 तक संवितरित कुल ऋण की संचयी राशि रु 12,197 करोड़ है ।	
	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने सभी लीड जिलों में कुल 12 आरसेटी की स्थापना की थी, तािक किसानों, एसएचजी के सदस्यों, एसजीएसवाई के तहत लाभार्थियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं, कारीगरों, कमजोर वर्गों और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। आरसेटी का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित स्नेहा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आरसेटी 318 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 9010 प्रशिक्षुओं के लक्ष्य के मुकाबले 13715 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करते हुए 487 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बैंक ने 69% का संचयी निपटान और 53% का संचयी ऋण निपटान प्राप्त किया है जो राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 67% और 43% से ऊपर है। दिसंबर 2019 में हमने अपने आरसेटी में 50,000 महिला प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का एक शानदार प्रदर्शन हासिल किया।	
<ol> <li>प्रत्येक उत्पाद के लिए, संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची साम्रगी इत्यादि) के संबंध में उत्पाद का प्रति इकाई (ऐच्छिक) प्रदान किया जाता है:</li> </ol>		
<ul><li>i) सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण पिछले वर्ष के दौरान मूल्य श्रृंखला में कटौती की गई?</li></ul>	लागू नहीं	
<ul><li>ii) उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कटौती पिछले वर्ष से हासिल की गई है?</li></ul>	लागू नही	
<ol> <li>क्या टिकाऊ सोर्सिंग(पिरवहन सिहत) के लिए कंपनी की कार्यवाही हो रही है।</li> </ol>	लागू नही	
i) यदि हां, तो आपके इनपुट का प्रतिशत किसने स्थिरता को सोर्स किया था? इसके बारे में 50 शब्दों में भी विवरण प्रदान करें।	लागू नहीं सभी वित्तीय उत्पाद है जिनका उद्देश्य संपूर्ण परिचालानात्मक क्षेत्र प्राप्त करना है।	
4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जिनमें उनके काम के आसपास के समुदायों समेत शामिल हैं?	नहीं	



# Principle 2: Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

life cycle Bank offers the following financial services which have incorporated social 1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns and opportunities: concerns, risks and/ or opportunities. **Financial Literacy** Financial Literacy is imparted through Financial Literacy Centers (SNEHA) established at 22 locations under Corporate Social Responsibility. The counsellors of these centers are educating the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial institutions, provide face-to-face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. They are also conducting periodical camps at various places. As on 31st March 2020, 73,112 credit counselling have been conducted by the FLCs since inception. 10,003 Financial Literacy camps were conducted on various aspects of Banking since inception. 93,702 SB accounts have been sourced and opened since inception. 1,295 Special camps for newly included people in the financial system were conducted by covering 1,47,208 beneficiaries. 1,834 camps were conducted for the target group viz. SHGs, Students, Senior Citizens, Farmers and Micro & small entrepreneurs by covering 2.28.307 beneficiaries. **Self Help Group** During the year, the Bank credit-linked 37727 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of Rs. 964 crores. The cumulative number of SHGS credit linked by the Bank is 7,81,570 with a total disbursement of Rs. 12,197 crores as of March 2020. Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Govt of India, the Bank had set up total 12 RSETIs in all Lead Districts, to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, educated unemployed vouths, artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. The RSETIs are managed by SNEHA Trust established by the Bank. During the year under review, the RSETIs have conducted 487 training programs benefiting 13715 unemployed youths against the target of 318 training programmes and 9010 trainees. Bank has achieved cumulative settlement of 69% and cumulative credit settlement of 53% which are well above the national average of 67% and 43% respectively. In December 2019 we achieved a landmark performance of training 50,000 women trainees in our RSETI. 2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ NA distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, NA water) has been achieved since previous year? NA 3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was NA sourced sustainably? All are financial products aiming to reach the entire operational area. Also provide details thereof in about 50 words or 4. Has the company taken any steps to procure No goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?



यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?	लागू नही
5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट रीसायकल करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5% -10%)। इसके अलावा, इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें।	लागू नही

# सिद्धांत 3: व्यापार को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें	24,880	24,880			
2. कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/आकस्मिक आधार पर कर्मचारियों की पूर्ण संख्या इंगित करें	शून्य	श्र्य			
3.कृपयास्थायीमहिलाकर्मचारियोंकीकुलसंख्याइंगितकरें	8617				
4. स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या इंगित करें	480	480			
5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा	हाँ				
मान्यता प्राप्त है?	कर्मचारियों	के लिए - ऑल इण्डिया ॐ	गोवरसीज़ बैंक एम्प्लॉ	यीस यूनियन	
	अधिकारिये	ां के लिए - इण्डियन ओवर	रसीज़ बैंक अधिकारी	संघ	
6. आपके कितने प्रतिशत कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य है?	कर्मचारी - ऑल इण्डिया ओवरसीज़ बैंक एम्प्लॉयी यूनियन - 90% अधिकारी - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ - 98.70%				
7. कृपया वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मज़दूरी, जबरन मज़दूरी, अनैच्छिक मज़दूरी, पिछले वित्तीय वर्ष में यौन उत्पीड़न और लंबित शिकायतों की संख्या इंगित करें।	क्र. सं.	प्रवर्ग	वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज़ शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
	1	बाल मजदूरी/जबरन श्रम/ अनैच्छिक मज़दूरी।	शून्य	शून्य	शून्य
	2	यौन उत्पीड़न	2	3	2
	3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य	शून्य
8. आपके तहत उल्लिखित कर्मचारियों का कितना	स्थायी कर्मचारी		72.16%		
प्रतिशत पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?	स्थायी महिला कर्मचारी		68.17%		
	आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी		कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया		
	विकलांग क	र्मचारी	71.88%		

286



If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Not applicable.

# Principle 3: Business should promote the well-being of all employees

1.Please indicate the total number of employees	24,880				
2.Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	Nil				
Please indicate the number of permanent women employees	8617				
Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	480	480			
5. Do you have an employee association that is recognized by the management		Yes  Workmen – All India Overseas Bank Employees Union Officers – Indian Overseas Bank Officers Association			
6. What percentage of your employees are members of this recognized employees association	Workmen – All India Overseas Bank Employees Union – 90% Officers – Indian Overseas Bank Officers Association – 98.70%				
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	Sr. No.	Category	No. of complaints pending as on the start of the financial year	No. of com- plaints filed dur- ing the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
	1	Child Labour/ forced labour/ involuntary labour	Nil	Nil	Nil
	2	Sexual Harassment	2	3	2
	3	Discriminatory Employment	Nil	Nil	Nil
8. What percentage of your under	Permanent employees		72.16%		
mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	Permanent women employees		68.17%		
	Casual/ Temporary/ Contractual employees		No Training given		
	Employees with disabilities		71.88%		

287



वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया और स्वच्छ भारत अभियान, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सजावटी वृक्ष के पौधे की आपूर्ति की गई। बैंक खुदरा और एसएमई क्षेत्र में आगे बढ़ने और वसूली के लिए दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करना जारी रखा हुआ है। एसएमए-1 और 2 खातों की पूरी सूची इन सदस्यों को प्रदान की जाती है, जो सॉफ्टवेयर (JAWS) का उपयोग करते हैं और वसूली के लिए संपर्क करते हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि संगठन द्वारा दृष्टिबाधित कर्मचारियों का प्रभावी रूप से उपयोग कर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है।

# सिद्धांत 4 : व्यापार हितकारी और सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए. खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को मैप किया है? हाँ/नही	शेयरधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, बैंक, व्यिक्तयों आदि में वर्गीकृत किया जाता है। ग्राहकों को बड़े कॉर्पोरेट, मध्य-कॉर्पोरेट, छोटे और मध्यम उद्यमों और खुदरा ग्राहकों में विभाजित किया जाता है। मानव संसाधन विभाग बैंक के कर्मचारियों के हितों की देखभाल करता है।
2. उपरोक्त में से, कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है?	हाँ बैंक ने वंचित, कमज़ोर और हाशिए वाले हिससेदारों की पहचान की है जिनमें छोटे और सीमांत किसान, किराएदार और पट्टे पर लिए गए किसान, भूमिहीन मज़दूर और ग्रामीण महिला शामिल है । उनहें क्रेडिट कार्ड, कृशि आभूषण ऋण, स्वयं सहायता समूह, पीएमजेडीवाइ आदि जैसी विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पदोन्नति हेतु पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्टाफ सदस्यों के लिए प्री प्रमोशन ट्रेनिंग बैंक के विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित की गई थी। आंतरिक प्रशिक्षण 17,128 कर्मचारियों को दिया गया था। प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों में से 3,725 अनुसूचित जाति (अ.जा.) और 1,339 अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित थे।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	हां । बैंक ने कमज़ोर वर्गों अर्थात छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिला लाभार्थियों, अल्पसंख्यकों आदि को अपने उधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं: प्राथमिकता उधार क्षेत्र कृषि लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण
	गैर-कॉर्पोरेट किसानों को ऋण कमजोर वर्ग के लिए ऋण सूक्ष्म वित्तपोषण महिलाओं को ऋण प्रवाह <b>प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ)</b> बैंक ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पीएमजेडीवाइ को कार्यान्वितकिया है। भारत की।
	यह योजना 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बैंक ने 50,82,888 बीएसबीडी खाते खोले हैं, जिनमें से 31,38,171 ऑपरेटिव खाते हैं। हमने 31 मार्च 2020 तक 47,77,716 रुपे डेबिट कार्ड जारी किए हैं और इस योजना के तहत ऑपरेटिव पीएमजेडीवाइ खातों में 22,79,254 कार्ड (72.6%) सक्रिय किए हैं। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाइ) अग्रणी बैंक योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
	वित्तीय समावेशन बैंक ने गैर-बैंकिंग गांवों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा- निर्देशों के अनुसार 2,975 बैंक मित्र के माध्यम से स्मार्ट कार्ड बैंकिंग शुरू की है। बैंक जनसुरक्षा योजनाओं के तहत जैसे पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और पेंशन योजना के तहत अटल पेंशन योजनाओं में ग्राहकों को नामांकित कर रहा है।



Eye Camp was conducted during the financial year 2019-20 wherein all staff members at Central Office participated and Swachh Bharat Abhiyan, Supply of ornamental tree sapling were carried out for the financial year 2019-20. Bank is continuing to utilize the services of visually impaired staff for follow up and recovery in Retail and SME sector advances. The entire list of SMA-1 & 2 accounts is provided to these members who use the software (JAWS) to contact and follow up for recovery. This initiative ensures that visually impaired staff are utilized effectively by the organization and also helps to build up morale.

Principle 4: Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ no	Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutiona Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals etc.
	Customers are segmented into large corporate, mid-corporate, Small and Mediun Enterprises and Retail customers.
	Human Resource Department looks after the interest of the Bank's employees.
2.Out of the above, has	Yes
the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders whic include Small and Marginal Farmers, Tenant and Leased Farmers, Landless Labourer and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card Agri Jewel Loan, Self Help Groups, Prime Ministers Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc.
	Pre Promotion Training for SC/ST/OBC and Persons with Permanent Disability (PWD staff members who are eligible for promotion was conducted at various Staff Trainin Centers of the Bank.
	Internal training was imparted to 17,128 Staff. Of the total staff trained 3,725 belonged t Scheduled Caste (SC) and 1,339 belonged to Scheduled Tribe (ST).
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged,	Yes. Bank has taken various initiatives for increasing its lending to weaker sections ie Small and Marginal farmers, SCs, STs, OBCs, Women Beneficiaries, Minorities etc including the following:
vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide	Priority Sector Credit
details thereof.	Agriculture
	Loans to Small and Marginal farmers
	Loans to Non-Corporate farmers
	Loans to Weaker Section
	Micro Finance
	Credit Flow to Women
	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY)
	The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 50,82,888 BSBD Accounts out of which 31,38,171 are operative accounts. We have issued 47,77,716 RuPay Debit Cards till 31st March 2020 and activated 22,79,254 cards (72.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme.
	Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
	Lead Bank Scheme
	Regional Rural Banks
	Financial Inclusion
	Bank has engaged 2,975 Business Correspondents as per the guidelines of Reserv Bank of India for providing banking facilities in un-banked villages.
	The Bank is enrolling customers under Jansuraksha schemes like PMJJBY, PMSBY an Pension schemes like Atal Pension Yojana.



# आधार नामांकन केन्द्र

यूआइडीएआइ दिशानिर्देशों के अधीन बैंक ने अपने प्रशिक्षित एवं प्रमाणित स्टॉफ सदस्यों को शामिल करके एवं अपनी खुद की किट लगाकर आधार नामांकन केन्द्रों की स्थापना की है।

शक्ति-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिदंबरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट ने महिलाओं को चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उदयमशील विकास प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 116 लाभार्थियों को कवर करने वाले 5 ईडीपी कार्यक्रम आयोजित किए। बैंक ने अभी तक 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 4,314 लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 1,288 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और 155 अल्पसंख्यक हैं।

बैंक महिला एसएचजी, युवा एसएचजी, एक्स सर्विस मैन एसएचजी, शारीरिक रूप से विकलांग / दृष्टिहीन विकलांग आदि सहित एसएचजी को जोड़ने के लिए विशेष बल देता है।

# सिद्धान्त 5: व्यवसायों में मानव अधिकारों का सम्मान तथा प्रचार होना चाहिए |

क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनीको कवर करती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्ति कर्ता ओं / ठेकेदारों / गैर सरकारी संगठनों / अन्य लोगों तक पहुंचती है? बैंक की नीतियां और प्रथाएं किसी भी नस्ल, धर्म, वैवाहिक स्थिति लिंग, सामाजिक स्थितियां किसी अन्य आधार पर कानून के निषिद्ध आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं।

बैंक के सभी कार्यालयों / शाखाओं में अच्छे औद्योगिक संबंधों की निगरानी और रखरखाव हो सके तथा समय-समय पर अनुशासन को लागू करने, नीतियों का पालन आदि करने के संबंध में परिपत्र / भी विवाद उत्पन्न होता है, विभाग उचित रूप से सदस्यों के बीच समझौता/ परामर्श द्वारा सुलझाता है या निपटारे की शर्तों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा नियम प्रभावित करता है जो औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए हो।

कर्मचारी सदस्यों के आईआर मामलों से संबंधित शिकायतों / मामलों के संबंध में जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने हेतु व बैंक के अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए गड़बड़ करने वाले सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई थी।

एचआरएमडी-आइआर अनुभाग में अनुशासन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधानों को बनाए रखने, केंद्रीय कार्यालय ने यनियनों / संघों के साथ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से शिकायतों का निवारण करने के लिए जो कि पंचाटाधीन स्टाफ के लिए पदोन्नति, स्थानांतरण, लाभ इत्यादि के संबंध में है मान्यता प्राप्त संघ के साथ समझौते में प्रवेश किया था।

औद्योगिक संबंध पर्यावरण संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बैंक के लिए सौहार्दपूर्ण और अनुकूल बने रहे। कर्मचारियों के मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ एसोसिएशन द्वारा जारी दिशानिर्देश हमारे कर्मचारियों के लाभ के लिए परिपन्न जारी करके त्वरित रूप से लागू किए गए हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन ( रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार तथा एचआरएमडी - आइआर के अंतर्गत व प्रशासनिक अनुभाग कार्यालयों (के-न्द्रीय, अंचल तथाक्षेत्रीय कार्यालयों) में आंतरिक शिकायत समितियां गठित की गई हैं। समितियों की संस्तृति के अनुसार शिकायत के निवारण हेत् उचित कार्रवाई की जाती है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें मिली हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत को संतोषजनक ढंग से हल किया गया था?

वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारियों की शिकायतों का विवरण निम्नवत है :

31.03.2019 तक लंबित शिकायतें - 02

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतें - 03

वर्ष 2019-20 तक निपटाई गई शिकायतें - 05

31.03.2020 तक लंबित शिकायतें - शून्य

# सिद्धान्त 6 : व्यवसाय को चहिए की वह पर्यावरण का ख्याल रखें वह उसका संरक्षण करे एवं उसकी बहाली के लिए कोशिश करे

सिद्धांत 6 केवल कंपनी को कवर करता है या समूह / संयुक्त उद्यम प्रदायक / ठेकेदार / गैर सरकार संगठनों / अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों तक विस्तारित करता है

लागू नहीं



# **Aadhaar Enrollment Centres**

Subject to the UIDAI guidelines, the Bank has established Aadhaar Enrollment Centres by engaging our trained and certified staff members and by deploying our own kits.

# Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust

The Trust continued to provide Entrepreneurial Development Training to women to empower them socially and financially to meet the challenges. During the year, the Bank conducted 5 EDP programmes covering 116 beneficiaries. The Bank has so far conducted 100 EDP programmes covering 4,314 beneficiaries of which 1,288 belong to SC/ST and 155 belong to minority.

Bank lays special emphasis for credit linking Women SHGs, youth SHGs, SHGs of Ex-Service men, SHGs comprising of physically handicapped/visually impaired etc.

# Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1 .Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/Contractors/ NGOs/Others?

The Bank's policies and practices do not discriminate on the basis of race, religion, marital status, gender, social status or any other basis prohibited by law.

In order to monitor and maintain good industrial relations climate in all offices/Branches of the Bank, circulars/ guidelines are issued from time to time regarding enforcement of discipline, policies to be followed, etc. Wherever dispute arises between the Employer & Employee and among Employees, the department amicably settles by conciliation/counseling members or initiates disciplinary proceedings, if required, according to the terms of the settlement and regulations in force to maintain industrial harmony.

With regard to complaints/matters pertaining to IR matters committed by staff members, disciplinary action, wherever necessary, had been initiated against erring members to maintain discipline and harmonious industrial relations in the Bank.

HRMD-IR Section, Central Office had entered into settlement with the recognized union for award staff regarding promotion, transfer, benefits, etc. to redress the grievances of employees/Officers through collective bargaining with Unions/Associations.

The industrial relations environment for the Bank remained cordial and conducive for achieving organization's objectives.

The guidelines issued by the Ministry of Finance and Indian Banks Association with regard to staff matters are implemented expeditiously by issuing circulars for the benefit of our employees.

Internal complaints committees were constituted at all Administrative offices (Central, Zonal & Regional Office) under the instruction of HRMD-IR Section, as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. As per the recommendation of the Committees, appropriate action has been taken to redress the grievances.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

The following are the details of employee complaints during the year 2019 - 2020:

Complaints pending as on 31.03.2019 - 02

Complaints received during 2019-2020 - 03

Complaints disposed during 2019-2020 - 05

Complaints pending as on 31.03.2020 - Nil

# Principle 6: Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.

NA



क्या कंपनी ने पर्यावरण को संबोधित करने के लिए रण-नीतियों की पहल शुरू की है जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि हां/ नहीं यदि हां, तो कृपया वेबपृष्ठ । इत्यादि पर हाईपरलिंक दें।इत्यादि पर हाईपरलिंक दें

# बैंक ने पर्यावरण की रक्षा और प्रद्रुषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं :

राष्ट्रीय लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक उद्देदश्यों के संदर्भ में, बैंक सामाजिक आधारभूत संरचना (स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल सुविधाओं, घर सिहत स्वच्छता सुविधाओं जैसे क्षेत्रों के संपर्क में वृदिध, जल स्तर में सुधार करने का प्रयास करता है)। और नवीकरणीय उर्जा, यानी सौर आधारित बिजली जनरेटर, पवन मिलों, सूक्ष्म जल संयंत्रों और गैर-पारंपरिक उर्जा आधारित सार्वजिनक उपयोगिताओं, जैसे सड़क प्रकाश प्रणालियों और दूरस्थ गांव विदित्तिकरण के प्रयोजनों के लिए।

बैंक अपने परिसर में हरियाली बढाने हेत् भी कदम उठा रहा है।

# डिजिटल पहल के माधयम से पेपर की खपत को कम करने के उपाय:

हरित पहल के रूप में बैंक पेपरलेस बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है जो कि लागत के साथ-साथ समय को भी करेगा।

हाल ही में एक अनू। उत्पाद जो चेक / कैश के माध्यम संग्रह के बजाए आइओबी पे के माध्यम से शिक्षण संस्थानों और अन्य संगठनों से संग्रहण कर सकता है, लागू किया गया है।

एटीएम डेबिट कार्ड के लिए गी्रन पिन भी समर्थ किया गया है। बैंक के पास बिजनेस इंटलिजेंस सूट है जो इंटरैक्टिव डैश बोर्ड, अलर्ट, एनालिटिक्स आदि देता है। निम्नलिखित उपाय भी किये गए है।

नकद के जमा और निकासी के लिए नकद पुनर्चक्रण का उपयोग किया गया है |

- पीओएस मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए |
- एम-पासबुक के उपयोग को बढ़ावा देना।
- डिजिटल-लेनदेन के हिस्सेदारी को बढ़ावा देना।
- इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य ई-चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देना
- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), ऑनलाइन ग्राहकों के लिए एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली शुरू की गई है
- डिजिटल पहल जैसे कि "IOB पे" एक एकीकृत ऑनलाइन भुगतान गेटवे प्लेटफ़ॉर्म, जो चेक / कैश के माध्यम से संग्रह के बजाय IOB PAY के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों और अन्य संगठनों से अनुकृलित डिजिटल संग्रह की पेशकश कर सकता है।
- भीम आइओबी यूपीआइ हमारे बैंक द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके लॉन्च किया गया एप्लिकेशन है। 31.03.2020 तक, 30 लाख ग्राहक यूपीआइ प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं।
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना। 31.03.2020 को बैंक का वर्तमान डेबिट कार्ड आधार 179.25 लाख है।
- आरटीजीएस /नेफ्ट : अधिक कॉर्पोरेट ग्राहकों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के प्रभावी ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शाखाओं और इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को बल्क नेफ्ट और आरटीजीएस सुविधाएं दी गईं।
- प्रतियों को मुद्रण प्रतियों के बजाय बैंक की इंट्रानेट वेबसाइट पर परिपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।
- हार्ड कॉपी भेजने के बजाय ज़ोन / क्षेत्र आदि को ई-मेल भेजे जा रहा हैं।
- कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ई मेल से प्रिंट नकरें जब तक कि यह बहुत ज़रूरी नहीं हो ।
- विक्रेताओं को भुगतान ई-भुगतान मोड के माध्यम से किया जाता है

3.क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है ?

हाँ



2. Does the Company have strategies/initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc

Bank has initiated certain important measures to protect the environment and prevent pollution :

In terms of national goals and socio-economic objectives, Bank endeavors to increase exposure to sectors such as social infrastructure (schools, health care facilities, drinking water facilities, sanitation facilities including house hold water level improvement) and renewable energy, ie., for purposes such as solar based power generators, wind mills, micro hydel plants and for non-conventional energy based public utilities, viz., street lighting systems and remote village electrification.

The Bank is also taking steps to increase green cover in Bank's premises.

# Measures to reduce consumption of paper through Digital Initiatives :

As a part of Green Initiative, the Bank is moving towards paperless banking, which will reduce the cost as well as save time.

Recently a unique product which can offer customized collections from educational institutions and other organizations through IOB PAY instead of collections through Cheque/Cash has been implemented.

Green PIN for ATM debit cards has also been enabled. The Bank has a Business Intelligence Suite which gives interactive Dash Boards, alerts, analytics etc.

The following initiatives have also been taken:

- · Use of cash recyclers for deposit and withdrawal of cash
- · Promoting use of POS machines
- Promoting use of M-Passbooks
- Increasing share of digital transactions
- Promoting use of Internet Banking, Mobile Banking, UPI and other e-channels
- Bharat Bill Payment System (BBPS), an integrated bill payment system for customers online has been launched
- Digital initiatives such as "IOB Pay" an integrated online payment gateway platform, which can offer customized digital collections from educational institutions and other organizations through IOB PAY instead of collections through Cheque/Cash has been implemented.
- BHIM IOBUPI is the application launched by our Bank using Unified Payment Interface. As on 31.03.2020, 30 lakh customers have been on boarded on UPI platforms.
- Promoting use of Debit Cards and Credit Cards. Present Debit Card base of the Bank as on 31.03.2020 is 179.25 lakhs.
- RTGS/NEFT: BULK NEFT and RTGS facilities were given to branches and Internet banking customers to attract more corporate customers and promote usage of electronic payment channels effectively.
- Circulars are made available on the Bank's intranet website instead of printing copies.
- Sending e-mails to Regions etc instead of sending hard copies.
- Employees are encouraged not to take print out of emails unless it is absolutely essential
- Payment to vendors is made through e-payment mode.



4. क्या कंपनी के पास स्पष्ट विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो इसके बारे में 50 शब्द या उससे भी अधिक विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या किसी भी पर्यावरण का अनुपालन दायर किया?	लागू नहीं
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी ऊर्जा दक्षता,नवीनीक- रण ऊर्जा इत्यादि पर अन्य पहल की है । हा / नहीं यदि हां,तो कृपया वेब पेज आदि के लिए जी हाइपरलिंक दें	जी हां, कुछ पहल की गई हैं जो कि निम्न हैं:  अ- ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट जो स्थिर हो को बैंक में लाया गया है    अ- हमारे परिसर में ऊर्जा बचाने के लिए 5 स्टार रेटेड विद्त उपकरणों का उपयोग किया जाता है।  इ- पतले मॉनिटर लगाए गए हैं।  ई- स्टाफ सदस्यों को जब भी प्रयोग में न हो तब विद्तीय उपकरणों को बंद करने का निर्देश दिया गया है ।  जहां तक संभव हो बैंक उच्च स्तरीय ईको फ्रेंडली तकनीकी का प्रयोग कर रहा है ।
6. वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट क्या हैं ?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ नोटीस/ कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (यानी संतोष का समाधान नहीं)	शून्य

# सिद्धान्त 7- व्यवसाय जब लोगों व विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगा रहता है तो उसे यह काम जिम्मेदारीपूर्वक करना चाहिए

1. क्या आप की कंपनी किसी जिम्मेदार तरीके से व्यापार और कक्ष या एसोसिएशन में किसी भी बैंकी का सदस्य है? कि आपका व्यवसाय इस बात से संबंधित है: यदि हां, केवल उन प्रमुख लोगों को नाम दें क्या आपने वकालत के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से या लॉकबॉइड की वकालत की

बैंक निम्नलिखित का सदस्य/ संबंधित है :

- 1. इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए)
- भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईएफबी)
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)
- 4. राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)
- भारतीय वाणिज्य मंडल और उद्योग संघ (एफआईसीसीआई)
- सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफआरएएल)
- 7. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)
- भारतीय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीसीआई)
- भारत के वाणिज्य और उद्योग के एसोसिएटेड चैंबर (एसोचैम)
- 10. स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस)

2. क्या आपने सार्वजनिक अच्छे सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से लॉबबिड की वकालत की है ? हां/ नहीं

यदि हां व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन। सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार प्रिंसिपल अन्य प्रगति अथवा आर्थिक सुधार) समय समय पर बैंक ने बैंकिंग उद्योग से संबंधित मामलों पर नीति निर्माताओं और नीति बनाने वाले संगठनों को सुझाव और योगदान दिया है ।

# सिद्धांत ८ व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1.क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण परियोजनाओं को / पहलों में कार्यक्रम निर्दिष्ट किया है यदि हां तो इसका विवरण दें

# वित्तीय समावेशन

हमारे बैंक ने इंडिविजुअल बीसी मॉडल के तहत 2,795 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स को शामिल किया है। हमने आवंटित एसएसए में 2,662 बीसी और गैर-आवंटित एसएसए में 92 बीसी और शहर से 92 बीसी को सामिल किया है। बीसी, खाते खोलने, छोटे मूल्य जमा का संग्रह, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई जैसे जन सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों का नामांकन, एनपीए खातों, लोन खातों में रिकवरी, आधार सीडिंग, जमा राशि जुटाने और आरडी की किस्त जमा करने में लगे हुए हैं।



3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Not applicable.
5. Has the company undertaken any other	Yes. Some of the initiatives taken are as follows:
initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give	a. Energy efficient LED light fixtures have been introduced in the Bank
hyperlink for web page etc	b. 5 Star rated electrical equipment's are used to save energy at all our premises.
	c. Thin Monitors are introduced.
	d. Staff are sensitized to switch off electrical gadgets / appliances when not in use
	As far as possible, the bank is using high-end eco-friendly technology.
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending(i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	

Principle 7: Businesses, when engaged in influ	encing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner
1. Is your company a member of any trade and	Bank is a member/ associated with the following:
chamber or association? If Yes, Name only	1. Indian Banks Association (IBA)
those major ones that your business deals with:	2. Indian Institute of Banking & Finance (IIFB)
	3. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)
	4. National Institute of Bank Management (NIBM)
	5. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
	6. Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL)
	7. National Payments Corporation of India (NPCI)
	8. The Clearing Corporation of India Ltd (CCI)
	9. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSO-CHAM)
	10. Swift International Banking Operations Seminar (SIBOS)
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No;	The Bank from time to time has given suggestions / contribution to policymakers and policy-making associations on matters relating to banking industry.
if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	

# Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified	Financial Inclusion
programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof	Our Bank has engaged 2,795 Business Correspondents under Individual BC model. We have engaged 2,662 BCs in allotted SSA and 92 BCs in un-allotted SSA and 41 Urban BCs. BCs are engaged in opening of accounts, collection of small value deposits, enrolment of customers under JanSuraksha Schemes like PMJJBY and PMSBY, recovery in loan accounts including NPA accounts, Aadhaar seeding, mobilizing deposits and collecting RD instalment.



	• •			
	उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के समन्वय में, आइओबी स्मार्ट कार्ड बैंकिंग लगभग 3.30 लाख वृद्धावस्था पेंशनधारियों को उनकी मासिक पेंशन पाने के लिए सक्षम कर रहा है और 61 शिविरों में लगभग 0.25 लाख श्रीलंकाई तिमल शरणार्थी अपने मासिक रकम घर पर प्रापत कर रहे हैं। 1 अक्टूबर, 2018 को, हमारे बैंक ने चयनित शाखाओं में विरेष्ठ नागरिकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की है।			
	दिशानिर्देशों अनुसार के प्रधानमंत्री द्वारा 15 बचत खाते खोले । इस	बैंक ने पीएमजेडीवाई व अगस्त 2014 को शुरू योजना के तहत हमने 3	<b>ाई):</b> वित्त मंत्रालय, भार ग कार्यान्वयन किया है। किया गया था। बैंक ने वु 1 मार्च 2020 तक 47,77 तों में 22,79,254 कार्ड	इस योजना को भारत इल 50,82,888 बेसिक 7,716 रूपे डेबिट कार्ड
<ol> <li>क्या कार्यक्रम/प्रोजेक्ट को इन हाउस टीम /स्वयं की संस्थान /बाहरी एनजीओ / शासकीय संरचना /अन्य कोई संगठन के माध्यम से की जाती है ?</li> </ol>	वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को इन - हाउस टीम के माध्यम से तथा बैंक द्वारा लगाए गए व्यापार संवाददाताओं के माध्यम से साथ किया जाता है।			
3.क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	योजनाएँ	तक 01.04.2019 नामांकन की स्थिति	के दौरान 2019-20 नामांकन की स्थिति	के 31.03.2020 दौरान नामांकन की स्थिति
	पी एम जे जे बी वाई	7,84,218	1,62,254	9,47,769
	पी एम एस बी वाई	23,85,186	2,75,013	26,57,039
	कुल	31,69,404	4,37,267	36,04,808
4.आपकी कंपनी की प्रत्यक्ष एनआईटी योगदान विकास परियोजनाएं क्या हैं - आईएनआर में राशि और समुदायकी परियोजनाओं के विवरण।		যূ	- त्य	
5.क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया नहीं गया है? कृपया 50 शब्दों		लागृ	्नहीं	

# सिद्धान्त 9: अपने ग्राहक और उपभोक्ता को व्यवसाय जिम्मेदार तथा मूल्यवान तरीके से मूल्य प्रदान करना चाहिए।

<ol> <li>वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत क्या है?</li> </ol>	2.00 प्रतिशत
2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य है, उत्पाद प्रयोगशाला पर उत्पाद की जानकारी नहीं दिखाती है? हा/नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. क्या कंपनी के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और विरोधी के संबंध में कंपनी के द्वारा दायर कोई मामला है ?	शून्य
4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वे / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान को अंजाम दिया है?	हाँ । बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राहक संतुष्टि सर्वे करवाया गया ।



It is noteworthy to state that in coordination with Government of Tamil Nadu, IOB Smart Card Banking has been enabling about 3.30 lakh old age pensioners to get their monthly pension and about 0.25 lakh Sri Lankan Tamil Refugees in 61 camps to obtain their monthly dole at their doorstep. On 1st October'2018, our Bank has launched Doorstep Banking for the Senior Citizens in the selected Branches Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY): The Bank has implemented PMJDY as per the directives of Ministry of Finance, Govt. of India. The Scheme was launched by the Prime Minister of India on 15th August 2014. The Bank has opened 50,82,888 BSBD Accounts out of which 31,38,171 are operative accounts. We have issued 47,77,716 RuPay Debit Cards till 31st March 2020 and activated 22,79,254 cards (72.6%) in the operative PMJDY accounts under this scheme. 2. Are the programmes / projects undertaken The Financial Inclusion programme has been undertaken through in-house through in-house team/own foundation/ team as well as Business Correspondents engaged by the Bank. external NGO/government structures/any other organization? 3. Have you done any impact assessment of Status of Status of Status of your initiative? Enrolment enrolment as **Schemes** enrolment as during the year on 31.03.2020 on 1.04.2019 2019-20 (Cumulative) **PMJJBY** 1,62,254 9,47,769 7,84,218 **PMSBY** 23,85,186 2,75,013 26,57,039 Total 31,69,404 4,37,267 36,04,808 4. What is your company's direct contribution community development projects-Nil Amount in INR and the details of the projects undertaken 5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is Not applicable successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

# Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

What percentage of customer complaints are pending as on the end of financial year	2.00%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/ No./N.A/Remarks(additional information)	Not applicable
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anticompetitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	Nil
Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes. Customer satisfaction survey was conducted by the bank for the year 2019-20.



# इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लाभांश वितरण नीति

# I. नीति की आवश्यकता और उद्देश्य:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 08 जुलाई 2016 को सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 (एलओडीआर) में विविमय 43 एअंतर्निविष्ट किया है, जिसे लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौसूच् विद्यास संस्थाओं की आवश्यकता होती है, (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को संगणित), जो उनकी वार्षिक रिपोर्टों औरउनकी वेबसाइटों पर प्रकट की जाएगी। लाभांश वितरण नीति में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे:

- (ए) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं के शेयरधारक लाभांशकी उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
- (बी) वित्तीय पैरामीटर जिन पर लाभांश घोषित करते समय विचार किया जासकता है :
- (सी) आंतरिक और बाह्य कारक जिन्हें लाभांश की घोषणा करने के लिए विचार जा सकता है;
- (डी) नीति जिसके तहत धारित आय को कैसे उपयोग में लाया जाए; और

# II. परिभाषा:

(इ) पैरामीटर जो शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में अपनाए जाएंगे:

बशर्तें कि सूचीबद्ध इकाई क्लॉज (ए) से (ई) के अतिरिक्त पैरामीटर के आधार पर लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखती है या ऐसे पैरामीटर में शामिल ऐसे अतिरिक्त पैरामीटर या लाभांश वितरण नीति को बदलने का प्रस्ताव करती है, तो तर्क के साथ ऐसे प्रकटों को अपने वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर खुलासा करेगी।

सेबी (एलओडीआर) विनिमय के विनिमय 43ए के संबंध में, लाभांश वितरण नीति बनाना हमारे बैंक के लिए अनिवार्य है, जैसा कि बाज़ार पूँजीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2016 को हमारा बैंक शीर्ष 500 सौ सूचीबद्ध संस्थाओं के अंतर्गत आता है और तदनुसार हमारा शेयर बीएसइ और एनएसइ लिमिटेड में सूचीबद्ध है, निम्नलिखित "लाभांश वितरण नीति" बनाई गई है जिसे बैंक निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया है।

हमारा बैंक, एक नवीन बैंक के रूप में हैं, जिसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970के उपक्रमों का अंतरण अधिग्रहण व प्रावधानों के तहत गठित किया गया है,जो लाभांश भुगतान के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

ए) लाभांश	लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है। सामान्य प्रावृत्ति में, 'लाभांश' का मतलब बैंक का लाभ है, जिसे कारोबार में नही रखा जाता है और शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा धारित शेयर के लिए भुगतान किए गए राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है।
बी) सीआरएआर	यह बैंक पूँजी का अपने परिसंपत्ति भारित जोखिम का अनुपात है।
सी) लाभांश देय अनुपात	'लाभांश देय अनुपात' 'वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ' के लिए एक वर्ष (लाभांश कर को छोड़कर) में देय लाभांश के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है।
डी) बोर्ड	`बोर्ड' का मतलब निदेशक मंडल जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित है।

# (॥) नीतिः

नीति को"आइओबी लाभांश नीति ' के 'नाम से जाना जाएगा।

# 2. लाभांश वितरण के संबंध में सामान्य नियम:

बैंक का इरादा शेयरधारकों को बैंक का लाभ देकर परितोषिक देना है, तथापि यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बरकरार रखी जाती है। आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा घोषणा के लिए और बैंक के वित्तीय प्रदर्शन, भविष्य की योजनाओं, आंतरिक एवं बाह्य कारक,वैधानिक प्रतिबंध इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश बोर्ड द्वारा भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अपने विवेकाधिकार पर सिफारिश की जाएगी। बोर्ड अपने विवेकाधिकार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है।

# 3. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड;

दिनांक 04 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों मूल परिपत्र दिनांक 01.07.2015 और परिपत्र दिनांक 10.01.2019 के अनुसार, बैंक लाभांश घोषित करने के लिए तभी पात्र होगा, जब यह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है;

- i. बैंक के पास होना चाहिए :
- कम से कम सीआरएआर 9 पिछले दो पूर्ण वर्ष के लिए और लेखांकन वर्ष जिसके लिए यह लाभांश घोषणा करने के लिए प्रस्ताव करता है।

# निवल एनपीए 7% से कम होना चाहिए।

यदि बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% प्लस लागू सीसीबी (31.03.2020 के लिए 11.50%) का सीआरएआर है जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह लाभांश घोषित करने के योग्य होगा,बशर्ते इसका नेट एनपीए 5% से कम हो।

- ii. बैंक धारा 15 के प्रावधानों (जो लाभांश के भुगतान को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक सभी पूंजीकृत व्यय निसरित नहीं किए गए हैं) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 ( जो सांविधिक आरक्षित निधि के लाभ को निर्दिष्ट हिस्से के हस्तांतरण को निर्धीरत करता है) का पालन करेगा।
- iii. बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा नियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा जिसमें परिसंपत्तियों और कर्मचारियों सेवानिवृत्ति लाभों की कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान, सांविधिक रिज़र्व को लाभ अंतरण शामिल है।
- iv. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए।
- णाभांश की घोषणा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगा होना चाहिए।

यदि कोई बैंक उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो रिजर्व बैंक से कोई विशेष छूट उपलब्ध नहीं होगी।



# IOB DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

# I. NEED AND OBJECTIVE OF THE POLICY:

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has on July 08, 2016, inserted Regulation 43A in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), which requires the top five hundred listed entities based on Market Capitalization, (calculated as on March 31 of every financial year), to formulate a Dividend Distribution Policy which shall be disclosed in their annual reports and on their websites. The Dividend Distribution Policy shall include the following parameters:

- the circumstances under which the shareholders of the listed entities may or may not expect dividend;
- (b) the financial parameters that shall be considered while declaring dividend;
- internal and external factors that shall be considered for declaration of dividend;
- (d) policy as to how the retained earnings shall be utilized; and

(e) parameters that shall be adopted with regard to various classes of shares:

Provided that if the listed entity proposes to declare dividend on the basis of parameters in addition to clauses (a) to (e) or proposes to change such additional parameters or the dividend distribution policy contained in any of the parameters, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in its annual report and on its website.

In terms of Regulation 43A of SEBI (LODR) Regulations, it is mandatory for our Bank to frame the Dividend Distribution Policy, as our Bank falls within the top 500 listed entities as on March 31, 2016 in terms of Market Capitalization and our shares are listed in BSE & NSE Limited. Accordingly, the following 'Dividend Distribution Policy' has been framed and been approved and adopted by the Board of Directors of the Bank.

Our Bank is formed under the provisions of Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, is following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India in respect of dividend payments.

#### II. DEFINITIONS:

a) Dividend	Dividend includes interim dividend. In common parlance, 'Dividend' means the profit of the
	Bank, which is not retained in the business and is distributed among the shareholders in propor-
	tion to the amount paid up on the shares held by them.
b) CRAR	It is the ratio of the Bank's capital to its risk weighted assets.
c) Dividend	'Dividend Payout Ratio' is calculated as a percentage of 'dividend payable in a year (excluding
Payout Ratio	dividend tax) to 'net profit during the year'.
d) Board	'Board' means Board of Directors of the Bank constituted in terms of Section 9(3) of the Banking
	Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

# III. POLICY:

- The Policy will be called as "IOB Dividend Distribution Policy."
- General Principles of the Bank regarding distribution of dividend:

The intent of the Bank is to reward the shareholders of the Bank by sharing a portion of the profits, whilst also ensuring that sufficient funds are retained for growth of the Bank. The dividend for each year would be recommended by the Board at its discretion within the set guidelines of Government and Reserve Bank of India and after taking into account the financial performance of the Bank, its future plans, internal and external factors, statutory restrictions etc. for declaration by the shareholders in general meeting. The Board may also declare interim dividend at its discretion.

# 3. Eligibility Criteria for declaration of dividend:

As per the guidelines dated May 04, 2005 issued by Reserve Bank of India, Master Circular dated 01.07.2015 & Circular dated 10.01.2019 by Reserve Bank of India, the Bank will be eligible to declare dividends only when it complies with the following minimum prudential requirements;

- i. The Bank should have:
- CRAR of at least 9% plus applicable CCB for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.

Net NPA less than 7%.

In case the Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% plus applicable CCB (11.50% for 31.03.2020) for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA is less than 5%.

- ii. The Bank shall comply with the provisions of Sections 15 (which prohibits payment of dividend until all capitalized expenses have been written off) and Section 17 (which stipulates transfer of specified portion of profit to statutory reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949.
- iii. The Bank shall comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.
- iv. The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.
- The Reserve Bank of India should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.

In case any bank does not meet the above eligibility criteria no special dispensation shall be available from the Reserve Bank.



# 4. देय लाभांश की मात्रा:

- ए. भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश: बैंक, यदि यह उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3 में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करता है, तो निम्नलिखित के अधीन लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है:
- ताभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुलग्नक 1 में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए।
- ii. यदि प्रासंगिक अविध के लाभ में कोई अतिरिक्त सामान्य लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसे अतिरिक्त सामानों को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।
- iii. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिनके लिए बैंक लाभांश घोषित कर रहा है, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होना चाहिए,जिसके दौरान उस वर्ष लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ता है।उस प्रभाव के लिए किसी भी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- iv. बेसल ।।। अनुरूप बांड पर ब्याज की अदायगी न करने या सीसीबी सहित बेसल- ॥। सीआरएआर अनुपात की गैर-उपलब्धि के मामले में, आरबीआई ने इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए बेसल ।।। कैपिटल रेगुलेशन पर मास्टर सर्कुलर में लाभांश पर प्रतिबंध लगाता है।

# बी. भारत सरकार का दिशानिर्देश:

भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को अपनी इक्विटी (यानी प्रदत्त पूंजी) का 20 न्यूनतम या कर पश्चात लाभ का 20 जो भी अधिक हो, लाभांश देना होगा। यिद, कोई भी बैंक अंतरिम लाभांश का भुगतान करने का फैसला करता है, तो वार्षिक परिणामों के आधार पर बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए। आगे इन अनुदेशों के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार की विशिष्ट पूर्वानुमति आवश्यक है.

# 5. आंतरिक और बाहरी कारक:

बैंक का लाभांश भुगतान निर्णय कुछ बाहरी करकों पर भी निर्भर करता है जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, वैधानिक और विनियामक प्रावधान, कर नियम इत्यादि,जैसा कि लाभांश की घोषणा के समय लागू हो सकता है।उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा, बोर्ड अन्य आंतरिक कारकों को ध्यान में रखता है जैसे कि व्यापार विकास योजनाएं, भविष्य कीपूंजी आवश्यकताएं, पूंजीगत संपत्तियों के प्रतिस्थापन इत्यादि। लाभांश के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

# 6. अर्जित आय का उपयोग:

अर्जित आय का उपयोग मुख्य रूप से बैंक की विकास योजनाओं के उद्देश्य के लिए और अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा समय-सम्य पर जारी किए जाते हैं, के लिए उपयोग की जाएगी।

# 7. शेयरों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान:

वर्तमान में बैंक के पास केवल एक शेयर वर्ग अर्थात् इक्विटी शेयर है। भविष्य में किसी भी अन्य वर्ग के शेयर जारी करने के मामले में, पैरामीटर उचित समय पर बैंक द्वारा उचित रूप से तय किए जाएंगे।

# लाभांश वितरण प्रणाली:

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार, बैंक लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेगा । जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मोड का उपयोग संभव नहीं होने पर, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधि का उपयोग करना संभव नहीं है, तब सममूल्य पर देय वारंट या मांग इाफ्ट पात्र शेयरधारकों को जारी किए जाएंगे।

# 9. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग:

- क) पॉलिसी को बैंक के वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
- ख) बैंक आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार आरबीआई को लेखांकन वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की रिपोर्ट करेगा।
- ग) बैंक प्रति शेयर आधार पर लाभांश घोषित और खुलासा करेगा जैसा कि सेबी(एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट है।

# 10. नीति की वैधता एवंसमीक्षा

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा संशोधन तक पॉलिसी लागू नही होगी। पॉलिसी और नियामक दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति या असंगतता की स्थिति में, नियामक दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।

बोर्ड वार्षिक आधार पर नीति की समीक्षा / नवीनीकरण करेगा और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकता है।

अनुलग्नक- 1 लाभांश देय अनुपात की अधिकतम अनुमत सीमा के लिए मानदंड का मैट्रिक्स

		निवल एनपीए अनुपात				
प्रवर्ग	सीआरएआर	शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक और 5% से कम	5% से अधिक और 7% से कम	
		लाभांश देय अनुपात की सीमा				
А	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक	
В	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक	
С	पिछले प्रत्येक तीन वर्ष केलिए ०९% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक	
D	वर्तमान वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य	



# 4. Quantum of dividend payable:

- A. RBI guidelines: The Bank, if it fulfills the eligibility criteria set out at paragraph No.3 above, may declare and pay dividends subject to the following:
- The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished in Annexure 1.
- ii. In case the profit for the relevant period includes any extraordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.
- iii. The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.
- iv. In case of nonpayment of interest on Basel-III compliant bonds or non-achievement of the Basel-III CRAR ratio including CCB, RBI puts restrictions on the dividend in the Master Circular on Basel III Capital Regulations issued for this purpose.

# B. Government of India guidelines:

As per extant guidelines of Government of India, the Bank is required to pay a minimum dividend of 20% of its equity (i.e. paid up capital) or 20% of its post-tax profits, whichever is higher. In case, any Bank decides to pay interim dividend, the total dividend to be paid by the Bank based on the annual results should be as per the above guidelines. Further, any relaxation from the provisions of these instructions requires specific prior permission of the Government.

#### 5. Internal and External Factors:

The dividend payout decision of the Bank will also depend on certain external factors such as the state of the economy of the country, statutory and regulatory provisions, tax regulations, etc, as may be applicable at the time of declaration of the dividend. Apart from the aforesaid external factors, Board will also take into account various internal factors, such as business growth plans, future capital requirements, replacement of capital assets, etc. The decision of the Board regarding dividend shall be final.

# 6. Utilisation of Retained Earnings:

The retained earnings will mainly be utilized for the purpose of the Bank's growth plans and such other purposes as per the guidelines issued by RBI and Government of India from time to time.

# 7. Provisions with regard to various classes of shares:

The Bank currently has only one class of shares, namely Equity Shares. In case of issuance of any other class of shares in future, the parameters shall be decided suitably by the Bank at the appropriate time.

### 8. Manner of Payment of dividend:

As per Regulation 12 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank shall use any of the electronic modes of payment facility approved by the Reserve Bank of India for the payment of the dividends. Where it is not possible to use electronic mode of payment, 'payable-at-par' warrants or Demand Drafts will be issued to the eligible shareholders.

# 9. Disclosure and Reporting:

- The Policy will be disclosed on the website of the Bank and a web link shall be provided in the Annual Report.
- b) The Bank shall report the details of dividend declared during the accounting year to RBI as per timeline specified by RBI.
- The Bank shall declare and disclose the dividend on per share basis only as specified under SEBI (LODR) Regulations.

# 10. Validity and Review of Policy

The Policy will be in force, until further amendments made by Regulatory Authorities. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Policy and Regulatory guidelines, the regulatory guidelines will prevail.

The Board will review / renew the Policy on an annual basis and if found essential may amend the Policy from time to time.

Annexure - 1

Matrix of Criteria for maximum permissible range of Dividend Payout Ratio

Category	CRAR	Net NPA Ratio				
		Zero	More than zero but	From 3% to less	From 5% to less than	
			less than 3%	than 5%	7%	
		Range of Dividend Payout Ratio				
А	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15	
В	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10	
С	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5	
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil	

# Get Connected Limitless opportunities for all



Send and receive money instantaneously 24\*7.



IOB SAHAYAK Staff App





INTERNET BANKING

Anytime, Anywhere Banking with a wide range of Banking functionalities



IOB Rewards www.iobrewardz.com





Mobile app which offers major banking functions at ease



**BHIM AADHAAR IOB** 

Aadhaar based merchant payment system



MISSED CALL

missed call to 9210622122 from your registered mobile to know your balance



**108 NANBAN** 

Customer's Non Financial Txn App



इण्डियन ओवरसीज़ बेंक Indian Overseas Bank

(A Government of India undertaking) आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with

Toll free: 1800 425 4445 (24 X 7)

Website: www.iob.in



OBIndia @io





Central Office Address:

763 Anna Salai, Chennai - 600002. Phone: +91-44-2852 4212





Good people to grow with

Toll free: 1800 425 4445 (24 X 7)

Website: www.iob.in







Central Office Address:

763 Anna Salai, Chennai - 600002. Phone: +91-44-2852 4212